द्वादश माला, खंड 4, अंक 28

गुरुवार, 23 जुलाई, 1998
1 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

LIBRARY
No.
Date

सत्यमेव जयते

(खण्ड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
गुरुवार, 23 जुलाई, 1998/1 श्रावण, 1920 (शक)
का
शुद्धि-पत्र
....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
53	नीचे से 11	खनन मंत्री	खान मंत्री
110	नीचे से 3	श्रीमती लक्ष्मी पनबका	श्रीमती लक्ष्मी पनबाका
126	14	संविधा	सुविधा
130	2	श्री गिननी एन॰रामचन्द्रन	श्री गिनगी एन॰रामचन्द्रन
161	17	"(का)" का लोप कीजिए।	
188	13	श्री अशोक नामदेवराव मोहाले	श्री अशोक नामदेवराव मोहोल
197	नीचे से 2	श्री सुभाष चन्द्र तिवारी	श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी
219	33	"श्री सुशील कुमार सिंह:" के नाम के पश्चात "....." जोड़िए।	
281	नीचे से 17	श्रीमती उषा मीणा	श्रीमती उषा मीणा

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री रामलाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 28, गुरुवार, 23 जुलाई, 1998/1 श्रावण, 1920 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 522 से 524	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 525 से 541	21-52
अतारांकित प्रश्न संख्या 5198 से 5402	52-202
(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के बिना बारी के आवंटन के बारे में दिनांक 11.6.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2398 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	203
(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण में इंजिनियरों की संख्या के बारे में दिनांक 9.7.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3289 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	203
सभा पटल पर रखे गये पत्र	203-205
केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए सेना को बुलाने के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय के रोक आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल किए जाने के बारे में	205-209
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) दूरदर्शन केन्द्र, उरई (उत्तर प्रदेश) की रिले क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	245
(दो) महाराष्ट्र के इरन्दोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक किलोमीटर की परिधि के अन्दर डाक घर खोले जाने की आवश्यकता	
श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील	245
(तीन) उत्तर प्रदेश के खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नई चीनी मिल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक प्रधान	246
(चार) मुल्लापेरियार बांध की ऊंचाई बढ़ाने की समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाले जाने की आवश्यकता	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	246
(पाँच) महाराष्ट्र में नागपुर के चारों तरफ 30 किलोमीटर की हरित पट्टी के प्रतिबंध को हटाने तथा नागपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	247
(छह) महाराष्ट्र में सांगली जिले की वाल्वा तहसील में इस्लामपुर में कम शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण	248

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(सात) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाए जाने की आवश्यकता	
प्रो० अजित कुमार मेहता	248
(आठ) बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुशील कुमार सिंह	248
(नौ) ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के संबंध में और अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि मेहताब	249
(दस) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू हो जाने के कारण संपन्न वर्ग की पात्रता के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष किए जाने की आवश्यकता	
श्री चेंगारा सुरेन्द्रन	249
(ग्यारह) सुन्दरबन क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	250
(बारह) भालू नचाने पर पाबंदी लगाने संबंधी कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० सैफुद्दीन सोज	250
(तेरह) गुजरात में "कपड़वंज-नडियाद" रेलगाड़ी की आवृति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री जयसिंह जी चौहान	251
(चौदह) उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और हरिद्वार जनपद के गन्ना किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोहम्मदपुर क्षेत्र में रजवहा की मरम्मत कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री सोहनवीर सिंह	252
विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० अजीत कुमार मेहता	252
श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन	253
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	255
श्री राजो सिंह	257
श्री ओम प्रकाश	264
प्रो० सैफुद्दीन सोज	266
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर	268
श्री कोनिजेटी रौसैया	268
श्री फ्रांसिस्को सारदीना	270
श्री के०डी० सुल्तानपुरी	271
श्री पी०आर० कुमारमंगलम	273-283

विषय	कॉलम
खण्ड 2 से 13 और 1	283
पारित करने के लिए प्रस्ताव	283
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों की हड़ताल	
श्री दलित एझिलमलाई	260-263
नियम 193 के अधीन चर्चा	
महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार	
श्रीमती गीता मुखर्जी	283-288
श्री शरद पवार	288-290

लोक सभा

गुरुवार, 23 जुलाई, 1998/1 श्रावण, 1920(शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. अधिकारी के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की है *(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को सजा हो गई है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे 'शून्य-काल' में उठा सकते हैं। आप प्रश्नकाल में बाधा उत्पन्न क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री कृष्ण लाल शर्मा : महोदय, मैंने पूर्व सूचना दी है। यह एक गंभीर मामला है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। रोजाना ऐसा करना अच्छी बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे न्याय चाहते हैं। अगर 12 अगस्त अंतिम तारीख नहीं होती तो हमें कोई एतराज नहीं होता। हम और समय देते और मान लेते। हम लोग. . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे 'शून्य-काल' में उठा सकते हैं। आपको प्रश्न काल में बाधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह होता रहा है और क्वश्चन ऑवर में उठता रहा है। हम आपसे न्याय चाहते हैं। यह सत्र अब 2-3 दिन का रह गया है। 2-3 दिन के बाद कोई सुनने वाला नहीं है, आप हमारी मदद कीजिये। आप जब तक चेयर पर है, आप मदद करेंगे। पूरी कानूनी राय ले ली गई है। अटार्नी जनरल ने अपनी राय दे दी है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हुये हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे मैं आपको 'शून्य-काल' में उठाने की अनुमति दूंगा। किसी मामले को उठाने का यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया समझिए, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय है। मैं इसे आपको 'शून्य काल' में उठाने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जब तक आप चेयर में है, हमें न्याय मिल सकता है। यह सत्र उठने के बाद हमें न्याय नहीं मिल सकता है। आपके रहते हमें न्याय मिलेगा *(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है। तीन दिन का सत्र रह गया है। उसके बाद हम लोग बाहर चले जायेंगे। तब कोई सुनने वाला नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूर होकर यहां आपके सामने कह रहे हैं कि 12 अगस्त अंतिम तारीख है। *(व्यवधान)* इस में लालू प्रसाद जी का सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए, आप इसे प्रश्नकाल में नहीं उठा सकते हैं।

श्री सी०पी० राधाकृष्णन : महोदय, पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उसके बाद कोई सुनेगा नहीं।

(व्यवधान)

श्री सत्य पाल जैन : अध्यक्ष महोदय, अपील डालना, न डालना यह सरकार का काम है। माननीय सदस्य इस बात को पार्लियामेंट में नहीं उठा सकते हैं *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी नेताओं से यह अपील कर रहा हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रश्नकाल में प्रतिदिन बाधा न डाली जाए। सदस्यों को सहयोग देना चाहिए।

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है कि इस समय तक भारत सरकार को अपील के संबंध में निर्णय लेना है। इस विषय विशेष पर माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा की गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी सहमति दी है कि हम इस मुद्दे को प्रश्न-काल के बाद उठा सकते हैं। इसलिए, इस मुद्दे को केवल प्रश्न-काल के बाद ही उठाना हमारा कर्त्तव्य है। अपने सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वे प्रश्न-काल को चलने दें।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : हमें भी अपनी बात को उठाने का मौका दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, आपको प्रश्न-काल के बाद अनुमति दी जाएगी।

पूर्वाह्न 11.02 **बजे**

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मंगला एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन

***522. श्री वैको : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) मंगला एक्सप्रेस के मार्ग को बदलकर कोंकण रेल मार्ग से करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंगला एक्सप्रेस दिल्ली से चलने वाली एकमात्र ऐसी रेलगाड़ी है जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर और सेलम जैसे व्यापारिक केन्द्रों से होकर गुजरती है तथा उन स्टेशनों से इस रेलगाड़ी के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयम्बटूर से होकर चलने वाली केरल एक्सप्रेस के लिए कोयम्बटूर में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(घ) क्या सरकार ने मंगला एक्सप्रेस को उसके पुराने मार्ग पर चलाने के लिए अधिकारियों को निदेश दिया है;

(ङ) क्या सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली जाने वाली केरल एक्सप्रेस के लिए कोयम्बटूर में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) कम दूरी का लाभ उठाने के लिए 1.8.1998 से मंगला एक्सप्रेस के मार्ग को कोंकण रेलवे के रास्ते परिवर्तित किया जा रहा है जिससे हजरत निजामुद्दीन और मंगलौर के बीच लगभग 12 घंटे के चालन समय की बचत होगी। मंगला एक्सप्रेस के अलावा तमिलनाडु और दिल्ली के बीच आरक्षण सुविधाओं के साथ 6687/6688 नवयुग एक्सप्रेस, 6343/6344 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस और 6317/6318 हिमसागर एक्सप्रेस भी सप्ताह में 3 दिन सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इस समय कोयम्बटूर में केरल एक्सप्रेस के लिए आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यात्री मंगला एक्सप्रेस से यात्रा कर सकते हैं। बहरहाल, 1.8.1998 से कोंकण रेल के रास्ते मंगला एक्सप्रेस के मार्ग परिवर्तन को देखते हुए कोयम्बटूर के यात्रियों को केरल एक्सप्रेस में ऐसी आरक्षण सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं। यात्रियों को कम परिवहन समय के लाभ को ध्यान में रखते हुए मंगला एक्सप्रेस को इसके पहले वाले मार्ग पर चलाना व्यावहारिक नहीं समझा जाता है।

श्री वैको : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री ने अपने जवाब में कहा है कि मंगला एक्सप्रेस के मार्ग को कोंकण रेलवे के रास्ते में परिवर्तित किया जा रहा है ताकि कम दूरी का लाभ उठाया जा सके। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं। हम इस परिवर्तित लाइन पर मंगला एक्सप्रेस चलाने का विरोध नहीं कर रहे है। हालांकि, कोयम्बटूर शहर, जिसे दक्षिण का मैनचेस्टर और कपड़े की राजधानी कहा जाता है, इन सुविधाओं से वंचित हो रहा है जो कि उसे इन सब वर्षों में प्राप्त थीं। न केवल मंगला एक्सप्रेस बल्कि छः अन्य रेलगाड़ियों का मार्ग भी परिवर्तित कर दिया गया है जो कि इस मार्ग पर चल रही थीं। जिन रेलगाड़ियों के मार्ग को परिवर्तित किया गया है वह हैं : कोचीन-कुरला एक्सप्रेस, मंगला एक्सप्रेस; एरनाकुलम-निजामुद्दीन एक्सप्रेस; त्रिवेन्द्रम-गांधीधाम एक्सप्रेस; कोचीन-राजकोट एक्सप्रेस; त्रिवेन्द्रम-राजकोट एक्सप्रेस और सुपर-फास्ट त्रिवेन्द्रम-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। यह सब रेलगाड़ियां कोयम्बटूर, तिरूपुर, ईरोड, सेलम और जोलारपेट से होकर जाती थीं। यह क्षेत्र धुलाई उद्योगों, बुनाई उद्योगों, कपड़ा उद्योगों और पावरलूम और हथकरघा उद्योगों के लिए जाना जाता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, कृपया प्रश्न पर आइए।

श्री वैको : महोदय, पूरा कपड़ा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है क्योंकि इन रेलगाड़ियों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं। दूसरी ओर, मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में एक भ्रामक सूचना दी है कि नवयुग एक्सप्रेस, स्वर्णजयन्ती एक्सप्रेस और हिमसागर एक्सप्रेस तमिलनाडु और दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन दिन सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ये रेलगाड़ियां तो कुछ समय से चल ही रही हैं। ये नई रेलगाड़ियां नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, आपका प्रश्न क्या है ? यदि आप अपना प्रश्न नहीं रखते हैं तो मुझे आपका प्रश्न अस्वीकार करना पड़ेगा।

श्री वैको : हम छः रेलगाड़ियों की सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। छः रेलगाड़ियों की सेवाएं समाप्त करने के बाद ऐसा

आभास दिया जा रहा है कि तीन नई रेलगाड़ियों की सेवाएं प्रदान की गई हैं। यह सही नहीं है। ये रेलगाड़ियां तो पहले से ही चल रही थीं। केरल कोयम्बटूर से होकर जाने वाली नवयुग एक्सप्रेस नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, यदि आप अपने प्रश्न पर नहीं आए तो मुझे आपको रोकना होगा।

श्री वैको : महोदय, रेलगाड़ियों के मार्ग में इस परिवर्तन के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। पूरा कपड़ा क्षेत्र इस मामले पर पूर्णतया आन्दोलित है। उस क्षेत्र के लोग बुरी तरह विक्षुब्ध हैं क्योंकि वे अहमदाबाद, मुम्बई, दिल्ली आदि स्थानों पर नहीं जा पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत हो गया, श्री वैको। यह चर्चा नहीं हो रही है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री वैको : महोदय, छः रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित होने के कारण लोग अब यहां से मुम्बई, अहमदाबाद और नई दिल्ली नहीं जा सकते हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह कोयम्बटूर से नई दिल्ली और कोयम्बटूर से मुम्बई मार्ग पर एक-एक नई रेल सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हैं। यदि ये नई रेलगाड़ियां नहीं चलाई गईं तो हम बुरी तरह से प्रभावित होंगे। वह एक योग्य मंत्री हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं। मुझे उनसे इतने कठोर बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह कम से कम इन दोनों नई रेलगाड़ियों की सेवाएं प्रदान करें। मंत्री जी क्या आप मेरे अनुरोध पर विचार करेंगे ?

श्री नीतीश कुमार : महोदय, सबसे पहले मैं इस आरोप का खंडन करना चाहूंगा कि मैंने सभा को गुमराह किया है। माननीय सदस्य ने उत्तर ध्यान से पड़ा होगा। मैंने सभा को गलत सूचना नहीं दी है, मैंने सही सूचना दी है।

जहां तक कि मंगला एक्सप्रेस को कोंकण मार्ग पर परिवर्तित करने का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि मंगला एक्सप्रेस नई दिल्ली से मैंगलोर तक चलती थी और उस क्षेत्र की अधिकाधिक मांग के कारण इसे कोंकण मार्ग पर परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया क्योंकि इससे समय और दूरी दोनों कम हो गए। यह एक सही निर्णय था। मैं उनकी भावनाओं की प्रशंसा करता हूं लेकिन यह वस्तुतः सही नहीं है। मंगला एक्सप्रेस अब कोयम्बटूर, इरोड, सेलम और काटपाड़ी क्षेत्र में कुल मिलाकर 257 बर्थ की सेवायें प्रदान करती हैं। हम केरल एक्सप्रेस द्वारा इस क्षेत्र को अच्छी सेवायें प्रदान कर रहे है। अब इस क्षेत्र को 250 बर्थ की सेवायें प्रदान की जा रही हैं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं *(व्यवधान)*

श्री वैको : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। महोदय, माननीय मंत्री जो ने मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। पहले छः रेलगाड़ियां थीं *(व्यवधान)* मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने मंगला एक्सप्रेस के मार्ग को परिवर्तित करने के बारे में मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। इन वर्षों में यह छः रेलगाड़ियां इस मार्ग पर चल रही थीं। मैं कोंकण रेल सेवा का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि इन रेलगाड़ियों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं। इस क्षेत्र के लोग जो गुजरात, मुम्बई और नई दिल्ली जाना चाहते हैं, उन्हें यह सुविधा प्राप्त नहीं है *(व्यवधान)* उन्होंने अपने वक्तव्य में इस तरह कहा है जैसे यह छः रेलगाड़ियां नई आरम्भ की गई हों। यह रेलगाड़ियां तो पहले से ही चल रही हैं। यह छः रेलगाड़ियां जो पहले से ही चल रही थीं का अब मार्ग परिवर्तित किया गया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यात्रा करने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम एक नई रेलगाड़ी कोयम्बटूर से नई दिल्ली और अन्य नई रेलगाड़ी कोयम्बटूर से मुम्बई तक चलाई जाए। क्या माननीय मंत्री महोदय मेरे अनुरोध पर विचार करेंगे ?

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मंगला एक्सप्रेस को एरनाकुलम तक बढ़ाया जा रहा है। जहां तक कि मुम्बई को जोड़ने का प्रश्न है हमारा प्रस्ताव कुरला-बैंगलौर एक्सप्रेस को आगे बढ़ाकर कोयम्बटूर तक चलाने का है।

जहां तक कि नई दिल्ली का प्रश्न है, केरल एक्सप्रेस प्रर्याप्त सेवायें प्रदान करेगी। यह इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

श्री वैको : केरल एक्सप्रेस एक नई रेलगाड़ी नहीं है। यह पहले से ही चल रही है।

श्री नीतीश कुमार : जहां तक कि कोयम्बटूर से नई दिल्ली तक नई रेलगाड़ी चलाने करने का संबंध है *(व्यवधान)*

श्री वैको : उन लोगों का क्या होगा जो कोयम्बटूर से नई दिल्ली की यात्रा करना चाहते हैं ? *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : वह केरल एक्सप्रेस से यात्रा कर सकते हैं।

श्री वैको : केरल एक्सप्रेस पहले से ही वहां है *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : महोदय, हम इस पर सभा के बाहर चर्चा कर सकते हैं *(व्यवधान)*

श्री वैको : हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हम कोंकण रेलवे का विरोध नहीं कर रहे हैं। *(व्यवधान)* कृपया मुझे यह बताइए कि क्या आप कोयम्बटूर से नई दिल्ली तक नई रेलगाड़ी चलाने की इस मांग पर विचार करेंगे ? मंत्री जी, क्या आप इस अनुरोध पर विचार करेंगे ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे निश्चित उत्तर चाहते हैं।

श्री नीतीश कुमार : मैं उनके अनुरोध पर सहृदयता से विचार करूंगा। *(व्यवधान)*

श्री वी० धनंजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंगला एक्सप्रेस मेरे निर्वाचन क्षेत्र, मंगलौर से चलती है। यह मंगलौर को नई दिल्ली से जोड़ती है। कोंकण रेल मार्ग के माध्यम से मंगला एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन किया जाना एक अच्छा उपाय है क्योंकि इससे दूरी कम होगी और यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा किए गए उपाय का पूरी तरह समर्थन करता हूं। *(व्यवधान)* अब रेलगाड़ी का सफर मंगलौर से एरनाकुलम तक बढ़ जाएगा। इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे केवल इसी बात की आशंका है कि यात्रा को मंगलौर से दक्षिण में एरनाकुलम तक बढ़ाए जाने से मंगलौर के लिए आवंटित शायिकाएं प्रभावित होंगी।

इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे यह सुनिश्चित करेंगे कि क्या मंगलौर के लिए आवंटित शायिकाओं की संख्या को आरक्षित किया जाएगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय कुमार, आप केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, मंगलौर पहुंचने वाली गाड़ियों का समय भी बदला जाएगा। वापिस जाने वाली गाड़ियां आधी रात को मंगलौर पहुंचेंगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या अनुपूरक प्रश्न पूछने का यह तरीका है।

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, यह उससे जुड़ा हुआ है। जाते समय भी यह गाड़ी रात में ही मंगलौर पहुंचती है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंगलौर से यात्रा करने वाले उन यात्रियों की, जो इस मंगला एक्सप्रेस से यात्रा करना चाहेंगे, सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, यह कोई प्रश्न नहीं है, यह एक सुझाव है। परन्तु जहां तक मंगलौर के लोगों का संबंध है, वे प्रभावित नहीं होने वाले हैं।

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : मंगला एक्सप्रेस के मार्ग परिवर्तन के कारण नेल्लौर के लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। वहां के कई व्यापारी केरल और दिल्ली जाते हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि मंगला एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन करने की बजाय एक और रेलगाड़ी की व्यवस्था करें या कम से कम केरल एक्सप्रेस के नेल्लौर में रुकने की व्यवस्था करें।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : महोदय, केरल एक्सप्रेस नेल्लौर में कहीं नहीं रुकती। *(व्यवधान)*

श्री सी०पी० राधाकृष्णन : महोदय यह मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पूरे आंदोलन की उपज श्री नीतीश कुमार जी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र की छह रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है और वे मुझे एक नई रेलगाड़ी तक नहीं दे रहे हैं। मैं इस सभा के सभी सदस्यों से अपील कर रहा हूं कि यदि कोई सदस्य छह रेलगाड़ियां खो देता है तो क्या वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में बिना किसी कठिनाई के जा सकता है। इससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।

इसलिए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि कम से कम दो रेलगाड़ियां, एक पलक्कड़ से मुम्बई और एक पलक्कड़ से दिल्ली तक शुरू करें।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर पूरी तरह नहीं सुना है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुर्ला-मंगलौर *(व्यवधान)* महोदय वे अब भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा है कि कुर्ला-मंगलौर एक्सप्रेस का कोयम्बटूर तक विस्तार किया जाएगा।

श्री टी०आर० बालू : कब ?

श्री नीतीश कुमार : जल्दी ही। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : महोदय, श्री बालू बेकार ही इस प्रश्न में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। वे एक अलग समस्या हैं। *(व्यवधान)* श्री बालू इस सभा में अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। *(व्यवधान)* उन्हें चेन्नई में कठिनाई है, हम इस पर अलग से विचार करेंगे।

परन्तु जहां तक कोयम्बटूर के माननीय सदस्य का संबंध है, उन्हें ध्यानपूर्वक मेरी बात सुननी चाहिए थी। मैं उत्तर दे चुका हूं कि कुर्ला-बंगलौर रेलगाड़ी का कोयम्बटूर तक विस्तार किया जाएगा। जहां तक कोयम्बटूर से दिल्ली तक की नई गाड़ी का संबंध है मैं श्री वैको द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री सी० गोपाल : अध्यक्ष महोदय, मंगला एक्सप्रेस पांच वर्षों से ही चल रही है। अब रेल मंत्री ने इसे कोंकण रेलवे के माध्यम से इसका मार्ग परिवर्तन कर दिया है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र आराकोनाम से गुजरती थी। अब इस मार्ग परिवर्तन से तमिलनाडु के आठ जिलों के व्यापारी प्रभावित हुए हैं।

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था वे कुछ रेलगाड़ियों को इस क्षेत्र तक बढ़ाएंगे। मैं इसे माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह विस्तार ही काफी नहीं है। यद्यपि मंगला एक्सप्रेस चल रही थी फिर काफी व्यापारी प्रभावित हुए थे क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे निजामुद्दीन से मंगलौर या निजामुद्दीन से पलक्कड़ के लिए कोई नहीं गाड़ी शुरू करेंगे।

श्री नीतीश कुमार : महोदय मैं उत्तर दे चुका हूं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, कोंकण रेलवे लाइन को शुरू किए जाने से न केवल मंगला एक्सप्रेस बल्कि लगभग सभी उत्तर की तरफ जाने वाली गाड़ियां कोंकण मार्ग की ओर मोड़ी जा रही हैं जिसमें नामी राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है। मार्गों को बदले जाने, यात्रियों में वृद्धि तथा मालगाड़ियों के कारण मंगलौर से शोरानुर तक एकल लाइन पर कोई नई रेलगाड़ी चलाना असंभव है। इस पर पहले ही काफी भीड़ है। रेलगाड़ी सेवा की काफी निराशाजनक स्थिति है। इतना ही नहीं, इस मार्ग सहित सभी मार्गों की गाड़ियों पर घंटों देर हो जाती है। रोष में आए यात्रियों और रेलवे के बेकसूर अधिकारियों के बीच रोज ही हाथापाई हो जाती है, यह रोजमर्रा का काम हो गया है। इन परिस्थितियों में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी मंगलौर से शोरानुर रेल लाइन पर गाड़ियों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या सकारात्मक कदम उठा रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : जहां तक इस प्रश्न का संबंध है माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि केरल के सभी माननीय संसद सदस्यों के साथ चर्चा की गई थी। उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि मंगलौर शोरानुर रेल लाइन के दोहरीकरण का काम तेजी से किया जाना चाहिए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। मंगलौर से शोरानुर लाइन के दोहरीकरण के लिए चल रहे निर्माण कार्य से कठिनाई हो रही है। विभिन्न स्तरों पर गति नियन्त्रण है और इसी कारण गाड़ियों को पहुंचने

में विलम्ब हो रहा है। परन्तु अगर हर रोज लड़ाई होगी तो हम इसकी जांच करेंगे और माननीय सदस्य की मदद भी लेंगे।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूं।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, माननीय सदस्य जी वैको ने जो विचार व्यक्त किया है वह कई यात्रियों का विचार है जो पहले मंगला एक्सप्रेस रेलगाड़ी से पहले के रेलमार्ग पर यात्रा करते थे। इसका बहुत आसान समाधान है। एक स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस भी है जो सप्ताह में एक बार चलने वाली रेलगाड़ी है। यह सप्ताह में एक बार चलती है। आप इसको बहुत आसानी से प्रतिदिन चलने वाली रेलगाड़ी बना सकते हैं। अगर आप इसे प्रतिदिन चलने वाली रेलगाड़ी बनाते हैं तो इससे श्री राधाकृष्णन के निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ लगभग आठ राज्यों को भी लाभ पहुंचेगा। क्या आप इस पर वास्तव में विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री नीतीश कुमार : इसका उत्तर में पहले ही दे चुका हूं।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन

\+
*523. **श्री नादेन्दला भास्कर राव :**
श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या रक्षा मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में दिनांक 9 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3421 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृतिक बल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को किस तारीख को प्रस्तुत किया था;

(ख) उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गई और अस्वीकृत सिफारिशों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रस्तावित 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' गठित करने का निर्णय ले लिया है; और यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और इसका लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या होंगे;

(ङ) क्या सेना में परमाणु हथियार शामिल करने का भी निर्णय ले लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) कार्यदल ने अपना प्रतिवेदन 25 जून, 1998 को सरकार को प्रस्तुत किया था।

(ख) से (घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) और (च) इस संबंध में सूचना प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

श्री नादेन्दला भास्कर राव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करने के संबंध में है। निश्चय ही माननीय मंत्री जी ने उस तारीख का उल्लेख किया है जिस दिन कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट और इन सब बातों को प्रस्तुत किया है लेकिन सिफारिशों का ब्यौरा नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया था और किन सिफारिशों को अस्वीकृत किया गया था। मैं जानना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है। यदि ऐसा है तो कृपया उसके गठन के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया जाए ? कौन इसके सदस्य होंगे ? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं ? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को गठित करने का कोई निर्णय लिया गया है ? इन सब बातों के बारे में बताया जाए।

अन्तिम प्रश्न के संबंध में, राष्ट्र के हित में, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इसके बारे में बताना नहीं चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। परमाणु हथियारों के संबंध में, मैं उस भाग को छोड़ देता हूं। लेकिन उनको कृपया राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापित करने तथा परिषद के गठन के संबंध में शेष प्रश्नों की व्याख्या करनी चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, जब मैंने कहा था कि मामला सरकार के विचाराधीन है तो यह समझा गया था कि जब तक सरकार कृतिक बल की रिपोर्ट पर पूरी तरह से विचार नहीं कर लेती और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती मेरे लिए कोई वक्तव्य देना उपयुक्त नहीं होगा।

श्री नादेन्दला भास्कर राव : नहीं। मैंने माननीय मंत्री महोदय को कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशों की व्याख्या करने का अनुरोध किया है। यदि सिफारिशें की गई थीं तो कौनसी सिफारिशें स्वीकार हुई थीं और कौनसी सिफारिशें अस्वीकृत हुई थीं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : संक्षेप में, यह मुद्दा है। मामला विचाराधीन है। स्वीकृति तथा अस्वीकृति का प्रश्न तब उठता है जबकि रिपोर्ट पर अन्तिम राय कायम कर ली गयी हो।

श्री नादेन्दला भास्कर राव : एक बार स्वीकृत सिफारिशों के बारे में बताया जा सकता है कि कौन-कौन सी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

श्री नादेन्दला भास्कर राव : मैं जानता हूं इसका संबंध सुरक्षा से है।

श्री मधुकर सरपोतदार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न है लेकिन माननीय रक्षा मंत्री ने कहा है कि गोपनीयता और राष्ट्रीय हित के कारण वह कुछ जानकारी का खुलासा नहीं कर रहे थे। कृतिक बल की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत की गयी है। अत: यह स्वाभाविक है कि इस प्रश्न का उत्तर देने की सीमाएं हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूं। लेकिन मेरी उत्सुकता तथा चिन्ता यह है कि मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद भी इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किस रूप में किया जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को अन्तिम रूप देते समय रक्षा मंत्रालय किन पहलुओं को ध्यान में रखेगा ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : रिपोर्ट पर विचार-विमर्श अभी उस चरण तक नहीं पहुंचा है कि इसे मंत्रिमंडल में भेजा जाए। एक बार सरकार द्वारा रिपोर्ट पर विचार कर लिया जाए और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, उसके बाद इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा और फिर उस संबंध में कुछ बोलना मेरे लिए संभव होगा।

अध्यक्ष महोदय : मेजर खण्डूरी। माफ कीजिए मेजर जनरल बी०सी० खण्डूरी।

(व्यवधान)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए.वी.एस.एम. : भा०ज०पा० ने जब वह विपक्ष में थी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन और उसके प्रभावी कार्यकरण की हमेशा सिफारिश की है और हमेशा उस पर बल दिया है। इस सरकार द्वारा इसे शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में भी शामिल किया गया था। इसलिए, मैं समझता हूं कि इस समय कृतिक बल की सिफारिशों पर बोला नहीं जा सकता है लेकिन प्रश्न का भाग (घ) ''क्या सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को स्थापित करने का निर्णय लिया है,'' का सीधा उत्तर दिया जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इसे स्पष्ट करेगी। मैं गठन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिफारिशों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करने जा रही अथवा नहीं।

दूसरा सरकार कृतिक बल की सिफारिशों को सभा-पटल पर कब रखेगी ? तीसरा क्या वह हमें बता सकते हैं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कब से प्रभावी तरीके से कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करने के निर्णय का संबंध है, सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा में भी यह वचन दिया गया था जिसे हमारे सहयोगी दलों ने सरकार गठित होने से पहले ही जारी कर दिया था। हम उस वचनबद्धता पर अटल हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया जाएगा। लेकिन, इसका गठन कब किया जाएगा यह एक ऐसा मामला है जिस पर कृतिक दल की रिपोर्ट पर विचार करने और वास्तव में इस परिषद का रूप क्या होगा, जो कि उस परिषद का गठन करेगा, इस संबंध में निर्णय लेने के बाद ही इसका निर्णय लेना होगा। यह मामले विचाराधीन है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए.वी.एस.एम. : किस समय तक ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम शीघ्रातिशीघ्र इस परिषद का गठन करने के लिए सहमत हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करने का विचार नया नहीं है। यह केवल उनके राष्ट्रीय एजेंडा में ही नहीं है। इस संबंध में पिछले अनेक वर्षों से बातचीत होती रही है। लेकिन वास्तव में क्या रुकावट है ? कृतिक बल क्या सिफारिश करना चाहता है ? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन में कृतिक बल की सिफारिशों की जांच करने के कारण देर क्यों हो रही है ? इसका कोई कारण नहीं है और रक्षा मंत्री हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जब भी उनको किसी बात को बताने में असुविधा हो वह कहेंगे कि यह गुप्त है, गोपनीय है और इसे राष्ट्रीय हित में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी क्या बात है कि वह व्यक्त नहीं कर सकते ? रक्षा संबंधी सब बातें रहस्यमयी बनती जा रही हैं। यहां तक कि रक्षा मंत्रालय की नवीं रक्षा योजना को भी अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। रक्षा संबंधी स्थायी समिति राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तथा रक्षा मंत्रालय की इस नवीं योजना के इस पहलू का बार-बार उल्लेख कर रही है। आप इस संबंध में अंतिम निर्णय कब लेंगे ? कृपया हमें एक निर्धारित समय बताइए कि इस समय तक इस परिषद का गठन कर लेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं यह नहीं कहता कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन भा.ज.पा. अथवा उसके सहयोगी दलों का मूल विचार था। एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद थी जिसका गठन बहुत समय पहले 1990 में तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा किया गया था। दुर्भाग्यवश, वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कार्य करना आरम्भ नहीं किया। इसलिए, मैं जो बात सभा को बताने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन का संबंध है और उस संबंध में निर्णय लेने का संबंध है वह तभी हो सकता है जबकि हमने कृतिक बल की रिपोर्ट का अध्ययन किया हो जिसने न केवल परिषद के गठन के संबंध में सिफारिशें दी हैं बल्कि उसकी संरचना तथा उससे संबंधित सभी मुद्दों पर सिफारिशें दी हैं। इसमें कोई भी इतनी अधिक गोपनीय बात नहीं है। लेकिन जब तक सरकार ने राय कायम नहीं की है और जब तक कि हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, तब तक मुझे विश्वास है कि इस संबंध में जल्दी की जा रही है और कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशों पर चर्चा करना किसी के भी हित में नहीं है।

जहां तक कि बजट, योजना और अन्य बातों का संबंध है, मेरा विचार है कि वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : भाग 'ड' और 'च' के उत्तर के संबंध में, मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार की ओर से कहा गया था कि पोखरण के बाद, अब हमारा देश 'परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र' बन गया है। यह एक ऐसा दर्जा है जो कि दूसरे लोग हमें प्रदान नहीं कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या 'परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र' का अर्थ यह है कि परमाणु हथियारों को सेना में शामिल किया जाए।

आज जो उत्तर दिया जा रहा है क्या वह दूसरों के दबाव में दिया जा रहा है अथवा ऐसा इसलिए है कि हम सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी कर रहे हैं ? सरकार ने यहां सभा में बताया था कि क्योंकि पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार जमा हो रहे हैं इसलिए भारत को भी परमाणु परीक्षण करने की आवश्यकता हुई। जब हम कहते हैं कि हमारा देश 'परमाणु हथियार वाला राष्ट्र' है तो इसका यह अर्थ हुआ कि परमाणु हथियारों को सेना में भी शामिल किया जाएगा अथवा दूसरे देशों से पड़ रहा दबाव ही इसका कारण था जिसके कारण माननीय रक्षा मंत्री द्वारा आज यह वक्तव्य दिया जा रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : किसी प्रकार से अथवा कहीं से किसी दबाव में आने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जहां तक किसी विशेष सेनाबल में परमाणु हथियार शामिल करने के बारे में माननीय सदस्य का कहना है मैं नहीं समझता कि इस मामले के संबंध में कोई वक्तव्य देना ठीक है। *(व्यवधान)* जी हां, परमाणु हथियार युक्त राष्ट्र एक बात है और सेना के अथवा नौसेना के अथवा वायुसेना के किसी एक हिस्से में यह रखना दूसरी बात है *(व्यवधान)*

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं यह सभा के बाहर वक्तव्य देते हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। ...*(व्यवधान)* 'परमाणु हथियार युक्त राष्ट्र' की क्या परिभाषा है ? कृपया मुझे यह जानने की अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज का लोकतंत्र के महान समर्थक के रूप में प्रशंसक रहा हूं जो सार्वजनिक मामलों पर सार्वजनिक वार्ता में विश्वास रखते हैं। हालांकि यह अद्भुत सहचर्य में रह रहे हैं मैं इसका प्रशंसक बना रहूंगा। लेकिन गोपनीयता के सिद्धान्त की बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार को अपने निर्णय लेने के संबंध में हमें विश्वास में लेना चाहिए। यदि किसी समिति ने ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह प्रश्नकाल है अथवा वाद-विवाद चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने उन्हें अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, क्या आप माननीय मंत्री जी को कहेंगे कि वे परमाणु हथियार युक्त राष्ट्र की परिभाषा बताएं। ...*(व्यवधान)* मैंने तो पूछा है लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, यदि विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की हैं जो सरकार के विचाराधीन है तो उन सिफारिशों को सार्वजनिक किया जा सकता है। क्योंकि उन सिफारिशों पर देश द्वारा विचार किये जाने और चर्चा किये जाने की आवश्यकता है। ऐसे मामले में निर्णय केवल सरकार द्वारा नहीं लिया जा सकता है यदि आप हमें सरकार के निर्णय लेने के बाद फिर प्रतिवेदन की जानकारी देना चाहते हैं तो यह अनुचित होगा। इसलिए मैं मंत्री जी हो सुझाव देता हूं क्या वह प्रतिवेदन को सार्वजनिक करने पर विचार करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, प्रतिवेदन को तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता जब तक सरकार द्वारा उस पर पूरी तरह विचार नहीं कर लिया जाता।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : अध्यक्ष महोदय, जब हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो उसका सीधा संबंध हमारी आर्म्ड फोर्सेज के साथ भी है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से हमारी आर्म्ड फोर्सेज के सिटिंग आफिसर्स और रिटायर्ड आफिसर्स भी दो-तीन इश्यूज को लेकर, जिसमें उनकी पे एण्ड एलांउसेज का मामला है और उनके रिटायरमेंट के बाद स्टेटस का ताल्लुक है, वारंट ऑफ प्रिसीडेंस में जिस तरह उनका स्थान लगातार नीचे किया जा रहा है, इन 3-4 विषयों के संबंध में वे लोग बहुत देर से अपना मामला उठा रहे हैं, क्या रक्षा मंत्री जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने के साथ-साथ, जहां वे बाकी विषयों के बारे में चिन्तित होंगे, क्या ऐसे विषय भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दायरे में जाएंगे ताकि इन विषयों का समाधान किया जा सके ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न से यह मामला सम्बन्धित नहीं है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र को घाटा

+

***524. श्री रंजीव बिस्वाल :**
श्री जुआल उराम :

क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र में उसे आधुनिकीकरण के बाद विभिन्न प्रकार के उत्पादों का वर्ष-वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण राउरकेला इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष हुये घाटे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त संयंत्र को लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण कार्य अभी चल रहा है। आधुनिकीकरण के बाद विभिन्न उत्पादों की उत्पादन क्षमता और पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :-

(इकाई : हजार टन)

उत्पाद	आधुनिकीकरण के बाद क्षमता	वास्तविक 1995-96	वास्तविक 1996-97	वास्तविक 1997-98
सेमीज		47	65	37
प्लेट मिल प्लेट	299	255	247	240
तप्त बेल्लित क्वायलें/प्लेटें	473	329	363	380
शीत बेल्लित क्वायलें/चादरें	433	223	213	224
जस्तीकृत चादरें	160	141	151	161
कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टिड/ कोल्ड रोल्ड नोन ओरिएन्टिड	74	38	35	30
तप्त बेल्लित इलेक्ट्रिकल चादरें पाइप	17	11	0	0
टिन प्लेट	85	23	13	29
इलैक्ट्रिकल रेसिस्टेन्ट वैल्डिड पाइप	75	38	36	42
स्पाइरल वैल्डिड पाइप	55	43	57	39
कुल विक्रय इस्पात	1671	1148	1180	1181

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र को हुआ घाटा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपये)

1997-98•	1996-97	1995-96
−374	−316	−57

•सी.ए.जी. लेखापरीक्षा की शर्त पर अनन्तिम

निम्नलिखित कारणों से घाटा हुआ :-

— इस्पात की मांग में मंदी तथा निम्नवर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और कम शुल्क की वजह से हुए आयात से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा।

— मुख्यत: कोककर कोयले, पेट्रोलियम उत्पादों, विद्युत, परिवहन आदि आदानों के मूल्यों में वृद्धि जिसकी इस्पात के मूल्य में वृद्धि करके पूर्णत: भरपाई नहीं की जा सकती है।

— उच्च ब्याज लागत जिसे आधुनिकीकरण योजना के आंशिक पूंजीकरण और उच्च मालसूची स्तर के कारण संयंत्र को समाहित करना पड़ा।

— पूंजीकरण के लिए वर्धित मूल्य ह्रास जो नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपये)

	1997-98•	1996-97	1995-96
ब्याज	333	282	200
मूल्य ह्रास	127	120	95

•सी.ए.जी. लेखापरीक्षा की शर्त पर अनन्तिम

(घ) राउरकेला इस्पात संयंत्र के निष्पादन में सुधार करने के लिए सेल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

— तकनीकी-आर्थिक प्राचलों में सुधार अर्थात कोकदर में कमी, धमन भट्टी कोक उत्पादन, धमन भट्टी उत्पादकता में सुधार आदि।

— उत्पादों और उत्पाद मिश्र की गुणवत्ता में सुधार और बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन।

— उद्यमशील एवं ग्राहकोन्मुखी विपणन के जरिए बिक्री बढ़ाना।

— लागत नियंत्रण उपायों पर काफी बल देना आदि।

श्री रंजीब बिस्वाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखे गए विवरण में मंत्री जी ने बताया है कि इस्पात का प्रस्तावित उत्पादन 1671 हजार टन है लेकिन इसका वास्तविक उत्पादन लगभग 1181 हजार टन है। राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण पिछले तीन चार वर्षों से चल रहा है और इस आधुनिकीकरण पर करोड़ों रुपये खर्च किये गए हैं। लेकिन यदि आप माननीय मंत्री महोदय के विवरण को देखें तो पता चलता है कि 1995-96 में हानि 57 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1997-98 में 374 करोड़ रुपये हो गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह परियोजना किसने तैयार की थी इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है, अब इस्पात की उत्पादन लागत क्या है और मंत्री महोदय उत्पादन लागत में कमी किस प्रकार करने जा रहे हैं।

श्री नवीन पटनायक : महोदय, सबसे पहले, मैं प्रश्न करने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उत्पादन और उत्पादन लागत का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। यदि वह चाहते हैं कि मैं उसे पढ़ दूं तो मुझे ऐसा करने में प्रसन्नता होगी। लेकिन इसे सभा पटल पर रखा जा चुका है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है आरम्भ में, 1988 में, राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर 2,461 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव था लेकिन बाद में 1992 में इसे संशोधित किया गया और यह राशि 3954 करोड़ रुपये कर दी गई।

इसके पश्चात 1997 में अन्य प्रत्याशित लागत 5,112 करोड़ रु. तक जा पहुंची। मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में बताना चाहता हूं कि यह इतनी अधिक लागत धनराशि हमारी सरकार ने पहली सरकारों से वंशागत प्राप्त की है। 1988 में श्री राजीव गांधी की सरकार थी और 1992 के श्री नरसिम्हा राव की सरकार थी। मैं बताना चाहता हूं कि हम स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री रंजीब बिस्वाल : लेकिन विवरण में कहा गया है कि 1995-96 में हानि 57 करोड़ रुपये थी और अब यह बढ़कर 374 करोड़ रुपये हो गई है। मैं पूछ रहा हूं कि मंत्री जी हानि को किस प्रकार कम करने जा रहे हैं।

श्री नवीन पटनायक : महोदय, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न को समझा है *(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : कृपया आप अपने पूर्वगामियों पर दोष मत लगाइए। आप हमें बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं।

श्री नवीन पटनायक : ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि स्थिति में सुधार लाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। हम *(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : इनके स्वर्गवासी पिता मुख्यमंत्री थे *(व्यवधान)*

श्री नवीन पटनायक : महोदय, मैं चाहूंगा कि विपक्ष के सदस्य व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें। यह अनावश्यक है।

श्री अजीत जोगी : यह व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है आप अपने पूर्ववर्तियों का वर्णन कर रहे हैं *(व्यवधान)* आपने नाम गिनाए हैं इसलिए हमें भी नाम बताने का अधिकार है। *(व्यवधान)*

प्रो० रीता वर्मा : उन्होंने पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। अब वे हमें कह रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : महोदय, इन्होंने श्री राजीव गांधी का नाम लिया था। *(व्यवधान)*

श्री नवीन पटनायक : महोदय, मुझे माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दी जाए। मैं राउरकेला इस्पात संयंत्र में हानि के लिए उत्तरदायी कारकों को बताना चाहूंगा। वहां घाटा हुआ है क्योंकि इस्पात उद्योग को इस्पात की मांग में मन्दी, निम्नतर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण आयात से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, घरेलू बाजार में आपूर्ति में

वृद्धि और ब्याज लागत में वृद्धि आदि कारणों से घाटे का सामना करना पड़ रहा है। कोककर कोयले, पेट्रोलियम उत्पादों विद्युत, परिवहन आदि आदानों के मूल्यों में वृद्धि के कारण मुनाफा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था जिसकी तकनीकी-आर्थिक मानदंडों में सुधार और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करके भी पूर्णत: भरपाई नहीं की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यह घाटे को कम करने के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री नवीन पटनायक : मैं उसी का जवाब दे रहा हूं राउरकेला *इस्पात संयंत्र को आधुनिकीकरण योजना के पूंजीकरण द्वारा और उच्च मालसूची स्तर के कारण उच्च ब्याज दर लागत को वहन करना पड़ा।* पूंजीकरण के कारण मूल्यह्रास भी बढ़ सकता है। इस संबंध में, राउरकेला इस्पात संयंत्र के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए सेल ने इसके तकनीकी आर्थिक मानदंडों में सुधार किया है ... *(व्यवधान)*

श्री पी० उपेन्द्र : यह सभा पटल पर रख दिया गया है।

[हिन्दी]

डॉ० शकील अहमद : सवाल क्या पूछ रहे हैं और जवाब क्या दे रहे हैं ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री नवीन पटनायक : महोदय मैं इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार राउरकेला इस्पात संयंत्र ... *(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्यों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि उनमें संयम है तो मैं उन्हें बताऊंगा कि हमारी योजनाएं क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया अपना उत्तर पूरा कीजिए।

श्री नवीन पटनायक : महोदय, सेल ने राउरकेला इस्पात संयंत्र की प्रगति के लिए कई कदम उठाए हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जुआल उराम।

श्री जुआल उराम : अध्यक्ष महोदय, ... *(व्यवधान)*

श्री रंजीव बिस्वाल : महोदय, मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : आपने दो अनुपूरक प्रश्न पूछ लिए हैं।

श्री रंजीव बिस्वाल : नहीं, महोदय, ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जुआल उराम, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपका नाम बाद में बुलाऊंगा इन्हें अपना अनुपूरक प्रश्न पूरा करने दीजिए ... *(व्यवधान)*

श्री रंजीव बिस्वाल : अध्यक्ष महोदय, अपने अनुपूरक प्रश्न को पूछने से पहले मैं माननीय मंत्री जी को याद कराना चाहूंगा कि श्री नरसिंह राव और स्वर्गीय राजीव गांधी के काल में सेल और राउरकेला इस्पात संयंत्र लाभ कमा रहे थे।

इस माननीय सभा में आने से पहले मैं सेल का कर्मचारी था। मैं जानता हूं कि वे लाभ कमा रहे थे। अब वे घाटे में चल रहे हैं ... *(व्यवधान)* आप कह सकते हैं कि यह गलत है ... *(व्यवधान)*

प्रो० रीता वर्मा : आप श्री नरसिम्हा राव और श्री सन्तोष मोहन देव जी से इस बारे में पूछिए। वे इसे जानते हैं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बिस्वाल, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री रंजीव बिस्वाल : क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र ने देश में अन्य इस्पात संयंत्रों की उत्पादन लागत का कोई अध्ययन किया है? यदि हां तो रा.इ.स. की तुलना में उनकी स्थिति क्या है?

श्री नवीन पटनायक : महोदय, मुझे अन्य इस्पात संयंत्रों की वित्तीय स्थिति बताने में खुशी हो रही है ... *(व्यवधान)* महोदय वे मुझे उनके प्रश्नों का उत्तर देने नहीं दे रहे हैं ... *(व्यवधान)* महोदय, क्या मुझे उनके प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति दी है? ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डॉ० शकील अहमद, आप हमेशा सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालते रहते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, यह सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है कि मंत्री जी को प्रताड़ित न किया जाए ... *(व्यवधान)*

श्री नवीन पटनायक : महोदय, क्या मैं उत्तर पूरा कर सकता हूं? ... *(व्यवधान)* जब मुझसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो विपक्ष के माननीय सदस्यों को चाहिए कि वे मुझे उत्तर देने का मौका दें। मुझे उनको जवाब देने में अत्यन्त प्रसन्नता होती है। मुझे ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत जोगी, आप लगातार क्यों बोलते चले जा रहे हैं।

श्री नवीन पटनायक : महोदय, रा.इ.स. अधिकतम इस्पात बनाने वाले संयंत्रों में से एक है। मैं माननीय सदस्य को 1997-98 में रा.इ.स. के कुल व्यय के विभिन्न घटकों को बताऊंगा। कच्चे माल पर यह लगभग 42% है, वेतनमानों पर यह लगभग 14% है, भण्डारन पर यह 12% है, विद्युत और ऊर्जा में यह 11% है, मरम्मत पर यह लगभग 1% और अन्य खर्चों पर यह 2% बैठता है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

डॉ० विजय सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, अगर ये लोग बात नहीं सुनेंगे, तो काम कैसे चलेगा। ... *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर महोदय को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उनका पूरा उत्तर सुने बगैर ही उन्हें बीच में टोका जा रहा है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है। हमने एक सीधा प्रश्न पूछा है ... *(व्यवधान)* उन्होंने अन्य इस्पात संयंत्रों की तुलना में रा.इ.स. के तुलनात्मक आंकड़ों के बारे में पूछा है। उन्हें बताना चाहिए क्या उत्पादन लागत ज्यादा है अथवा कम है ... *(व्यवधान)* उन्होंने इसका जवाब ठीक तरह से नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वे जबाव दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह सही नहीं है ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप मेरी बात सुनिए। यह ठीक नहीं है। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री जी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछा था और प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। वह विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इस्पात की उत्पादन लागत से सम्बन्धित तुलनात्मक आंकड़ों के बारे में जानना चाहते हैं। ··· *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : वे आंकड़े दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। कृपया आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री नवीन पटनायक : पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात की उत्पादन लागत इस प्रकार है। राउरकेला इस्पात संयंत्र में 1997-98 में यह 17,900 रु. प्रतिटन था; 1996-97 में यह 17,880 रु. प्रतिटन था और 1995-96 में यह 16,731 रु. प्रतिटन था ··· *(व्यवधान)*

श्री रंजीब बिस्वाल : महोदय, यह उस प्रश्न का उत्तर नहीं है जो मैंने पूछा था। ··· *(व्यवधान)*

श्री नवीन पटनायक : कृपया धैर्य रखिए। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में वर्ष 1997-98 में यह 14,500 रु. प्रतिटन था, 1996-97 में यह 13,304 रु. प्रतिटन था और 1995-96 में यह 12,816 रु. प्रतिटन था। बोकारो इस्पात संयंत्र में वर्ष 1997-98 में यह 9,850 रु. प्रतिटन, 1996-97 में यह 9,719 रु. प्रतिटन और 1995-96 में यह 9,109 रु. प्रतिटन था। भिलाई इस्पात संयंत्र में 1997-98 में यह 12,500 रु. प्रतिटन, 1996-97 में यह 11,900 रु. प्रतिटन और 1995-96 में यह 11,350 रु. प्रति टन था ··· *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं क्या अन्य इस्पात संयंत्रों की तुलना में यहां उत्पादन की लागत ज्यादा है। लेकिन मंत्री जी आंकड़े पढ़ रहे हैं। यह ठीक नहीं है। ··· *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जुआल उराम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह घपला हुआ है। ··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हम जानना चाहते हैं कि तत्कालीन इस्पात मंत्री जी ने वर्ष 1986 में ही आधुनिकीकरण योजना को क्यों आरम्भ किया।

[हिन्दी]

स्टील मिनिस्टर का रिप्लाई है कि माइनाइजेशन का काम चालू है, जब काम चालू है तो मिनिस्टर ने बीच में जाकर कैसे इनआगुरेट किया। जिस समय यह काम हुआ, जो विभाग के मंत्री थे। ··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

[हिन्दी]

श्री जुआल उराम : अध्यक्ष जी, कांग्रेस के समय में 2461 करोड़ रुपये के मौडर्नाईजेशन प्रोजैक्ट को बढ़ाकर 5112 करोड़ किया गया ··· *(व्यवधान)* क्या यह कीमत में वास्तविक वृद्धि है या राजनैतिक वृद्धि है। ··· *(व्यवधान)* इस वजह से फैक्टरी घाटे में जा रही है। इस मौडर्नाईजेशन पैकेज की सी.बी.आई. इंक्वारी होनी चाहिए। ··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री नवीन पटनायक : सुन्दरगढ़ से आए माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि केवल एक सिंटेक्स संयंत्र को चालू किया गया था ··· *(व्यवधान)*

श्री सुनील खां : सरकार ने 1989 में राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए 2,461 करोड़ रु. की अनुमानित लागत को मन्जूरी दी थी तथा कार्य दिसम्बर 1995 तक पूरा किया जाना था। आधुनिकीकरण की प्रत्याशित लागत अब 5112 करोड़ रु. आंकी गई है लेकिन आधुनिकीकरण का कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ है। मैंने मूल्य वृद्धि और अन्य चीजों से सम्बन्धित आपकी रिपोर्टों को पढ़ा है। लेकिन यदि मैं 5112 करोड़ रुपये में से 2461 करोड़ रुपये घटाता हूं तो शेष राशि 2651 करोड़ रु. बनती है। मैं जानना चाहता हूं क्या 2651 करोड़ रु. आधुनिकीकरण लागत दर खर्च की गई थी अथवा अतिरिक्त राशि के रूप में रख-रखाव के लिए रखी गई थी। यदि ऐसा है तो ठेकेदारों, और प्रबंधक के बीच साठ-गांठ रही होगी। मैं मांग करता हूं कि इस मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराई जाए।

श्री नवीन पटनायक : माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग के जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि रखरखाव का आधुनिकीकरण के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरे से राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के बारे में प्रश्न पूछा गया था।

श्री विक्रम देव केशरी : नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत नहीं की गई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी। दूसरा, 1995-96 में घाटा 57 करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर 374 करोड़ रुपये हो गया है। इससे पता चलता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रशासन में कई कमियां हैं। क्या सरकार रा.इ.स. के इन घाटों और आधुनिकीकरण योजना की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराएगी ?

श्री नवीन पटनायक : कालाहांडी से आए माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि सी.बी.आई. ने जून 1998 में राउरकेला इस्पात संयंत्र के कनिष्ठ प्रबंधक से सहायक महा-प्रबंधक तक के दस अधिकारियों के घरों में छापे मारे थे।

मध्याह्न 12.00 बजे

सी.बी.आई. से रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसके बीच राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबंधन ने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है और इनमें से तीन अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है। कुछ कार्यों से संबंधित सी.बी.आई. की जांच चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : आधुनिकीकरण का क्या हुआ ?

श्री नवीन पटनायक : जहां तक आधुनिकीकरण का संबंध है हमने सी.बी.आई. से इसकी जांच के लिए नहीं कहा था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आवासीय परियोजनाएं

***525. श्रीमती रानी नरह :**
श्री ए० सिद्दराजू :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हुडको के पास राज्यवार कौन-कौन सी आवास परियोजनायें विचाराधीन हैं; और

(ख) 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान आवास और शहरी विकास निगम द्वारा राज्यवार अनुमोदित और वित्त पोषित योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) अभी तक, 32 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की विभिन्न एजेन्सियों से 72563.34 लाख रुपए की हुडको ऋण सहायता मांगने के लिए 307 आवास परियोजनाएं आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड (हुडको) से प्राप्त हुई हैं। ये स्कीमें प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं और हुडको के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें स्वीकृत किया जाएगा। इन स्कीमों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) हुडको ने 1997-98 वर्ष के दौरान 2736.26 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत और 1749.49 करोड़ रुपए की ऋण राशि की 672 आवास स्कीमें मंजूर की हैं। पूरा होने पर इनसे 548710 रिहायशी मकान और 15648 विकसित प्लाट उपलब्ध हो जाएंगे। इस अवधि के दौरान हुडको ने 2144.77 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 1288.88 करोड़ रुपए की ऋण राशि वाली 130 नगर अवस्थापना स्कीमें भी मंजूर की हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान, 27764 रिहायशी मकानों और 5006 विकसित प्लाटों के लिए हुडको ने 30.6.98 तक 289.28 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 191.38 करोड़ रुपए की ऋण राशि वाली 116 आवास स्कीमें स्वीकृत की हैं। इस अवधि के दौरान हुडको ने, 63.16 करोड़ रुपए परियोजना लागत और 44.99 करोड़ रुपए ऋण राशि की 5 नगर अवस्थापना स्कीमें भी स्वीकृत की हैं। 1997-98 और 1998-99 के दौरान स्वीकृत की गई स्कीमों के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः विवरण-II और III में दिये गए हैं।

1997-98 और 1998-99 के दौरान आवास के लिए राशियों का नियतन (परिवर्तनीय) दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

राज्यवार प्रक्रियाधीन आवास स्कीमें

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	स्कीमों की संख्या	मांगा गया ऋण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	153.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	21	4831.46
4.	बिहार	12	789.70
5.	गुजरात	14	2002.30
6.	गोवा	—	—
7.	हरियाणा	12	4150.33
8.	हिमाचल प्रदेश	2	3030.83
9.	जम्मू और कश्मीर	4	510.27
10.	कर्नाटक	69	10802.76
11.	केरल	48	12828.31
12.	मध्य प्रदेश	21	2728.31
13.	महाराष्ट्र	7	6213.98
14.	मणिपुर	3	539.08
15.	मेघालय	2	272.65
16.	मिजोरम	—	—
17.	नागालैंड	—	—
18.	उड़ीसा	16	1875.00
19.	पंजाब	2	199.10
20.	राजस्थान	6	937.82
21.	सिक्किम	1	38.75
22.	तमिलनाडु	34	14404.37
23.	त्रिपुरा	2	30.55
24.	उत्तर प्रदेश	17	3578.46
25.	प. बंगाल	11	2137.45
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
27.	चण्डीगढ़	—	—

1	2	3	4
28.	दादर और नगर हवेली	—	—
29.	दमन और द्वीव	—	—
30.	दिल्ली	2	496.00
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पांडिचेरी	01	12.50
	कुल	307	72563.34

विवरण-II

1997-98 के दौरान आवास स्कीमों का राज्यवार सारांश

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपयों में)	ऋण राशि	रिहायशी मकानों की सं.	प्लाटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2.81	1.38	115	0
2.	आंध्र प्रदेश	76	282.30	172.16	183755	3282
3.	असम	6	28.49	16.51	1424	0
4.	बिहार	4	6.18	4.65	380	0
5.	दिल्ली	1	3.36	1.66	0	0
6.	गोवा	5	21.83	13.34	6590	378
7.	गुजरात	25	93.62	75.63	35859	0
8.	हरियाणा	9	28.43	19.41	1610	0
9.	हिमाचल प्रदेश	23	99.42	72.06	30474	191
10.	जम्मू और कश्मीर	7	43.86	36.07	9536	0
11.	कर्नाटक	54	204.29	125.38	57104	3933
12.	केरल	81	380.45	232.18	67001	165
13.	मध्य प्रदेश	44	103.47	80.24	17500	5086
14.	महाराष्ट्र	55	296.12	124.63	1892	0
15.	मणिपुर	6	39.08	22.28	2391	0
16.	मेघालय	1	.27	.23	0	0
17.	मिजोरम	2	9.81	6.38	1930	0
18.	नागालैंड	2	18.13	13.13	2519	0
19.	उड़ीसा	13	87.49	55.65	4453	0
20	पांडिचेरी	2	2.30	1.71	0	0
21.	पंजाब	7	90.26	50.50	192	0

1	2	3	4	5	6	7
22.	राजस्थान	71	337.97	227.04	13464	0
23.	सिक्किम	1	.55	.50	500	0
24.	तमिलनाडु	108	275.90	192.32	72539	0
25.	त्रिपुरा	2	2.99	1.50	238	0
26.	उत्तर प्रदेश	45	219.08	137.92	32344	2613
27.	प. बंगाल	20	57.79	35.04	4900	0
	कुल	672	2736.26	1719.49	548710	15648

•इसमें आईएलसीएस, एल ए और आपरेशनल फाइनेंस भी सम्मिलित हैं।

1997-98 के दौरान नगर अवस्थापना स्कीमों का राज्यवार सारांश

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपयों में)	ऋण राशि	रिहायशी मकानों की सं.	प्लाटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	26	219.17	147.40	0	0
2.	बिहार	1	11.34	4.00	0	0
3.	दिल्ली	1	11.67	4.90	0	0
4.	गोवा	2	51.25	32.85	0	0
5.	गुजरात	7	156.14	107.89	0	0
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1.08	0.50	0	0
7.	कर्नाटक	20	468.40	275.88	0	0
8.	केरल	17	111.78	70.74	0	0
9.	मध्य प्रदेश	3	36.06	13.85	0	0
10.	महाराष्ट्र	2	265.76	104.56	0	0
11.	उड़ीसा	5	51.00	35.68	0	0
12.	पंजाब	11	41.75	20.61	0	0
13.	राजस्थान	8	47.41	32.95	0	0
14.	तमिलनाडु	20	592.74	387.55	0	6809
15.	उत्तर प्रदेश	5	71.41	44.51	0	0
16.	पं. बंगाल	1	7.80	5.00	0	0
	कुल	130	2144.77	1288.88	0	6809

विवरण-III

1998-99 के दौरान आवास स्कीमों का राज्यवार सारांश

(30-6-1998 तक की स्थिति)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपयों में)	ऋण राशि	रिहायशी मकानों की सं.	प्लाटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	15	27.79	18.18	874	0
2.	असम	1	8.47	6.00	2000	0
3.	बिहार	1	10.00	10.00	0	0
4.	दिल्ली	1	12.13	3.51	0	0
5.	गुजरात	14	9.93	7.53	2452	920
6.	हिमाचल प्रदेश	2	9.08	4.81	82	0
7.	कर्नाटक	9	24.84	19.21	5380	0
8.	केरल	15	82.75	46.64	5926	0
9.	मध्य प्रदेश	12	25.67	19.40	2342	1927
10.	महाराष्ट्र	1	3.61	1.00	33	0
11.	राजस्थान	13	16.18	11.92	1938	0
12.	तमिलनाडु	31	56.13	42.46	6700	2159
13.	उत्तर प्रदेश	1	2.71	0.73	37	0
	कुल	116	289.28	191.38	27764	5006

1998-99 के दौरान नगर अवस्थापना स्कीमों का राज्यवार सारांश

(30-6-1998 तक की स्थिति)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपयों में)	ऋण राशि	रिहायशी मकानों की सं.	प्लाटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली	1	8.23	2.66	0	0
2.	मध्य प्रदेश	1	25.64	17.94	0	0
3.	तमिलनाडु	1	11.04	8.28	0	0
4.	उत्तर प्रदेश	1	10.00	10.00	0	0
5.	प० बंगाल	1	8.26	6.12	0	0
	कुल	5	53.16	44.99	0	0

विवरण-IV

1997-98 और 1998-99 के दौरान हुडको द्वारा राज्यवार आवास ऋण नियतन (परिवर्तनीय)

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम/ केन्द्र शासित क्षेत्र	नियतन 1997-98	नियतन 1998-99 (कुल नियतन का 50% क्षेत्रफल और जनसंख्या आधार पर)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.36	0.33
2.	आंध्र प्रदेश	117.56	54.01
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.46	0.90
4.	असम	70.55	38.55
5.	बिहार	53.32	41.41
6.	चण्डीगढ़	0.93	1.13
7.	दादर और नगर हवेली	0.06	0.07
8.	दमन और द्वीव	0.09	–
9.	दिल्ली	18.88	14.44
10.	गोवा	1.44	1.75
11.	गुजरात	66.54	49.98
12.	हरियाणा	29.94	11.23
13.	हिमाचल प्रदेश	15.20	3.05
14.	जम्मू और कश्मीर	15.29	9.80
15.	कर्नाटक	95.66	43.96
16.	केरल	70.17	22.22
17.	मध्य प्रदेश	184.25	58.25
18.	महाराष्ट्र	76.38	81.28
19.	मणिपुर	17.42	8.11
20.	मेघालय	8.87	5.34
21.	मिजोरम	15.72	10.46
22.	नागालैंड	9.42	4.76
23.	उड़ीसा	85.99	22.82
24.	पांडिचेरी	1.04	1.26
25.	पंजाब	30.89	16.42
26.	राजस्थान	79.26	46.07
27.	सिक्किम	0.56	0.34
28.	तमिलनाडु	133.21	62.02
29.	त्रिपुरा	7.94	5.05
30.	उत्तर प्रदेश	80.77	75.31
31.	प. बंगाल	49.76	44.47
32.	लक्षद्वीप	0.08	0.10
	कुल	1340.01	735.00

अनुसंधान और विकास में निवेश

*526. **श्री एस.एस. ओवेसी :** क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी एवं गैर-सरकारी इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास पर कितना निवेश किया गया है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या सरकार ने विश्व में इस्पात की गुणवत्ता तथा इसके किफायती मूल्य की प्रवृत्तियों को देखते हुए इस्पात की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान तथा विकास में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इस्पात उद्योग के सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कितना निवेश किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र में चालू अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं की इस समय क्या स्थिति है और कौन-कौन सी परियोजनाएं विचाराधीन हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी और निजी इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर किया गया निवेश नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपये)

	1995-96	1996-97	1997-98
सरकारी क्षेत्र	46.29	48.03	49.55
निजी क्षेत्र	14.29	18.71	13.91
कुल	60.58	66.74	63.46

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में किए गए अनुसंधान और विकास प्रयासों के परिणाम नीचे दिए गए हैं :-

— इस्पात संयंत्रों के निष्पादन सूचकों में सुधार।

— प्रक्रिया सुधार, परियोजना विकास और समस्या विश्लेषण।

— लागत में कमी, ऊर्जा संरक्षण, गुणवत्ता में सुधार और अपशिष्ट उपयोग।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए इस्पात विकास निधि (एस.डी.एफ.) में प्रोदभूत ब्याज के एक भाग का उपयोग करने का निर्णय लिया है। सरकार इस धन का उपयोग सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा शुरू की जाने वाली अनुसंधान परियोजनाओं की धन संबंधी आवश्यकता के लिए कुछ धन उपलब्ध कराकर अनुसंधान एवं विकास में और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए करेगी।

वर्ष 1998-99 के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) अनुसंधान और विकास पर 54.9 करोड़ रुपए निवेश करेगी तथा गुणवत्ता में सुधार करने और इस्पात की उत्पादन लागत में कमी करने के उद्देश्य से 77 परियोजनाओं पर कार्य करेगी। अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों में निजी क्षेत्र द्वारा भी निवेश करने की आशा है।

(घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों की 130 परियोजनाओं में तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) इस दिशा में कार्रवाई कर रहा है। निजी क्षेत्र भी चालू वर्ष में कई अनुसंधान और विकास परियोजनाएं चला रहा है।

ओन योर वैगन और बोल्ट स्कीम्स

*527. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी निवेश आकर्षित करने के लिए बनाई गई ओन योन वैगन और बोल्ट योजनाओं के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं शुरू किए जाने के बाद से उनके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और संतोषजनक परिणाम न निकलने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन योजनाओं के आगे कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) "ओन योर वैगन" योजना के प्रति कुल मिलाकर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया रही है। बहरहाल, अचल अवसंरचना वाली परियोजनाओं के संबंध में "बोल्ट" योजना के प्रति प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं रही है।

(ख) और (ग) "ओन योर वैगन" योजना के अगस्त 1992 में शुरू किए जाने के समय से अब तक 15638 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) के लिए ऑर्डर प्राप्त हुए हैं और जून, 1998 तक 13060 मालडिब्बों की (चौपहियों के हिसाब से) खरीद की गई है। "बोल्ट (बिल्ड, ओन, लीज, ट्रांसफर) योजना के अंतर्गत एक आमान परिवर्तन परियोजना (मुदखेड़-आदिलाबाद) तथा दो चल स्टाक परियोजनाएं (चौपहियों के हिसाब से 3000 माल डिब्बों के लिए तथा 53 एसी/डीसी बिजली रेल इंजनों के लिए) दी गयी हैं। "बोल्ट" योजना के अंतर्गत दिए गए चल स्टाक में से 2138 मालडिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) तथा 50 एसी/डीसी बिजली रेल इंजनों की सुपुर्दगी दी जा चुकी है। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए "बोल्ट" योजना के खराब निष्पादन का कारण यह है कि बोलीदाताओं द्वारा ऊंची बोलियां लगाई गई थीं तथा योजना को पर्याप्त प्रत्युत्तर नहीं मिला था। बहरहाल, प्राप्त अनुभव के आधार पर योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

रेल पटरियों का रख-रखाव

*528. श्री विजय सिंह सोय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जोन-वार रेल पटरियों के रख-रखाव के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान, जोन-वार रेल पटरियों के नवीकरण और इन पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल पटरियों के रख-रखाव के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे को अन्य जोनों की तुलना में सबसे कम धनराशि मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जोन-वार रेलपथ के अनुरक्षण के लिए आवंटित रकम का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे	1995-96 (वास्तविक)	1996-97 (वास्तविक)	1997-98 (संशोधित अनुमान)
मध्य	136.62	149.24	196.92
पूर्व	129.25	144.38	185.61
उत्तर	168.11	199.09	268.13
पूर्वोत्तर	60.13	67.44	88.05
पूर्वोत्तर सीमा रेल	54.44	60.41	78.55
दक्षिण	93.71	96.82	130.01
दक्षिण मध्य	108.43	124.00	159.78
दक्षिण पूर्व	172.55	199.37	256.47
पश्चिम	126.75	142.27	190.02
जोड़	1049.99	1183.02	1553.54

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जोन-वार किए गए रेलपथ नवीकरण तथा उस पर किए गए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :-

रेलवे	खर्च (करोड़ रुपए में) (सकल)			नवीकृत किया गया रेलपथ (किलोमीटर में)		
	1995-96 (वास्तविक)	1996-97 (वास्तविक)	1997-98 (संशोधित अनुमान)	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	254.25	276.49	313.50	403	444	506
पूर्व	164.2	202.68	210.00	316	337	351
उत्तर	226.94	232.7	235.00	459	429	467
पूर्वोत्तर	53.94	65.22	76.00	173	162	185
पूर्वोत्तर सीमा	42.02	57.65	53.00	92	93	83
दक्षिण	105.57	99.83	121.00	221	214	221
दक्षिण मध्य	178.78	122.2	107.00	328	213	170
दक्षिण पूर्व	349.77	361.69	405.00	586	593	615
पश्चिम	170.59	178.06	204.50	315	310	353
जोड़	1546.07	1596.52	1725.00	2893	2795	2951

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अलाभकारी विमानपत्तन

*529. **श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन :**
डॉ० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलाभकारी विमानपत्तनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार अलाभकारी विमानपत्तनों को राज्य सरकार और निजी कंपनियों को सौंपने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या निजी कंपनियों को भारत के किसी विमानपत्तन के संचालन का कार्य सौंप दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित 120 विमानपत्तनों (5 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन 87 घरेलू विमानपत्तन तथा 28 सिविल एंकलेव) में से, 99 विमानपत्तन अलाभकारी हैं।

(ख) और (ग) एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी नीति देश में विमानपत्तनों के प्रबंधन में परिवर्तन लाने संबंधी आवश्यकता को स्वीकार करती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ऐसे 32 अलाभकारी विमानपत्तनों की पहचान की है जिन्हें राज्य सरकारों को अनुरक्षणार्थ सौंपा जा सकता है। कोल्हापुर तथा शोलापुर विमानपत्तनों को पहले ही पारस्परिक सहमत शर्तों पर महाराष्ट्र राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जा चुका है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक की सहायता से नलकूप और हैंड पम्प लगाया जाना

*530. **श्री विट्ठल तुपे :**
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की आपूर्ति हेतु हैंड पम्प और पाईप से जल आपूर्ति करने की योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने गांवों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था;

(घ) क्या सरकार को इस योजना के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक की सहायता से प्रत्येक राज्य में कितने हैंड पम्प/नलकूप लगाए गए हैं;

(छ) क्या योजना सफल सिद्ध नहीं हुई है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) से (ज) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार केन्द्र द्वारा प्रयोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराकर केवल राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। राज्य सरकारों को अलग-अलग ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना तथा कार्यान्वयन करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। राज्य सरकारों ने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत हैंडपम्प और नलों के जरिए पानी उपलब्ध कराने की योजनाएं शुरू की हैं।

राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार 991519 ग्रामीण बसावटों को पूर्णतया तथा 377484 ग्रामीण बसावटों को आंशिक रूप से पेयजल सुविधाएं दी गई थीं। राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। उक्त अवधि के दौरान बसावटों की कवरेज के लिए निर्धारित लक्ष्यों को अखिल भारतीय आधार पर प्राप्त किया गया था।

कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

(i) कर्नाटक समन्वित ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना जिसके अंतर्गत 92 मिलियन यू.एस. डालर की लागत से कर्नाटक की 4.8 मिलियन ग्रामीण जनसंख्या को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ii) महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना जिसके अंतर्गत 140.7 मिलियन यू.एस. डालर की लागत से महाराष्ट्र की 17.5 मिलियन ग्रामीण जनसंख्या को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।

(iii) उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना जिसके अंतर्गत 71.0 मिलियन यू.एस. डालर की लागत से उत्तर प्रदेश की 1.2 मिलियन ग्रामीण जनसंख्या को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है

विश्व बैंक की सहायता से विगत तीन वर्षों के दौरान लगाए गए हैंडपम्प/टयूबवैलों की संख्या के बारे में उपर्युक्त राज्यों से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

(अनंतिम)

कर्नाटक	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश
374	279	परियोजना का कार्यान्वयन हाल ही में शुरू हुआ है।

विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं कुल मिलाकर सफल रही हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें	पूर्णतः कवर की गई बसावटें (1.4.97 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	30600	38752
2.	अरुणाचल प्रदेश	1368	2067
3.	असम	23745	36809
4.	बिहार	18319	183454
5.	गोवा	58	309
6.	गुजरात	6558	21970
7.	हरियाणा	1087	6398
8.	हिमाचल प्रदेश	14462	25323
9.	जम्मू और कश्मीर	4542	8121
10.	कर्नाटक	18860	35045
11.	केरल	7141	1474
12.	मध्य प्रदेश	23988	133591
13.	महाराष्ट्र	38330	38621
14.	मणिपुर	755	1643
15.	मेघालय	1834	5531
16.	मिजोरम	617	240
17.	नागालैंड	756	305
18.	उड़ीसा	17898	91390
19.	पंजाब	3123	4058
20.	राजस्थान	41841	50225
21.	सिक्किम	983	696

1	2	3	4
22.	तमिलनाडु	29476	37155
23.	त्रिपुरा	2400	4030
24.	उत्तर प्रदेश	62233	209957
25.	प. बंगाल	26141	53304
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32	461
27.	दादर और नगर हवेली	261	127
28.	दमन और द्वीव	4	25
29.	दिल्ली	62	138
30.	लक्षद्वीप	10	0
31.	पांडिचेरी	0	276
32.	चण्डीगढ़	0	24
	कुल	377484	991519

[हिन्दी]

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894

*531. **डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को तेज करने हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार का भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में संशोधन करने का विचार है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करके, बांधों, जलाशयों, सड़कों तथा राजमार्गों का निर्माण करके, विपणन की मूलभूत सुविधाओं का विकास करके, बिजली उत्पादन तथा आपूर्ति की परियोजनाओं, आदि के माध्यम से भी ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में तेजी आ सकेगी। तथापि, विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन सहित अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भी भूमि का अर्जन किया जाता है जिसमें औद्योगीकरण तथा शहरीकरण संबंधी परियोजनाएं भी शामिल हैं जिनसे, द्वितीयक, तृतीयक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों की फालतू ग्रामीण जनशक्ति को रोजगार भी मिलता है; और इस प्रकार ग्रामीण और अर्ध शहरी आबादी के आर्थिक विकास में मदद मिलती है।

प्रस्तावित संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

(i) उदारता से मुआवजा देना, क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि करना व सहमति से अधिनिर्णय करके मुआवजा देने के लिए कलेक्टर को अधिकार देना।

(ii) भूमि अर्जन प्रक्रिया में कुल समय को कम करना।

(iii) भूमि के अर्जन के कारण या फलस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों के वास्तविक पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन की व्यवस्था करना।

(iv) भूमि अर्जन की प्रक्रिया के सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी तथा पारदर्शिता में वृद्धि करना।

(v) सरकार द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता

*532. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में भोजन की आपूर्ति किस एजेंसी द्वारा की जाती है;

(ख) उड़ानों में आपूर्ति किए गए भोजन की गुणवत्ता के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ग) हवाई जहाज में यात्रा के लिए प्रति यात्री किराए में भोजन हेतु कितने प्रतिशत राशि शामिल है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस दोनों ही जिन शहरों से उड़ानों का प्रचालन करती हैं उन शहरों के मशहूर फ्लाइट किचनों/होटलों/रेस्टोरेंटों से भोजन की आपूर्ति की जाती है।

(ख) मेन्यू उड़ान समयावली, सेक्टर दूरी, विमानों की किस्म, क्षेत्रीय रुचियों, यात्रियों की इच्छा आदि को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, विमानों की उड़ान के समय दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से कैटररों के परिसरों में ही समय-समय पर उन खाद्य पदार्थों की जांच-पड़ताल की जाती है।

(ग) प्रचालन की लागत, प्रतिस्पर्धा, आदि को ध्यान में रखकर ही विमान किराया निर्धारित किया जाता है। तथापि, विमान कंपनियों द्वारा प्रभारित विमान किराए में भोजन लागत की प्रतिशतता का कोई निर्धारण नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों पर पाठ्य पुस्तक शामिल किया जाना

*533. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों पर एक पाठ्य पुस्तक को शामिल किया है;

(ख) इस पाठ्य पुस्तक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे आतंकवादियों, घुसपैठियों और विद्रोहियों के संबंध में सुरक्षा कर्मियों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन किए जाने की लगातार शिकायतों के किस सीमा तक कम होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सेना के पास मानव अधिकारों संबंधी एक प्रशिक्षण पुस्तक है, जो सेना प्रशिक्षण कमान द्वारा सभी प्रशिक्षण स्थापनों और यूनिटों को जारी की गई है। इस प्रकाशन के आधार पर सभी स्तरों पर मानव अधिकार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, सेना की प्रशिक्षण स्थापनाओं के पास मानव अधिकारों संबंधी अपने प्रशिक्षण सार (ट्रेनिंग ब्रीफ) भी हैं।

2. प्रशिक्षण नोट के अंतर्गत मानव अधिकार और इसके प्रशिक्षण का विषय सात अध्यायों में निम्नलिखित रूप में शामिल किया गया है:-

(क) **मानव अधिकार-सामान्य :** इस अध्याय में इस प्रकाशन का संक्षिप्त परिचय, इसकी आवश्यकता और इसकी विषय-वस्तु संबंधी खाका दिया गया है।

(ख) **मानव अधिकारों की संकल्पना और इसका विकास :** अपने मूलभूत सैन्य-कार्य को पूरा करने के अलावा सेना कार्मिक देश के जिम्मेदार नागरिक भी हैं। अत: यह आवश्यक है कि उन्हें मानव अधिकार संबंधी समसामयिक विचारों की जानकारी हो। इनका इस अध्याय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

(ग) **संक्रियात्मक परिवेश :** इस अध्याय के अंतर्गत संक्रियात्मक परिवेश रखा गया है, जिसमें सेना कार्मिकों को शांति काल के दौरान ऐसी किसी कार्रवाई हेतु बुलाया जा सकता है, जिसमें मानव अधिकारों का मामला आता हो।

(घ) **प्रति-विद्रोही कार्रवाई और सिविल प्राधिकरण को सहायता देने के कानूनी पहलू :** इस अध्याय में मानव अधिकार संबंधी किसी भी उल्लंघन को रोके जाने के वास्ते विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए कानूनी उपबंधों की व्याख्या की गई है।

(ङ) **मानवाधिकारों के उल्लंघनों की रोकथाम :** ऐसे कुछ आवश्यक पाठों, जो अन्य स्थितियों से निपटने के लिए मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं, को तैयार करने के लिए वास्तविक जीवन से संबंधित मामलों का चयन किया गया है और उन्हें इस अध्याय में शामिल किया गया है। प्राप्त किए जा रहे अनुभवों पर आधारित केस अध्ययन, मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान द्वारा समय-समय पर सभी यूनिटों और विरचनाओं को भी भेजे जाते हैं।

(च) **प्रचार माध्यमों से संपर्क :** इस अध्याय में प्रचार माध्यमों के साथ पारस्परिक संपर्क हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

(छ) **प्रशिक्षण :** इसमें कार्मिकों को भर्ती प्रशिक्षण के स्तर से लेकर यूनिट/विरचना के प्रशिक्षण स्तरों पर मानव अधिकार संबंधी प्रशिक्षण हेतु दिशा-निर्देश शामिल हैं।

3. मानव अधिकार संबंधी प्रशिक्षण सामग्री से सेना कार्मिकों को मानव अधिकारों से संबंधित मूलभूत बातों की जानकारी मिलती है ताकि वे मानव जाति, चाहे वे सिविल उग्रवादी हों, घुसपैठिये हों, या विद्रोही, के अधिकारों की रक्षा हेतु अधिकाधिक ध्यान रखें

4. सेना कार्मिकों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन को सदैव अनुशासनिक मामले के रूप में लिया जाता है और इसमें सेना अधिनियम, 1950 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

नई तैनाती नीति

***534. श्री चेतन चौहान :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उनके मंत्रालय के अधीन नियुक्त अधिकारियों की सेवा के आरम्भ में ही दुर्गम और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अनिवार्य तैनाती के लिए नीति बनाने पर विचार कर रही है ताकि वे उन परिस्थितियों से परिचित हो सकें जिनमें बहादुर सैनिकों को हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति के कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) यह प्रस्ताव है कि रक्षा मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों को मंत्रालय में अपनी सेवावधि के प्रारंभ में और सेवा अवधि के दौरान नियमित अंतरालों पर देश के उन विभिन्न भागों से परिचित कराया जाए जहां रक्षा कार्मिकों को तैनात किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त संदर्भ में दो अधिकारियों को जून-जुलाई, 1998 के दौरान सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में प्रतिनियुक्त किया गया था।

[अनुवाद]

फालतू रेल भूमि के वाणिज्यिक उपयोग से अर्जित राजस्व

***535. श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने वाणिज्यिक उपयोग हेतु देश भर में बड़े शहरों के आस-पास फालतू रेल भूमि की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1994 के दौरान संसदीय समिति ने यह अनुमान लगाया था कि फालतू रेल भूमि के वाणिज्यिक उपयोग से प्रतिवर्ष 36,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा;

(घ) यदि हां, तो फालतू भूमि से इस विशाल धनराशि जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या रेलवे ने मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन की फालतू रेल भूमि के वाणिज्यिक उपयोग से अर्जित राजस्व में भागीदारी हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई समझौता किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी नहीं, क्योंकि रेलवे के पास कोई फालतू भूमि नहीं है जो भूमि खाली पड़ी है या जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है उसकी रेलों के भावी विस्तार एवं विकासात्मक कार्यों के लिए जरूरत पड़ेगी। बहरहाल, रेलवे ने रेलवे भूमि/अवसंरचनाओं के ऊपरी स्थान का वाणिज्यिक दोहन करने का प्रस्ताव किया है जिससे कि संसाधनों का सृजन किया जा सके।

(ग) और (घ) प्राक्कलन समिति (1992-93) ने अपनी 29वीं रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि रेलवे भूमि के ऊपर खाली स्थान से विशेषकर शहरी क्षेत्रों में करीब 20,000 करोड़ रुपये से लेकर 25,000 करोड़ रुपए (एक बार में) तक संसाधनों का सृजन किया जा सकता है। बहरहाल, रेलवे भूमि के वाणिज्यिक उपयोग पर रेल मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने 1992 में वाणिज्यिक उपयोग की संभावना वाले ऐसे 70 स्थानों से 25,00 करोड़ रुपए (एक बार में) तक के राजस्व के सृजन का अनुमान लगाया था। तभी से रेलें इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही हैं। बांद्रा में ऊपरी खाली स्थान के विकास के लिए ऊपरी मंजिलों के वाणिज्यिक उपयोग की दृष्टि से एक पायलट परियोजना चलाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ङ) और (च) 1993 में तत्कालीन रेल मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच बैठक में यह प्रस्ताव किया गया था कि रेलवे भूमि में संपत्ति के विकास से प्राप्त राजस्व का, मुंबई क्षेत्र की रेल परियोजनाओं, शेष महाराष्ट्र तथा देश के अन्य भागों के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा।

हवाई अड्डों का निजीकरण

***536. प्रो० पी०जे० कुरियन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए तीन अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली तथा अहमदाबाद के हवाई अड्डों को निजीकरण के पहले चरण में सम्मिलित किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) विमानपत्तनों के विकास में निजी सेक्टर की भागीदारी के लिए रीतियों की छानबीन की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र की विमान कम्पनियों को घाटा

***537. श्री दत्ता मेघे :**
डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स जैसी सरकारी क्षेत्र की विमान कम्पनियों को गत तीन वर्षों के दौरान घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विमान कम्पनी को पृथक-पृथक कितनी धनराशि का घाटा हुआ और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन्हें अर्धक्षम बनाने के लिए किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) गत तीन वर्ष के दौरान एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस को हुए लाभ/(घाटे) का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	लाभ/(घाटा)करोड़ रुपये में	
	एयर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस
1995-96	(271.84)	(109.98)
1996-97	(296.94)	(11.36)•
1997-98	(280.43)	50.00•

(अनंतिम) •एलायंस एयर सहित

एयर इंडिया को हुए घाटे के निम्न कारण हैं—जैसे ब्याज के कारण व्यय में वृद्धि तथा नए विमानों पर मूल्यह्रास, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा तथा प्रचालन लागत के कारण आय में कमी, वेतन बिल तथा अन्य स्टाफ संबंधी खर्चों और अवतरण, हैंडलिंग तथा दिक्चालन संबंधी प्रभारों में वृद्धि, इंजीनियरों द्वारा किया गया आंदोलन, रुपए का मूल्य ह्रास, आदि।

इंडियन एयरलाइंस को हुए घाटे के निम्न कारण हैं—जैसे कमांडरों की कमी के कारण विमानों का कम उपयोग, निजी प्रचालकों के प्रादुर्भाव से बाजार शेयर में कमी, अवतरण तथा दिक्चालन संबंधी प्रभारों में वृद्धि, रुपए का मूल्य ह्रास, मार्गदर्शी सिद्धांतों में निहित गैर किफायती मार्गों पर निर्धारित न्यूनतम से अधिक प्रचालन सेवा आदि।

(ग) व्यय को नियंत्रित करने और उत्पादकता में वृद्धि करने की दृष्टि से दोनों विमानकंपनियों द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

एयर इंडिया

1. अतिरिक्त राजस्व के सृजनार्थ विपणन संबंधी प्रयासों में और तेजी लाई गई है।
2. लाभप्रद मार्ग पर जोर देते हुए नेटवर्क का यौक्तिकरण और समेकन करना।

3. विमानों की बाह्य मरम्मत संबंधी कार्यों पर होने वाले व्यय में कमी करने के लिए और अधिक इनहाउस मरम्मत संबंधी कार्यों को हाथ में लेना।

4. विदेश में एयर इंडिया के विभिन्न विभागों में भारतीय अधिकारियों के अनेक पदों को समाप्त कर दिया गया है।

इंडियन एयरलाइंस

1. ऑफलाइन स्टेशनों को बंद करना और बुकिंग कार्यालयों की संख्या में कमी करना।

2. प्रचालनात्मक कारणों से नितांत आवश्यक न होने की दशा में भर्ती पर प्रतिबंध।

3. कार्यालय भवनों पर होने वाले व्यय में भारी कटौती।

4. प्रचालनात्मक कारणों से नितांत आवश्यक न होने पर पूंजीगत व्यय पर रोक।

5. घाटे वाले मार्गों की आवृत्तियों में कमी करना।

सरकार ने एयर इंडिया को हुए घाटे संबंधी कारणों की व्यापक जांच कराने और कंपनी की पूर्व स्थिति बहाल कराने संबंधी रणनीति सुझाने की दृष्टि से टैरिफ आयोग के अध्यक्ष, डॉ० विजय केलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

इडियन एयरलाइंस की पूर्व स्थिति बहाली संबंधी रणनीति पर केलकर समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी विमान कंपनियों द्वारा रियायत

*538. **श्री मोहन रावले** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विमान कंपनियां भारत आने वाले और भारत से जाने वाले यात्रियों को भारी रियायत देती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में ब्रिटिश एयरवेज ने भारत आने वाली उड़ानों के लिए रियायती किरायों की घोषणा की है और भारत से लंदन जाने वाली उड़ानों के किरायों में पहले ही 20 प्रतिशत कटौती कर दी है;

(घ) यदि हां, तो विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा किराए में की गई इस कटौती का एयर इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) प्रतिस्पर्धा, मौसमीयता और आर्थिक दशाओं जैसे कारणों पर निर्धारित मूल्य निर्धारण रणनीतियों के आधार पर विमान कंपनियां छूट देती ही रहती हैं। ''आयटा'' द्वारा प्रकाशित किरायों पर छूट भिन्न प्रकार के किराये तथा अलग स्थानों के लिए अलग-अलग होती है।

(ग) से (ङ) ब्रिटिश एयरवेज ने हाल ही में लंदन से भारत को प्रोन्नतिपरक किराया में कमी करने की घोषणा की है। ब्रिटिश एयरवेज ने भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशक को भारत से छूट शुदा किराए प्रस्तुत नहीं किए हैं। यद्यपि यह विमान कंपनी ट्रैवल एजेंटों को प्रोत्साहन राशि देती है जिसमें से कुछ हिस्सा ये एजेंट भारत से जाने वाले यात्रियों को दे सकते हैं।

प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए एयर इंडिया ने भी लंदन से अपने प्रोन्नतिपरक किराए कम कर दिए हैं जिससे कि ये ब्रिटिश एयरवेज से किरायों के बराबर बने रहें।

हुडको का कार्य निष्पादन

*539. **श्री संदीपन थोरात** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हुडको द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्य निष्पादन की समालोचनात्मक/विश्लेषणात्मक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए राज्य-वार निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त की गई वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुडको द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने के लिए इसके पुनर्गठन/उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) हुडको को अब तक मिली विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा वास्तव में कितनी सहायता का उपयोग किया गया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) सरकार ने हुडको के वर्ष 1997-98 में कार्य-निष्पादन की 19 मार्च, 1998 को विस्तृत समीक्षा की। यह समीक्षा अप्रैल, 1998 में हस्ताक्षरीत समझौता-ज्ञापन के सन्दर्भ में की गई थी। हुडको के कार्य निष्पादन की सरकार द्वारा तिमाही आधार पर भी समीक्षा की जाती है।

(ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान समझौता ज्ञापन के अधीन निर्धारित वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। चूंकि हुडको राज्य सरकार/एजेन्सियों को ऋण सहायता मुहैया कराता है, इसलिए केवल वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जहां तक राज्यवार लक्ष्यों का संबंध है, हुडको देश में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आवास परियोजनाओं के लिए ऋण मंजूर करने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है। यह आवंटन उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर, जिनके लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में 100% आवंटन दिया जाता है, अन्य राज्यों के लिये दो चरणों में किया जाता है। प्रथम चरण में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक आवंटन का 50% वितरित किया जाता है। शेष 50% का आवंटन विभिन्न राज्यों के कार्य निष्पादन और मांग के आधार पर किया जाता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन और ऋण आवंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) सरकार हुडको को बढ़ी हुई एक्विटी मुहैया करा रही है और चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बाजार

से संसाधन जुटाने में मदद कर रही है। सरकार ने इस प्रयोजन के लिए हुडको को एक्विटी समर्थन 200% से अधिक बढ़ा दिया गया है। शासन हेतु राष्ट्रीय एजेंडा, जिसमें देश में प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, के तहत बढ़े हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हुडको को सक्षम बनाने के लिए सरकार उपाय कर रही है। हुडको के शहरी अवस्थापना कार्यों के पुनर्गठन और क्षमता निर्माण का कार्य विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग से चल रहा है।

(घ) विदेशी संस्थाओं और द्विपक्षीय एजेन्सियों से प्राप्त विदेशी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	कार्य निष्पादन मानदंड	यूनिट	1995-96		1996-97		1997-98	
			लक्ष्य	प्राप्तियां	लक्ष्य	प्राप्तियां	लक्ष्य	प्राप्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	संसाधन जुटाव	करोड़ रु. में	1171	847.06	1248	1963	1350	2650.27
2.	स्वीकृत ऋण							
	(क) आवास	करोड़ रु. में	1130	1156.7	1200	1442	1385	1772.01
	(ख) शहरी अवस्थापना	करोड़ रु. में	770	810.18	847	1029	930	1289.5
3.	जारी ऋण							
	(क) आवास	करोड़ रु. में	958	821.35	1011	1035	1170	1325.8
	(ख) शहरी अवस्थापना	करोड़ रु. में	410	420.45	466	501.8	790	811
4.	प्राथमिकता क्षेत्र की आवास योजनाएं							
	(क) ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के लिए मंजूरी	करोड़ रु. में	621.5	538.51	600	683.3	693	833.6
	(ख) ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के लिए जारी राशि	करोड़ रु. में	527.1	318.97	506	387.5	585	605
	(ग) ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. यूनिटों के लिए मंजूरी	कुल का प्रतिशत	87	88	87	93.54	88	95.04
5.	वसूली	प्रतिशत	95.5	92.1	92.5	95.43	92.5	94.34
6.	कुल अतिरिक्त राशि	करोड़ रु. में	57.05	110	70	83.78	80	91.52
7.	कर के बाद लाभ/ लगाई गई पूंजी अनुपात		0.75	1.81	1.02	1.13	0.8	0.91
8.	प्रति कर्मचारी आय (पूर्व कर लाभ)	लाख रु. में	6.22	12.53	7.77	9.52	10.2	10.1
9.	प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी विकास							
	(क) एचएसएमआई में प्रशिक्षण सं.		320	1000	350	591	500	2124
	(ख) निर्मित केन्द्रों को स्थापित करना		50	72	70	81	70	81
	(ग) पूर्ण रूप से कार्य कर रहे निर्मिति केन्द्रों का मूल्यांकन		160	218	180	250	240	303

विवरण-II

*विगत तीन वर्षों का आवास आवंटन और ऋण मंजूरी**

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96		1996-97		1997-98	
		ऋण आबंटन	ऋण राशि	ऋण आबंटन	ऋण राशि	ऋण आबंटन	ऋण राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	71.85	76.63	118.85	202.18	117.56	172.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.28	0.00	0.40	0.00	1.46	—
3.	असम	17.96	8.31	22.21	33.04	70.55	16.23
4.	बिहार	34.35	26.32	46.45	49.59	53.32	4.65
5.	गोवा	49.17	48.40	2.19	0.85	1.44	13.34
6.	गुजरात	66.71	46.00	56.15	47.39	66.54	75.63
7.	हरियाणा	41.21	56.07	17.52	17.45	29.94	16.94
8.	हिमाचल प्रदेश	7.34	3.71	20.16	15.20	72.04	72.04
9.	जम्मू और कश्मीर	13.60	13.67	14.86	0.89	15.29	10.75
10.	कर्नाटक	44.92	92.84	89.29	81.89	95.66	108.78
11.	केरल	85.47	118.51	83.81	177.79	70.17	230.97
12.	मध्य प्रदेश	77.26	74.64	92.33	77.60	184.25	87.12
13.	महाराष्ट्र	54.25	38.17	75.12	41.79	76.38	124.87
14.	मणिपुर	2.56	5.77	12.30	39.65	17.42	22.28
15.	मिजोरम	3.31	5.26	6.30	5.38	15.72	6.37
16.	मेघालय	2.01	0.94	3.75	5.74	8.87	0.23
17.	नागालैंड	1.89	0.00	6.83	5.89	9.42	13.13
18.	उड़ीसा	31.29	18.74	31.26	33.90	85.00	53.21
19.	पंजाब	30.78	8.21	22.92	31.10	30.89	3.75
20.	राजस्थान	55.35	75.10	76.09	90.46	79.26	227.05
21.	सिक्किम	0.11	6.50	0.12	7.14	0.56	0.50
22.	तमिलनाडु	141.73	159.88	137.33	186.88	133.21	178.10
23.	त्रिपुरा	1.65	0.73	2.30	0.09	7.94	1.50
24.	उत्तर प्रदेश	50.27	57.58	83.53	101.74	80.77	126.77
25.	प. बंगाल	52.28	38.30	57.18	48.35	49.76	35.03
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.22	1.49	0.25	0.00	1.38	1.38

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	चण्डीगढ़	2.87	0.00	0.88	0.00	0.93	0.00
28.	दादर और नगर हवेली	0.05	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
29.	दिल्ली	9.61	0.00	11.17	1.84	18.88	0.00
30.	लक्षद्वीप	0.07	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
31.	पांडिचेरी	0.84	0.00	0.98	0.00	1.04	0.95
32.	दमन और द्वीव	0.08	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00
	कुल	929.50	991.00	1078.01	108.78	1340.01	1603.73

*इसमें भूमि अधिग्रहण और कम लागत सफाई शामिल नहीं है।

विवरण-III

हुडको द्वारा जर्मन सरकार एवं के एफ डब्ल्यू (जर्मन का बैंक) पुनर्निर्माण से आवास के लिए प्राप्त विदेशी सहायता

मानव बसाव में भारत-जर्मन सहयोग और जर्मन संघीय गणराज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित के एफ डब्ल्यू वित्त पोषित सहयोग कार्यक्रम 1984 में प्रारम्भ हुआ था। यह सहयोग आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको), भारत और क्रेडिटेन्सटाल्ट फरटीडराडफबाड (के.एफ. डब्ल्यू) या जर्मन पुनर्निर्माण बैंक के बीच हुआ था। इसके अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और पिछड़ों के लिए चलाए जा रहे हुडको के विभिन्न आवास कार्यक्रमों में के.एफ.डब्ल्यू. वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है। सहयोग का उद्देश्य किफायती आवास की सुपुर्दगी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अनुवर्ती सेवा मुहैया कराना था। स्वयं मदद या स्वयं प्रशासित या प्रबन्धकीय आधार के जरिये आश्रय सुविधा के सृजन पर बल दिया गया था।

मुहैया कराया गया वित्तीय सहयोग का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है :-

	राशि	सहायता का स्वरूप	के लिए	स्थिति
हडको–के.एफ.डब्ल्यू.-I	डीएम 20 मिलियन	ऋण	शहरी कमजोर वर्ग आवास	पूरी राशि प्राप्त हो गयी है और प्राप्त राशि का पूर्णतया उपयोग हो गया है।
हडको–के.एफ.डब्ल्यू.-II	डीएम 30 मिलियन	ऋण	शहरी एवं ग्रामीण कमजोर वर्ग आवास	–वही–
हडको–के.एफ.डब्ल्यू.-III	डीएम 10 मिलियन	अनुदान	पिछड़े वर्गों को सक्षम बनाना	डी.एम. 6.50 मिलियन प्राप्त हुए डी.एम. 6.30 का उपयोग हो गया है शेष का उपयोग किया जा रहा है।
हडको–के.एफ.डब्ल्यू.-IV	डीएम 35 मिलियन	अनुदान	शहरी एवं ग्रामीण कमजोर वर्ग आवास और लातूर के लिए भूकम्प पुनर्वास आवास उपाय	डी.एम. 34.66 मिलियन प्राप्त हुए और उसका उपयोग किया गया।
हडको–के.एफ.डब्ल्यू.-V	डीएम 35.34 मिलियन* (के.एफ.डब्ल्यू. IV के.डी.एम. 0.34 मिलियन सहित)	अनुदान	शहरी/ग्रामीण कमजोर वर्ग आवास	डी.एम. 34.54 मिलियन प्राप्त हुए और एजेन्सी को जारी किए गये, कार्य चल रहा है।
हडको–के.एफ.डब्ल्यू.-VI	डीएम 50 एम/एस डीएम 30 एम/एस (अनुदान) डीएम 20 एम/एस (ऋण)	अनुदान/ऋण	शहरी/ग्रामीण कमजोर आवास और अनुदान तथा आन्ध्र प्रदेश तूफान के लिए अनुदान	डी.एम. 10 मिलियन प्राप्त हुए और आन्ध्र प्रदेश तूफान/ईडब्ल्यूएस आवास स्कीम के लिए जारी किये गए, कार्य चल रहा है।

ओ.ई.सी.एफ. वित्तीय सहायता के तहत हुडको द्वारा प्राप्त राशि का ब्यौरा :

1. शहरी नगर जल आपूर्ति परियोजना
   ओ.ई.सी.एफ. (आई डी-पी 79)

इस करार के अधीन हुडको ने भारत सरकार के माध्यम से ओ.ई.सी.एफ. को 107.91 करोड़ रुपये के अदायगी वापस करने के दावे प्रेषित किये जिसमें से भारत सरकार ने हुडको को 104.779 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

2. शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता सुधार कार्यक्रम
   ओ ई सी एफ (आई डी-पी 110)

यह हुडको को सीधे ही ऋण की राशि देता है। इस करार के तहत हुडको को 52.38 करोड़ रुपये के बराबर का भुगतान किया है।

एशियाई विकास बैंक सहायता

1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास हेतु एशियाई विकास बैंक से ऋण प्राप्त हो गया है। उसका ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार हैं :-

स्वीकृत ऋण की राशि	—	100 मिलियन अमरीकी डालर
हुडको द्वारा लिए गए ऋण की राशि	—	20 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 78.86 करोड़ रुपये)

[हिन्दी]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि का अतिक्रमण

*540. श्री रामदास आठवले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 25-30 वर्षों से लाखों लोग विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर स्थापित गंदी बस्तियों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनधिकृत व्यक्तियों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) मुम्बई में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित लगभग 160 एकड़ भूमि तथा दिल्ली विमानपत्तन पर छिटपुट पाकेटों में 4 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। झुग्गी/झोपड़ी वासियों द्वारा जुहू, अहमदाबाद, कोटा, गुवाहाटी, भोपाल, हैदराबाद, तिरूपति, बड़ोदरा तथा नागपुर स्थित विमानपत्तन की भूमि पर भी अतिक्रमण किया गया है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण स्थानीय प्राधिकारियों/राज्य सरकार की सहायता से अतिक्रमण करने वालों को वहां से हटाने की दिशा में कदम उठा रहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त भवन-निर्माण सामग्री

*541. डॉ० विजय सोनकर शास्त्री : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों के निर्माण में घटिया *किस्म का सीमेन्ट और अन्य भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग करता रहा है;*

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति-वर्ष नींव धसने, छतों के गिरने, दीवारों आदि में दरारें पड़ने आदि के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि घटिया भवन निर्माण सामग्री इस्तेमाल बावत कोई मामला गत तीन वर्षों में ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) के आलोक में सवाल नहीं उठते।

ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन्स

5198. श्री ए० गणेशमूर्ति : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ईस्ट-वेस्ट एयरलाइनों से बकाया रकम की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने ईस्ट-वेस्ट एयरलाइनों को निर्धारित/गैर-निर्धारित विमान परिचालन की अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं;

(घ) एयरलाइंस ने कितना घाटा दिखाया है;

(ङ) क्या 35 रुपये प्रति शेयर की प्रीमियम पर लोगों से जुटाई गई राशि का दुर्विनियोग किया गया है।

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने तथा ठगे हुए निवेशकों का बचाव करने का है, और;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) बकाया देय राशियों की वसूली के संबंध में मै० ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस के विरुद्ध आयल कंपनीज द्वारा कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। भारतीय

विमानपत्तन प्राधिकरण ने आवंटित अहातों के लिए बकाया लाइसेंस फीस की वसूली हेतु पब्लिक प्रिमाइजेज इविक्शन एक्ट, 1972 के अधीन कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और बकाया मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभारों, अवतरण, आवास तथा पार्किंग प्रभारों की वसूली के संबंध में वसूली मुकदमे भी दायर कर दिए गए हैं। आयटा की वसूली के संबंध में, आयटा नियम, 1989 के नियम 14(4) के अधीन सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा बकाया देय राशियों की तुलना में चल और अचल सम्पत्ति की कुर्की के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।

(ख) और (ग) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के प्रचालनार्थ कंपनी को 25 जून, 1998 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने संबंधी स्वीकृति इस शर्त के साथ दे दी गई है कि कंपनी के निदेशक मंडल के बारे में गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त की जाए संबंधित एजेंसियों के साथ बकाया देय राशियों का परिशोधन हो जाने के बाद ही विमानों की खरीद की अनुमति दी जाएगी।

(घ) कंपनी (बंद होने से पूर्व) 31 मार्च, 1996 को कंपनी द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक उसे 48.06 करोड़ रु. का घाटा हुआ था।

(ङ) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सुधारात्मक उपाय

5199. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 दिसम्बर, 1997 को कमीशन प्राप्त सैन्य अधिकारियों के संघ एसोसिएशन आफ आर्मी आफिसर्स ने किफायती राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सुधारों के उपायों संबंधी एक ज्ञापन पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खानों का विकास

5200. श्री राजवीर सिंह : क्या इस्पात तथा खनन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में खनन उद्योग के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा कितनी आय अर्जित की गई; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश से निर्यात किए गए खनिजों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) केन्द्र सरकार ने देश में खनिज संसाधनों के गवेषण और विकास के लिए उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश हेतु गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 बनाई थी। वर्ष 1994 में खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में वर्ष 1993 में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुरूप परिवर्तन किए गए हैं। सरकार ने अक्टूबर, 1996 में खनिजों के गवेषण और विदोहन में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रवेश और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 25 वर्ग कि.मी. से बड़े क्षेत्र में हवाई पूर्वेक्षण हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस देने के संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

(ख) राज्य सरकार ने वर्ष 1996-97 में खनिज रायल्टी के रूप में 22.64 लाख रु. और वर्ष 1997-98 में 52.79 लाख रु. की आय अर्जित की।

(ग) उत्तर प्रदेश से सिर्फ आयामी ग्रेनाइट का निर्यात किया गया। निर्यात-आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

1996-97	10,339 घन मी.
1997-98	11,913 घन मी.

अल्युमिनियम संयंत्र का विस्तार

5201. श्री गिरीधर गमांग : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोनमोड़ी तथा अंगुल में अल्युमिनियम संयंत्र के विस्तार परियोजना की सरकार द्वारा स्वीकृत अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) मंजूरी मिलने के बाद अलुमिना संयंत्र के विस्तार कार्यक्रम के संबंध में नेलको द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है; और

(ग) उड़ीसा के अविभाजित कोरापुट जिले में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा रोजगार सुविधाएं जुटाने के लिए अलुमिना तथा अन्य कच्चे माल सामग्री पर आधारित दामोनमोड़ी तथा अन्य क्षेत्रों में पहचान किए गए अनुषंगी उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) की बाक्साइट खानों तथा एल्युमिना शोधनशाला के विस्तार की मंजूर परियोजना लागत (जून, 1996 के मूल्य स्तर पर) 1665 करोड़ रु. है। नालको के एल्युमिनियम प्रगालक तथा गृहित विद्युत संयंत्र के विस्तार की मंजूर परियोजना लागत (जून, 1997 के मूल्य स्तर पर) 2062 करोड़ रु. है।

(ख) बाक्साइट खानों तथा एल्युमिना शोधनशाला के विस्तार संबंधी परियोजना के क्रियान्वयन की अभी तक की प्रगति निम्नवत् है :-

1. इस परियोजना के सभी खण्डों के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए।
2. फ्रांस की कंपनी एल्युमिनियम पेचिने से सारे आधारभूत अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) कागजात प्राप्त किये।
3. विस्तृत अभियांत्रिकी की लगभग 40% तक प्रगति हुई।
4. कुल उपकरणों के लगभग 25% के लिए आर्डर दिये गए।

5. निर्माण तथा आपूर्ति कार्य भी शुरू हो गया है।

6. सिविल ढांचागत कार्य शुरू हो गया है।

(ग) दामनमोड़ी तथा अन्य क्षेत्रों में स्थित सहायक उद्योगों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एसएसआई यूनिटों की सूची जिन्हें सहायक उद्योग का दर्जा दिया गया है

दामनजोडी

पार्टी का नाम	मद
1. मैसर्स अरविन्दो प्रिसिश्जन टूल्स इंडस्ट्रियल एस्टेट, सुनाबेदा	फैब्रिकेशन और मशीनी कार्य
2. मैसर्स अन्नपूर्णा इंजी. प्रा०लि०, बी/18, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राउरकेला--4	-वही-
3. मैसर्स कृष्णा फैरो प्रोडैक्टस लि०, एच-3 सिविल टाउनशिप, राउरकेला-4	-वही-
4. मैसर्स निलांचल कॉटन इंडस्ट्रिज, मानिकघोष बाजार कटक-2	हॉस्पिटल सप्लाई और फिनाइल हेतु
5. मैसर्स इंडियन डिसइफैक्टैंटस एण्ड डिटरजैंट लि०, मधुपटना कटक-10	-वही-
6. मैसर्स चिमी (इंडिया) इंडस्ट्रिज एस्टेट, कटक-10	-वही-
7. मैसर्स एवरो प्रिंटिंग वर्क्स, 2/6 इंडस्टियल एस्टेट, सुनाबेदा	प्रिंटिंग एण्ड बाइंडिंग कार्य
8. मैसर्स उड़ीसा पोलीजूट प्रा० लि०, पीओ रिमुना, बालासोर-756019	एलडीपीई बैग्स एण्ड लाइनर्रस
9. मैसर्स प्रियंका कैमीकल्स प्रा० लि०, 49-भगवानपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, पीओं पत्रापाड़ा, भुवनेश्वर	ब्लिचिंग पाउडर
10. मैसर्स ओरियन इंजीनियर्स प्रा०लि०, लाठीकाटा, राउरकेला-37	मशीनी और फैब्रीकेशन कार्य
11. मैसर्स हाइटैक इंजीनियरिंग एण्ड कंसलटैंट्स एलएल-6, सिविल टाउनशिप, 7 और 8 एरिया, पनपोश, राउरकेला-4	मशीनी और फैब्रीकेशन कार्य
12. मैसर्स ज्योति फाउनडरी एण्ड वर्क्स शॉप, रायगढ़-1	कार्स्टिंग एण्ड मशीनी कार्य
13. मैसर्स ज्योति स्टील कार्स्टिग (प्रा०) लि०, कोलीगुदा, रायगढ़-1	-वही-
14. मैसर्स श्रीदेवी कॉटन वर्क्स, ओ.एफ.एम. रोड, जायपोर-1, कोरापुट	कॉटन वेस्ट
15. मैसर्स रीति प्रिंटर्स एट, पुजारीपुट, पीओ/जिला कोरापुट	मुद्रण संबंधी मद
16. मैसर्स क्वालिटी प्रिंटर्स, मेन रोड, सिमिलीगुदा-36 जिला कोरापुट	-वही-
17. मैसर्स नेशनल प्रिंटर्स, एट/पीओ भेजापुट, दामनजोडी, जिला कोरापुट	-वही-

एल्यूमिनियम का मूल्य

5202. **श्री तथागत सत्पथी :** क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कच्चे एल्यूमिनियम के खरीददारों को लगभग 1700 अमरीकी डालर प्रति टन के हिसाब से मूल्य चुकाना पड़ता है जबकि अमरीका में एल.एम.ई. का औसत मूल्य 1400 अमरीकी डालर प्रति टन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके कारण कच्ची/अर्धनिर्मित उत्पादों के भारतीय विनिर्माताओं को एल्यूमिनियम धातु का अत्यधिक मूल्य देना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 1996-97 की तुलना में इस्पात चादर जाली (एक्सट्रूसंस) जैसे अर्धनिर्मित एल्यूमिनियम उत्पादों की घरेलू मांग में वर्ष 1997-98 के दौरान केवल 1.5 प्रतिशत की गिरावट आई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जून 1998, में अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम का औसत एल.एम.ई. मूल्य 1308 प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अमरीकी डालर था। अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम के आयातकों को भाड़ा, बीमा, सीमा शुल्क, काउंटरवेलिंग शुल्क, विशेष काउंटरवेलिंग शुल्क और टर्मिनल हैंडलिंग प्रभार के रूप में अतिरिक्त लागत देनी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप 1308 अमरीकी डालर के एल.एम.ई. के मूल्य पर अर्द्धनिर्मित उत्पादों के भारतीय निर्माताओं को आयातित अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम की उतराई लागत लगभग 1842 प्रति मी.टी. अमरीकी डालर पड़ती है। इसकी तुलना में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी (नालको) द्वारा जून, 1998 के दौरान उत्पादित अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम का मूल्य 73166 प्रति एम.टी.था (1 अमरीकी डालर 43 रु. की विनिमय दर से लगभग 1702 अमरीकी डालर के बराबर)। अत: देश में उत्पादित अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम का मूल्य आयातित अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम की उतराई लागत के मुकाबले कम है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। देश में उत्पादित अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम का मूल्य आयातित अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम की उतराई लागत की अपेक्षा कम है। तथापि, बाजार शक्तियां, एल.एम. ई. मूल्यों के उतार-चढ़ाव, मांग-आपूर्ति स्थिति, कर और अन्य वाणिज्यिक कारकों से अर्द्धनिर्मित उत्पादों के देश के निर्माताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम का मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(ङ) चूंकि अधिकांश गौण उत्पादक/रि-रोलर/एक्सट्रूडर असंगठित क्षेत्र में हैं इसलिए पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, तीन प्रमुख गौण उत्पादकों अर्थात भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बालको), इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी (इंडाल) और हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी (हिंडाल्को) जिनका रोल्ड शीट्स, फॉयल और एक्सट्रूजन में पर्याप्त बाजार हिस्सा है, ने 1996-97 के मुकाबले 1997-98 में रोल्ड शीट्स में 16.2%, फॉयल में 7.4% और एक्सट्रूजन में (-)8.9% की संवृद्धि दर (अनन्तिम) प्राप्त की।

(च) एल्यूमिनियम उद्योग में संवृद्धि दर अधिकांशत: अर्थव्यवस्था में सामान्य संवृद्धि पर निर्भर करती है।

छोटे विमानों तथा हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना

5203. श्री एस० अजय कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने नॉन-शेड्यूल आपरेटरों को कुछ छोटे हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर शामिल करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या विस्तृत नीति है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) 25 जून, 1998 को, सरकार ने 13 छोटे विमानों (50 सीटर अथवा इससे कम) तथा 5 हेलीकॉप्टरों के आयात के लिए अनुमोदन दे दिया है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार विमान की किस्म तथा आकार के चयन का निर्णय आपरेटर पर छोड़ दिया गया है।

विवरण

छोटे विमान/हैलीकॉप्टरों के आयात के लिए 25.6.1998 को दिए गए अनुमोदन के ब्यौरे

आपरेटर का नाम	संख्या	विमान की किस्म	सीट क्षमता
डेकन एविएशन	3	बैल 206 एल-4	(5)
सहारा इंडिया एयरलाइंस	2	किंग एयर बी-200	(14)
	1	फालकन	(20)
	1	पीएई-125-700	(9)
	1	किंग एयर-1900डी	(19)
	1	बेल-406	(5)
	1	एलाउटी	(4)
स्टालियन एयरलाइंस	5	फेयरचाइल्ड	(19)
		मैट्रो 235-ए-227-डीसी	
वीआईएफ एयरवेज	3	डीओ-328	(31)

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना का मूल्यांकन

5204. श्री महेश कनोडिया : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने गुजरात में जवाहर रोजगार योजना के संबंध में अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या अध्ययन से यह बात पता चली है कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का राज्य की कुछ ग्राम पंचायतों ने उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग ने अप्रैल, 1989 से सितम्बर, 1991 तक की अवधि को शामिल करते हुए 1992 में जवाहर रोजगार योजना का त्वरित अध्ययन करवाया था। कार्यक्रम मूल्यांकम संगठन ने इस प्रयोजन के लिए दस राज्यों का चयन किया था। गुजरात राज्य को कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के त्वरित मूल्यांकन अध्ययन में शामिल नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

क्षतिपूर्ति के मामले

5205. **श्री सत्य पाल जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि कुल कितनी थी;

(ख) गत तीन वर्षों से लम्बित पड़े क्षतिपूर्ति के मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे की कुल राशि निम्नानुसार है :-

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1995-96	535.95
1996-97	709.31
1997-98	240.89

(ख) जून, 1998 की स्थिति के अनुसार दुर्घटना मुआवजा संबंधी 975 मामले लंबित हैं।

(ग) दुर्घटना दावा संबंधी मामलों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :-

1. रेल दावा अधिकरण की सभी पीठों को दुर्घटना दावा संबंधी मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है ताकि घायल व्यक्तियों और मृत व्यक्तियों के आश्रितों को तुरंत राहत मिल सके।
2. सामान्यत: पार्टियों को स्थगन नहीं दिया जाता है।
3. दावाकारों की सुविधा के लिए उनके निवास के निकट एक पीठ से दूसरी पीठ को मुकदमा स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है।
4. जब कभी अपेक्षित होता है, एक पीठ में एक सदस्य की अनुपलब्धता के कारण दूसरी पीठ से सदस्यों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

एसी-II डिब्बे लगाना

5206. **मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए.वी.एस.एम. :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी-देहरादून जनता एक्सप्रेस में ए.सी.-II डिब्बा जोड़े जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भावनाथपुर चूना पत्थर खान

5207. **श्री ब्रज मोहन राम :** क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावनाथपुर स्थित चूना पत्थर के रासायनिक विश्लेषण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस चूने पत्थर को सीमेंट उद्योग के लिए बेहतर पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उत्पादन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उन अन्य औद्योगिक इकाइयों के नाम क्या-क्या हैं जिनमें भावनाथपुर खान से निकलने वाले चूने पत्थर का उपयोग किया जा सकता है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भावनाथपुर चूना-पत्थर के रासायनिक विश्लेषण का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

कैल्सियम आक्साइड (सीएओ)	: 29..98% से 44.99%
मैग्नेसियम आक्साइड (एमजीओ)	: 4.73% से 15.76%
सिलिकॉन डाई-आक्साइड (एसआईओ)	: 6.23% से 11.6%
एल्यूमिनियम आक्साइड (एएलओ)	: 2.7% तक
ज्वलन में हानि (एलओआई) (लास आन इग्निशन)	: 39.7% तक

(ख) इस क्षेत्र के चूना पत्थर में एमजीओ की अधिक प्रतिशत यानी 3% से अधिक है और यह अत्यन्त हानिकारक घटक है और इसीलिए इसका सीमेंट संयंत्रों में उपयोग नहीं किया जा सकता।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के अंतर्गत दी गई सूचना के कारण प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस क्षेत्र का चूना पत्थर निम्नलिखित विशिष्टियों के अनुरूप बोकारों इस्पात संयंत्र को सप्लाई किया जाता है।

सीएओ	एसआई $ओ_2$	एफई$_2$ $ओ_3$ (फैरिक आक्साइड)	एमजीओ	एएल$_2$ $ओ_2$	एलओआई	आकार
40-42%	7.5-8.5%	1%	8%	2%	40%	(-)80 एमएम से (+)25 एमएम

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

5208. **डॉ० रामविलास वेदान्ती :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों द्वारा राज्यवार वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और उनके लिए राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस समय देश में क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं की स्थिति क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) से (ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन मुख्य रूप से गरीबी की स्थिति, ग्रामीण जनसंख्या और उनकी जनसंख्या के आधार पर मान्यता प्राप्त पर्वतीय राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों जैसे अनुमोदित मानदंड पर आधारित होती है न कि विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर। वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत जारी राज्यवार आंबटन/ रिलीज तथा स्थापित शौचालयों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1996-97 और 1997-98 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित/जारी निधियां और निर्मित पारिवारिक शौचालयों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

		1996-97			1997-98		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन (रुपए लाख में)	रिलीज	निर्मित शौचालयों की संख्या	आवंटन (रुपए लाख में)	रिलीज	निर्मित शौचालयों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	343.000	590.014	91454	642.000	1021.320	136552
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.000	4.000	608	15.000	0.000	216
3.	असम	130.000	11.179	3811	243.000	0.000	1961
4.	बिहार	603.000	16.391	212	1129.000	0.000	31
5.	गोवा	5.000	2.500	2931	9.000	31750	4827
6.	गुजरात	155.000	175.000	29541	290.000	215.000	26758
7.	हरियाणा	56.000	56.000	36137	105.000	52.420	35228
8.	हिमाचल प्रदेश	54.000	27.000	43131	101.000	50.540	16455
9.	जम्मू और कश्मीर	75.000	37.500	8242	140.000	0.000	1613
10.	कर्नाटक	278.000	584.445	151094	520.000	1014.550	157504
11.	केरल	214.000	379.147	19438	401.000	531.470	26424
12.	मध्य प्रदेश	401.000	357.000	36669	751.000	506.860	39697
13.	महाराष्ट्र	439.000	808.985	387332	822.000	1285.380	196421
14.	मणिपुर	16.000	16.000	1210	30.000	15.000	1311

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मेघालय	17.000	8.500	3018	32.000	15.910	1910
16.	मिजोरम	5.000	5.000	400	9.000	4.680	529
17.	नागालैंड	10.000	0.000	0	19.000	0.000	0
18.	उड़ीसा	241.000	127.600	3810	451.000	405.540	6691
19.	पंजाब	57.000	28.500	4488	107.000	0.000	10326
20.	राजस्थान	207.000	166.928	129951	388.000	193.760	121020
21.	सिक्किम	5.000	5.000	1500	9.000	23.130	1084
22.	तमिलनाडु	363.000	297.920	46439	680.000	925.930	44808
23.	त्रिपुरा	26.000	26.000	1369	49.000	48.670	1316
24.	उत्तर प्रदेश	852.000	1097.400	93184	1595.000	2641.990	136218
25.	प. बंगाल	325.000	200.000	117123	608.000	304.210	147072
26.	दादर और नगर हवेली	5.000	2.500	27	5.000	0.000	31
27.	अ०नि० द्वीप समूह	5.000	2.500	3720	5.000	0.000	1962
28.	लक्षद्वीप	5.000	5.000	202	5.000	2.500	40
29.	पांडिचेरी	5.000	5.000	407	5.000	2.500	357
30.	दिल्ली	5.000	0.000	0	5.000	0.000	
31.	दमन और द्वीव	5.000	0.000	17	5.000	2.500	105
32.	चण्डीगढ़	5.000	0.000	0	5.000	0.000	
	कुल	4920.000	5043.009	1217465	9180.000	9267.610	1118467

[हिन्दी]

शारदा नदी पर रेल पुल

5209. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत पड़ने वाली मैलानी पेलिया गोंडा रेल लाइन पर शारदा नदी के ऊपर बने रेल पुल की मियाद काफी पहले ही समाप्त हो चुकी है और इसका प्रयोग असुरक्षित हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार

5210. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली में व्याप्त तथाकथित भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सूचित किए गए भ्रष्टाचार के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विभागीय अथवा सीबीआई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के कुछ मामले दर्ज किए हैं जिनमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी शामिल हैं।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के रिकार्ड के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्मिकों के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार हैं :-

वर्ष	मामलों की संख्या
1995	13
1996	16
1997	19
1998	3

(दिनांक 30.6.98 तक)

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच के मामले, जिनमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्मिक शामिल हैं, इस प्रकार हैं :-

वर्ष	मामलों की संख्या
1995	7
1996	12
1997	7
1998	2

(दिनांक 30.6.98 तक)

(ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किए गए अन्वेषण के परिणामस्वरूप 10 कार्मिकों पर न्यायालयों में अभियोजित किया जा रहा है और 22 कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

केरल को रक्षा भूमि का हस्तांतरण

5211. श्री पी० शंकरन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने के लिए, सैनिक स्कूल त्रिवेन्द्रम के अधीन 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि के हस्तांतरण हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) सैनिक स्कूल, कझाकूटम से केरल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन को 75 एकड़ भूमि के हस्तांतरण पर सिद्धांततः सहमति हो गई है, बशर्ते कि राज्य सरकार उसकी एवज में सैनिक स्कूल को पर्याप्त आर्थिक मुआवजा प्रदान करे।

परामर्शदात्री समितियां

5212. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे परामर्शदात्री समितियां गठित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और जोनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां। प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समितियां और प्रत्येक मंडल पर मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समितियां 1.7.1998 से दो वर्ष की अवधि के लिए गठित की गई हैं।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति में सभी संसद सदस्यों और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा नामित एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है, इसके अलावा, मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समितियों में प्रत्येक केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य के एक नामित व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शटल ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे

5213. **श्री किशन सिंह सांगवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर रेलवे के अंतर्गत रेवाड़ी-दिल्ली, पानीपत-दिल्ली और रोहतक-दिल्ली खंड में चलने वाली शटल रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने का है ताकि यात्रा आरामदायक हो सके;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) 26.07.1998 से 4095/4096 नई दिल्ली-कालका हिमालयन क्वीन में एक द्वितीय श्रेणी कुर्सीयान, 341/342 दिल्ली-फिरोजपुर पैसेंजर और 1 टीआर/2 टीआर और तिलक ब्रिज-रोहतक

शटल, प्रत्येक में एक सामान्य श्रेणी सवारी डिब्बा जोड़ा गया है। दिल्ली- रेवाड़ी और दिल्ली-पानीपत खण्डों पर चल रही शटल गाड़ियों के सवारी डिब्बों में वृद्धि करना परिचालनिक कठिनाईयों/संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यवहारिक नहीं है।

भारत सरकार मुद्रणालय में अधिकारियों की पदावधि

5214. **श्री मोहनुल हसन : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) भारत सरकार मुद्रणालय में किसी अधिकारी की पदावधि कितनी है तथा भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली में कितने अधिकारी अपने पदावधि के समाप्त होने के बाद भी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उसी प्रेस में और उसी स्थान पर किसी अधिकारी को लेटर प्रेस इकाई से फोटोलिथो इकाई में तैनाती को स्थानांतरण माना जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) भारत सरकार मुद्रणालयों में कार्यरत (समूह "क" और "ख") अधिकारियों के लिए कोई विशेष पदावधि निर्धारित नहीं की गई हैं; इसलिए भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली में अधिकारियों द्वारा अपनी पदावधि से अधिक समय तक रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ख) जी, हां। उसी प्रेस में और उसी स्थान पर लेटर प्रेस यूनिट से फोटोलिथो यूनिट में अधिकारी की तैनाती करना, स्थानांतरण माना जाता है।

(ग) लेटर प्रेस यूनिट और फोटोलिथो यूनिट दोनों अलग-अलग यूनिट माने जाते हैं और प्रत्येक यूनिट प्रबंधक द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित होती है, जो मुख्यालय को सीधे रिपोर्ट करता है।

सरकारी मकानों का अस्थायी आवंटन

5215. **श्री बी०एम० मेनसिंकाई : क्या रक्षा मंत्री** सरकारी आवास के अस्थाई आवंटन के संबंध में 11.8.1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2916 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत अस्थाई अधिभोग की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या छह माह की अवधि के लिए अधिभोग इस परिभाषा के अधिकार क्षेत्र में आता है; और

(ग) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में दी गई परिभाषा के अनुसार किसी सरकारी परिसर के संबंध में 'अस्थाई अधिभोग' का तात्पर्य है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश की सरकार अथवा सांविधिक प्राधिकारी के प्राधिकार से किए गए आवंटन से संबंधित किसी आदेश के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा 30 दिन से कम अवधि के लिए (बढ़ाई गई अवधि सहित, यदि कोई हो) कब्जा। तथापि, जो मकान सेना कार्मिकों के उपयोग के लिए हैं यदि उन्हें सिविल कर्मचारियों को आवंटित किया जाता है, तो सेना कार्मिकों को उनके उपयोग की आवश्यकता पड़ने पर उन आवंटनों को निरस्त किया जा सकता है।

कीमती पत्थरों का अवैध खनन

5216. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या इस्पात तथा खान मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या कोडरमा जिले (बिहार) में बहुमूल्य पत्थरों का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है;

(ख) इससे सरकार को राजस्व में होने वाले नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) बिहार राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोदरमा जिले के भीतर ही इन्द्रवा वन क्षेत्र में अर्द्ध-कीमती पत्थरों के अवैध खनन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

इससे राजस्व की हानि का कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया गया है परन्तु अनुमानित हानि काफी है। संबंधित जिला खनन अधिकारी ने अभी तक 11 प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की हैं। वन विभाग ने भी 43 प्रथम सूचना रिपोर्टें दायर की हैं जिनमें 169 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है। जिला वन अधिकारी, स्टेशन हाउस अधिकारी और पुलिस उप अधीक्षक ने पुलिस बल की मदद से जिले में अनेक आकस्मिक छापे मारे हैं। चूंकि संबंधित क्षेत्र, वन क्षेत्र है इसलिए अवैध खनन पर नियंत्रण रखने के लिए वन रक्षकों (गार्ड) की नियुक्ति, खाइयों को भरने और इस क्षेत्र में बाड़ लगाने के उपाय किए गए हैं।

मुंबई में और माटुंगा के बीच नई उपनगरीय रेल सेवा

5217. **डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय को मुंबई में सायन और माटुंगा के बीच नई उपनगरीय रेल सेवा शुरू करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। मुंबई में सिओन और माटुंगा के बीच एक नई उपनगरीय रेलवे लाइन के सृजन हेतु रेल मंत्रालय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रानीखेत एक्सप्रेस में वातानुकूलित 3-टियर सुविधा

5218. **श्री डी०एस० अहिरे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रानीखेत एक्सप्रेस में वातानुकूलित 3-टियर सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 5013/5014 रानीखेत एक्सप्रेस में वातानुकूल 3-टियर शयन की व्यवस्था करना फिलहाल तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि यह गाड़ी निर्वात ब्रेक वाले ब्रेक के साथ चल रही है जबकि वातानुकूल 3-टियर शयनयान में वात ब्रेक वाली प्रणाली लगी है।

[हिन्दी]

भारत अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा बी.आई.एस. प्रणाली द्वारा चूने का परीक्षण

5219. **श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा द्वारा बी.आई.एस. प्रणाली के माध्यम से चूना उद्योगों से सप्लाई किए गए चूने का परीक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो भारत अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने 1998 के दौरान बी.आई.एस. (आई.एस.आई.) परीक्षण प्रणाली को कब छोड़ दिया था;

(ग) क्या बी.आई.एस. परीक्षण प्रणाली ने सर्वमंगला चूना उद्योग और विजय चूना उद्योग से चूने को घटिया किस्म का पाया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चूने को घटिया पाने के बाद आई.एस.आई. (बी.आई.एस.) प्रणाली का वर्ष 1998 में परिवर्तन कर दिया था; और

(च) यदि हां, तो किसके आदेश से उक्त परीक्षण प्रणाली में परिवर्तन किया गया था ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, नहीं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बालको) एल्यूमिना संयंत्र हेतु चूना नमूनों का विश्लेषण हंगेरियाई प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सिफारिश की गई प्रणाली से अपनी प्रयोगशाला में कर रहा है।

(ख) कंपनी ने मई, 1998 में अल्पावधि के लिए प्रयोगात्मक आधार पर पहली बार बीआईएल प्रणाली से चूने का परीक्षण किया था और कंपनी ने इन परीक्षणों से प्राप्त परिणामों को विश्वसनीय नहीं पाया। इसके पश्चात प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार बालको की प्रयोगशाला में विश्लेषण कार्य पुनः आरम्भ किया गया।

(ग) से (च) मैसर्स विजय लाईम इंडस्ट्रीज (सहायक उद्योग) द्वारा आपूर्ति किए गए 16 ट्रकों और मैसर्स सर्वमंगल लाईम इंडस्ट्रीज (सहायक उद्योग को छोड़कर) द्वारा आपूर्ति किए गए 15 ट्रकों में से क्रमशः 4 और 3 ट्रकों को हंगेरियन प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सिफारिश की गई प्रणाली से बालको की प्रयोगशाला में परीक्षण करने के बाद अस्वीकृत कर दिया गया।

[अनुवाद]

"नाल्को" में खराबी

5220. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के "नाल्को" एल्यूमिनियम संयंत्र में बड़ी खराबी के कारण उत्पादन तथा गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिस्पर्धियों द्वारा तोड़फोड़ किये जाने की कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ग) क्या एल्यूमिनियम पर पुनः आयात शुल्क बढ़ाई गई है जिससे देश में इस धातु की भारी कमी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सामान्य बनाने तथा तोड़फोड़ के लिए अपराधियों को दंड देने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां। जून 1998 के अन्त तक नालको के प्रगालक में प्रचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण उत्पादन में आई कुल गिरावट 16639 टन है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1998-99 के बजट में एल्यूमिनियम पर "एक्रॉस द बोर्ड" 4 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया गया है। तथापि, एल्यूमिनियम स्क्रैप तथा पछोड़न पर मूल शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। देश में एल्यूमिनियम की भारी कमी नहीं है।

(घ) सरकार ने नालको के प्रगालक की पॉटलाइन में अस्थिरता तथा खराबी के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति का गठन किया है।

पनधारा विकास योजना

5221. **श्री चमन लाल गुप्त :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरुस्थल विकास अभिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा जम्मू और कश्मीर के लेह और कारगिल जिलों में वर्ष 1994 के दिशा-

निर्देशों के अनुरूप पनधारा विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यही योजना डोडा तथा ऊधमपुर के जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत नए दिशा-निर्देशों पर ध्यान दिए बिना क्रियान्वित की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त जिलों के गैर सरकारी संगठनों द्वारा सरकार से इन योजनाओं को नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वित किए जाने का अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबगौडा पाटील) : (क) जी, हां। मरूभूमि विकास कार्यक्रम 1-4-95 से लागू वाटरशेड विकास के नए दिशा निर्देशों के अनुसार मरूभूमि विकास एजेंसियों द्वारा लेह तथा कारगिल जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) डोडा तथा ऊधमपुर जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम पुराने दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) गैर सरकारी संगठनों को कमजोर व्यवस्था तथा व्याप्त परिदृश्य को देखते हुए इन जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम पुराने दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) जी, हां। उक्त जिलों के गैर सरकारी संगठनों ने नए दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार से सम्पर्क किया है।

(ङ) इन गैर सरकारी संगठनों के अनुरोध पर इन जिलों में नए दिशा-निर्देशों के लागू होते ही संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा विचार किया जाएगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रोस्टर प्वाइंट रखना

5222. श्री अर्जुन सेठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के लिए अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के लिए रोस्टर प्वाइंट रखा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। पद आधारित आरक्षण रोस्टर 2.7.1997 से शुरू किया गया। इससे पूर्व सीधी भर्ती के संबंध में समूह "क" और "ख" के लिए 120 प्वाइंट रोस्टर तथा समूह "ग" और "घ" के लिए 100 प्वाइंट रोस्टर का पालन किया जाता था। पदोन्नतियों के लिए सभी समूहों के लिए 40 प्वाइंट रोस्टर का पालन किया जाता था।

[हिन्दी]

"सेल" के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

5223. प्रो. रीता वर्मा :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सेल" के विभिन्न एककों के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज किए गए, और ये मामले किस प्रकार के हैं;

(ख) कितने अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई है; और

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) वर्ष 1997 और 1998 (जून, 1998 तक) में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) की विभिन्न इकाइयों के कार्यपालकों के विरुद्ध शुरू किए गए सतर्कता मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	संख्या
1997	49
1998 (जून, 98 तक)	25

कार्यपालकों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में अन्य बातों के साथ-साथ खरीददारी में अनियमितताएं ठेके देने/निष्पादित करने में अनियमितताएं, इस्पात सामग्रियों की बिक्री में ग्राहकों के साथ पक्षपात, कम्पनी द्वारा दी गई अग्रिम धनराशि का दुरुपयोग, यात्रा भत्ते का दुरुपयोग और रिश्वत लेना आदि शामिल हैं;

(ख) जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच (नियमित विभागीय कार्रवाई) की गई है, उनकी संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	संख्या
1997	71
1998 (जून, 98 तक)	39

(ग) नियमित विभागीय कार्रवाई के फलस्वरूप, जिन कार्यपालकों को 1997 और 1998 (जून, 198 तक) के दौरान बड़ा/छोटा शास्ति/दण्ड दिया गया था, उनकी संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	संख्या
1997	47
1998 (जून, 98 तक)	10

[अनुवाद]

जौरावर नगर-सायल रेल लाइन को पुनः चालू करना

5224. श्रीमती भावना कर्दम दवे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे के राजकोट खंड के ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक स्थल होने की वजह से जोरावरनगर-सायला छोटी रेल लाइन को पुनः चालू करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) जोरावनगर-सायाला (26 कि.मी.) छोटी लाइन 1988 में बंद कर दी गई थी क्योंकि यह घाटे में चल रही थी और पूर्णतः अलाभप्रद थी। यात्रियों की संख्या घट रही थी और वहां कोई माल यातायात नहीं था। यह इस कारण से था कि गाड़ी में एक घंटा पचपन मिनट लगते थे जबकि सड़क द्वारा यात्रा समय केवल 40 मिनट था और सड़क द्वारा यात्रा भी सस्ती थी। यही स्थिति बनी हुई है, इसलिए इस लाइन की बहाली के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

इण्डियन एयरलाइन्स के बिलों में त्रुटियां

5225. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री चंदू लाल अजमीरा :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :
श्री वी०वी० राघवन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जून, 1998 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार "बिजनेस विद आई ए" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस के प्रबन्धक वर्ग द्वारा मामले की छानबीन कर ली गयी है और यह पाया गया है कि सभी मामलों में सही धन-राशि वसूल की गयी है और इस प्रकार कम राशि का कोई बिल नहीं था जिससे इंडियन एयरलाइंस को कोई हानि हो।

बाड़मेर में चौकीदारयुक्त रेलवे फाटक

5226. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के बाड़मेर जिले में चौकीदार युक्त फाटक बनाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और क्या सरकार ने चौकीदार युक्त रेलवे फाटकों के व्यय को वहन करने के लिए राज्य सरकार की सहमति मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) *: (क) जी, हां।*

(ख) से (घ) बाड़मेर जिले में उन स्थानों का ब्यौरा जहां समपारों की मांग की गई है, निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	स्थान
1.	बालोतरा-जनीयाना के बीच 737/2-3(736/12-13) कि. मी. पर समपार की व्यवस्था।
2.	बेयटू-भीमाखिन के बीच 784/11-12 कि.मी. पर समपार।
3.	रामसर-गडरा रोड़ के बीच 890/6-7 कि.मी. पर "घ" श्रेणी के मवेशी समपार सं० 337 का उन्नयन।
4.	जस्सी-भचभार के बीच 854/2-3 कि.मी. पर चौकीदार वाला समपार।

राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित नए चौकीदार वाले समपार की व्यवस्था संरक्षा की दृष्टि से व्यवहार्यता और "निक्षेप" शर्तों के आधार पर की जा सकती है अर्थात् इसके लिए अनुरोध करने वाले प्राधिकरण को समूची लागतों, प्रारम्भिक पूंजी तथा वार्षिक आवर्ती अनुरक्षण लागत वहन करनी होगी। रेलवे को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव न तो राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है और न ही स्थानीय निकाय से। जैसे ही इसके लिए प्रस्ताव प्रायोजित किए जाएंगे, रेलवे द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

राजनैतिक दलों के कर्मचारियों को आवास आवंटन

5227. **श्री देवी बक्स सिंह :**
डॉ० रमेश चन्द तोमर :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजनैतिक संसदीय दलों के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को आवास आवंटन के संबंध में मार्ग निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के एक वर्ष बाद भी पहले से स्वीकृत आवास आवंटित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 23.12.96 के अपने फैसले में, रिट याचिका (सिविल) सं० 585/94, निर्देश दिया था कि राजनैतिक दलों को सरकारी आवास आवंटन के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए जाएं और सरकार आवंटन किए जाने वाले यूनिटों की संख्या के बारे में लोक सभा अध्यक्ष एवं राज्य सभा के उप सभापति द्वारा दी जाने वाली सलाह का अनुपालन

करें। लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय के साथ परामर्श से संशोधित दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

भारत-चीन विवाद

5228. श्री पी० शिव शंकर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन संयुक्त कार्य दल 8 और 9 जून, 1998 को हुई अपनी बैठक में वार्ताओं को आगे बढ़ाने में विफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के संक्षिप्त निष्कर्ष क्या रहे और अगली बैठक के लिए यदि कोई तिथि निर्धारित की गई हो, तो वह क्या है;

(ग) क्या भारत-चीन सीमा पर तनाव को कम करने की बजाए, चीनी सरकार भारत को घेरने के लिए बर्मा और अन्य पड़ोसी देशों में अपनी गतिविधियां बढ़ा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारत तथा चीन और बर्मा से लगी सीमाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल की 8 और 9 जून, 1998 को कोई बैठक नहीं हुई। तथापि, राजनयिक और सैन्य अधिकारियों के भारत-चीन विशेषज्ञ दल की एक बैठक 8 और 9 जून, 1998 को हुई थी। यह कार्यकारी स्तर पर की गई एक कार्यात्मक बैठक थी जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की नवीनतम स्थिति और आपसी हितों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था। इस बैठक में मुद्दों पर विशेषज्ञ दल के आदेश के तहत बातचीत में कोई प्रगति नहीं हो सकी।

2. विशेषज्ञ दल या संयुक्त कार्यकारी दल की अगली बैठक के संबंध में अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है।

3. सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन ने म्यांमार (बर्मा) तथा पाकिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देशों के साथ निरंतर सैन्य सहयोग बढ़ाया है। पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र और परमाणु कार्यक्रमों में चीन का सहयोग सर्वविदित है।

4. हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर निरंतर नजर रखी जाती है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए हमारी रक्षा तैयारियां बनाए रखने के वास्ते समुचित उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

दल्लीराजहरा लौह अयस्क खान के संबंध में त्रिपक्षीय समझौता

5229. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र की दल्लीराजहरा लौह अयस्क खान के संबंध में कोई त्रिपक्षीय समझौता किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितने श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की दल्लीराजहरा लौह अयस्क खानों के प्रबन्धन और छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ (सी.एम.एस.एस. यूनियन) के बीच 14.11.1995 को सहायक श्रम आयुक्त, (सेन्ट्रल), रायपुर की उपस्थिति में अन्य बातों के साथ-साथ ठेके पर काम करने वालों के विभागीकरण हेतु मानदण्ड निर्धारित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस समझौते के तहत उजरती दर पर काम करने वाले 3025 संविदा मजदूरों को विभागीय श्रमिकों के रूप में मानते हुए लाभान्वित किया गया था।

[अनुवाद]

दिल्ली में फार्म हाउस

5230. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में फार्म हाउसों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस संबंध में ऐसा कोई कानून है जिसमें उनके अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान हो;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में 1599 फार्म हाउस हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान कानून में फार्म हाउसों के पंजीयन का प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

टाटा-सिंगापुर एयरलाइंस

5231. श्री दत्ता मेघे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स "टाटा-सिंगापुर एयरलाइंस" को हवाई सेवा संचालित करने की अनुमति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) इस समय, विमान परिवहन सेवाओं के प्रचालनार्थ "मै० टाटा-सिंगापुर एयरलाइंस" को अनुमति प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

म्यूनिसिपल बांड

5232. श्री आनंद रत्न मौर्य :
श्री गुरुदास कामत :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नगरों के विकास हेतु संसाधन जुटाने के लिए कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि योजना आयोग को अभी प्रस्ताव पर अपनी सहमति देनी है। योजना आयोग की सहमति के उपरांत, वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस मंत्रालय द्वारा, कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड जारी करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

अतः इस समय प्रस्ताव की मुख्य बातों के संबंध में सूचना देना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

सार्क देशों की राजधानियों के लिए सीधी उड़ानें

5233. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव दिल्ली और सार्क देशों की राजधानियों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यरूप दे दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) दिल्ली को इस्लामाबाद और माले को छोड़कर सभी दक्षेस राजधानियों से पहले ही जोड़ दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच विमान सेवा करार में अनुसूचित मार्ग पर भारतीय वाहकों के लिए अवतरण स्थल के रूप में अभी इस्लामाबाद उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच यात्रियों की संख्या भी इतनी नहीं है कि प्रचालनात्मक लागत को भी पूरा किया जा सके। जहां तक माले का संबंध है, दिल्ली से त्रिवेन्द्रम तक इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें माले के लिए आगे सुविधाजनक संपर्क की व्यवस्था करती हैं।

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट काउन्टर

5234. श्री नरेश पुगलीया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर टिकट और प्लेटफार्म टिकट खरीदने के लिए काउन्टर अपर्याप्त हैं जिसके परिणामस्वरूप जनता को असुविधा होती है;

(ख) क्या सरकार ने कभी स्थिति का आकलन किया और पर्याप्त संख्या में काउन्टर खोलने के लिए ठोस कदम उठाए हैं जिससे जनता को अनुचित परेशानी न हो;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी भी मार्ग/गंतव्य-स्थान के लिए टिकट किसी भी काउन्टर से खरीदा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप वे यात्री टिकट नहीं खरीद पाते जिनकी गाड़ी पहले चलती है क्योंकि काउन्टर पर उनके आगे वे यात्री होते हैं जिनकी गाड़ी बाद में चलती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट सहित टिकट जारी करने की मौजूदा व्यवस्था यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

(ख) और (ग) जी, हां। ग्रीष्म, पूजा और शीतकालीन अवधि जैसी अप्रत्याशित भीड़-भाड़ के दौरान, अतिरिक्त भीड़-भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले जाते हैं।

(घ) सभी काउंटरों से टिकट जारी करने से यात्रियों को राहत मिलती है और लम्बी कतारों से बच जाते हैं।

(ङ) यातायात मांग के अनुसार भीड़-भाड़ अवधि के दौरान काउंटरों की संख्या बढ़ा दी जाती है।

[हिन्दी]

पनधारा विकास योजनाएं

5235. श्री अजीत जोगी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पनधारा विकास योजनाओं को किन-किन राज्यों में क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं के अंतर्गत क्या उपलब्धियां रहीं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) बंजरभूमि विकास विभाग वर्ष 1995-96 से 13 राज्यों में पनधारा (वाटरशेड) आधार पर वनेतर बंजरभूमि को विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 27 समेकित बंजरभूमि विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा 1995-96 और 1996-97 की अवधि के दौरान और 25,723 हेक्टेयर बंजरभूमि के विकास के

लिए 1028.90 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	1995-96 और 1996-97 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	विकसित किए जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	233.13	5828
2.	बिहार	6.00	150
3.	गुजरात	4.87	122
4.	हरियाणा	14.50	363
5.	केरल	60.48	1512
6.	मध्य प्रदेश	69.79	1745
7.	नागालैंड	117.00	2925
8.	उड़ीसा	16.18	405
9.	पंजाब	3.30	83
10.	राजस्थान	8.00	200
11.	सिक्किम	20.82	520
12.	तमिलनाडु	2.89	72
13.	उत्तर प्रदेश	471.94	11798
	कुल	1028.90	25723

[अनुवाद]

दिल्ली से गोवा/मुंबई के लिए इंडियन एयरलाइंस की शाम की उड़ानें

5236. श्री फ्रांसिस्को सारदीना :
श्री रवि सीताराम नायक :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली से गोवा अथवा बरास्ता मुम्बई-दिल्ली से गोवा के लिए इंडियन एयरलाइंस की शाम की उड़ानें आरंभ करने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली तथा मुम्बई में शाम के समय अतिरिक्त विमान क्षमता अनुपलब्ध होने के कारण, इंडियन एयरलाइंस दिल्ली से गोवा अथवा दिल्ली से गोवा वाया मुम्बई के लिए सायंकालीन उड़ाने प्रचालित करने के संबंध में विचार नहीं कर रही है।

मुम्बई में जेट एयरवेज के विमान का फिसलना

5237. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री डी.एस. अहिरे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेट एयरवेज का बोइंग 737 विमान 25 जून, 1998 को मुम्बई के सहारा एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर फिसल गया तथा 29 मई, 1998 को उसी हवाई पट्टी पर इंदौर की उड़ान के लिए तैयार जेट एयरवेज का बोइंग 735 विमान फिसला था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन दोनों घटनाओं की अब तक कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) घटनाओं की जांच-पड़ताल की जा रही है।

एयर इंडिया द्वारा मुफ्त टिकटें

5238. श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर इंडिया ने चिकित्सा के लिए अमरीका गये भारतीय नागरिकों को पचास मुफ्त टिकट दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की मुफ्त टिकटें देने के लिए कोई दिशा-निर्देश विद्यमान हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एयर इंडिया द्वारा घोषित योजना में यह व्यवस्था है कि ऐसे निःशुल्क टिकट किसी भारतीय अस्पताल या अग्रणी चिकित्सक/शल्य चिकित्सक द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर दिये जाएंगे कि रोगी के इलाज हेतु अपेक्षित सुविधा भारत में उपलब्ध नहीं है और यह भी कि रोगी यात्रा खर्च करने में सक्षम नहीं है।

[हिन्दी]

निजी एयरलाइनों द्वारा विमानों एवं हेलीकाप्टरों की खरीद

5239. डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एयरलाइनों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें विमानों और हेलीकॉप्टरों की खरीद हेतु सरकार का अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विमानों और हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार, विमान के प्रकार और आकार के चुनाव का विकल्प ऑपरेटरों पर छोड़ दिया गया है। विमान के आयात/प्राप्ति की अनुमति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। 25 जून, 1998 को 12 बड़े और 13 छोटे विमानों तथा 5 हेलीकॉप्टरों के आयात के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में संकरी लाइन आमान परिवर्तन

5240. श्री अमर पाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आमान परिवर्तन की जा रही छोटी रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) सरकार का इन परियोजनाओं को कब तक पूरा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में कोई छोटी लाइन नहीं है। बहरहाल, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित आमान परिवर्तन कार्य प्रगति पर हैं :-

परियोजना का नाम	प्रगति और लक्ष्य
1	2
1. मथुरा-अछनेरा	इस कार्य को पहले निर्माण-स्वामित्व-पट्टा-हस्तांतरण (बोल्ट) योजना के अंतर्गत किए जाने की योजना थी। बहरहाल, उच्च दरों और अस्वीकार्य शर्तों के कारण इस कार्य को रेलवे के धन से करने का विनिश्चय किया गया है। इस कार्य को कानपुर-कासगंज- मथुरा लाइन के साथ-साथ करने और आगामी वर्षों में पूरा करने की योजना है।
2. खड्डा-गोरखपुर	इस कार्य पर अच्छी प्रगति चल रही है और 1998-99 में बाल्मीकिनगर-नरकटियांज और खड्डा-बाल्मीकिनगर के साथ पूरा किया जाएगा। कार्य पूरा करने के लिए पूरे धन की व्यवस्था की गई है।
3. काशीपुर-लालकुआं	यह कार्य प्रगति पर है। 86% मिट्टी संबंधी कार्य और 104 में से 52 छोटे पुल पूरे हो चुके हैं। सभी 13 बड़े पुलों के लिए एजेंसी निर्धारित कर दी गई हैं। इन निधियों से पूरी लाइन में मिट्टी संबंधी कार्य और पुल पूरे किए जाएंगे। यह कार्य 9वीं योजना में पूरा किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
4. कानपुर-कासगंज-मथुरा	पूरे खण्ड पर मिट्टी और छोटे पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। 12.20 लाख घन मीटर में से 3.20 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना पर कार्य करने के लिए 1998-99 में 35 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह कार्य लगभग 5 वर्ष में पूरा किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
5. गोंडा-बहराइच	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह कार्य शुरू किया जाएगा।
6. गोंडा-गोरखपुर	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह कार्य शुरू किया जाएगा।
7. इंदारा-फेफना	एक बड़े पुल को छोड़कर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। इस खण्ड को दिसम्बर, 1999 तक पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। रेलपथ की व्यवस्था 1999-2000 में की जाएगी।
8. आगरा-बांदीकुई	इस कार्य को पहले निर्माण-स्वामित्व-पट्टा-हस्तांतरण (बोल्ट) योजना के अंतर्गत किए जाने की योजना थी परंतु विभिन्न पार्टियों द्वारा उच्च दरें और अस्वीकार्य शर्तें पेश किए जाने के कारण इसे सौंपा नहीं जा सका। इससे परियोजना में विलंब हुआ है। अब इस कार्य को रेलवे के धन से करने का प्रस्ताव है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह कार्य 9वीं योजना में पूरा किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

प्लैटिनम पासों को रद्द किया जाना

5241. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री अशोक अर्गल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेल प्लेटिनम पासों को जारी करने की पद्धति को रद्द कर दिया है, जैसा कि 14 मई, 1998 के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री *तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)* : (क) जी हां।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा प्लेटिनम पास की योजना भेदभावपूर्ण बताई गई थी।

(ग) निर्णय के अनुपालन में योजना समाप्त कर दी गई है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की अप्रयुक्त भूमि

5242. श्री चंदू लाल अजमीरा :
श्री के० येरननायडू :

क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की कुल कितनी भूमि अप्रयुक्त है;

(ख) क्या इस अप्रयुक्त भूमि को आंध्र प्रदेश सरकार को लौटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) प्रतीयमानतः अप्रयुक्त पड़ी भूमि वास्तव में विभिन्न प्रयोजनों जैसे विस्तार तथा निर्धारित हरित पट्टी का विकास करने के लिए, भावी उपयोग हेतु निर्धारित है। इस प्रकार कोई भूमि अप्रयुक्त नहीं पड़ी हुई है।

(ख) से (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध के आधार पर और राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के परामर्श से गंगावरम में एक लघु पत्तन का विकास करने के प्रयोजन से 1100 एकड़ भूमि हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है। यह कतिपय शर्तों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ "भूमि के बदले भूमि" आधार पर आर.आई.एन.एल. को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराना भी शामिल है, की शर्त पर है।

आर्मी सर्विसेस कार्प्स में बजट की कमी

5243. श्री ए०सी० जोस : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा बलों को आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य पदार्थों से राजसहायता वापस लिए जाने के सरकार के निर्णय के फलस्वरूप आर्मी सर्विसेस कार्प्स में बजट की भारी कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो राजसहायता को समाप्त किए जाने से रक्षा बलों पर किस हद तक प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) वे अन्य मदें, यदि कोई हों तो, क्या हैं जिनसे रक्षा बलों को दी जाने वाली राजसहायता समाप्त कर दी गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप, रक्षा मंत्रालय को वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर 99. *28 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा।*

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हुआ लाभ

5244. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना लाभ और हानि हुई, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कितना लाभ प्राप्त हुआ और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसके गठन से अर्थात् 1995-96 से लाभ कमा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अर्जित लाभ के वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कर-पूर्व लाभ	कर-पश्चात् निवल आय
1995-96	276.05	145.16
1996-97	245.70	132.09
1997-98	308.53•	193.33•

•अनंतिम

(ख) मुख्य शीर्ष जिनके अंतर्गत लाभार्जन किया जाता है, वे हैं यातायात राजस्व तथा गैर-यातायात राजस्व प्रत्येक शीर्ष के अधीन अर्जित राजस्व का उल्लेख वर्ष-वार नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपयों में)

कार्यकलाप	95-96	96-97	97-98•
यातायात राजस्व	608.58	717.28	746.99
गैर यातायात राजस्व	394.75	424.84	537.71

•अनंतिम

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कर्मचारियों की संख्या 1995-96 में 18778, 1996-97 में 18793 तथा 1997-98 में 20708 थी।

समूह "ख" अधिकारियों के वेतनमान

5245. **श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या रेलवे के सभी समूह "ख" के अधिकारियों को समान वेतन मिल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लेखा विभाग के समूह "ख" के अधिकारियों के वेतनमान संशोधित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात भारतीय रेलों के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत समूह "ख" के अधिकारियों को निम्नलिखित संशोधित वेतनमानों में रखा गया है :-

1. 7500-12000 रुपए (2375-3750 रुपए का पूर्व संशोधित वेतनमान)
2. 6500-10500 रुपए (2000-3500 रुपए का पूर्व संशोधित वेतनमान
3. 8000-13500 रुपए (2200-4000 रुपए का पूर्व संशोधित वेतनमान)

7500-12000 रुपए का वेतनमान क्षेत्रीय रेलों ओर अन्य फील्ड कार्यालयों में अधिकांश समूह "ख" अधिकारियों को आवंटित किया गया है। यह ग्रेड 2375-3750 रुपए के पूर्व संशोधित ग्रेड के स्थान पर है जो केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा इस निर्णय के आधार पर कि यह क्षेत्रीय रेलों और अन्य फील्ड कार्यालयों में परिचालित 2375-3500 रुपए के समूह "ग" शीर्ष वेतनमान से कम हैं; 2000-3500 रुपए के पूर्ववर्ती ग्रेड के सुधार के रूप में आवंटित किया गया है।

बहरहाल रेलवे बोर्ड कार्यालय जो एक मंत्रालय है, में कार्यरत समूह "ख" अधिकारी और मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालयों तथा अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन में कार्यरत समूह "ख" अधिकारियों को सरकार के सभी अन्य मंत्रालयों में समूह "ख" के अधिकारियों की भांति 6500-10500 रुपये का संशोधित वेतनमान आबंटित किया गया है।

चूंकि रेलों में लेखा विभाग का स्वरूप अन्य संगठित लेखा परीक्षा और लेखा संवर्गों की संरचनाओं के अनुसार है। अत: लेखा विभाग में समूह "ख" के अधिकारियों के एक वर्ग को अन्य संगठित लेखापरीक्षा और लेखा संवर्गों में मौजूद सदृश वेतनमान के आधार पर 8000-13500 रुपए का संशोधित वेतनमान आवंटित किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में लेखा विभाग में 80% समूह "ख" अधिकारियों को 8000-13500 रुपए के संशोधित वेतनमान में रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इस ग्रेड का आवंटन 7500-12000 रुपए के ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा पूरा करने पर अनुदेय होगा।

[अनुवाद]

यात्री देखभाल/सेवा संस्थान

5246. **श्री जी० गंगा रेड्डी :**
श्री मोहन रावले :
श्री के०एस० राव :
डॉ० सुगुण कुमारी चलामेला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक रेलवे जोन के अंतर्गत यात्री देखभाल/सेवा संस्थान खोलने का प्रस्ताव है जिससे रेल कर्मचारियों, विशेषकर जनता से सीधे सम्पर्क में आने वाले कर्मचारियों को "सहर्ष सेवा" का उद्देश्य समझाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल प्राधिकारियों ने इस संबंध में विभिन्न प्रबंधन, संस्थाओं, जनसंपर्क संस्थाओं और विशेषज्ञों से सलाह मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(घ) उक्त संस्थानों को खोलने में कितनी राशि व्यय होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) आम जनता के संपर्क में अनेवाले कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन करने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे में 77 लाख रुपए की अनुमानित लागत से कस्टमर केयर इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का विनिश्चय किया गया है। फिलहाल, ऐसे और संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संस्थान के विचारार्थ विषयों का निर्धारण करने के लिए प्रबंध संस्थानों और विश्वविद्यालयों आदि के विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों हेतु भूखंड

5247. **श्री अमर राय प्रधान : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के भवन का निर्माण करने के लिए निर्धारित भूखंड भूमि और विकास कार्यालय द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को अभी तक नहीं सौंपे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये भूखंड कब तक सौंपे जाएंगे ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नांकित कारणों से दिल्ली

में सीजीएचएस डिस्पेंसरी निर्माण के लिए 4 प्लाटों का स्वामित्व केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम को नहीं दिया गया/लिया गया है :

1. प्लाट से अवैध कब्जा न हटाने के कारण।
2. किश्तों तथा ब्याज की शेष राशि अदा न होना।
3. प्लाट के कोने में कूड़ाघर होने के कारण।
4. आबंटी से प्रत्युत्तर के अभाव में।

(ग) आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् प्लाटों का कब्जा दिया जाएगा।

होसपेट-सीतिमानी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

5248. **श्री एच०जी० रामुलू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होसपेट और सीतिमानी के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

एम.एम.आर.डी अधिनियम में पहली अनुसूची का जोड़ा जाना

5249. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.एम.आर.डी. अधिनियम की पहली अनसूची के भाग क और ग में उल्लिखित खनिजों के संबंध में राज्यों को खनिज संबंधी रियायतें प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्रदान करने में सामान्यतः बहुत समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए लंबित मामलों की राज्यवार संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) खनिज रियायतें, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारें द्वारा प्रदान की जाती हैं। उपरोक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के लिए खनिज रियायतों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं और केन्द्र सरकार द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार इन पर कार्रवाई करके इनका निपटान किया जाता है।

1997-98 के दौरान खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ग से संबंधित 362 मामलों का निपटान किया गया। 1.6.1998 की स्थिति के अनुसार इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ग से संबंधित 128 मामले केंद्र सरकार के पास लम्बित हैं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग क और ग में निहित खनिजों की सूची के बारे में केन्द्र सरकार के अनुमोदन *के लिए लम्बित मामलों की सूची क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दी गई है।*

कुछ मामलों में राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्ताव अपूर्ण होते हैं, इसलिए ऐसे मामलों का समाधान किए जाने के लिए पूर्ण सूचना/अतिरिक्त सूचना भेजने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है। तथापि, बाकी बचे प्रस्तावों को यथाशीघ्र मंजूरी देने हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-I

राज्य	1.6.1998 की स्थिति के अनुसार लम्बित मामले
उड़ीसा	1
राजस्थान	1
कुल	2

विवरण-II

राज्य	1.6.1998 की स्थिति के अनुसार लम्बित मामले
आंध्र प्रदेश	19
बिहार	7
गुजरात	14
हिमाचल प्रदेश	4
कर्नाटक	16
मध्य प्रदेश	14
उड़ीसा	26
राजस्थान	15
तमिलनाडु	11
उत्तर प्रदेश	2
कुल	128

दिल्ली विकास प्राधिकरण में पदोन्नति

5250. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में मैट्रिक पास और गैर-अभियंताओं को सहायक अभियंता और कार्यकारी अभियंता के पदों पर पदोन्नत किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या औचित्य है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। डीडीए ने सूचित किया है कि 7 सहायक इंजीनियर (सिविल) ऐसे हैं, जिनके पास सर्वेक्षण में डिप्लोमा है। तथापि, डीडीए में ऐसा कोई कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) कार्यरत नहीं है। भर्ती विनियमों के अनुसार, सहायक इंजीनियर (सिविल) के 50% पद, सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा 50% पद, कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। 8 वर्षों की सेवा वाले कनिष्ठ इंजीनियर, जिनके पास डिप्लोमा हो, सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं। इन 7 कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल), जिनके पास सर्वेक्षण में डिप्लोमा है, 1977-82 के मध्य विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार कर, इनकी सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई थी।

गुजरात में लंबित रेल परियोजनाएं

5251. श्री गोरधन भाई जादवभाई जावीया :
श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे से संबंधित कुछ परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास अनुमोदनार्थ लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बडोदरा, राजकोट, भावनगर, रतलाम और अजमेर के संबंधित मंडलीय रेल प्रबंधकों ने किन-किन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन का अनुरोध किया है;

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक गुजरात में बिछायी गई नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इन पर कितना व्यय किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) पालनपुर-गांधीधाम-कांडला पोर्ट (313 कि.मी.) के आमान परिवर्तन को 1998-99 के बजट में शामिल किया गया है और स्वीकृति की प्रतीक्षा है। परियोजना की अनुमानित लागत 318 करोड़ रुपये है।

(ग) रेलों की योजना प्रक्रिया में मंडल स्तर पर प्रस्तावों को तैयार करना शामिल है। क्षेत्रीय रेलों द्वारा संवीक्षा के बाद, इन प्रस्तावों को रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है। रेलवे बोर्ड, रेलवे की संसाधन तंगियों तथा परियोजनाओं की सापेक्ष प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव को बजट में शामिल करने के लिए कार्रवाई करता है।

(घ) योजना आयोग और आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों से आज तक गुजरात में कोई नई रेल लाइन नहीं बिछायी गई है;

(च) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे द्वारा स्मार्ट कार्ड की शुरुआत

5252. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मासिक टिकट के लिए ''स्मार्ट कार्ड'' शुरू करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। फिलहाल, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मंदोर एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

5253. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 मार्च, 1998 को अलवर जिले में हरसोली तथा अजरका स्टेशनों के बीच जोधपुर जाने वाली मंदोर एक्सप्रेस के सत्रह डिब्बे पटरी से उतर गए;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त घटना की जांच कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) जी हां। दुर्घटना की जांच वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जा रही है तथा जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) जांच रिपोर्ट के पूरा हो/जाने के बाद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

निजी विकासकर्ताओं को डीडीए की भूमि

5254. श्री चिन्ता मोहन :
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री वी०वी० राघवन :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीडीए भूमि के विकास का कार्य निजी क्षेत्र को देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के इस निर्णय से डीडीए के हजारों कर्मचारी बेकार हो जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बिहार जाने वाली रेलगाड़ियों में भीड़

5255. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सुपरफास्ट और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों में कमी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सैकड़ों यात्रियों को प्रतिदिन दिल्ली से बिहार जाने वाली रेलगाड़ियों में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थायी रूप से इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली से बिहार जाने वाली गाड़ियों में कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में रहते हैं।

(ग) इसके अलावा चालू वर्ष में दिल्ली और मुजफ्फरपुर के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली गाड़ी चलाई गई है तथा सवारी डिब्बों की उपलब्धता, परिचालनिक व्यवहार्यता तथा यातायात के औचित्य के आधार पर मौजूदा गाड़ियों में डिब्बों को भी बढ़ाया जा रहा है।

[हिन्दी]

रेल अधिकारियों के लिए विदेशों में प्रशिक्षण

5256. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में काम करने वाले अधिकारियों के लिए विदेशों में प्रशिक्षण देने/अध्ययन के लिए भेजने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इनके चयन के लिए मानदण्ड क्या हैं;

(ग) अप्रैल, 1996 में चिकित्सा विभाग, पश्चिम रेलवे के कितने डाक्टरों को "हास्पिटल बिजनेस मैनेजमेंट" पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए आस्ट्रेलिया भेजा गया;

(घ) क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अधिकारियों के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में काम करना अनिवार्य है;

(ङ) यदि हां, तो उन्हें कितनी अवधि तक वहां काम करना पड़ता है;

(च) क्या इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाता है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) डोनर एजेंसियों द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले या परियोजना/मशीन/उपस्कर से संबंधित कार्यकलापों में संलिप्त उपयुक्त अधिकारियों को उनकी उपयुक्तता एवं वरिष्ठता के आधार पर नामित किया जाता है और पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिकारियों के कार्य निष्पादन के आधार पर लाभ दिया जाता है।

(ग) दो।

(घ) जी नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

परामर्शदात्री समितियां

5257. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा गठित विभिन्न परामर्शदात्री तथा अन्य समितियों को समाप्त किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो समाप्त किए जाने हेतु प्रस्तावित समितियों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श

परिषद (एन आर यू सी सी), क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता समितियां (जेड आर यू सी सी) और मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समितियां (डी आर यू सी सी) 2.4.1998 से भंग कर दी गई थीं। क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समितियां और मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समितियां 1.7.1998 से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित की गई है। इन दोनों समितियों का कार्य शुरू हो जाने के बाद राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता समिति शीघ्र ही पुनर्गठित की जाएगी।

चूना पत्थर का उत्खनन

5258. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मई, 1998 के "द हिन्दू" में "लाइम स्टोन माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइंग एस.सी. ऑर्डर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तावित कठोर कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड

5259. डॉ० सरोजा बी० : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कार्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रेल ऐसे प्रतिभावान किशोरों की पहचान करेगी और अपनाएगी जिनकी कोई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश में खेलकूद के संवर्धन के लिए भारतीय रेल किस प्रकार योगदान करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) मौजूदा रेलवे खेलकूद नियंत्रण बोर्ड का नाम बदलकर रेलवे स्पोर्टस प्रोमोशन बोर्ड किया जा रहा है।

(ख) मौजूदा कार्य और विशेषताएं अधिकतर वही रहेंगी।

(ग) से (ङ) नई नीति के अनुसार ऐसे खिलाड़ियों की खेलकूद कोटे में भर्ती विज्ञापनों के माध्यम से होगी ताकि भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूरा हो सके।

भर्ती हो जाने के पश्चात् खिलाड़ियों को उनकी दक्षता विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण और अवसर मुहैया कराए जाएंगे।

रक्षा बलों के लिए संशोधित पेंशन योजना

5260. श्री के०एस० राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा बलों के लिए संशोधित पेंशन योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त योजना पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के पूर्णतः अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में भिन्नताओं को ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संशोधित पेंशन योजना के अंतर्गत रक्षा बलों के सभी पेंशनभोगी, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो, शामिल किये जाएंगे;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या संशोधित पेंशन योजना रक्षा बलों के पेंशनभोगियों को "एक रैंक एक पेंशन" की लंबे समय से की जा रही मांग भी पूरी करती है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, हां। परन्तु 1.1.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन और 1.1.1996 के बाद सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन में पूरी तरह समानता नहीं होगी।

(ङ) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने केवल 1.1.1986 से पहले और उसके बाद की पेंशन में समानता की सिफारिश की है जो पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है।

(च) जी, नहीं।

(छ) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने एक रैंक एक पेंशन की मांग की जांच की है लेकिन उसने इसकी सिफारिश नहीं की है।

विवरण

रक्षा सेनाओं के लिए संशोधित पेंशन योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

1. अफसरों के लिए निवृत्तमान पेंशन पिछले 10 माह के दौरान आहरित औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत पर और अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए 33 वर्ष की अर्हक सेवा के वास्ते कार्यमुक्त होने के समय वेतन अनुदान/धारित रैंक में समुचित वेतन के उच्चतम वर्गीकरण के 50 प्रतिशत पर परिगणित की जाएगी।
2. निवृत्तमान पेंशन के लिए अर्हक सेवा की न्यूनतम अवधि अफसरों के वास्ते 20 वर्ष और अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए 15 वर्ष है।

3. *पेंशन के परिकलन के प्रयोजन के वास्ते अधिभार अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए 5 वर्ष और कमीशन प्राप्त अफसरों के लिए 3 से 9 वर्ष के बीच होगा।*

4. निवृत्तमान/सेवा उपदान अर्जित करने के लिए अर्हक सेवा की न्यूनतम अवधि कमीशन प्राप्त अफसरों के मामले में 10 वर्ष (बिना वेटेज के) और अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के मामले में 5 वर्ष (बिना वेटेज के) होगी। उपदान अर्हक सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही के लिए आधे महीने की परिलब्धियों की समान दर पर स्वीकार्य होगा। यह परिलब्धियों के अधिकतम 16½ गुणा से अधिक नहीं होगा।

5. न्यूनतम पेंशन 1275/- रुपये प्रतिमाह तथा अधिकतम पेंशन सरकार में अधिकतम वेतन जो 1.1.96 से 30,000/- रुपये है, के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

6. सामान्य परिवार पेंशन न्यूनतम 1275/- रुपए प्रतिमाह के अध्यधीन परिलब्धियों के 30 प्रतिशत की एक समान दर पर अदा की जाएगी।

7. पेंशन का संराशिकरण अफसरों के लिए 43 प्रतिशत की दर पर और अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए 45 प्रतिशत की दर पर किया जाएगा जैसाकि अब से पहले था।

8. सेना अस्पतालों/चिकित्सा जांच कक्षों में ओपीडी चिकित्सा सुविधाएं न लेने वाले सभी पेंशनभोगियों को 100/- रुपये प्रतिमाह की दर पर नियत चिकित्सा भत्ता प्रदान करना।

अब तक कार्यान्वित की गई संशोधित योजना कमोबेश पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप है। तथापि, वेतन आयोग की सिफारिशों से थोड़ा हटकर निर्णय लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं :-

1. पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने 1996 से पहले के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन में 20 प्रतिशत वेटेज की सिफारिश की थी। सरकार ने यह वेटेज 40 प्रतिशत प्रदान किया है।

2. वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि यदि फिटमेंट फार्मूला लगाए जाने के बाद 1996 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन 1.1.1996 के बाद सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों के लिए लागू न्यूनतम पेंशन से कम पड़ती है तो उसे उस रैंक के लिए विहित न्यूनतम पेंशन तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

3. उदारीकृत पेंशन, निशक्तता पेंशन, विशेष परिवार पेंशन, युद्ध में आहत हुए व्यक्तियों के लिए पेंशन के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अब तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं क्योंकि सरकार को इन सिफारिशों पर अभी विचार करना है।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

5261. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** *क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जून, 1998 तक बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा जिन विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति और संयंत्र में रोजगार प्रदान किया गया उनकी संख्या कितनी है;

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनके मामले लंबित पड़े थे अथवा अस्वीकृत कर दिए गए थे;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को एक संसद सदस्य से विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में पत्र प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या विस्थापित व्यक्तियों ने रोजगार और क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर किया है और क्या न्यायालय ने अपना निर्णय उनके पक्ष में सुनाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (च) बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के कारण 13309 परिवार विस्थापित हुए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान जून, 1998 तक 179 विस्थापित व्यक्तियों को बी.एस.एल. में रोजगार दिया गया है। बी.एस.एल. विस्थापित व्यक्तियों को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति से संबंधित ब्यौरा नहीं रखता है। तथापि, 30.6.1998 की स्थिति के अनुसार 13309 विस्थापित परिवारों के 15768 विस्थापित व्यक्तियों को बी.एस.एल. में रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में अनेक माननीय संसद सदस्यों से पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर उचित कार्रवाई की जाती है।

विस्थापित व्यक्तियों के एक वर्ग ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना, रांची खण्डपीठ में एक रिट याचिका दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि क्षतिपूर्ति के भुगतान के बाद विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अधिकार के रूप में रोजगार की मांग नहीं की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि अनुकम्पा के आधार पर उनकी मांग पर विचार करने में कोई हर्ज नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बी.एस.एल. ने इस संबंध में एक योजना तैयार की थी और इसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि इस योजना में कोई कमी नहीं है। यह योजना बी.सी.एल. में चल रही है।

रेल दुर्घटनाएं

5262. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
डॉ० विजय सोनकर शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों की आमने-सामने की टक्कर होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसके कारण काफी लोग मारे गए और घायल हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो जांच आयोगों के क्या निष्कर्ष निकले जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी दुर्घटनाओं की जांच की है और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन आयोगों पर कितना व्यय किया गया;

(घ) इन आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वियन से ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति किस सीमा तक रुकेगी; और

(ङ) दोषी अधीनस्थ कर्मचारियों के अलावा ऐसी दुर्घटनाओं के लिए कितने रेलवे कर्मचारियों को दंडित किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आमने-सामने की 12 टक्करें हुई हैं। वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

1995-96	—	8
1996-97	—	2
1997-98	—	2

(ख) इन दुर्घटनाओं की जांच नागर विमानन मंत्रालय के अधीन कार्यरत रेल संरक्षा आयुक्त तथा विभागीय तौर पर भी की गई है। जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अपनाने के लिए उनकी व्यवहार्यता के आधार पर जांच की गई है।

(ग) कोई खर्च नहीं हुआ क्योंकि इन दुर्घटनाओं की जांच के लिए अलग से कोई जांच आयोग गठित नहीं किया था।

(घ) सिफारिशों के कार्यान्वियन से निश्चित रूप से इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति को कम करने में सहायता मिलती है परंतु उनकी कारगरता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।

(ङ) इन दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से कुल 23 कर्मचारियों को जिम्मेवार पाया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

श्रीनगर विमानपत्तन से माल भेजने की सुविधा

5263. डा० सुगुण कुमारी चलामेला : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर विमानपत्तन को बंद करने के बाद कश्मीर में माल भेजने की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) श्रीनगर विमानपत्तन जो भारतीय वायुसेना (आई.ए.एफ.) का है को रनवे के पुन:सतहलेपन के लिए दिनांक 8.6.1998 से उड़ान प्रचालनों के लिए अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। सिविल उड़ानों को अवन्तीपुर एयरफोर्स स्टेशन से प्रचालित किया जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वायु सेना ने अवन्तीपुर एयर फोर्स स्टेशन पर यात्रियों और कार्गो दोनों की हैंडलिंग संबंधी सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करा दी हैं।

सुभद्रा रेलवे फाटक के पास अंडर ब्रिजों का निर्माण

5264. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक-गोपालपुर मार्ग पर सुभद्रापुर के निकट रेलवे फाटक प्रतिदिन अधिकांश घंटे बंद ही रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज बनाने की लोगों द्वारा जोरदार मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और उक्त पुल का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) रेलें, स्थल पर यातायात के घनत्व के आधार पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण लागत में हिस्सेदारी/निक्षेप शर्तों के आधार पर करती हैं। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा उनके हिस्से की लागत को वहन करने की विधिवत् सहमति देते हुए तथा कतिपय प्रारंभिक पूर्वापेक्षताओं को पूरा करते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किए जाते हैं। इस मामले में, राज्य सरकार ने अभी तक प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसकी तुरंत जांच की जाएगी।

कालीकट हवाई अड्डे में ऐसे ब्रिज्स

5265. श्री टी० गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मांगों की पूर्ति और भीड़ को कम करने हेतु कालीकट हवाई अड्डे में दो ऐसे ब्रिज्स वाले एक नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण का केरल सरकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशासनिक भवनों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि

5266. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने गुंटूर में नए रेल प्रभाग के लिए प्रशासनिक भवन और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने हेतु रेलवे को भूमि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुंटूर में एक नया मंडल स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार को कहा गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराते ही कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित कर दिया जाएगा।

बिट्रगुंटा में रेल संपत्ति का उपभोग

5267. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे के अंतर्गत "बिट्रगुंटा" में अत्यधिक भूमि, भवन तथा अन्य संपत्ति अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संपत्ति का उचित उपभोग करने हेतु रेलवे की क्या योजना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्वार्टरों में परिवर्धन और परिवर्तन

5268. **श्री एन० डेनिस** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यात्मक आधार पर लोक सभा सचिवालय पूल को अंतरित सामान्य पूल के क्वार्टरों का अनुरक्षण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है और इन क्वार्टरों की लाइसेंस फीस भी सरकारी आवास निर्माण-सामान्य पूल आवास के अंतर्गत आवास प्राप्ति खाता संख्या 0216 में जमा की जाती है।

(ख) क्या सामान्य पूल के क्वार्टरों के संबंध में 10% प्रभार के भुगतान पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले परिवर्धन और परिवर्तन उक्त के संबंध में नहीं किए जाते;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त मामले में समता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के दिनांक 11.3.97 के पत्र सं० 11013/5/88-निर्माण-I द्वारा लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को, सांसदों को आवंटित वासों परिवर्धन/परिवर्तन के लिए, प्रत्येक मामले में 30,000 रुपये तक की कीमत के कार्य मंजूरी की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। लोक/सभा राज्य सभा की आवास समिति की सिफारिश पर 30,000 रुपये से अधिक के खर्च अनुमान की मंजूरी, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय की सहमति से दी जाती है।

मंत्रियों को आवंटित वास के मामले में, इस मंत्रालय के दिनांक 9.4.97 के पत्र सं० 11013/5/88-निर्माण-I के तहत निर्माण महानिदेशक को, परिवर्धन/परिवर्तन करने के लिए 1 लाख मूल्य तक के निर्माण की मंजूरी की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इस सीमा से अधिक के खर्च की मंजूरी शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से दी जाती है।

उपर्युक्त दोनों प्रकार के मामलों में सारा खर्च सरकार उठाती है, किसी रूप में कोई आवंटी नहीं उठाता।

सामान्य पूल वास के मामले में, आवंटियों को, उनके अनुरोध पर किए जाने वाले परिवर्तन/परिवर्द्धन के लागत खर्च का 10%, 20%, अथवा 100% अंश इस मंत्रालय के दिनांक 9.1.96 के कार्यालय ज्ञापन सं० 11014/22/90-निर्माण-3 में निर्धारित तीन विभिन्न श्रेणियों में उल्लिखित निर्माण कार्य की प्रकृति के आधार पर, आवंटी से वसूल किया जाता है।

[हिन्दी]

खानों का अन्वेषण

5269. **श्रीमती शीला गौतम** :
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :
श्री एस०एन० ओवेसी :

क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कौन-कौन से विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं;

(ख) इस छुपी हुई खनिज सम्पदा का दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में खनिजों का उपयुक्त रूप से दोहन करने के लिए कोई नीति व कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) दिनांक 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार देश के खनिज भंडारों तथा उन राज्यों का ब्यौरा जहां से पाये गए हैं संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में यथा परिभाषित कोई भी कंपनी या भारतीय नागरिक, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार खनन पट्टा प्राप्त करने के

पश्चात, खनिज भंडारों का विदोहन करने के लिए स्वतंत्र है। वर्ष 1997-98 में देश में 2617 खानें थीं तथा ये खनिज संसाधन का विदोहन कर रही हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान देश के खनिज उत्पादन का कुल मूल्य (परमाणु खनिजों को छोड़कर) अनुमानत: 37,157 करोड़ रु. था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में आंध्र प्रदेश सहित सारे देश के लिए घोषित की गई थी। आंध्र प्रदेश या किसी अन्य राज्य में खनिजों के विदोहन के लिए कोई नई नीति और कार्यक्रम केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

(मिलियन टन में)

खनिज	भण्डार	राज्य
1	2	3
1. हेमेटाइट	10052	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोआ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान।
2. मेग्नेटाइट	3408	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोआ, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु।
3. मैंगनीज अयस्क	176,477	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोआ, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल।
4. क्रोमाइट	88.351	आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा और तमिलनाडु।
5. सीसा-जस्ता अयस्क	189.55	आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
6. तांबा अयस्क	431.046	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
7. स्वर्ण अयस्क	17.696 (66.6 टी स्वर्ण)	आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश।
8. हीरा	1,065,056 कैरट	आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश।
9. टिन अयस्क	28.907 (3,272 टी टिन)	मध्य प्रदेश और उड़ीसा।
10. टंगस्टन अयस्क	25.868 (77320 टी टंगस्टन)	आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल।
11. रॉक फास्फेट	146.95	गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।
12. एपेटाइट	13.236	आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
13. एस्बेस्ट्स	2.295	आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।
14. बॉक्साइट	2,525	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोआ, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
15. डोलोमाइट	4,967.47	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
16. ग्रेफाइट	3.109	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु।
17. जिप्सम	239.312	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
18. चूना पत्थर	76,446	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दमन और दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
19. मेगनेसाइट	233.329	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
20. कोयला	196,029.88	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
21. लिग्नाइट	26,150	गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु।

टिप्पणी : टी-टन।

[अनुवाद]

गुजरात में कशोद हवाई अड्डे का विस्तार

5270. **श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कशोद हवाई अड्डे पर शैड इत्यादि की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस हवाई अड्डे के विस्तार के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। कशोद विमानपत्तन 50 सीटों वाले विमानों के प्रचालनों के लिए उपयुक्त है। टर्मिनल भवन से एक समय में 50 यात्रियों को हैंडल किया जा सकता है। इस समय गुजरात एयरवेज इस विमानपत्तन से प्रचालन कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी आवास

5271. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती के कर्मचारी सरकारी आवासों के आवंटन के लिए अधिकृत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या जिन कर्मचारियों को पहले सरकारी आवास आवंटित थे उन्हें अब ये आवास खाली करने पड़ेंगे; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। प्रसार भारती एक सांविधिक निकाय होने के कारण कर्मचारी सामान्य पूल वास आवंटन के पात्र नहीं हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। जिन कर्मचारियों को सामान्य पूल रिहायशी वास पहले से आवंटित हैं उन्हें पांच वर्षों, अर्थात 22 नवम्बर, 2002 तक रहने की अनुमति दी गई है।

महंगे तथा जोखिम भरे ए.बी.बी. रेल इंजनों का आयात

5272. श्री पी०एस० गढ़वी :
श्री राजवंशी महतो :
श्री सीताराम यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1998 के "इकानॉमिक टाइम्स" में प्रकाशित रेलवेज बुल्ड अप फोर एक्सपेन्सिव, रिस्की, ए.बी.बी. लोकोज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन तथ्यों की जानकारी दी गई है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सभी आयातित ए.बी.बी. रेल इंजनों को प्रयोग में नहीं लाए जाने के कारण क्या हैं;

(घ) सरकार ने देश में ही तीन फेस वाले 6000 हार्स पावरयुक्त ए.सी. रेल इंजनों के उत्पादन के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) देश में यह उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) समाचार नियंत्रक एवं महालेखा (सी एंड एजी) की हाल ही की रपट पर आधारित है, रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न मामलों के संबंध में विस्तृत उत्तर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को निर्धारित अवधि में भेज दिया जाएगा।

(ग) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में असेम्बल किए गए रेल इंजनों सहित सभी रेल इंजन सेवा में लगाए गए हैं।

(घ) और (ङ) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में एबीबी से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रगति पर है और 1998-99 के दौरान इन रेल इंजनों का स्वदेशी उत्पादन शुरू करने की योजना है।

[हिन्दी]

मुम्बई-अहमदाबाद-इंदौर और कलकत्ता के बीच उड़ानें

5273. श्री मोतीलाल वोरा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की मुम्बई-अहमदाबाद-इंदौर और कलकत्ता मार्ग पर चलने वाली उड़ान संख्या 134/133 को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे पुनः किस तारीख से चलाए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) प्रचालन कर्मीदल की कमी के कारण वर्ष 1992 में यह उड़ान रद्द कर दी गई थी।

(ग) इंडियन एयरलाइंस के विद्यमान जेट विमान बेड़े द्वारा प्रचालन करने के निमित्त इन सेक्टरों पर यातायात पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। कम क्षमता वाले विमानों तथा उनसे संबद्ध प्रचालन कर्मीदल की कमी के कारण भी इंडियन एयरलाइंस द्वारा इस मार्ग पर सेवा प्रचालन करना संभव नहीं है। निजी प्रचालकों को व्यवहार्यता के अध्यधीन अपने नेटवर्क में इंदौर जैसे नए स्थानों को शामिल करने के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों की समस्याएं

5274. श्री के० येरननायडू :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी के कारण कितने जवानों की मौत हुई और कितनों को गंभीर बीमारी हो गई; और

(घ) उनकी समस्याओं को कम करने और किसी अन्य रूप में उन्हें मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) सियाचिन क्षेत्र जहां हिमधाव होते रहते हैं, बर्फीले तूफान आते रहते हैं तथा अत्यधिक ठंड पड़ती है, में हमारे सैन्य बल शून्य से नीचे -5° से -50° सेल्सियस तापमान पर सालतोरो रिज में 19000 फुट की औसत ऊंचाई पर तैनात रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में रहने के कारण उन्हें हिमापात, हिमांधता, और उच्चतुंगता संबंधी विभिन्न बीमारियां होने की आशंका रहती है। हमारे सैन्य बलों को दुर्गम क्षेत्रों और विपरीत मौसम के अतिरिक्त रोजाना शत्रु की ओर से होने वाली गोलाबारी का सामना भी करना पड़ता है जिसमें तोपखाना और राकेटों से की जाने वाली गोलाबारी भी शामिल है।

(ग) सियाचिन ग्लेशियर में अत्यधिक ठंड के कारण वर्ष 1995 से 1997 के दौरान 31 अफसर, जवान मारे गए तथा 104 जख्मी हुए।

(घ) सियाचिन में तैनात सैन्य बलों की कठिनाइयां कम करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें सैन्यबलों का जल्दी-जल्दी फेरबदल; अत्यधिक ठंड से बचने के लिए विशेष परिधान की व्यवस्था, आश्रय की समुचित व्यवस्था, आधुनिक संचार प्रणाली और उच्च कैलॉरी युक्त विशेष आहार की व्यवस्था शामिल हैं। सियाचिन भत्ता के नाम से एक विशेष भत्ता भी स्वीकृत किया गया है जो इस प्रकार है :-

1.	जे.सी.ओ./अन्य रैंक	—	4667/-रु० प्रतिमाह
2.	अफसर	—	7000/-रु० प्रतिमाह

असम में नागरिक सुविधाएं

5275. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागरिक सुविधा योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) देश के शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा दो केन्द्र प्रवर्तित स्कीमें चलाई जा रही हैं अर्थात् कम लागत सफाई स्कीम (एससीएस) और त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी)।

कम लागत सफाई स्कीम के तहत जलवाही शौचालयों के निर्माण के लिए जहां ये नहीं हैं तथा शुष्क शौचालय को जलवाही शौचालय में बदलने के लिए, 1284.59 लाख रुपये की सब्सिडी सहित 3908.27 लाख रुपये की परियोजना लागत पर 27 स्कीमें मंजूर की गई हैं। असम में कम लागत सफाई की कोई स्कीम लंबित नहीं है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों में लागू है। 9 कस्बों के लिए 9 स्कीमें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 867.35 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत पर 6 कस्बों के लिए 6 स्कीमों का अनुमोदन किया गया है। शेष तीन स्कीमों का अनुमोदन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय योजना के तहत धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। स्कीम के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

असम (15.7.98 की स्थिति)

(त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम)

मंजूर परियोजना (लाख रुपये में)

क्र.सं.	शहरों का नाम	जिला	परियोजना लागत
1.	नामरूप	डिब्रूगढ़	135.31
2.	सोनारी	सिवसागर	297.24
3.	पलसबारी	कामरूप	69.30
4.	बिलासीपारा	धुब्री	187.00
5.	सरथेबारी	बारपेटा	81.15
6.	नजीरा	सिवसागर	97.35

तकनीकी रूप से जांचाधीन स्कीमें (लाख रुपये में)

क्र.सं.	शहर का नाम	जिला	परियोजना लागत
1.	गोसाइंगों	कोकराझार	309.98
2.	लखीमपुर	गोलपारा	213.88
3.	बिहुपुरिया	लखीमपुर	218.00

[हिन्दी]

बॉक्साइट का निर्यात

5276. श्री रामानंद सिंह : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और क्या उसका निर्यात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय सतना जिले के चित्रकूट में बॉक्साइट आधारित उद्योग स्थापित करने पर विचार करेगा ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय खनिज सूची की 1.4.95 की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) चित्रकूट क्षेत्रों सहित सतना जिले में बॉक्साइट के प्राप्ति योग्य भण्डार 7.3 मिलियन टन हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार सतना जिले से बॉक्साइट के निर्यात की कोई सूचना नहीं है।

(ख) सरकार का सतना जिले में बॉक्साइट भण्डारों पर आधारित किसी एल्यूमिना या एल्यूमिनियम संयंत्र की सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

निजी शौचालयों का निर्माण

5277. श्री पी०आर० किंडिया : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निजी शौचालयों का निर्माण किया जाता है और केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों को लागत का 40 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के रूप में प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि हो जाने से वर्ष 1992 में 2500 रुपए प्रति शौचालय निर्धारित की गई लागत में बढ़ोत्तरी कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस लागत में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा विकसित प्रौद्योगिकीय विकल्पों के आधार पर विद्यमान लागत मानदंडों को जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक पाया गया है।

बुक किए गए सामान की चोरी के लिए दावे

5278. श्री आदित्यनाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक रेलगाड़ियों में बुक किए गए सामान की चोरी के संबंध में विभिन्न पक्षों द्वारा वर्ष-वार कितने दावे किए गए;

(ख) दावा करने वाले कितने व्यक्तियों को दावे की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा इसके लिए कितना मुआवजा दिया गया; और

(ग) शेष दावों का कब तक निपटान कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) बुक किए गए सामानों की चोरी होने पर दायर मामलों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों के दौरान बुक किए गए सामान और पार्सलों की क्षति और चोरी के कारण भुगतान द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

धनराशि (लाख रु. में)

अवधि	निपटाए गए मामलों की संख्या	क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई राशि
1995-96	15128	205.67
1996-97	12277	201.99
1997-98	12284	241.60

(ग) दावों का निपटारा छः महीने की निर्धारित अवधि के भीतर कर दिया जाता है बशर्ते कि दावाकर्ता द्वारा सभी अपेक्षित कागजात और उनका सत्यापन कराके जमा करा दिए जाएं।

[हिन्दी]

खनिज उद्योगों की उत्पादन क्षमता

5279. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में उद्योगवार खनिज उद्योगों की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या ये उद्योग अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान अपनी अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति मांगी है; और

(ङ) आज की तिथि तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) महाराष्ट्र राज्य में खनिजों पर आधारित बड़े एवं मध्यम प्रमुख उद्योग निम्नवत हैं :-

उद्योग	इकाइयों की संख्या	कुल अधिष्ठापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
1	2	3
एलिमेंटल फॉस्फोरस	1	2500
इलैक्रोलाइटिक मैंगनीज डाइ-ऑक्साइड	2	3200
कैलशियम कारबाइड	1	22,000
अलॉय स्टील	2	81,000
एस्बेस्टस सीमेंट	3	79,851
सीमेंट	5	4,311,000
मिनि एंड टाइनी सीमेंट	7	115,800
सेरामिक तथा रिफ्रैक्ट्री	9	63,727 तथा
	1	30,000 पीस
फैरा-मैगनीज तथा	4	281,000
सिलिको मैगनीज		
अन्य फैरो-अलॉयस	2	500
सल्फ्यूरिक एसिड	11	462,110
पैट्रोलियम परिष्करण करने वाले	2	11,500,000
उर्वरक		
यूरिया, नाइट्रोफासफेट		1,000,000(एन)
सिंगल सुपरफॉसफेट	9+3(एसएसआई)	244,300 (पी$_2$ओ$_5$)
ट्रिपल सुपरफॉसफेट		
कॉस्टिक सोडा	7	157,700
स्पौंज लौह	3	190,000
पिग आयरन	1	190,000

मध्य प्रदेश राज्य में खनिजों पर आधारित बड़े एवं मध्यम प्रमुख उद्योग निम्नवत हैं :-

एल्यूमिनियम	1	100,000
एस्बेस्टस-सीमेंट	3	150,422
सेरामिक्स	3	23,449
सीमेंट	18	18,170,000
मिनि एंड टाइनी सीमेंट	21	592,200
श्वेत सीमेंट	1	80,000
फैरो-क्रोम	1	5,000

1	2	3
उर्वरक	7+1 (एसएसआई)	340,800(एन)
(एमोनियम सल्फेट,		
सिंगल सुपरफॉसफेट, यूरिया)		82,800(पी$_2$ओ$_5$)
रिफ्रैक्ट्री	7	114,340
स्टील इंगोट्स	1	4,000,000
(कंकास्ट सहित)		
स्पौंज लौह	6	770,000
सल्फ्यूरिक एसिड	3	1,38,000
कॉस्टिक सोडा	3	86,158

गुजरात राज्य में खनिजों पर आधारित बड़े एवं मध्यम प्रमुख उद्योग निम्नवत हैं :-

एस्बेस्ट्स सीमेंट	2	119,000
सीमेंट	9	6,430,000
मिनि एंड टाइनी सीमेंट	27	734,900
श्वेत सीमेंट	1	50,000
सेरामिक तथा रिफ्रैक्ट्री	7	57,807
कॉस्टिक सोडा	7	154,565
फैरो-अलॉयस	1	300
उर्वरक		
(एमोनियम सल्फेट,	12+4 (एसएसआई)	1,500,000(एन)
डीएपी, एनपीके, सिंगल		561,700(पी$_2$ओ$_5$)
सुपरफॉस्फेट, यूरिया)		
तेल शोधनशाला	1	9,500,000
फॉस्फोरस (ऐलिमेंटल)	2	6,500
स्पौंज लौह	1	1,760,000
सोडा ऐश	4	863,000
सल्फ्यूरिक एसिड	10	432,902

(ख) से (ङ) केन्द्र द्वारा विस्तृत सूचना नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाएं

5280. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा पूर्वाभास हो रहा है कि आर्थिक प्रतिबंधों से ग्रामीण विकास योजनाएं प्रभावित होंगी;

(ख) क्या अमरीका तथा विश्व बैंक ने बताया है कि प्रतिबंधों का गरीब लोगों संबंधी योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) "जी-8 देशों ने नाभिकीय परीक्षणों संबंधी अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि "हम मूलभूत माननीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण देने का विरोध नहीं करेंगे। तथापि, हम भारत तथा अन्य देशों, जो नाभिकीय परीक्षण करेंगे, को विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण देने को स्थगित करने का कार्य करने के लिए सहमत है। बाद में, भारत सरकार के अनुवर्तन पर विश्व बैंक ने निम्नलिखित ऋणों/उधारों को अनुमोदित किया है :

1. 25 जून, 1998 को आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन परियोजना (543.2 मिलियन अमेरिकी डालर)।
2. 1 जुलाई, 1998 को महिला और बाल विकास परियोजना (300 मिलियन अमेरिकी डालर)।
3. यू०पी० विविध कृषि सहायता परियोजना (130 मिलियन अमेरिकी डालर)।
4. उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (76.4 मिलियन अमेरी डालर)।

तथापि, निम्नलिखित तीन ऋणों को स्थगित कर दिया गया है।

1. द पावर ग्रिड-2 प्रोजेक्ट (450 मिलियन अमेरिकी डालर)
2. रिन्यूऐबल एनर्जी-II प्रोजेक्ट (130 मिलियन अमेरिकी डालर)
3. हरियाणा स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट (275 मिलियन अमेरिकी डालर)

दिफू रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म शेड

5281. डॉ० जयंत रंगपी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत दिफू रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर शेड रेल पटरी के गलत दिशा में है जिसके कारण समूचा शहर प्लेटफार्म से दूसरी तरफ पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिफू तथा बोकाजन रेलवे स्टेशनों के वर्तमान प्लेटफार्म की ऊंचाई कम है जिसके कारण यात्रियों के लिए रेल गाड़ी में चढ़ना या उससे उतरना खतरनाक है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) और (ग) के संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) केवल एक प्लेटफार्म है जो शहर के दूसरी ओर है। प्लेटफार्म पर ऊपरी पैदल पुल के माध्यम से पहुंचा जाता है।

(ग) और (घ) स्टेशन प्लेटफार्म निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराए जाते हैं। बोकाजन और दिफू स्टेशनों पर पटरी सतह वाले प्लेटफार्मों की व्यवस्था की गई है जो यातायात के मौजूदा घनत्व के लिए पर्याप्त हैं। जब कभी आवश्यक होगा, इन्हें ऊंचा करने पर विचार किया जाएगा।

स्टीम लोको शेड का परिवर्तन

5282. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिट्रगुंटा स्थित स्टीम लोको शेड को बड़े विद्युत लोको शेड अथवा कैरिज और वैगन कर्मशाला में परिवर्तित करने के बारे में कोई अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) माननीय सदस्यों से बिट्रगुंटा में भाप रेल इंजन शेड को या तो बिजली रेल इंजन शेड में या सवारी और माल डिब्बा कारखाने में बदलने की मांग के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

रेलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षेत्र में मौजूदा रेलवे बिजली इंजन शेडों तथा कारखानों में उपलब्ध पर्याप्त बिजली रेल इंजन, सवारी तथा मालडिब्बा अनुरक्षण सुविधाओं को देखते हुए बिट्रगुंटा की भाप रेल इंजन शेड को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाक सामग्री की छपाई में विलंब

5283. श्री तारिक अनवर : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीआर्डर फार्मों, ए०डी० कार्डों आदि की छपाई में असाधारण विलंब ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त तक डाक विभाग द्वारा मुद्रण निदेशालय को कितना मुद्रण आदेश दिया गया और यह कितना उनके पास लंबित है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) धनादेश, मनीआर्डर प्रपत्रों, पावती कार्डों आदि के मुद्रण में कुछ विलम्ब हुआ है।

(ख) विलम्ब के कारण निम्नानुसार हैं :

1. स्वाभाविक टूट-फूट के कारण मुद्रणालयों की उत्पादन क्षमता वर्ष दर वर्ष घट रही है।

2. विद्युत की अनियमित आपूर्ति/लोड/शेडिंग/लो वोल्टेज परिणामों से मशीनों का प्रभावित होना।

3. मुद्रणालय, अन्य मंत्रालयों/विभागों का मुद्रण कार्य भी प्राथमिकता आधार पर करते हैं। मुद्रण कार्यों की प्राथमिकता में परिवर्तन के कारण सभी कार्य पहले आओ पहले पाओ आधार पर पूरे नहीं किये जो सकते हैं।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) सरकारी मुद्रणालयों के प्रबन्धकों को निर्देश दिया गया है कि डाक विभाग के अधीक्षकों, जिन्होंने मांगपत्र दिए हैं, के साथ परामर्श से डाक विभाग के इन कार्यों को प्राथमिकता दें।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर डाक विभाग द्वारा दिए गए आर्डर और मुद्रण निदेशालय के पास लम्बित आर्डरों को दर्शाते हुए विवरण

	31-3-96		31-3-97		31-3-98	
	आर्डर	लम्बित	आर्डर	लम्बित	आर्डर	लम्बित
धनादेश (मनीआर्डर) प्रपत्र (एमओ.-8)	6,07,720	शून्य	20,46,000	19,25,000	15,59,550	6,43,920
पावती पत्र (आर.पी.-54)	शून्य	शून्य	50,00,000	29,82,500	शून्य	शून्य

रेल मार्गों का बदलना

5284. श्री के०एच० मुनियप्पा :
श्री बासवराज पाटील सेडाम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विशेष रूप से कर्नाटक और महराष्ट्र में कुछ रेलगाड़ियों के मार्गों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रेलगाड़ीवार ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या प्रभावित यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) दूरी और यात्रा समय को कम करने के लिए कुर्ला-एर्नाकुलम के बीच कोंकण रेल के रास्ते चलाने के लिए 6635/6636 कुर्ला-मंगलौर/कोचीन नेत्रवती एक्सप्रेस कोंकण रेल के रास्ते चलाने के लिए 2431/2432 तिरूवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस और महबूबनगर-द्रोणाचलम के रास्ते चलाने के लिए 7685/7686 काचेगुडा-बैंगलूर एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन किया गया था।

(ग) और (घ) दिल्ली और मुम्बई के लिए अन्य गाड़ियों में कोटे का पुन: आबंटन करके प्रभावित यात्रियों हेतु यथासंभव वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

रेलवे सुरक्षा बल

5285. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा बल अधिनियम के अनुसार रेल सुरक्षा बल के सिपाही से लेकर महानिदेशक तक सभी कर्मी इस बल के सदस्य हैं;

(ख) क्या रेल सुरक्षा बल अधिनियम के अनुसार रेल सुरक्षा बल के कर्मी सिविल सर्वेन्ट और रेलवे कर्मचारी भी हैं;

(ग) क्या इस बल के राजपत्रित अधिकारी रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम 1968 से शासित होते हैं जिसमें जांच और दण्ड की सरल प्रक्रिया का प्रावधान है और इस बल के अराजपत्रित कर्मचारी रेल सुरक्षा बल नियम, 1987 से शासित होते हैं जिसमें एक ही अपराध के लिए जांच और दण्ड की कठोर प्रक्रिया का प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार को सभी कर्मचारियों के संबंध में एक समान व्यवहार का प्रावधान करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां। रेल सुरक्षा बल कार्मिक सिविल सर्वेंट हैं। वे रेलवे अधिनियम, 1989 के अंतर्गत रेल सेवक हैं।

(ग) जी हां। बल के राजपत्रित अधिकारी रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 द्वारा शासित होते हैं और अराजपत्रित कर्मचारी रेल सुरक्षा बल नियम, 1987 द्वारा शासित होते हैं। यह कहना सही नहीं है कि पहले वाले नियमों में उदार कार्यविधि और बाद वाले नियमों में अधिक कड़ी कार्यविधि की व्यवस्था है।

नियमों के दोनों सेटों के अंतर्गत निर्धारित कार्यविधि सांविधिक उपबंधों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।

(घ) राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए भिन्न-भिन्न नियमों की व्यवस्था से कोई भेदभाव नहीं है क्योंकि वर्गीकरण युक्तिसंगत आधारों पर किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का कार्य करने का तरीका

5286. श्री अमन कुमार नागरा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या शिकायतें मिली हैं तथा दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत या छोटी गड़बड़ियों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) प्रतिवर्ष केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा जिन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनकी संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	शिकायतों की संख्या	अधिकारियों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई
1995	114	6
1996	90	13
1997	119	5

(ख) और (ग) शिकायतों पर उचित समय पर कार्रवाई की जाती है, जो शिकायतों की प्रकृति, दखलकारों की सुविधा तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ऐसे में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने को कोई प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक कार्य-कलापों के लिए चिनाब नदी पर ऊपरी पुल

5287. वैद्य विष्णु दत्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दस-पन्द्रह वर्षों से अखनूर के निकट चिनाब नदी पर रक्षा संबंधी प्रयोजनों और सैनिक कार्यकलापों के लिए चिनाब नदी पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पुल के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और उक्त कार्य में विलम्ब होने का क्या कारण है; और

(ग) अखनूर शहर में सुरक्षा की दृष्टि से और क्षेत्र में निर्बाध सैनिक कार्यकलापों के लिए इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। सभी प्रकार के यातायात के लिए इस पुल का निर्माण-कार्य दिसम्बर, 1978 में शुरू किया गया था।

(ख) इस पुल के निर्माण पर अब तक 193.51 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पानी के तेज बहाव के कारण पियर वेलों के बह जाने/झुक जाने के कारण पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

(ग) इस पुल के निर्माण से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए गठित तकनीकी समिति ने पानी के भीतर खम्भों का निर्माण न करने की सिफारिश की है। सीमा सड़क संगठन इस सिफारिश के अनुसार कार्य कर रहा है।

इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

5288. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों ने 3 जुलाई, 1998 को एक घंटे की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) आठ मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों में से केवल एयर कॉरपोरेशन इम्पलाईज यूनियन (एसीईयू) का इंडियन एयरलाइंस में सरकारी शेयरों के भाग के विनिवेश विषयक सरकार की नीति के विरुद्ध सांकेतिक विरोध स्वरूप एक घंटे का वाकआउट करने का आह्वान था। सरकार ने इंडियन एयरलाइंस की पूंजी की पुनःसंरचना करने और सरकार की इक्विटी को 49 प्रतिशत तक नियंत्रित रखते हुए तीन वर्षों में इस कंपनी में चरणबद्ध विनिवेश शुरू करने का भी निर्णय लिया है।

"स्ट्रे बुल्लेट शेटर पीस इन इन्द्रपुरी"

5289. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मार्च, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्ट्रे बुल्लेट शेटर पीस इन इन्द्रपुरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उन निवासियों को कोई मुआवजा दिया गया है जिनकी सम्पत्ति नष्ट हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं कि ऐसी घटनाएं भविष्य में फिर से न हों ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इन घटनाओं की सेना, सिविल तथा पुलिस अधिकारियों के एक दल द्वारा संयुक्त रूप से जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं।

(ङ) स्ट्रे बुल्लेट के बट को पार कर जाने की संभावना को रोकने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ जो अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं, उनमें ये शामिल हैं :-

1. लक्ष्य ट्रालियों की मरम्मत;
2. आवरणों (मेंटलरों) की चौड़ाई 1.5 मीटर और बढ़ाना तथा उनके साथ लकड़ी के तख्ते तथा रेत के बोरे लगाना;
3. फायरिंग बिंदुओं की ऊंचाई कम करना;
4. फाइरिंग खाईयों के लिए प्लेटफार्मों का प्रावधान;
5. स्टॉप नट को मजबूत करना;
6. लक्ष्य के केवल 100 गज की दूरी से ही फायर करना;
7. रात में फायर न करना।

आर०के० पुरम में छज्जों का गिर जाना

5290. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर०के० पुरम, नई दिल्ली के सैक्टर आठ के बाजार और सरकारी क्वार्टरों के छज्जे गिर गए हैं जिससे इनमें रहने वाले लोग घायल होते-होते बचे हैं

(ख) यदि हां, तो क्या छज्जों के निर्माण में प्रयुक्त कंक्रीट तथा लोहे की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा जीर्ण अवस्था वाले छज्जों की, जो कभी भी गिर सकते हैं, मरम्मत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) आर०के० पुरम सैक्टर VIII मार्केट में पूरे छज्जे की बजाए, छज्जों से कुछ कंक्रीट के टुकड़े गिरे थे। किन्तु इससे किसी को चोट नहीं आई।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां। इसकी जांच करायी गई थी।

(ङ) कंक्रीट के टुकड़े इसलिये गिर गये, क्योंकि सीमेन्ट सुदृढ़ीकरण में जंग लग जाने से प्रबलन में सीमेंट की पकड़ ढीली हो गई थी।

(च) छज्जों की मरम्मत अलग-अलग स्तरों पर की गई है। जंग से प्रभावित छज्जों का प्रतिवर्ष पता लगाया जाता है तथा जिन छज्जों में अधिक जंग लगी होती है उनकी मरम्मत धन मिलने पर विशेष मरम्मत अभियान के दौरान कर दी जाती है।

चरखी दादरी विमान दुर्घटना के संबंध में रिपोर्ट

5291. **श्री इन्द्रजीत सिंह राव :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 12 नवम्बर, 1996 को चरखी दादरी के निकट सऊदी एयरलाइंस जम्बोजेट और कजाकिस्तान एअरलाईस के विमानों की आकाश में हुई भिड़न्त के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दुर्घटना के लिए कजाकिस्तान के विमान के चालक दल को जिम्मेदार ठहराया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने जांच और मुआवजे इत्यादि के पूरे व्यय को वहन करने के लिए यह मामला कजाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) रिपोर्ट विचाराधीन है।

[हिन्दी]

"बालको" के अधिकारियों द्वारा यात्राएं

5292. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :** क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1993-94, 1996-97 और 1997-98 के दौरान कोरबा से दिल्ली और वापसी यात्राओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इन यात्राओं पर "बालको" को कितना व्यय करना पड़ा ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1993-94, 1996-97 और 1997-98 के दौरान कोरबा से दिल्ली और वापसी यात्राओं पर खर्च की गई धनराशि तथा इन वर्षों में बालको के कुल खर्च में इस खर्च का हिस्सा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	अधिकारियों और कर्मचारियों की यात्राओं पर व्यय (लाख रुपये)	कुल व्यय का %
1993-94	17.79	0.024%
1996-97	27.71	0.044%
1997-98	54.16	0.08%

[अनुवाद]

रेलवे की भूमि पर बस स्टैण्ड का निर्माण

5293. श्री गिरिधर गंमाग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायागडा नगरपालिका ने बस स्टैण्ड और अन्य कार्यों के लिए पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने हतु दक्षिण पूर्व रेलवे को लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने उस पर क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्नगत भूमि रेलों के भावी विकासात्मक कार्यों के लिए अपेक्षित है, इसलिए इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

बडागारा-विथिरी-नौगिनगुड रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

5294. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में प्रस्तावित बडागारा-विथिरी-नौगिनगुड रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के पूर्ण होने के लिए अनुमानतः कितने धन की आवश्यकता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ब्यौरा और लागत का पता लगेगा।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड की परियोजनाएं

5295. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एन०बी० सी०सी०) की निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और आज तक कितना व्यय किया गया;

(ग) पूरी हो चुकी और फिलहाल अधूरी पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) विलंब के कारण उनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) सूचना संलन विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	महाराष्ट्र राज्य में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार-पोरेशन की चालू परियोजनाओं का विवरण	इन परियोजनाओं पर पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और अब तक हुआ खर्च (दिए गए कार्य का मूल्य) (लाख रुपए में) 95-96	96-97	97-98	98-99 (जून 98 तक)	पूरी की गई परियोजनाओं और इस समय अधूरी पड़ी परियोजनाओं का विवरण	परियोजना के पूरा होने में विलंब के कारण	उसमें परिणाम स्वरूप लागत वृद्धि
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए गांधी नगर बोन्द्रा में वाणि-ज्यिक-सह रिहायशी परिसर का निर्माण	—	—	30.15	47.00	लगभग 26% पूरा	कोई विलंब नहीं संमयसारणी के अनुसार चल रहा है	शून्य
2.	एमटीएनएल के लिए डुफ्रे पैरेड	168.71	146.80	172.20	30.09	लगभग 98% पूरा	विलंब निम्नलिखित के कारण है:-	

1	2	3	4	5	6	7	8
मुंबई में तकनीकी और प्रशासनिक कार्यालय का निर्माण						1. सेवाओं के संबंध में निर्णय न मिलने के कारण 2. लिफ्ट लौबी में सेन्टर लाइन न मिलने के कारण 3. दूसरी एजेंसी द्वारा वैद्युत कार्य पूरा न करने के कारण।	
3. भारत सरकार टकसाल, मुंबई, का आधुनिकीकरण	35.49	220.31	215.31	30.65	लगभग 95% पूरा	कोई विलंब नहीं, मूल निर्माण कार्य समय पर पूरे किए गए, ठेके से बाहर के अतिरिक्त कार्य चल रहे हैं।	शून्य
4. ओएनजीसी के लिए बांद्रा-कुर्ला, मुंबई में 44 अदद सी टाइप फ्लैटों का निर्माण	–	54.81	195.06	50.00	लगभग 74% पूरा	नीवों और बाह्य फिनिशिंग बावत विलंबित निर्णय के कारण देरी हुई है।	शून्य
5. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए बांद्रा मुंबई में कार्यालय भवन का निर्माण	2.62	88.17	243.07	50.00	लगभग 94% पूरा	कोई विलंब नहीं। कार्य समय-सारणी के अनुसार चल रहा है।	शून्य
6. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए भारोल, मुंबई में कार्यालय भवन का निर्माण	162.00	212.15	305.78	157.00	लगभग 95% पूरा	कर्मचारियों द्वारा नक्शों और संशोधित अनुभाग के अनुमोदन में देरी के कारण विलंब।	शून्य
7. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए नागपुर में 119 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	–	2.25	238.05	60	लगभग 55% पूरा	कोई विलंब नहीं, कार्य समय-सारणी के अनुसार चल रहा है।	शून्य
8. बंगाल कैमिकल और फार्मास्यूटिकल लि० के लिए वर्ली मुंबई में सर्विस इंडस्ट्रियल एस्टेट का निर्माण	–	–	34.95	70.00	लगभग 20% पूरा	कोई विलंब नहीं, कार्य समय-सारणी के अनुसार चल रहा है।	शून्य
9. ट्राइफेड के लिए तलोजा में अतिरिक्त गोदाम का निर्माण	–	–	6.94	65.00	लगभग 33% पूरा	कोई विलंब नहीं, कार्य समय-सारणी के अनुसार चल रहा है।	शून्य
10. ट्राइफेड के लिए पनवेल, नवीं मुंबई में कार्यालय परिसर का निर्माण	–	–	11.60	38.00	लगभग 20% पूरा	कोई विलंब नहीं, कार्य समय-सारणी के अनुसार चल रहा है।	शून्य
11. मैसर्स एमिल पार्क्स एंड अम्यूसमेन्ट प्राइवेट लि० के लिए रायल पाल्म, गोरेगांव (ईस्ट) मुंबई में 2 बहुमंजिला भवन और एक बहुमंजिला भवन "द मोराडन" का निर्माण	–	–	25.85	51.00	लगभग 13% पूरा	कोई विलंब नहीं, कार्य समय-सारणी के अनुसार चल रहा है।	शून्य
12. जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवीं मुंबई में बल्क टर्मिनल में अतिरिक्त वैग स्टोरेज रोड का निर्माण	–	–	–	45.00	लगभग 8% पूरा	कोई विलंब नहीं, कार्य समय-सारणी के अनुसार चल रहा है।	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
13. आईआईटी कैम्पल, पोवाई मुंबई में सोसाइटी आफ एप्लाइड माइक्रोवेव एणु रिसर्च के लिए रेडिएशन लैबोरेटरी का निर्माण	—	—	—	11.40	लगभग 32% पूरा	कोई विलंब नहीं कार्य समय-सारणी के अनुसार चल रहा है।	शून्य
14. आरसीएफ के लिए थाल में अमोनियारिवेम्प प्लांट फेज-II की सिविल स्ट्रक्चरल और भूमिगत पाइपिंग	—	—	5.19	90.83	लगभग 44% पूरा	कोई विलंब नहीं, कार्य समय-सारणी के अनुसार चल रहा है।	शून्य
15. करेंसी नोट प्रेस, नासिक का आधुनिकीकरण	—	81.11	771.52	904.30	लगभग 62% पूरा	कार्यक्षेत्र, विनिर्देशों को अन्तिम रूप देने और फ्रंट जारी करने में विलंब के कारण देरी हुई है।	शून्य
16. एयर इंडिया के लिए नेरूल, नवीं मुंबई में स्टाफ आवास परिसर का निर्माण	1240.00	537.00	762.00	112.00	लगभग 96% पूरा	कार्यार्थियों के पास धन की कमी के कारण विलंब।	लगभग 20 लाख रुपये
17. महाराष्ट्र में नांगदेड जिले में शंकर नगर में जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण	15.50	18.06	22.19	5.84	लगभग 83% पूरा	कोई विलंब नहीं मूल ठेके के अनुसार कार्य समय सारणी के अनुसार पूरा हुआ तथापि समय-समय पर सौंपे गए अतिरिक्त कार्य चल रहे हैं।	शून्य
18. नागपुर जिले में रामटेक नवगांव खेड़ी में नवोदय विद्यालय का निर्माण	18.05	8.20	30.00	7.20	लगभग 86% पूरा	कोई विलंब नहीं मूल ठेके के अनुसार कार्य समय सारणी के अनुसार पूरा हुआ तथापि समय-समय पर सौंपे गए कार्य चल रहे हैं	शून्य

कर्नाटक को सहायता

5296. श्री अजय कुमार एस० सरनायक : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 1998 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "सेन्टर कर्नाटक इन ए टाइट स्पोट" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) उसमें उल्लिखित खबर का सारांश इस प्रकार है :-

तमिलनाडु सरकार ने (ओ.ई.सी.एफ.) जापान के नई दिल्ली ऑफिस को लिखा था कि कावेरी जल विवाद ट्रिबूनल के अंतरिम आदेश को कर्नाटक सरकार द्वारा कार्यान्वित न किये जाने के कारण 1209.60 करोड़ रुपये की लागत वाली कावेरी चरण-II के तहत बंगलौर जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना को धन देना बंद कर दिया जाए।

कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह तमिलनाडु सरकार से अपना पत्र ओ.ई.सी.एफ. से वापस लेने के लिए कहे। खबर में यह भी लिखा था कि कर्नाटक सरकार का दावा है कि वह वर्ष 1995-96 (मानसून के सामान्य से कम रहने वाले वर्ष) को छोड़ कर सभी वर्षों के दौरान तमिलनाडु के लिए पानी जारी करने विषयक ट्रिबूनल के आर्डर के तहत अपने दायित्व को भली-भांति निभाती रही है।

(ग) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया है कि ऐसे सभी मुद्दे किसी विदेशी धनदाता एजेंसी अर्थात् ओ.सी.ई.एफ. के साथ सीधे उठाने के बजाए, उस (वित्त) मंत्रालय की मार्फत उठाये जाने चाहिए।

जल संसाधन मंत्रालय ने भी कावेरी बेसिन में कर्नाटक और तमिलनाडु की पेय जल आपूर्ति स्कीमों और उनसे जुड़े मुद्दों पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से 29.6.98 को बैठक में बातचीत की थी उस बैठक में यह स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रीय जल नीति में पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अतः

कावेरी बेसिन राज्यों को सलाह दी गई कि वे ऐसी व्यवस्था करें, जिसके द्वारा कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के आदेशों के आलोक में पेयजल परियोजनाएं, अनावश्यक विलम्ब के बिना, परस्पर सहमति से मंजूर की जा सकें।

दिल्ली छावनी के केन्द्रीय विद्यालयों में कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास

5297. श्री बी०एम० मेनसिंकाई : क्या रक्षा मंत्री दिल्ली छावनी के केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास के बारे में 11 जून 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2280 के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत रिहायशी आवास जिसका उल्लेख उक्त भाग में किया गया है, आरक्षित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो जे सी ओज/ओ आरज आदि को आवास उपलब्ध कराने के आधार पर उन कर्मचारियों पर आवास खाली कराने के लिए दबाव डालने का क्या औचित्य है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते समय विद्यालय के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए आवास रखे जाते हैं।

(ख) दिल्ली एरिया के रक्षा प्राधिकारियों ने केन्द्रीय विद्यालय के किसी भी ऐसे कर्मचारी, जो करार की शर्तों के तहत आवंटित रक्षा आवास का कानूनी अधिभोगी है, को बेदखली का नोटिस जारी नहीं किया है।

रेलगाड़ियों में चोरी

5298. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों की मिलीभगत से रेलगाड़ियों, रेलवे स्टेशनों और पार्सल वैनों के बार-बार चोरी की घटनाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन माह के दौरान ऐसे कितने मामलों के बारे में सूचना प्राप्त हुई है; और

(ग) इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) गत तीन महीनों अर्थात, अप्रैल से जून, 1998 के दौरान ''उठाईगीरी'' शीर्ष के अंतर्गत केवल एक मामले की रिपोर्ट मिली थी, जिसमें एक रेल कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था तथा रेलवे संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अंतर्गत उसके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया था।

(ग) रेल संपत्ति के विरुद्ध अपराध पर काबू पाने के लिए रे.सु.ब. द्वारा यार्डों में गहन गश्त लगाने, चुराई गई संपत्ति को रखने वालों के विरुद्ध छापे मारने तथा अपराध आसूचना कर्मियों की तैनाती जैसे पर्याप्त उपाय किए गए हैं। आसूचना नेटवर्क में तेजी लाई गई है। अचानक जांच करने तथा छापे मारने की कार्रवाई की गई है। उपर्युक्त निवारक कार्रवाई के अलावा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के उपबंधों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की गई है।

हवाई अड्डों के समीप यात्रियों के लिए विश्रामालय

5299. डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए विश्रामालय उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार विश्रामालय बनाकर यात्रियों को ऐसी संविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) मार्गस्थ यात्रियों के प्रयोग के लिए विश्रामालयों की सुविधा मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, इन्दौर, कालीकट, हैदराबाद, कोयम्बटूर, जयपुर तथा बडोदरा विमानपत्तनों पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ) अतिरिक्त विश्रामालयों की सुविधा प्रदान करना एक सतत् प्रक्रिया है और किसी विशेष विमानपत्तन पर मार्गस्थ यात्रियों की मांग को ध्यान में रखकर, इस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है।

निविदाएं प्राप्त न होना

5300. श्री भगवान शंकर रावत : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य अभियंता एनडीजेड-तीन को उनकी जोन के अन्तर्गत डिविजनों से व्यापक प्रचार के लिए ''पी.डब्ल्यू.डी.-6'' फार्म में निविदाएं प्राप्त न होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) (1) 1/क्यू उप प्रखण्ड के जरिए प्रचार-प्रसार के बिना कार्य सौंपने के बारे में सतर्कता एकक के माध्यम से श्री मथारू एण्ड सन्स से शिकायत प्राप्त हुई थी। (2) 3/यू उप-प्रखण्ड के माध्यम से व्यापक रूप से प्रकाशन न करने के बारे में ठेकेदार संघ से दूसरी शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ग) दोनों शिकायतों की जांच की गई है तथा इन्हें निराधार पाया गया।

दिल्ली में फार्महाउसों में तरण ताल

5301. डॉ० विजय सोनकर शास्त्री : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार दिल्ली में फार्महाउस बनाने की नीति के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या दिल्ली में रजोकरी और रंगपुरी गांवों में फार्महाउस मालिकों द्वारा कृषि भूमि पर दुमंजिली कोठियां और तरण ताल बनाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली मास्टर प्लान 2001 एम.पी.डी.-2001 के अनुसार निम्नांकित विकास नियंत्रणों के साथ ग्रामीण उपयोग जोन में फार्म हाउस अनुमत्य है।

क्र. सं.	फर्म का आकार	डी.यू. का अधिकतम फ्लोर क्षेत्र	डी-यूनिट की अधिकतम ऊंचाई
(क)	1.0 हेक्टे. और इससे ऊपर लेकिन 2.0 हे. से कम	100 वर्ग मी. (मेजानाइन फ्लोर सहित)	एक मंजिला अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर
(ख)	2.0 हेक्ट. तथा इससे ऊपर	150 वर्ग मी. (मेजानाइन, फ्लोर सहित)	एक मंजिला अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर

निम्नांकित के अतिरिक्त दिल्ली मास्टर प्लान 2001 एम.पी.डी.-2001 में भी निम्नलिखित नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं :

1. रिहायशी वास की सेट बैंक सम्पत्ति की बाउन्ड्री लाइन से 15 मी. दूर होनी चाहिए।
2. जब संपत्ति किसी शहरों/सड़क से सटी हुई हो तो रिहायशी भवन को सड़क की मध्य रेखा से 60 मी. दूर रखना चाहिए और जहां संपत्ति ग्रामीण सड़क से सटी हो वहां भवन सड़क की मध्य रेखा से 30 मी. दूर होना चाहिए।
3. किसी राजमार्ग के मार्गाधिकार के 400 मी. के भीतर कोई आवासीय यूनिट नहीं बनाई जानी चाहिए।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि स्वीकृत भवन योजना के सामने अनधिकृत निर्माण या परिवर्तन का पता चलते ही कानूनी कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

रेलवे को वित्तीय सहायता

5302. श्री पंकज चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वित्तीय सहायता, जैसाकि सड़क क्षेत्र के लिए उपलब्ध है, की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। बहरहाल, रेलें अनेक कर और वित्तीय प्रोत्साहन ले रही हैं जैसा कि अन्य अवसंरचनात्मक क्षेत्रों को दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बंगलौर हवाई अड्डे पर कार्गो केन्द्र

5303. श्री ए० सिदराजू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगलौर हवाई अड्डे पर नश्य सामग्री हेतु एक कार्गो केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) एम.एस.आई.एल. के भंडारण गृह (गोदाम) में नाशवान कार्गो की हैंडलिंग हेतु एक केन्द्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मैसूर सेल्स इन्टरनेशनल लिमिटेड (एम.एस.आई.एल.), कर्नाटक सरकार के उपक्रम ने एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी (ए.पी.ई.डी.ए.) से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस सुविधा की अनुमानित लागत 1.5 करोड़ रुपये है। इस केन्द्र के सितम्बर, 1998 तक चालू होने की प्रत्याशा है।

महाराष्ट्र में गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए योजनाएं

5304. श्री डी०एस० अहिरे :
श्री माधवराव पाटील :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए और गंदी बस्ती की पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ये योजनाएं केन्द्र सरकार के पास कब से लंबित पड़ी हैं; और

(ङ) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ङ) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के जरिए वर्ष 1998 में महाराष्ट्र सरकार से एक कार्य योजना मंत्रालय के टिप्पणी हेतु प्राप्त हुई। जिसके लिए उन्नयन तथा विशेष समस्या अनुदान के अन्तर्गत, मुम्बई में स्लम स्थिति में सुधार के लिए दसवें वित्त आयोग द्वारा 50 करोड़ रुपया राशि की अनुशंसा की गई थी। मंत्रालय ने प्रस्ताव प्राप्त होने से एक महीने के भीतर ही वित्त मंत्रालय को अपनी टिप्पणी से अवगत करा दिया था।

जहां तक शहरी स्लम के पर्यावरणीय सुधार संबंधी स्कीमों और राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम का संबंध है, राज्य सरकारों को इस मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

कंप्यूटरीकृत शिकायत प्रणाली

5305. श्री वैको :
श्री ए० गणेशमूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान तमिलनाडु में ऐसे कोई रेलवे स्टेशन हैं जिनका कंप्यूटरीकृत शिकायत प्रणाली रखने हेतु चयन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में नौ स्टेशनों अर्थात चेन्नई सेंट्रल, कोयम्बटूर, चेन्नई एग्मबूर, मदुरै जंक्शन, तिरूच्चिरापल्ली, काटपाडी, ईरोड, सेलम, तिरूनेलवेली को कंप्यूटर पर मामले दर्ज करने और शिकायतों पर निगरानी रखने के लिए चुना गया है।

रेलवे स्टेशनों का निर्माण

5306. श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन :
श्री रामदास आठवले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में गुडुवेंचेरि और कट्टन कुलाथुर के बीच और मुम्बई में सायन और मटुंगा के बीच नए रेलवे स्टेशनों के निर्माण की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु में गुडुवेनचेरी और कट्टन कुलाथुर के बीच नए हाल्ट की व्यवस्था करना फिलहाल संभव नहीं है चूंकि कोई वाणिज्यिक औचित्य नहीं है। सियान और माटुंगा के बीच नया स्टेशन खोलना व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि प्रस्तावित स्थान पर स्टेशन साइट के लिए कोई स्थान नहीं है। अल्प दूरी उपनगरीय खंड में स्टेशनों के सृजन से खंड की क्षमता में भी कमी हो जाती है। इसका उपनगरीय सेवाओं की बारम्बारता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पेयजल परियोजनाएं

5307. श्री रंजीब बिस्वाल :
श्रीमती मीरा कुमार :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार किन-किन पेयजल परियोजनाओं को एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक तथा हुडको से अलग-अलग सहायता मिल रही है;

(ख) उक्त एजेंसियों द्वारा इनमें से प्रत्येक परियोजना को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) शहरी इलाकों में एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक व हुडको से सहायता प्राप्त पेयजल परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक व हुडकों से सहायता प्राप्त पेयजल परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजना/स्कीम	सहायता राशि	पूर्णता की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
1.	कर्नाटक	कर्नाटक शहरी अवस्थापना विकास नगरों/कस्बों को जलापूर्ति सहित	15 मिलियन अमरीकी डालर	30.6.2000

1	2	3	4	5
		विश्व बैंक		
2.	तमिलनाडु	द्वितीय चेन्नई जल आपूर्ति व सफाई परियोजना	86.50 मिलियन अमरीकी डालर	30.6.2002
		हुडको		
3.	आंध्र प्रदेश	42 जल आपूर्ति स्कीमें	34567.87 लाख रु०	हर स्कीम की अलग-अलग
4.	असम	12 जल आपूर्ति स्कीमें	6099.60 लाख रु०	वही
5.	बिहार	2 जल आपूर्ति स्कीमें	1599.00 लाख रु०	वही
6.	गुजरात	8 जल आपूर्ति स्कीमें	12466.79 लाख रु०	वही
7.	हिमाचल प्रदेश	3 जल आपूर्ति स्कीमें	464.90 लाख रु०	वही
8.	कर्नाटक	31 जल आपूर्ति स्कीमें	28658.95 लाख रु०	वही
9.	केरल	15 जल आपूर्ति स्कीमें	11106.26 लाख रु०	वही
10.	मध्य प्रदेश	5 जल आपूर्ति स्कीमें	3537.00 लाख रु०	वही पूर्वोक्त
11.	महाराष्ट्र	9 जल आपूर्ति स्कीमें	26430.70 लाख रु०	पूर्वोक्त
12.	उड़ीसा	11 जल आपूर्ति स्कीमें	13449.92 लाख रु०	पूर्वोक्त
13.	पंजाब	70 जल आपूर्ति स्कीमें	5837.77 लाख रु०	पूर्वोक्त
14.	राजस्थान	39 जल आपूर्ति स्कीमें	14083.82 लाख रु०	पूर्वोक्त
15.	तमिलनाडु	14 जल आपूर्ति स्कीमें	20083.91 लाख रु०	पूर्वोक्त
16.	पं. बंगाल	14 जल आपूर्ति स्कीमें	16368.53 लाख रु०	पूर्वोक्त

लखीमपुर तक रेल लाइन का विस्तार

5308. श्रीमती रानी नरह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से रंगीया होते हुए लखीमपुर तक रेल लाइन के विस्तार के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, नार्थ लखीमपुर के रास्ते रंगिया-मुरकोंग सेलक के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[हिन्दी]

पुलों का निर्माण

5309. श्री महेश कनोडिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण पाटण-मेहसाना रेल सेवा को बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त दो पुलों के पुन: निर्माण और रेल सेवा को पुन: आरंभ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। केवल दो नहीं, बल्कि कुल पांच पुलों को क्षति पहुंची थी, जिसके परिणामस्वरूप 30.06.1997 से गाड़ी सेवाएं बंद थीं।

(ख) खंड को 20 महीनों के भीतर बहाल करने का निर्णय लिया गया है। कार्य शुरू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुरूआत के रूप में पुल सं० 14 के पुनर्निर्माण के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है।

[अनुवाद]

मुम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस में आग

5310. **श्री विजय सिंह सोय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चक्रधर स्टेशन पर मुम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस में आग लगने के कारणों की जांच करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां। रेल मंत्रालय की परामर्श समिति की उप समिति ने इस दुर्घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच की थी। बहरहाल, समिति आग लगने के कारण के संबंध में किसी निर्णायक साक्ष्य पर नहीं पहुंच सकी।

(ग) उप समिति की सिफारिशों की जांच की गई है तथा उन पर कार्रवाई की गई है।

प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण योजना

5311. **श्री विट्ठल तुपे** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 में प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण योजना चलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के आरम्भ होने के वर्ष-वार और राज्य वार योजना परिव्यय, वास्तविक रूप से जारी की गई राशि, वास्तविक निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1998-99 के लिए क्या वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी हां।

(ख) सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) इस योजना के तहत वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए नई तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और उनका प्रसार करने की परिकल्पना की गई है। प्रौद्योगिकी उन्मुखी होने के कारण इसका भौतिक पैरामीटरों के रूप में ब्यौरा दे पाना कठिन है। इसके अलावा, यह योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाओं, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा संस्थागत ढांचा रखने वाले अन्य संगठनों के जरिए क्रियान्वित की जा रही है। अतः राज्यवार वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियों को नहीं दिया गया है। सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1998-99 के लिए अंतरिम वास्तविक लक्ष्य 3000 हैक्टेयर है।

विवरण-I

इस योजना के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ वनेतर बंजरभूमि के लिए नई तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और उनका प्रसार करने की परिकल्पना की गई है :

(क) बंजरभूमि की विभिन्न श्रेणियों, विशेषकर भूमि कटाव, भूमि अवक्रमण, लवणता, क्षारीयता जलाक्रांति आदि की समस्या से ग्रस्त भूमि के विकास के लिए उपयुक्त, किफायती और प्रामाणित प्रौद्योगियों को उपयोग में लाना।

(ख) सतत् आधार पर बंजरभूमि के विकास हेतु प्रदर्शन मॉडलों के रूप में स्थान विशिष्ठ प्रायोगिक परियोजनायें कार्यान्वित करना।

(ग) भूमि आधारित कार्यकलापों, जिनमें मत्स्यपालन, बत्तख पालन, मधुमक्खी पालन, आदि शामिल हैं, के माध्यम से बंजरभूमि के विकास के लिए प्रायोगिक परियोजनायें शुरू करना।

यह योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाओं, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा संस्थागत ढांचा रखने वाले अन्य संगठनों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है।

योजना के अंतर्गत सरकारी, विश्वविद्यालयों, पंचायतों/समुदायों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाली बंजरभूमि पर परियोजनायें कार्यान्वित करने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान स्वीकार्य है। किसानों/निगमित निकायों की बंजरभूमि पर परियोजनायें कार्यान्वित करने के मामले में परियोजना लागत को बंजरभूमि विकास विभाग और किसानों/निगमित निकायों के बीच 60 : 40 के अनुपात में बांटा जाता है।

इसके अतिरिक्त, किसानों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

1994-95 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान 1259.34 लाख रुपये की कुल लागत से 54 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं।

विवरण-II

प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत योजना परिव्यय, जारी निधियों, वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धि का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

वित्तीय (लाख रुपये में)
वास्तविक (क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्र. सं.	वर्ष	योजना परिव्यय	जारी की गई निधियां	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	1994-95	200.00	200.00	2000	2000
2.	1995-96	200.00	200.00	2000	2000

1	2	3	4	5	6
3.	1996-97	200.00	299.17	2000	2000
4.	1997-98	800.00	560.17	3000	2700
	योग	1400.00	1259.34	9000	8700

आंध्र प्रदेश में आई.डी.एस.एम.टी. योजना

5312. **श्री जी० गंगा रेड्डी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने लघु और मध्यम नगरों के समेकित विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अपने हिस्से की धनराशि जारी कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) छोटे और मझोले कस्बों की संशोधित समेकित विकास योजना के अधीन 31-3-98 तक आंध्र प्रदेश सरकार से 15 कस्बों में परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता (अनुदान) (राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा संस्तुत) जारी करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों को भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है।

(ग) जी, हां।

(घ) छोटे और मझोले कस्बों की संशोधित समेकित विकास योजना के अधीन आंध्र प्रदेश के 15 कस्बों के लिए अब तक जारी की गई 704.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता (अनुदान) का कस्बेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आंध्र प्रदेश सरकार को छोटे और मझोले शहरों की संशोधित समेकित विकास योजना के तहत 20-7-98 तक जारी की गई कस्बेवार केन्द्रीय सहायता

क्र. सं.	कस्बे का नाम	जारी की गई सहायता (लाख रु. में)
1	2	3
1.	अमाडालवाल्सा	30.00
2.	विजियनागरम	55.00
3.	राजाहमुन्दरी	50.00
4.	गुन्टूर	66.00
5.	चित्तूर	130.00
6.	वारंगल	90.00
7.	टुनी	30.00
8.	तिरूपती	53.00
9.	नेल्लोर	34.00
10.	गेडवल	17.00
11.	भोगीर	25.00
12.	कुप्पम	16.00
13.	एलूरू	32.00
14.	बोबीली	18.00
15.	मछलीपतनम	58.00
	कुल	704.00

महाराष्ट्र में रक्षा मंत्रालय की भूमि का निजी कंपनी को आवंटन

5313. **श्री नरेश पुगलीया : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में कोयला खनन के लिए विद्युत उत्पादन कंपनी को आवंटित मंत्रालय की भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने चन्द्रपुर आयुध फैक्टरी की कुछ इकाइयों को उड़ीसा स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और उक्त फैक्टरी के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) कोई भी रक्षा भूमि किसी भी विद्युत उत्पादन कंपनी को आवंटित नहीं की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पट्टा समझौते का नवीकरण

5314. **श्री एच०जी० रामुलू : क्या इस्पात तथा खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी के साथ पट्टा समझौते के 1991 में समाप्त हो जाने के बाद इसका नवीकरण न करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार द्वारा कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (के.आई.ओ.सी.एल.) को 30 वर्ष की अवधि के लिए 4605 एकड़ क्षेत्र के खनन पट्टे की मंजूरी दी गई थी। खनन पट्टे की वैधता जुलाई, 1999 में समाप्त होगी। उक्त खनन पट्टे के नवीकरण के लिए कंपनी ने जून, 1998 में कर्नाटक सरकार को आवेदन किया है। इस संबंध में कर्नाटक सरकार ने अब तक कोई निर्णय सूचित नहीं किया है।

देवनहल्ली में विमानपत्तन

5315. श्री एच०जी० रामुलू :
श्री विजय गोयल :
प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री मोहन सिंह :
श्री मोतीलाल वोरा :
श्री पी० शिव शंकर :
डा० संजय सिंह :
श्री अजय कुमार एस० सरनायक :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टाटाज वर आस्क्ड टू पे रुपिज 50 करोड़ ब्राइज" शीर्षक से और 18 जून, 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गौडा टैक्स टाटा टू क्लेरीफाई" शीर्षकों से प्रकाशित समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को अभी तक बंगलौर विमानपत्तन परियोजना की क्लीयरेंस के लिए टाटा से रिश्वत मांगने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कांडला पत्तन को वायुमार्ग से जोड़ना

5316. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कांडला पत्तन को शेष देश से जोड़ने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। कांडला विमानपत्तन केवल कम क्षमता वाले विमानों के अवतरण के लिए सक्षम है। इस प्रकार के विमानों की कमी के कारण इस समय इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर अपनी सेवाएं इस गंतव्य के लिए प्रचालित करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे निजी प्रचालकों को जिनके पास कम क्षमता वाले विमान उपलब्ध हैं, उन्हें व्यवहार्यता को देखते हुए अपने नेटवर्क में कांडला जैसे नए स्थानों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

गुजरात में नागर विमानन का विकास

5317. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नागर विमानन के विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य आरंभ हो चुका है तथा क्या उनमें प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) प्रत्येक परियोजना की स्थिति सहित, गुजरात में विमानपत्तनों के विकास के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हाथ में ली गई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	विमानपत्तन का नाम	नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हाथ में ली जा रही परियोजनाओं के ब्यौरे	कार्य की प्रगति	क्या अनुसूची के अनुसार है
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	1. बी-747 श्रेणी के विमानों के प्रचालनार्थ रनवे का 9000 फुट से 15000 फुट तक विस्तार। 2. एप्रन का 550 मी. x 200 मी. तक विस्तार।	निविदा कार्रवाई हाथ में है। कार्य अक्तूबर, 98 से शुरू करना अनुसूचित है। कार्य में शुरू होने की तारीख से 30 माह लगेगा। प्रारंभिक वास्तुशिल्पीय नक्शे तैयार किए जा रहे हैं।	अनुसूची के अनुसार
		3. विद्यमान रनवे/टैक्सीवे का सुदृढ़ीकरण। 4. कार पार्क एरिया का विस्तार। 5. घरेलू टर्मि. परिसर का विस्तार। 6. न्यू वीएचएफ ट्रांसमीटर व रिसीवर्स	सप्लाई संबंधी कार्य पूरा हो गया है। प्रापण संबंधी कार्य प्रगति पर है। खरीद संबंधी आर्डर दे दिया गया है।	अनुसूची के अनुसार

1	2	3	4	5
		7. एच.एफ. रिसीवर्स 8. यू एच एफ लिंक		
2.	भुज सिविल एन्कलेव	नया टर्मिनल भवन	भारतीय वायुसेना ने टैक्सीवे तथा टर्मि. भवन के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अनुरोध कर दिया है।	अनुसूची के अनुसार क्योंकि भारतीय अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब हुआ।
3.	राजकोट	रनवे, एप्रन, टैक्सीपथ आदि का सुदृढ़ीकरण/पुनः सतहलेपन। एच.एफ. रिसीवर एयरपोर्ट स्पीच रिकार्डर	कार्य अग. 98 में शुरू होना अनुसूचित है। प्रापण कार्य प्रगति में है। प्रापण कार्य प्रगति में है।	अनुसूची के अनुसार
4.	पोरबंदर	तकनीकी ब्लाक, एप्रन और टैक्सीपथ सहित नया टर्मि. भवन। रनवे का 7500 फुट तक विस्तार और भूमि अधिग्रहण। एच.एफ. रिसीवर एयरपोर्ट स्पीच रिकार्डर	विस्तृत अभियांत्रिक कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार से भूमि प्राप्त की जानी है। प्राप्त किया जा रहा है। प्राप्त किया जा रहा है।	अनुसूची के अनुसार
5.	बड़ौदरा	नये तकनीकी ब्लाक व नियंत्रण टावर का निर्माण। नये एप्रन और लिंक टैक्सी ट्रैक का निर्माण। एच.एफ. रिसीवर एयरपोर्ट स्पीच रिकार्डर	विस्तृत अभियांत्रिक कार्य प्रगति पर है। कार्य पूरा हो गया है। प्राप्त किया जा रहा है। प्राप्त किया जा रहा है।	अनुसूची के अनुसार
6.	सूरत	एयरपोर्ट स्पीच रिकार्डर	प्राप्त किया जा रहा है।	अनुसूची के अनुसार
7.	भावनगर	एच.एफ. रिसीवर/एयरपोर्ट स्पीच रिकार्डर	प्राप्त किया जा रहा है।	अनुसूची के अनुसार

रेलवे लाइनों पर बम विस्फोट से रेलवे को हुई हानि

5318. श्री मोहन रावले :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी ब्राम्हान जम्मू के निकट रेलवे लाइन पर 23 जून, 1998 को हुए बम विस्फोट के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई;

(ख) पीड़ित व्यक्तियों को कुल कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई; और

(ग) इस विस्फोट के कारण कितनी रेलगाड़ियों को रद्द किया गया/मार्ग परिवर्तन किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) इस बम विस्फोट के कारण रेलवे को कुल 41,45,939 रुपये की हानि होने का अनुमान है।

(ख) क्षतिपूर्ति के लिए मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों तथा घायल यात्रियों को रेल दावा अधिकरण की संबंधित पीठ में दावे दायर करने होंगे जो इन दावों के बारे में निर्णय करेगी। बहरहाल, शिकार हुए व्यक्तियों को 15,500 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

(ग) इस घटना के परिणामस्वरूप 5 गाड़ियां रद्द तथा 6 गाड़ियां डायवर्ट की गईं।

[हिन्दी]

रेल इंजन में आग लगना

5319. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंवर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के इंजन में आग लगने से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष थे; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। 14.4.98 को इलाहाबाद मंडल में खागा और कंवर स्टेशनों के बीच एक माल गाड़ी को खींचते समय बिजली इंजन शेड, गोमोह के इंजन सं. 31008 डब्ल्यू ए जी 9 में आग लग गई थी। इंजन में उपलब्ध अग्नि शामकों की सहायता से इंजन कर्मीदल द्वारा आग पर नियंत्रण पा लिया गया था और अंततः अग्निशमनदल की सहायता से आग को बुझा दिया गया था।

(ख) से (ङ) प्रारंभिक जांच से पता लगा है कि आग लगने का संभावित कारण बिजली परिपथ में संधारित्र का फटना है। चूंकि इंजन आश्वासन प्रतिभूति के अधीन है, इंजन के विनिर्माता द्वारा इंजीनियरी और अग्निविशेषज्ञों की सहायता से वास्तविक कारण निर्धारित करने और पुनरावृत्ति रोकने के लिए निवारक उपायों का सुझाव देने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। बहरहाल, कम अंतरालों पर संधारित्र की स्थिति जांचने और प्रारंभिक स्तर पर अग्नि से कारगर ढंग से निपटने के लिए उच्च क्षमता के अग्नि शामक मुहैया कराने के लघुकालिक उपाय किए गए हैं।

मुंबई पेय जल परियोजना

5320. श्री रामदास आठवले : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंबई में जर्मनी के सहयोग से चल रही पेय जल परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके लिए परियोजना-वार स्वीकृत राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने सूचित किया है कि मुंबई में जर्मनी के सहयोग से कोई भी पेयजल-परियोजना (प्रोजेक्ट) नहीं चल रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में गरीब व्यक्तियों के लिए बुनियादी शहरी सुविधाएं

5321. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गरीब व्यक्तियों के लिए बुनियादी शहरी सुविधा संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए गए शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शहर-वार आवंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) गरीब व्यक्तियों के लिए शहरी बुनियादी सुविधा संबंधी कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य में 35 कस्बों में क्रियान्वित किया गया था जिसकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय निधियां सिर्फ राज्य स्तर पर मुहैया कराई गई थीं। केन्द्र, कार्यक्रम के लिए निधियों के कस्बा स्तर पर वितरण को मानीटर नहीं करता है। 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान केन्द्रीय हिस्से के रूप में क्रमशः 133.00 लाख रुपए तथा 44.35 लाख रुपए की राशि जारी की गई। वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकार को कोई राशि जारी नहीं की गई।

(ग) यू बी एस पी में अंतरण के जरिए सामाजिक सेवाओं के प्रावधान पर जोर दिया गया है। 31.3.96 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में कार्यक्रम के अंतर्गत 9.81 लाख लाभग्राही कवर किए जाने की सूचना मिली थी।

विवरण

1. मुंबई	2. अमरावती	3. कल्यान
4. औरंगाबाद	5. शोलापुर	6. कोलापुर
7. नागपुर	8. बुलधाना	9. मल्कापुर
10. अचलपुर	11. वर्धा	12 यवतमाल
13. जलगांव	14. पनवेल	15. उल्हासनगर
16. मीरा भयंदर	17. सिन्नार	18. गंगखोड
19. बिड	20. चन्द्रपुर	21. अकोला
22. मालेगांव	23. मनमाड़	24. भंडारा
25. भौंडिया	26. भुसावल	27. चालीस गांव
28. जालना	29. लातूर	30 चोपड़ा
31. नासिक	32. उस्मानाबाद	33. धूले
35. पारभानी।		

नेशनल न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर का गठन

5322. श्री अजीत जोगी :
श्री विजय गोयल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के परमाणु विस्फोटों के बाद एक नेशनल न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर गठित करने का प्रस्तव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(ग) इस संबंध में अन्य परमाणु सम्पन्न देशों में अपनाई गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरों की जांच की जा रही है।

रेल यात्री सेवा एजेंट

5323. **डा० सरोजा वी० :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक जोन-वार कितने रेल यात्री सेवा एजेंट नियुक्त किए गए;

(ख) सरकार के पास इस समय इस संबंध में कितने आवेदन जोन-वार लंबित हैं; और

(ग) कब तक ये आवेदन मंजूर कर लिए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) रेलों पर कार्यरत रेल यात्री सेवा एजेंटों तथा लंबित आवेदन पत्रों की संख्या जोनवार निम्नानुसार है :-

रेलवे	रेल यात्री सेवा एजेंटों की संख्या	लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
मध्य	102	–
पूर्व	20	–
उत्तर	197	–
पूर्वोत्तर	8	4
पूर्वोत्तर सीमा	28	–
दक्षिण	80	17
दक्षिण मध्य	49	10
दक्षिण पूर्व	22	–
पश्चिम	138	–

पूर्व और पश्चिम रेलों में और रेल यात्रा सेवा एजेंटों को नियुक्त करने की कार्रवाई चल रही है।

(ग) इन आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

एयर इंडिया के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच

5324. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इंजीनियरिंग काम्पलेक्स सांताक्रुज, मुम्बई में पालीयूरेथिन फ्लोरिंग बिछाने के लिए ठेका देने के लिए एयर इंडिया महाप्रबंधक (संविदा) और परियोजना प्रबंधक के विरुद्ध कोई विभागीय सतर्कता जांच शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह जांच कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास निधि

5325. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास निधि स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित शहरी परिवहन संबंधी उप दल ने सिफारिश की है कि एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास कोष का गठन किया जाए। इस कोष के सृजन का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :-

(i) इक्विटी, उदार ऋणों तथा अनुदानों के जरिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जन शहरी परिवहन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना तथा सभी शहरों में यातायात सुधारक उपाय करना;

(ii) 50% की लागत तक, साध्यता रिपोर्टों तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की वित्त व्यवस्था करना;

(iii) भारत में तथा विदेशों में शहरी परिवहन के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा दौरा कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देना;

(iv) शहरी परिवहन के क्षेत्र में कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि के लिए वित्तीय सहायता देना।

(ग) उप दल ने सिफारिश की है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बजट नियतनों के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये से लेकर प्रारंभिक धनराशि (सीड मनी) मुहैया कराई जाए। इसके अलावा, दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में चुनिंदा केन्द्रीय वसूलियों पर विशेष (डेडिकेटेड) करों/उपकरों के जरिए उतनी ही राशि जुटाई जा सकती है। इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है तथा इसलिए व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण संयोजिता कार्यक्रम

5326. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान ग्रामीण संयोजिता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कुल कितनी निधि मंजूर की गई;

(ख) योजना के अंतर्गत मंजूर की गई निधियों के उपयोग और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किन तंत्रों की सिफारिश की गई है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य में परियोजनाओं का क्रियान्वयन रोजगार कार्य आधार पर निविदाओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया के बिना किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रक्षा मंत्रालय में गैर-तकनीकी स्टाफ को व्यावसायिक भत्ता

5327. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंत्रालय के गैर-तकनीकी अधिकारियों के लिए व्यावसायिक योग्यता भत्ता की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके वित्तीय परिणाम क्या होंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न सशस्त्र बलों के कार्मिकों के वेतन तथा भत्तों में विसंगतियों पर विचार करने के लिए रक्षा सचिव की अध्यक्षता में बनी उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समय ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। समुचित विचार करने के बाद इन पर उचित निर्णय लिए जाएंगे।

जनता हाउसिंग रजिस्ट्रेशन स्कीम-1996

5328. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनवरी, 1996 में "जनता हाउसिंग रजिस्ट्रेशन स्कीम 1996" के लिए आवेदन मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किश्तों पर जनता फ्लैट्स पुस्तिका में वर्णित कीमतों पर आवंटित किए गए थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित अनुसार हैं :

I. वर्ष 1994-95 के दौरान 72,000/- रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति आवेदन करने के पात्र थे।

II. 20,000 पंजीकरण कर्त्ताओं ने 27.1.96 से 29.2.96 के बीच 5,000/- रु० पंजीकरण राशि जमा की।

III. प्रत्येक फ्लैट का कुर्सी क्षेत्र 18-25 वर्ग मी० के लगभग होगा।

IV. प्रथम चरण (1996-98) में प्रत्येक फ्लैट का मूल्य 1.25 लाख रुपये से 1.60 लाख रुपये के बीच होगा।

(ग) और (घ) ब्रोशर में उस समय दिया गया मूल्य केवल संकेत मात्र था। निपटान लागत आवंटन के समय भूमि सामग्री, मजदूरी आदि के प्रचलित मूल्य पर निर्भर करती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवंटन के लगभग 90% मामलों में फ्लैट की बिक्री की लागत ब्रोशर में उल्लिखित मूल्य के अनुसार ही थी।

एयर इंडिया द्वारा उड़ानें स्थगित करना

5329. **श्री आर० साम्बासिवा राव** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने सियोल और जेनेवा की अपनी उड़ानें स्थगित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) एयर इंडिया ने सियोल तथा जेनेवा के लिए क्रमशः 28 मार्च, 1998 तथा 29 मार्च, 1998 से अपने प्रचालन बंद कर दिए क्योंकि दोनों रूट आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं थे। तथापि, एअर इंडिया ने भारत और जेनेवा के लिए वाया पेरिस की उड़ानों के लिए एअर फ्रांस के साथ कोड शेयरिंग प्रबंध-व्यवस्था कर ली है।

नाडीकुडि-वेंकटगिरी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

5330. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत नाडीकुडि और वेंकटगिरी के बीच प्रस्तावित रेल लाइन के बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) वेंकटगिरी के रास्ते नाडिकुडी और श्रीकालहस्ती के बीच नयी बड़ी रेल लाइन के लिए टोह इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त हो जाने के बाद परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुम्बई-रायपुर-भुवनेश्वर-कलकत्ता मार्ग पर उड़ानें

5331. **श्री मोतीलाल वोरा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के लिए इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली-नागपुर-रायपुर-दिल्ली, दिल्ली-भोपाल-इंदौर-मुम्बई-दिल्ली और दिल्ली-खुजराहो-दिल्ली मार्गों पर केवल तीन उड़ानें हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उड़ानों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या 1988 में मुम्बई-रायपुर-भुवनेश्वर-कलकत्ता के लिए कोई उड़ान आरम्भ की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उस उड़ान को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) एलायंस एयर इस समय मध्य प्रदेश में निम्नलिखित शहरों के लिए उड़ानें प्रचालित करती है :-

		प्रति सप्ताह उड़ानें
1.	खजुराहो	14
2.	ग्वालियर	8
3.	भोपाल	14
4.	इन्दौर	14
5.	रायपुर	14

तथापि, ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों की संख्या में गिरावट आ जाने पर, 1 मई, 1998 से 31.7.1998 तक खजुराहो के लिए/से होकर जाने वाली उड़ानों की संख्या को घटाकर प्रति सप्ताह चार सेवाएं कर दिया गया है।

(ख) विमान क्षमता की तंगी के कारण, इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर की मध्य प्रदेश में सेवाओं में वृद्धि करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। तथापि, जेट एयरवेज मुंबई-इंदौर-मुंबई सेक्टर पर एक दैनिक सेवा का प्रचालन कर रही है तथा सहारा एयरलाइंस दिल्ली-भोपाल-इन्दौर-दिल्ली सेक्टर पर एक सप्ताह में तीन सेवाओं का प्रचालन कर रही है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस ने नवम्बर, 1991 में मुम्बई-रायपुर-भुवनेश्वर-कलकत्ता सेक्टर पर सप्ताह में तीन सेवाएं आरंभ की थीं। तथापि, प्रचालनात्मक कठिनाइयों के कारण, मुम्बई-भुवनेश्वर-कलकत्ता सैक्टर पर 15.10.1992 से इस सेवा का पुन: मार्ग निर्धारण किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

5332. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी अभी जारी की जानी है; और

(घ) अब तक स्वीकृत धनराशि जारी न करने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) जी नहीं। वर्ष 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की तीन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार आवंटन और निधियां संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों की रिलीज सशर्त थी। पहली किस्त की रिलीज पहले से जारी निधियों के 50% अथवा अधिक के उपयोग पर निर्भर करती है। दूसरी किस्त जिलों के पास उपलब्ध 60% अथवा उससे अधिक की निधियों के उपयोग तथा वर्ष 1995-96 के लिए लेखा-परीक्षित लेखाओं और उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने पर जारी की जानी होती है। चूंकि कई जिले उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं कर सके, अत: और अधिक निधियां जारी करना संभव नहीं हो सका।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(लाख रु० में)

क्रम० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना		राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4361.76	4327.75	2247.96	2211.43	1211.18	1191.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.86	15.26	22.88	5.52	19.34	1.72
3.	असम	656.14	333.25	646.36	309.62	292.34	99.54

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	7248.38	4766.66	1810.38	1114.26	940.37	490.54
5.	गोआ	10.30	7.73	11.44	5.72	4.37	0.00
6.	गुजरात	749.27	369.99	377.42	0.00	194.38	3.48
7.	हरियाणा	352.87	274.96	77.22	53.92	59.59	61.33
8.	हिमाचल प्रदेश	108.58	97.79	20.02	20.67	22.62	23.36
9.	जम्मू व कश्मीर	248.98	138.24	45.76	26.74	51.79	26.02
10.	कर्नाटक	2959.63	1771.37	649.22	18.91	392.34	162.90
11.	केरल	676.26	815.67	168.74	198.89	117.16	64.18
12.	मध्य प्रदेश	4584.53	4870.56	1404.26	2595.08	762.53	386.55
13.	महाराष्ट्र	2347.96	2423.45	1026.74	653.57	594.98	299.81
14.	मणिपुर	97.34	33.69	28.60	9.85	40.56	14.09
15.	मेघालय	94.54	34.07	34.32	9.78	39.31	11.36
16.	मिजोरम	37.44	21.72	11.44	6.64	15.91	7.96
17.	नागालैण्ड	66.46	37.18	17.16	5.01	27.77	12.05
18.	उड़ीसा	2652.62	2550.36	872.30	699.34	395.30	286.06
19.	पंजाब	341.64	170.82	125.84	62.92	41.86	9.13
20.	राजस्थान	936.00	495.33	451.88	252.66	338.68	83.57
21.	सिक्किम	11.23	6.72	2.88	2.28	4.68	2.34
22.	तमिलनाडु	3668.18	3629.66	1904.76	1758.69	453.18	368.65
23.	त्रिपुरा	146.02	124.32	51.48	39.63	60.84	35.95
24.	उत्तर प्रदेश	9617.40	8676.49	2654.08	1452.17	1447.21	1111.56
25.	पश्चिम बंगाल	3312.50	2431.37	903.76	206.88	451.46	199.23
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	2.81	0.00	2.86	0.00	1.09	0.00
27.	चण्डीगढ़	6.08	2.92	2.86	0.00	2.65	0.00
28.	दा. व न. हवेली	2.81	1.41	2.86	4.29	0.47	0.71
29.	दमन व द्वीव	0.94	0.94	2.86	2.86	0.31	0.04
30.	दिल्ली	177.84	177.84	31.46	31.46	36.97	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.94	0.47	2.86	0.00	0.16	0.00
32.	पांडिचेरी	14.04	21.06	2.86	1.42	2.96	4.44
	योग	45537.34	38629.05	15615.60	11760.21	8024.48	4957.96

टिप्पणी : रिलीज में 1996-97 के दौरान प्रतिबद्ध देयता शामिल है।

सिविल एविएशन सेक्टर की दयनीय स्थिति

5333. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14-20 जून, 1998 के "संडे आब्जर्वर" में "सिविल एविएशन सेक्टर इन शैम्बल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। इस समाचार में वर्ष 1997-98 के आर्थिक सर्वेक्षण में नागर विमानन क्षेत्र की अनदेखी करने, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों के कार्य-निष्पादन में सुधार की आवश्यकता तथा अन्य संबंधित मुद्दों की बात कही गई है।

(ग) संगठनों के कार्य-निष्पादन और कार्यचालन में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय वाहकों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए हाल में ही उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :-

एयर इंडिया :

1. अतिरिक्त राजस्व के सृजनार्थ विपणन संबंधी प्रयासों में और तेजी लाई गई है।
2. लाभप्रद मार्ग पर जोर देते हुए नेटवर्क का योक्तिकरण और समेकन करना।
3. विमानों की बाह्य मरम्मत संबंधी कार्यों पर होने वाले व्यय में कमी करने के लिए और अधिक इन हाऊस मरम्मत संबंधी कार्यों को हाथ में लेना।
4. विदेश में एयर इंडिया के विभिन्न विभागों में भारतीय अधिकारियों के अनेक पदों को समाप्त कर दिया गया है।

इंडियन एयरलाइंस :

1. ऑफ लाइन स्टेशनों को बंद करना और बुकिंग कार्यालयों की संख्या में कमी करना।
2. प्रचालनात्मक कारणों से नितांत आवश्यक न होने की दशा में भर्ती पर प्रतिबंध।
3. कार्यालय भवनों पर होने वाले व्यय में भारी कटौती।
4. प्रचालनात्मक कारणों से नितांत आवश्यक न होने पर पूंजीगत व्यय पर रोक।
5. घाटे वाले मार्गों की आवृत्तियों में कमी करना।

सरकार ने एयर इंडिया को हुए घाटे संबंधी कारणों की व्यापक जांच कराने और कंपनी की पूर्व स्थिति बहाल कराने और कंपनी की पूर्व स्थिति बहाल कराने संबंधी रणनीति सुझाने की दृष्टि से टैरिफ आयोग के अध्यक्ष, डा० विजय केलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894

5334. श्री जुआल उराम : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानदी कोल फील्ड (एम.सी.एफ.) बसुन्धरा क्षेत्र, भूमि अर्जन अधिनियम, (1894 का 1) का उल्लंघन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाएं

5335. डा० राम विलास वेदान्ती :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री दारोगा प्रसाद सरोज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश से प्राप्त रेल परियोजनाओं का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कदम उठाए गए हैं तथा यदि कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए सुधार तथा विस्तार कार्य का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऑफसेट छपाई कागज

5336. श्री तारिक अनवर : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी प्रेसों से ऑफसेट छपाई के कागजों की चोरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चोरी किए गये कागजों का मूल्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) भारत सरकार पाठ्यपुस्तक मुद्रणालय, मैसूर से, 1996 में, कुछ कर्मचारियों द्वारा कैरिंग कन्ट्रेक्टर की मिलीभगत से सफेद आफसेट छपाई के कागजों के दुरुपयोग के एक मामले की सूचना मिली थी।

(ख) दुरुपयोग किए गए कागज की कीमत करीब 1,94,200.00 रुपये थी।

(ग) मैसूर के नाजाबाद थाने में 31.5.96 को प्राथमिकी दर्ज करवाई गई।

(घ) पुलिस ने 1.6.96 को बंगलौर से कागजों की 18 रील बरामद कीं। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है।

(ङ) ऑफसेट छपाई के कागजों को भारी मात्रा में खरीदने का निर्णय लिया है, जिन पर मुद्रण निदेशालय तथा पेपर मिल का विशेष चिह्न हो ताकि कागज को लाने ले जाने के दौरान दुरुपयोग से बचा जा सके। कागजों की खरीद, खरीदार का माल सुपुर्दगी आधार पर की जाती है अर्थात फर्म स्वयं मुद्रणालय परिसर के कागज की सप्लाई करती है।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा चूना पत्थर की खरीद

5337. श्री ब्रज मोहन राम : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र ने गत तीन वर्षों के दौरान "सेल" के "रॉ मैटीरियल डिवीजन" के साथ हुए समझौते के अनुसार चूना पत्थर का अपना कोटा है;

(ख) यदि हां, तो बोकारो इस्पात संयंत्र में चूना पत्थर की वार्षिक कुल खपत कितनी है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना पत्थर और सिलिका मिश्रित चूना पत्थर की कितनी खरीद की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान निजी पार्टियों सहित खान-वार बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा चूना पत्थर और सिलिका मिश्रित चूना पत्थर की खरीद की गई ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) की कच्चा माल प्रभाग से संबद्ध खानों द्वारा सृजित चूना पत्थर की आपूर्ति बोकारो इस्पात संयंत्र को की गई थी। योजना और वास्तविक आपूर्ति का विवरण नीचे दिया गया है :-

(आंकड़े टन)

वर्ष	खान	योजना	प्राप्ति
1995-96	भावनाथपुर,	7,46,000	2,28,261
	कुटेश्वर	10,00,000	7,45,768
	आई एल क्यू सतना	शून्य	शून्य
1996-97	भावनाथपुर	2,40,000	1,89,642
	कुटेश्वर	9,00,000	2,36,154
	आई एल क्यू सतना	शून्य	67715
1997-98	भावनाथपुर	2,21,000	1,61,744
	कुटेश्वर	7,50,000	4,55,007
	आई एल क्यू सतना	शून्य	18216

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र में चूना-पत्थर की खपत निम्नानुसार रही :-

वर्ष	चूना पत्थर की कुल खपत (टन में)
1995-96	12,32,343
1996-97	10,81,735
1997-98	8,77,724

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदे गए चूना पत्थर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा क्रय किया गया चूना पत्थर

(आंकड़े टन)

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	स्रोत	1995-96	1996-97	1997-98
1.	सेल	भावनाथपुर	228261	189642	161744
2.	बीएसएमडीसी लि.	विपादोहर	19803	355	शून्य
3.	सेल	कुटेश्वर	745768	236154	455007
4.	सेल	सतना	शून्य	67715	18216
5.	आरएसएमडीसी लि.	जैसलमेर	87002	171424	87826
6.	आरएसएमएम लि.	जैसलमेर	शून्य	23384	60530
7.	एनएमडीसी लि.	नागौर	शून्य	4168	शून्य
8.	यूपीएसएमडीसी लि.	देहरादून	13943	शून्य	शून्य
9.	बर्नपुर इस्को	(विपथन)	3544	शून्य	शून्य

निजी आपूर्तिकर्ता

मैसर्स

1. एस. गोयनका लाइम एंड कैमिकल्स लि.	ननवारा/मैहर	114695	188997	19682
2. एमपी मिनरल सप्लायर्स	ननवारा/मैहर	शून्य	10230	7465
3. एस एन सुन्दरसन मिनरलस लि.	ननवारा/मैहर	26960	95607	8943
4. दिवान लाइम कं. प्रा. लि.	मैहर	39219	25187	शून्य
5. एन एम दबास स्टोन एंड लाइम कं.	जुकेही/मैहर	23860	38398	14966
6. यूनाइटेड ट्रेडिंग कं.	मैहर	26763	17613	26314
7. मेहर स्टोन एंड लाइम कं.	मैहर	28722	97072	शून्य
8. सतना स्टोन एंड लाइम	सतना	शून्य	22352	शून्य
9. कमर्शियल मिनरल	जुकेही	शून्य	10293	5082

चूंकि चूना पत्थर में सिलिका का निश्चित प्रतिशत होता है अत: सिलिका मिश्रित चूना पत्थर के रूप में कोई नामजद श्रेणी नहीं है।

[अनुवाद]

हाउसिंग सोसाइटियों की सदस्यता

5338. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में कुछ व्यक्तियों ने झूठे हलफनामे दायर करके तथा हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में आवेदन करके ''कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज'' (सहकारी गृह निर्माण सोसाइटियों) के माध्यम से अनेक इकाइयों की अधिप्राप्ति कर ली है;

(ख) क्या एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से अधिक की सदस्यता प्राप्त करना अपराध है तथा इन सोसाइटियों के नियमों के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कदाचार को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां दिल्ली के सहकारी समिति रजिस्ट्रार ने सूचित किया है कि दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 1972 के अंतर्गत पंजीकृत समान वर्ग की दो प्रारंभिक सहकारी आवास समितियों में दोहरी सदस्यता के बारे में दिल्ली के सहकारी समिति रजिस्ट्रार कार्यालय को शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है क्योंकि नियमों में एक से अधिक सहकारी आवास समिति में सदस्यता की अनुमति नहीं है।

दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 तथा दिल्ली सहकारी समितियां नियम, 1973 दिल्ली के बाहर लागू नहीं है।

(ख) जी, हां।

दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के नियम 28 के अंतर्गत किसी भी सदस्य को समिति की सदस्यता से हटाया जा सकता है।

(ग) जब कोई शिकायत/सूचना मिलती है, तो नियमों के अनुसार, क्रमश: समिति तथा दिल्ली सहकारी समिति रजिस्ट्रार द्वारा कार्रवाई की जाती है।

रेलवे में मजदूर संघ

5339. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अनेक मजदूर संघों के स्थान पर गुप्त मतदान द्वारा एक संघ की स्थापना करने संबंधी योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यरूप दे दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी भवनों का रख-रखाव

5340. श्री अमन कुमार नागरा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में सरकारी भवनों के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का खर्च दिखाया जाता है किन्तु वास्तव में 10 प्रतिशत राशि भी नहीं खर्च की जाती है तथा करोड़ों रुपये की निर्माण सामग्री या तो चोरी हो जाती है या सिर्फ कागज पर खर्च किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्ष के दौरान क्या जांचें कराई गईं; उन जांचों के क्या निष्कर्ष निकले तथा इसमें कौन-कौन से अधिकारी संलिप्त पाए गए तथा इनके क्या परिणाम निकले ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। निर्धारित प्रतिमानक के अनुसार दिल्ली में सरकारी भवनों के रख-रखाव पर किया गया व्यय वास्तव में निर्माण सामग्री और सेवाओं पर होता है।

(ख) उपर्युक्त दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्धनों के लिए आवास

5341. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित निर्धनतम लोगों के लिए कम लागत वाले आवास बनाने और आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, मुक्त बंधुआ मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों को आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना को कार्यान्वित कर रहा है। न्यूनतम 60% आवास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबों को आबंटित किए जाते हैं। योजना के अंतर्गत आवास के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में 20,000 रुपए और दुर्गम/पर्वतीय क्षेत्रों में 22,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आवासों के निर्माण में किफायती प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों आदि को अपनाने पर बल दिया जाता है।

चालू वर्ष 1998-99 के दौरान ग्रामीण आवास के लिए 1600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान में वित्तीय अनियमिततायें

5342. प्रो रीता वर्मा : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सी.एम.आर.आई.) में वित्तीय अनियमितताओं के मामले किसी स्तर पर प्रकाश में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक ने भी इन नियमितताओं का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन वित्तीय अनियमितताओं के कारण केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान को कुल कितना नुकसान हुआ;

(च) इन अनियमितताओं में कितने अधिकारी और किस स्तर के अधिकारी शामिल थे; और

(छ) इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चूना पत्थर का भंडार

5343. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में बी.एस. श्रेणी और एस.एम.एम. श्रेणी के चूना-पत्थरों का मूल्यांकन करने के लिये हाल ही में कोई खनिज संबंधी जांच की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मेघालय में चूना-पत्थर के भंडार के व्यावसायिक दोहन में विदेशी भागीदारी शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी गुणवत्ता और मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मेघालय के जेंटिया हिल्स जिले की लिटांग नदी घाटी में चूना पत्थर के कुल 2265 मिलियन टन संभावित संसाधन भंडारों का अनुमान लगाया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इन निक्षेपों को पुनर्श्रेणीबद्ध करने के लिए 1992-93 से ही विस्तृत गवेषण किया जा रहा है तथा लिटांग नदी घाटी में 3.5 वर्ग किमी० के क्षेत्र में 884 मिलियन टन संभावित निक्षेपों की पुष्टि की गई है जिसमें से 50% इस्पात प्रगालन शॉप (एस एम एस) ग्रेड तथा 25-30% सीमेंट ग्रेड के हैं।

(ग) और (घ) 74% विदेशी इक्विटी भागीदारी वाली फ्रांस की कंपनी मैसर्स लाफार्ज सुरमा सीमेंट लिमिटेड के साथ विदेशी सहयोग से चूना-पत्थर तथा शैल के खनन तथा निर्यात के लिए शिलांग, मेघालय में निगमित कंपनी मैसर्स लुम मॉशुन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड से एक प्रस्ताव, उद्योग मंत्रालय की मार्फत प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव खान विभाग में विचाराधीन है। इसके बाद विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी) इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगा।

मुम्बई के समीप नया हवाई अड्डा

5344. श्री संदीपान थोरात : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 1998 के "द आब्जर्वर" में "ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ब्लाक रुपीज 5,870 करोड़ सिडको प्रोजेक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मुम्बई क्षेत्र के लिए दूसरे विमानपत्तन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने हेतु, भारत सरकार ने नवम्बर, 1997 में एक समिति का गठन किया था। 13 मई, 1998 को समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा

सिफारिश की गई मुम्बई में चार स्थल अर्थात् (1) नवी मुम्बई, (2) वर्तमान मुम्बई विमानपत्तन, (3) सिंधुदुर्ग जिले में महापान तथा (4) माण्डवा रिवास का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। चार स्थानों में से तीन स्थानों अर्थात वर्तमान मुम्बई विमानपत्तन, माण्डवा रिवास और महापान सिंधुदुर्ग का सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा तकनीकी दृष्टि से चौथा स्थान अर्थात पनवेल जहां सिडको का नये अन्तर्देशीय विमानपत्तन के निर्माण का प्रस्ताव है समीक्षाधीन है। यातायात तथा स्थल सर्वेक्षण किए जा रहे हैं और सरकार को अंतिम रिपोर्ट अक्तूबर, 1998 के प्रारंभ में प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

बाल्को में घटिया चूने की खरीद

5345. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एल्युमिनियम कंपनी, कोरबा ने वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान वर्षवार कोरबा स्थित चूना उद्योगों से कितनी मात्रा में चूने की खरीद की थी;

(ख) अनुषंगी चूना उद्योगों तथा दो अन्य चूना उद्योग जो बाल्को के अनुषंगी नहीं हैं से घटिया चूना खरीदे जाने के कारण कितनी राशि की कटौती की गई है;

(ग) क्या निविदाओं की समाप्ति के पश्चात भी इन दोनों चूना उद्योगों को चूना आपूर्ति करने के आदेया दिय गये थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) के सहायक उद्योग हैं न कि अनुषंगी उद्योग। सहायक उद्योगों तथा सहायक उद्योगों से इतर इकाइयों से वर्ष 1996-97 और 1997-98 में खरीदे गए चूने की मात्रा निम्न प्रकार है :-

(आंकड़े टन में)

वित्तीय वर्ष	सहायक उद्योग से	सहायक उद्योगों से इतर इकाइयों से
1996-97	18,763	25070
1997-98	18,957	18798

(ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 में घटिया चूने के कारण कटौती की गई राशि निम्न प्रकार है :-

वित्तीय वर्ष	सहायक उद्योग से	सहायक उद्योगों से इतर इकाइयों से
1996-97	16.66	12.58
1997-98	31.63	10.74

(ग) और (घ) आरंभ में आपूर्तिकर्ताओं के साथ जनवरी, 1996 से दिसम्बर, 1996 तक 12 महीने की अवधि के लिए ठेके थे। बाद में इन ठेकों की अवधि समय-समय पर उन्हीं शर्तों पर चूने के उन आपूर्तिकर्ताओं (सहायक और सहायक चूना उद्योगों से इतर उद्योगों सहित) के लिए बढ़ाई गई जिन्होंने अपनी सहमति सितम्बर, 1997 तक दे दी थी।

[अनुवाद]

एल्युमिनियम संयंत्र में पात्रों को हुई क्षति

5346. श्री गिरिधर गमांग : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंगुल, उड़ीसा स्थित एल्युमिनियम संयंत्र में भारी संख्या में पात्रों को हुई क्षति के कारणों का पता लगाने के लिए मंत्रालय द्वारा हाल में गठित समिति के निर्देश पद क्या हैं;

(ख) विगत में इस संयंत्र में इस प्रकार की घटना कितनी बार घटी और नाल्को द्वारा समय-समय पर यदि कोई एहतियाती उपाय किए गए हों, तो उनको ब्यौरा क्या है; और

(ग) नाल्को द्वारा तकनीकी दोषों और जनशक्ति प्रबन्धन प्रणाली में मौजूदा दोषों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) खान विभाग द्वारा गठित समिति के विचारणीय विषय निम्नवत् हैं :-

1. अंगुल प्रगालक के पॉट लाइन में जनवरी, 1998 से अस्थिरता तथा खराबी के कारणों का पता लगाना।
2. यह पता लगाना कि क्या पॉट लाइन के सही रखरखाव तथा मरम्मत के लिए आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराने में कोई कमी रही।
3. कार्मिकों की अनुपस्थिति, अनुशासनहीनता, देख-रेख में कमी और अन्य इस प्रकार के कारकों की दृष्टि से मानवीय गलती का पता लगाना।
4. उत्पादित धातु की मात्रा, गुणवत्ता/शुद्धता तथा मूल्य की दृष्टि से उत्पादन में समग्र हानि का हिसाब लगाना।
5. गलतियों तथा भूल-चूक के कार्यों, जिनकी वजह से यह उत्पादन हानि हुई तथा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का स्पस्ट तौर पर पता लगाना।
6. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुझाव देना।

(ख) पॉट में इस तरह की खराबी नालको के प्रगालक संयंत्र में पहले भी तीन बार यानी 1988, 1990 तथा 1994 में आई है। कंपनी ने विद्युत आदि के स्थायीत्व को सुधारने के लिए कम आवृति (फ्रिक्वेंसी) की स्थिति में उड़ीसा ग्रिड से ऑटोमैटिक आईलैंडिग, कार्य-स्थिति में सुधार जैसे सुधारात्मक कदम उठाए हैं।

(ग) नालको ने स्थिति का आकलन करने के लिए एक तकनीकी समिति गठित की है तथा इसकी सिफारिशें कंपनी द्वारा क्रियान्वित की

जा रही है। इसके अलावा, कंपनी ने पॉट लाइनों तथा एनोड क्षेत्रों के लिए फ्रांस के एल्युमिनियम पेचिने से, रौडिंग शॉप के लिए फ्रांस की मैसर्स साइपरिम तथा ओवरहैड क्रेनों के लिए फ्रांस की कंपनी मैसर्स इलैक्ट्रिफिकेशन चारपेंटे लीवेज (ई सी एल) से तकनीकी विशेषज्ञ भी मंगाए हैं। उनकी सिफारिशें भी कंपनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। जनशक्ति की समस्या के समाधान के लिए कंपनी द्वारा एक विशेष कार्यदल का गठन किया गया है तथा 12-12 घंटे की ड्यूटी की व्यवस्था की गयी है।

दस लाख कुआं योजना

5347. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री रामानन्द सिंह :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दस लाख कुआं योजना के अंतर्गत कुल कितने कुएं खोदे गए और गत तीन वर्षों के दौरान अब तक राज्य-वार और वर्ष-वार इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत निर्मित कुओं की कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99•
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10899	13169	12670	असूचित••
2.	अरुणाचल प्रदेश	130	89	152	5
3.	असम	1865	2332	1842	असूचित••
4.	बिहार	25478	22911	23307	2358
5.	गोआ	37	33	16	9
6.	गुजरात	4107	3148	2773	306
7.	हरियाणा	572	363	741	8
8.	हिमाचल प्रदेश	138	670	602	9
9.	जम्मू व कश्मीर	1673	1544	1745	असूचित••
10.	कर्नाटक	5236	3004	3096	307
11.	केरल	3468	2268	3976	523
12.	मध्य प्रदेश	35654	19950	19029	349
13.	महाराष्ट्र	8770	8002	8324	660
14.	मणिपुर	520	429	218	7
15.	मेघालय	732	885	468	0
16.	मिजोरम	425	483	325	असूचित••
17.	नागालैण्ड	0	80	608	असूचित••
18.	उड़ीसा	24263	18349	15798	987
19.	पंजाब	0	0	0	असूचित•••
20.	राजस्थान	2457	2389	2420	91
21.	सिक्किम	364	91	89	2
22.	तमिलनाडु	10899	5962	3626	673
23.	त्रिपुरा	2049	1221	926	असूचित••
24.	उत्तर प्रदेश	518	43	44	असूचित••
25.	पश्चिम बंगाल	2402	1461	542	असूचित••
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	6	13	4	4
27.	चण्डीगढ़	24	8	16	0
28.	दा. व न. हवेली	0	0	2	0
29.	दमन व द्वीव	0	0	140	असूचित••
30.	पांडिचेरी	1	0	0	असूचित
	योग	142685	108897	103499	6298

•मई 1998 तक की प्रगति

••राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा असूचित

•••पंजाब में एम.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत निधियां भूमि को समतल आदि करने पर खर्च की गई हैं।

विवरण-II

एम.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत उपयोग की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99•
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2608.25	3950.53	4374.73	असूचित••
2.	अरुणाचल प्रदेश	71.46	36.89	36.99	1.33
3.	असम	666.70	852.99	1481.36	असूचित••
4.	बिहार	5719.22	6351.13	7057.44	950.94
5.	गोआ	12.23	9.12	10.15	4.11
6.	गुजरात	1494.06	1182.96	1454.36	161.51
7.	हरियाणा	168.40	151.64	255.01	6.91
8.	हिमाचल प्रदेश	184.29	200.15	169.97	4.30

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू व कश्मीर	216.89	258.81	283.69	असूचित••
10.	कर्नाटक	3241.76	2750.86	2799.97	90.38
11.	केरल	1542.52	1075.77	1028.08	13.00
12.	मध्य प्रदेश	4766.37	3864.57	4403.29	41.62
13.	महाराष्ट्र	3416.04	4604.17	4855.69	408.32
14.	मणिपुर	99.18	46.70	26.10	0.94
15.	मेघालय	42.12	54.96	46.71	0.00
16.	मिजोरम	40.27	42.82	27.74	असूचित••
17.	नागालैण्ड	0.00	19.90	27.00	असूचित••
18.	उड़ीसा	4322.29	4176.51	3132.66	274.44
19.	पंजाब	0.00	46.09	61.53	10.75
20.	राजस्थान	825.77	891.96	873.23	105.97
21.	सिक्किम	104.46	44.94	48.40	0.98
22.	तमिलनाडु	4814.56	4341.06	4205.41	51.48
23.	त्रिपुरा	123.77	88.89	109.86	असूचित••
24.	उत्तर प्रदेश	11988.78	11672.94	9629.94	असूचित••
25.	पश्चिम बंगाल	7341.71	3507.65	3088.87	असूचित
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	9.35	5.17	3.78	0.61
27.	दा. व न. हवेली	8.24	4.20	3.52	1.32
28.	दमन व द्वीव	0.00	0.00	2.17	0.52
29.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	17.85	असूचित••
30.	पांडिचेरी	0.16	0.00	1.38	असूचित••
योग		53828.85	50233.38	49516.88	2129.43

•मई, 1998 तक की प्रगति

••राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा असूचित।

मुम्बई हवाई अड्डों पर दलाल

5348. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई हवाई अड्डों के घरेलू और अंतराष्ट्रीय टर्मिनलों पर तथा आस-पास दलाल सक्रिय है; और

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यकलापों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) मुम्बई विमानपत्तन पर विशेषतः अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल/कार्गो परिसर में दलालों की समस्या से निपटने में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों की मदद ली जा रही है। इस आतंक पर काबू पाने के लिए पुलिसकर्मियों के साथ आवधिक जांच/संयुक्त निरीक्षण किए गए हैं। इस वर्ष में जून, 1998 तक दलाली में लिप्त/यात्रियों से बातें करते हुए 785 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यात्रियों को बताने/सावधान करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने टर्मिनलों में दक्षिण भारतीय/स्थानीय भाषा में ध्यानाकर्षी स्थानों पर सूचनापट्ट लगाकर विभिन्न कदम उठाए हैं। विभिन्न सुविधाओं से संबंधित सूचना भी सीसीटीबी मोनीटरों पर दर्शायी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनलों में तथा सिटी साइड में भी अतिरिक्त मुद्रा परिवर्तन पटल मुहैया कराए गए हैं। यात्रियों की संयोजक उड़ानों के लिए उन्हें निःशुल्क अंतर्टर्मिनल शटल कोच सेवा की सुविधा भी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर पूर्व भुगतान टैक्सी सेवा भी उपलब्ध है ताकि यात्री किसी चक्कर में फंसने से बच सकें।

अस्थायी शेडों के निर्माण के लिए अनुमति

5349. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने सरकारी आवास के आवंटियों को कार, स्कूटर तथा पालतू जानवरों के लिए शत-प्रतिशत लागत जमा कराने पर अस्थायी शेड बनाने के संबंध में अनुमत्ति दी थी; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ऐसे कितने अस्थायी शेड बनाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) कोई नहीं। तथापि कुछ शेड जो उपर्युक्त (क) श्रेणी में नहीं आते हैं उनका सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आवंटी की पात्रता के अनुसार वी आई पी बंगलों में निर्माण किया गया है।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर समाचार पत्र तथा पुस्तकों की दुकान

5350. **श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर समाचार पत्रों तथा पुस्तकों की दुकानें नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो समाचार पत्र तथा पुस्तक की दुकान खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) खुली निविदाओं के जवाब में कम प्रतिक्रिया होने के कारण, यात्रियों की आवश्यकता की सामग्री जिसमें समाचार-पत्र, पत्र-पत्रिकाएं तथा पुस्तकें शामिल हैं, के स्टाल/दुकानों के लिए निर्धारित स्थान अगस्त, 1997 से खाली पड़ा हुआ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दोबारा

से इन दुकानों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए कदम उठा रहा है और आशा है कि यह सुविधा जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी।

रेलवे अस्पताल

5351. **श्री रंजीब बिस्वाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा विभिन्न जोनों में स्थापित किए गए अस्पताल किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या अस्पतालों की कमी के कारण रेलवे कर्मचारियों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये गये हैं और सन् 2000 तक नये अस्पताल किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा जिससे रेलवे कर्मचारियों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जा सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) रेलवे अस्पतालों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रेल अस्पताल की सूची—स्थानवार

(क) मध्य रेल

1. बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल, मुंबई
2. मंडल रेल अस्पताल, कल्याण
3. मंडल रेल अस्पताल, भुसावल
4. मंडल रेल अस्पताल, झांसी
5. मंडल रेल अस्पताल, जबलपुर
6. मंडल रेल अस्पताल, नागपुर
7. मंडल रेल अस्पताल, शोलापुर
8. मंडल रेल अस्पताल, निशादपुरा भोपाल
9. उप मंडल रेल अस्पताल, आमला
10. उप मंडल रेल अस्पताल, पुणे
11. उप मंडल रेल अस्पताल, इगतपुरी
12. उप मंडल रेल अस्पताल, मनमाड
13. उप मंडल रेल अस्पताल, कटनी
14. उप मंडल रेल अस्पताल, इटारसी
15. उप मंडल रेल अस्पताल, खुर्दावाडी
16. उप मंडल रेल अस्पताल, दौंड
17. उप मंडल रेल अस्पताल, बीना

(ख) पूर्व रेल

1. सेंट्रल अस्पताल, बी.आर. सिंह/सियालदेह
2. आर्थोपेडिक अस्पताल, हावड़ा
3. मंडल अस्पताल, आसनसोल
4. मंडल अस्पताल, धनबाद
5. मंडल अस्पताल, दानापुर
6. मंडल अस्पताल, मुगलसराय
7. मंडल अस्पताल, मालदा
8. कारखाना अस्पताल, लिलुआ
9. कारखाना अस्पताल, जमालपुर
10. कारखाना अस्पताल, कांचरापाडा
11. उप मंडल अस्पताल, गया
12. उप मंडल अस्पताल, अंडाल
13. उप मंडल अस्पताल, पतरातु

(ग) उत्तर रेल

1. सेंट्रल अस्पताल, नई दिल्ली
2. सेंट्रल अस्पताल, दिल्ली
3. सेंट्रल अस्पताल, इलाहाबाद
4. सेंट्रल अस्पताल, लखनऊ
5. सेंट्रल अस्पताल, मुरादाबाद
6. सेंट्रल अस्पताल, जोधपुर
7. सेंट्रल अस्पताल, बीकानेर
8. सेंट्रल अस्पताल, फिरोजपुर
9. सेंट्रल अस्पताल, अंबाला
10. उप मंडल अस्पताल, टूंडला
11. उप मंडल अस्पताल, झारीपानी
12. उप मंडल अस्पताल, सहारनपुर
13. उप मंडल अस्पताल, रेवाड़ी
14. उप मंडल अस्पताल, जालंधर
15. उप मंडल अस्पताल, अ.अ.मा. सं.—लखनऊ
16. कारखाना अस्पताल, जगाधरी
17. कारखाना अस्पताल, कानपुर
18. कारखाना अस्पताल, अमृतसर

(घ) पूर्वोत्तर रेल

1. सेंट्रल अस्पताल, गोरखपुर
2. मंडल अस्पताल, इज्जतनगर
3. मंडल अस्पताल, लखनऊ
4. मंडल अस्पताल, समस्तीपुर
5. मंडल अस्पताल, सोनपुर
6. मंडल अस्पताल कैंसर इंस्टिट्यूट/वाराणसी
7. मंडल अस्पताल, वाराणसी
8. मंडल अस्पताल, गोंडा
9. उप मंडल अस्पताल, गढ़हरा

(ड़) पूर्वोत्तर सीमा रेल

1. सेंट्रल अस्पताल, माकीगांव
2. मंडल अस्पताल, लमडिंग
3. मंडल अस्पताल, अलीपुरद्वार
4. मंडल अस्पताल, कटिहार
5. मंडल अस्पताल, न्यू जलपाईगुड़ी
6. उप मंडल अस्पताल, बदरपुर
7. उप मंडल अस्पताल, रंगापारा नार्थ
8. उप मंडल अस्पताल, न्यू बोंगाईगांव
9. उप मंडल अस्पताल, तिनधारिया
10. उप मंडल अस्पताल, डिब्रूगढ़

(च) दक्षिण रेल

1. सेंट्रल अस्पताल, पेराम्बूर
2. मंडल अस्पताल, गोल्डन रॉक
3. मंडल अस्पताल, पालघाट
4. मंडल अस्पताल, मदुरै
5. मंडल अस्पताल, मैसूर
6. मंडल अस्पताल, तिरुवनंतपुरम
7. मंडल अस्पताल, बेंगलूर
8. मंडल अस्पताल, अरकोनम
9. उप मंडल अस्पताल, बिलुपुरम
10. उप मंडल अस्पताल, पोदनूर
11. उप मंडल अस्पताल ईरोड
12. उप मंडल अस्पताल, शोरूवण्णूर
13. उप मंडल अस्पताल, अशोकापुरम

(छ) दक्षिण मध्य रेल

1. सेंट्रल अस्पताल, लालगुडा
2. मंडल अस्पताल, विजयवाड़ा
3. मंडल अस्पताल, हुबली
4. मंडल अस्पताल, गुंतकल
5. उप मंडल अस्पताल, पूर्ण
6. उप मंडल अस्पताल, रायनपाडु
7. मंडल पाली क्लिनिक, काजीपेट

(ज) दक्षिण पूर्व रेल

1. सेंट्रल अस्पताल, गार्डन रीच
2. मंडल अस्पताल, चक्रधरपुर
3. मंडल अस्पताल, आद्रा
4. मंडल अस्पताल, बिलासपुर
5. मंडल अस्पताल, विशाखापत्तनम
6. मंडल अस्पताल, खुर्दा रोड
7. मंडल अस्पताल, खड़गपुर
8. उप मंडल अस्पताल, नैनपुर
9. उप मंडल अस्पताल, टाटानगर
10. उप मंडल अस्पताल, बोंडामुंडा
11. उप मंडल अस्पताल, भिलाई
12. उप मंडल अस्पताल, शाहदोल
13. मंडल अस्पताल, मंचेश्वर
14. मंडल पाली क्लिनिक, नागपुर

(झ) पश्चिम रेल

1. जगजीवन राम अस्पताल, मुंबई
2. मंडल अस्पताल, प्रतापनगर
3. मंडल अस्पताल, रतलाम
4. मंडल अस्पताल, कोटा
5. मंडल अस्पताल, अजमेर
6. मंडल अस्पताल, राजकोट
7. मंडल अस्पताल, भावनगर
8. उप मंडल अस्पताल, वलसाड
9. उप मंडल अस्पताल, साबरमती
10. उप मंडल अस्पताल, गंगापुर सिटी
11. उप मंडल अस्पताल, आबू रोड

12. उप मंडल अस्पताल, राणा प्रताप नगर

13. उप मंडल अस्पताल, गांधीधाम

14. उप मंडल अस्पताल, बांदीकुई

15. कारखाना अस्पताल, दाहोद

(ज) उत्पादन इकाई

1. रेल अस्पताल, चितरंजन

2. रेल अस्पताल, डी.रे.का. वाराणसी

3. रेल अस्पताल, इंडिका, चेन्नई

4. रेल अस्पताल, येलहंका, बेंगलूर

5. रैल अस्पताल, डी.पु.की./पटियाला

6. रेल अस्पताल, रे.को.फै./कपूरथला

राज्य सरकारों द्वारा भारतीय वायु सेना के विमान किराए पर लेना

5352. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के विमान और हेलीकाप्टर किराए पर लिए जाने के कारण कुछ राज्यों पर बड़ी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि वसूल की गई है; और

(ङ) बकाया देय की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के वायुयान का उपयोग करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के विरुद्ध बकाया देय राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) सघन प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय वायुसेना ने विभिन्न राज्यों से पिछले तीन वर्षों के दौरान 131.7 करोड़ रुपए की वसूली की है। बकाया राशि की वसूली के लिए उगाही की नियमित प्रक्रिया के अतिरिक्त विशेष उगाही अभियान भी चलाए गए हैं।

विवरण

राज्य सरकार	बकाया धनराशि
1	2
आंध्र प्रदेश	3,62,84,164
अरुणाचल प्रदेश	17,72,04,297
असम	1,35,72,452
बिहार	5,74,93,333
दिल्ली	9,79,396
गुजरात	1,80,77,916
हिमाचल प्रदेश	2,57,96,250
जम्मू और कश्मीर	7,80,63,338
कर्नाटक	7,41,667
केरल	14,69,480
मणिपुर	65,05,076
मेघालय	22,46,120
मिजोरम	63,84,634
मध्य प्रदेश	9,58,333
नागालैंड	84,44,052
पंजाब	8,23,278
राजस्थान	14,26,994
सिक्किम	36,60,111
तमिलनाडु	70,51,374
त्रिपुरा	3,32,678
उत्तर प्रदेश	9,03,750
पश्चिम बंगाल	4,13,333
अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	1,78,22,001
कुल	46,66,54,027

नई नागर विमानन नीति

5353. **श्री जी० गंगा रेड्डी :**
श्री मोतीलाल वोरा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेट एयरलाइन्स को 15 जुलाई तक एक वैकल्पिक नीति तैयार करनी थी और मंत्रालय के इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में कि वह सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन करेगा में अपना उत्तर भेजना था;

(ख) यदि हां, तो क्या जेट एयरवेज को यह विश्वास है कि विदेशों से विमानों को पट्टे पर लिए जाने पर प्रतिबंध लगाने वाले इन नए दिशा-निर्देशों से इसके अपने विमान बंद नहीं होंगे क्योंकि पट्टा समझौता गत कुछ वर्षों से चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) अंतर्देशीय हवाई परिवहन सेवाओं के संबंध में विदेशी इक्विटी भागदारी हेतु 11 जून, 1998 को ए आई सी सं. 2/1998 के तहत मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रख्यापन के परिणामस्वरूप, हवाई परिवहन सेवाओं के प्रचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति मै० जेट एयरवेज को तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र धारकों सहित सभी अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित विमान कंपनियों को अग्रेषित की गई थी।

(ख) और (ग) नागर विमानन महानिदेशक को पहले ही जेट एयरवेज को पट्टे/किराये खरीद, आदि पर आयात किए गए ऐसे सभी विमानों का निर्यात वापस करने संबंधी निर्देश देने के लिए परामर्श दिया जा चुका है जो मार्गदर्शी सिद्धांतों के समनुरूप नहीं हैं।

मैसूर हवाई अड्डा

5354. श्री एच०पी० रामुलू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर हवाई अड्डे में सुधार लाने हेतु सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक यह रिपोर्ट दे दी जाएगी ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (घ) मैसूर में विमानपत्तन के स्तरोन्नयन के लिए मई, 1998 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अधिकारियों के एक दल ने व्यवहार्यता अध्ययन किया था। एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी नीति को ध्यान में रखकर अधिकारियों के दल की सिफारिशों की छानबीन की जा रही है।

[हिन्दी]

इस्पात कंपनियों की वित्तीय स्थिति

5355. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था में लम्बे समय से व्याप्त मंदी का प्रभाव इस्पात उद्योग पर भी पड़ रहा है तथा वर्ष 1997-98 के दौरान तैयार माल के अत्यधिक जमाव के कारण इस्पात उद्योग की वित्तीय स्थिति में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) यह सच है कि इस्पात उद्योग अन्य बातों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की मंदी से भी प्रभावित हुआ है जिसके फलस्वरूप मालसूची बढ़ी और लाभप्रदता में कमी हुई है।

(ख) और (ग) इस्पात की मांग में वृद्धि करने और मालसूची में कमी करने के लिए सरकार ने काफी उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) 1998-99 के बजट में अवसंरचनात्मक विकास, आवास, विद्युत, राजमार्गों के लिए वर्धित आवंटन प्रस्तावित किया गया है।

(ii) विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्रों में इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है।

(iii) इस्पात के निर्यात में वृद्धि करने के लिए इस्पात निर्यातक मंच बनाया गया है।

(iv) बाजार आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद मिश्र को परिसज्जित करके, प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए गुणवत्ता में सुधार करके, ग्राहकों के साथ पारम्परिक कार्रवाई करके और बाजार चालित मूल्य निर्धारण नीतियां आदि अपनाकर बिक्री में वृद्धि करने और स्टॉक में कमी करने के लिए सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा भी उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. फ्लैटों में परिवर्तन

5356. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री जंगबहादुर सिंह पटेल :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवंटियों के फ्लैटों में जगह की कमी की समस्या को दूर करने हेतु अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने तथा डी.डी.ए. फ्लैटों में परिवर्तन करने की अनुमति देने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) इस समिति के गठन का स्वरूप क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने डी.डी.ए. फ्लैटों में और अधिक आवृत क्षेत्र की व्यवहार्यता सुझाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुमोदन कर दिया है।

समिति की संरचना इस प्रकार है :-

1.	आयुक्त (आवास)	— अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य वास्तुकार	— सदस्य
3.	निदेशक (भवन)	— सदस्य
4.	अधीक्षण अभियंता (डिजायन)	— सदस्य
5.	डी.डी.ए. कालोनियों के शीर्ष संघ के 2 प्रतिनिधि	— सदस्य

सामान की चोरी

5357. श्री अजीत जोगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सामान की चोरी के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) चोरी के मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) स्टेशनों पर और चलती गाड़ियों में यात्रियों और उनके सामानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है, जिसे वह राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु.) के माध्यम से पूरी करती है।

बहरहाल, मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेलवे सुरक्षा बल, उत्तर रेल के माध्यम से दिल्ली रेलवे पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार गत तीन महीनों अर्थात् अप्रैल से जून, 1998 के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चुराए गए सामान की संख्या इस प्रकार है :-

अवधि	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या
अप्रैल से जून, 1998	117

(ग) गाड़ी में यात्रा के दौरान यात्रियों और उनके सामानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए रेल प्रशासन द्वारा रा.रे.पु. की सहायता हेतु निम्न कदम उठाए गए हैं :-

1. रेल सुरक्षा बल के अधिकारी रा.रे.पु. तथा सिविल पुलिस अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित कर रहे हैं।
2. रे.सु.ब. तथा रा.रे.पु. के बीच सभी संयुक्त स्तरों पर विशेष आसूचना तथा अपराध आसूचना का आदान-प्रदान किया जा रहा है।
3. रेलों ने अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए सुपरफास्ट गाड़ियों में त्वरित कार्य दल (आई ए जी) तैनात किया है।
4. यात्री गाड़ियों की सुरक्षा हेतु रे.सु.ब. के कर्मी राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता करते हैं।
5. रेलों में संलिप्त असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए रा.रे.पु. तथा रे.सु.ब. द्वारा संयुक्त कार्यक्रम बनाए गए हैं।

वन्येतर परती भूमि का विकास

5358. श्री डी०एस० अहिरे :
श्री माधवराव पाटील :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्येतर परती भूमि विकास के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने हेतु निगमित क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए "निवेश संवर्धन योजना" 1994-95 में शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस योजना के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान वर्ष-वार इस योजना के लिए योजना आवंटन, वास्तविक जारी की गई धनराशि और वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के तहत आठवीं योजना के दौरान तमिलनाडु राज्य में चार परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं।

(ग) सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निवेश संवर्धन योजना के तहत, आठवीं योजना अवधि के दौरान वर्षवार आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	आवंटन	•अनुमोदित राशि	जारी की गई राशि	••वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	1994-95	100.00	34.09	7.20	—
2.	1995-96	200.00	74.12	13.81	30.8
3.	1996-97	100.00	—	0.84	8.97
	कुल	400.00	108.21	21.85	39.77

•बैंक ऋण, प्रवर्तक के अंशदान और केन्द्रीय संवर्धन आर्थिक सहायता सहित 5 वर्षों के लिए परियोजनाओं की कुल लागत।

••काल संख्या 4 की तुलना में।

रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर्स का प्रावधान

5359. डा० सरोजा वी० : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर इलैक्ट्रानिक एस्केलेटर्स लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा विमानपत्तनों का निर्माण

5360. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां देश में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के साथ-साथ कुछ घरेलू विमानपत्तनों के निर्माण में भागदारी करने की इच्छुक हैं; और

(ख) इन निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा निर्मित किए जा रहे अथवा प्रस्तावित विमानपत्तनों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) अब तक किसी भी निजी कंपनी ने नये अंतर्देशीय विमानपत्तन के विकास में रुचि नहीं दिखायी है। तथापि, निजी कंपनियों ने बैंगलूर, गोवा और मुम्बई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए विमानपत्तनों को विकसित करने में रुचि दिखाई है।

(ख) बैंगलूर के समीप एक नए विमानपत्तन के लिए टाटा कन्सोर्टियम का गोवा में विमानपत्तन के लिए मैसर्स भगत इन्टरप्राइजेज का और मुम्बई में दूसरे विमानपत्तन के लिए मैसर्स एयरपोर्ट एलायंस के प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं।

नागर विमानन के लिए यूरोपियन आयोग से सहायता

5361. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपियन आयोग ने पहली बार विमानन क्षेत्र का विकास करने के लिए भारत को सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) यूरोपीय समुदाय आयोग (द कमीशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी) से यूरोपीय उद्योग तथा नियामक प्राधिकारियों एवं भारतीय विमानन उद्योग तथा नियामक प्राधिकारियों के मध्य विमानन सुरक्षा, विमान परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और ऐरोस्पेस उद्योग सहयोग के क्षेत्र में सहयोग के एक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ/मध्यम स्तर के और कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं तथा सेमीनारों की शृंखलाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

इस्पात क्षेत्र में निवेश

5362. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र में इस्पात परियोजना में कुल कितना निवेश किया गया और इसमें स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनियों के अंशदान का प्रतिशत कितना-कितना है;

(ख) क्या सरकार ने इस पर वित्तीय नियंत्रण लगाने की दृष्टि से निजी उपक्रमों में निवेश के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता इसमें किए गए वित्तीय निवेश के समनुरूप है; और

(घ) निजी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में स्वदेशी और विदेशी निवेशकों की शेयरधारिता का प्रतिशत कितना है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने जुलाई, 1991 तक 19 इस्पात संयंत्रों को अनुमोदित किया है तथा मंजूरी दी है। इनमें लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश अंतर्ग्रस्त है। इनमें से 6 इकाईयां चालू हो चुकी है, जिनका कुल निवेश लगभग 6,000 करोड़ रुपए है। इस निवेश में स्वदेशी और विदेशी पक्षों के अंशदान की प्रतिशतता से संबंधित सूचना का केन्द्रीय रूप से प्रबोधन नहीं किया जाता।

(ख) जी, नहीं। सरकार की नीति इस्पात क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने की है न कि इस पर वित्तीय नियंत्रण रखने की।

(ग) निजी क्षेत्र के अच्छी तकनीकी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए बिना कोई निवेश करने की आशा नहीं है।

(घ) निजी क्षेत्र के उपक्रमों को 74% तक साम्या भागीदारी के लिए लोहा और इस्पात क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए न तो सूचना उपलब्ध है और न ही केन्द्रीय रूप से इसका प्रबोधन किया जाता है।

[अनुवाद]

गुवाहाटी के लिए जलापूर्ति योजना

5363. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी नगर निगम और वृहद गुवाहाटी शहर के लिए जल-आपूर्ति की संशोधित परियोजनाएं केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु भेजी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) असम सरकार ने, ग्रेटर गुवाहाटी की जल

आपूर्ति के लिए 444.614 करोड़ रु० की संशोधित अनुमानित लागत पर विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव भेजा है। केन्द्र सरकार द्वारा विश्व बैंक की ऋण सहायता के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की गई है। मंत्रालय के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सी पी एच ई ई ओ) ने भी अपनी तकनीकी टिप्पणी राज्य सरकार को समुचित कार्रवाई के लिए भेज दी है।

सवारी डिब्बे को जोड़ा जाना

5364. श्री जुआल उराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राउरकेला से झारसुगुड़ा तक आने वाला लिंक सवारी डिब्बा जो कि सुपरफास्ट संभलपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस में जोड़ा जाता था उसे बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक उपर्युक्त सवारी डिब्बे को जोड़ने की प्रक्रिया पुन: शुरू कर दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) परिचालनिक कठिनाईयों के कारण।

(ग) ऊपर उल्लिखित सेवा को पुन: शुरू करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में रेलगाड़ियां रद्द करना

5365. डा० रामविलास वेदान्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं;

(ख) इन रेलगाड़ियों को रद्द किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन रेलगाड़ियों को फिर से चलाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रिंटिंग मशीनों का उपयोग

5366. श्री तारिक अनवर : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत सरकार मुद्रणालय का मुद्रणालय-वार क्षमता उपयोग कितना रहा तथा इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) सरकारी मुद्रणालयों में क्षमता उपयोग के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, प्रतिवर्ष 50-60 प्रतिशत क्षमता उपयोग का प्रयास किया जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी मुद्रणालयों में क्षमता उपयोग को दर्शाते हुए विवरण संलग्न है।

(ख) सरकारी मुद्रणालयों में अपेक्षित क्षमता उपयोग न होने के कारण निम्नानुसार हैं :-

1. अनियमित विद्युत आपूर्ति/लोड शेडिंग/लो वोल्टेज;
2. मशीनरी में स्वाभाविक टूट-फूट;
3. अल्पकालीन रोजगार;
4. ग्राहकों (क्लाइन्टों) द्वारा मांगे गए हर प्रकार के कागज की अनुपलब्धता।

(ग) सरकारी मुद्रणालयों में अपेक्षित क्षमता उपयोग हेतु उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :-

1. मुद्रणालयों में उत्पादन की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है।
2. कार्मिक एवं मशीनरी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए मुद्रणालयों के प्रबन्धकों से समय-समय पर निर्देशित किया जाता है।
3. चरणबद्ध ढंग से मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं;
4. मुद्रणालयों को मुद्रण कागज की पर्याप्त विविधता व प्रमात्रा उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

सरकारी मुद्रणालयों में क्षमता उपयोग

प्रतिशत क्षमता उपयोग

क्र. सं.	सरकारी मुद्रणालय का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	मिंटो रोड (लेटर प्रेस)	33.96	46.69	42.69
2.	मिंटो रोड (फोटालिथो)	37.80	39.52	31.34

1	2	3	4	5
3.	रिंग रोड	27.02	49.92	41.41
4.	निलोखरी	45.36	36.39	31.19
5.	गंगटोक	78.55	55.70	63.48
6.	भुवनेश्वर	49.33	35.50	30.73
7.	कोराटूटी	48.76	40.50	35.84
8.	संतरागाची (प्रका०)	19.78	28.34	17.33
9.	सन्तरागाछी (फर्म यूनिट)	47.46	31.22	26.09
10.	टेम्पल स्ट्रीट	50.48	45.35	30.43
11.	अलीगढ़	30.30	32.92	25.76
12.	मुम्बई	64.40	104.07	97.00
13.	चण्डीगढ़	66.53	50.00	34.82
14.	कोयम्बटूर	52.62	55.83	39.55
15.	फरीदाबाद (लेटर प्रेस)	53.15	43.00	34.28
16.	फरीदाबाद (फोटोलिथो)	34.49	28.43	17.01
17.	मैसूर	50.68	45.71	44.16
18.	नासिक	44.55	40.35	29.74
19.	शिमला	49.45	52.07	57.49

इन्टरक्टिव वॉयस रेस्पांस सिस्टम

5367. **श्री ए० सिद्दराजू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों पर "इन्टरक्टिव वॉयस रेस्पांस सिस्टम" की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार ने "इन्टरक्टिव वॉयस रेस्पांस सिस्टम" के लिए नए मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्नाटक में इन्टरक्टिव वॉयस रेस्पांस सिस्टम के नए मानदंडों के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) एक, बेंगलूर रेलवे स्टेशन।

(ख) और (ग) जी हां, मापदंड इस प्रकार हैं :-

1. उन स्टेशनों, जिनपर प्रतिदिन 20,000 से अधिक कालें प्राप्त होती हैं, पर आरक्षण संबंधी पूछताछ और गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के लिए अलग-अलग इंटरएक्टिव वायस रिसपॉस सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए।
2. उन स्टेशनों, जिनपर प्रतिदिन 20,000 से कम कालें प्राप्त होती हैं, पर आरक्षण और चल रही गाड़ी के बारे में पूछताछ के लिए एक संयुक्त इंटरएक्टिव वायस रिसपॉस सिस्टम होनी चाहिए।

(घ) एक, मैसूर।

स्वशासी मरू परिषद

5368. **कर्नल सोनाराम चौधरी :** क्या ग्रामीण और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए गठित की गई परिषद के समान "स्वशासी मरू परिषद" के गठन संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पश्चिमी राजस्थान के अविकसित पिछड़े और सूखा प्रवण थार मरूस्थल के साथ भेदभाव करने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जहां तक ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय का संबंध है, स्वशासी मरुभूमि परिषद गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मरुभूमि क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए राजस्थान के थार मरुभूमि क्षेत्र सहित, 16 जिलों के 85 खंडों में मरुभूमि विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। अत: भेदभाव बरतने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तालाबों के गाद निकालने हेतु धनराशि

5369. **श्री के०एच० मुनियप्पा :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान कर्नाटक के कोलार जिले में तालाबों से गाद निकालने के लिए बड़ी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) जी नहीं। अभिनव जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कोलार जिले में तालाबों से गाद निकालने के संबंध में कर्नाटक सरकार से 300.00 लाख रुपए की लागत वाला एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वर्ष 1997-98 से अभिनव जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कोई नई परियोजना शुरू नहीं की गई है। तथापि, तालाबों से गाद निकालने का कार्य उन अनुमेय मदों में से एक मद है जिसे निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना जैसे सामान्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत शुरू किया जा सकता है।

माल लदान

5370. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को पिछले एक वर्ष से अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है;

(ख) क्या वर्ष 1998-99 की प्रथम तिमाही में माल लदान में सतत कमी हुई है;

(ग) क्या पिछले तीन महीने से 3000 वैगन बेकार पड़े हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे माल ढुलाई में सुधार हेतु क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय रेलों ने वर्ष के लिए निर्धारित 430 मिलियन टन के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है। भारतीय रेलों ने 429.37 मिलियन टन माल की लदाई की है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 20.35 मिलियन टन अधिक है। भारतीय रेलों पर 1998-99 की प्रथम तिमाही के दौरान प्रारंभिक राजस्व उपार्जक माल यातायात के लदान लक्ष्य की तुलना में लगभग 7.24 मिलियन टन की कमी दर्ज की है; और जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.92 मिलियन टन कम है। ऐसा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से कम यातायात प्राप्त होने के कारण हुआ है।

(ग) यातायात कम मिलने के कारण मालडिब्बों की निष्क्रियता, जो कि समय-समय पर भिन्न-भिन्न रहती है, लाजमी है।

(घ) लदान के स्तर में कमी अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों जिनमें विद्युत, कोयला, खाद्यान्न, सीमेंट, उर्वरक, इस्पात और पेट्रोल आदि शामिल हैं, से मांग में कमी होने के कारण हुई। इस बारे में रेल मंत्रालय रेल उपयोगकर्ता संगठनों तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों, दोनों से निकट सम्पर्क बनाए रख रहा है। जिससे कि रेल द्वारा अधिकतम यातायात का संचलन किया जा सके। इसके अलावा माल यातायात का सुचारू रूप से संचलन किया जा सके। इसके अलावा माल यातायात का सुचारु रूप से संचलन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र स्तर तथा रेल मंत्रालय में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के मामले

5371. श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :

क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बाल्को" के अधिकारियों से संबंधित सी.बी.आई. मामले विशेष न्यायाधीश की अदालत में दायर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला अदालत में लम्बित है उसे "बाल्को" (प्रचालन और परियोजना) में निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या 1989 से पहले "बाल्को" संयंत्र को रुग्ण घोषित किया गया था; और

(च) यदि हां, तो किस अधिकारी के निर्देशन में इस संयंत्र ने लाभ अर्जित किया और किन-किन वर्षों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां।

(ख) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) के अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध, अनुपातहीन परिसंपत्तियों और बढ़ाए गए (इनफ्लैटिड)/जाली मापन द्वारा अनुचित वित्तीय सहायता देने से संबंधित चार मामले दायर किए गए हैं।

(ग) और (घ) किसी अधिकारी को निदेशक (प्रचालन और परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया गया है। तथापि, एक प्रभारित अधिकारी को बेहतर निष्पादन हेतु कार्य एवं उत्तरदायित्वों के सामान्य पुन: आवंटन के एक हिस्से के रूप में, उसके वित्तीय अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाकर, कौरबा यूनिट का प्रभार दिया गया है।

(ङ) बाल्को को कभी भी रुग्ण घोषित नहीं किया गया है;

(च) कंपनी वर्ष 1987-88 से निरंतर लाभ अर्जित कर रही है तथा यह मिलकर कार्य करने (टीम वर्क) का परिणाम है।

[अनुवाद]

विदेशों के लिए इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें

5372. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री माधवराव पाटील :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें जाती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें विदेशों के लिए शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) इंडियन एयरलाइंस फिलहाल बांग्लादेश, बहरीन, कुवैत, किरगिस्तान, (कोड शेयर के माध्यम से), मालद्वीप, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात को उड़ानें प्रचालित कर रही है।

(ख) से (घ) इंडियन एयरलाइंस समय-समय पर यातायात अपेक्षाओं का निर्धारण करके अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर अतिरिक्त उड़ानें लगाती हैं। नई/अतिरिक्त सेवाएं शुरू करना यातायात अधिकारों की उपलब्धता तथा इंडियन एयरलाइंस अथवा एयर इंडिया को लगाने में आपेक्षिक वाणिज्यिक लाभ पर भी निर्भर करेगा।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर एक-क टर्मिनल

5373. **श्री अजीत जोगी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर एक-क टर्मिनल खोलने को स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस टर्मिनल को किस तारीख तक खोलने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 2 जुलाई, 1998 को भवन की कमीशनिंग हो गयी है और 3 जुलाई, 1998 से इसका प्रयोग आरंभ हो गया है।

मुम्बई वायुमार्ग पर निजी एयरलाइनें

5374. **श्री डी०एस० अहिरे :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई वायु-मार्ग पर निजी एयरलाइनों द्वारा संचालित विमान सेवा पूर्णतया असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विमानों की उड़ानें रद्द करने तथा समय की पाबंदी आदि से संबंधित सरकार द्वारा दर्ज शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी/की जा रही कार्यवाही का परिणाम क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) मुम्बई मार्ग पर निजी एयरलाइनों द्वारा विमान सेवाओं के प्रचालन के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

खनन पट्टे हेतु लम्बित आवेदन पत्र

5375. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन पट्टे, विशेषरूप से उड़ीसा में लौह और मैगनीज के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) खनन पट्टे खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसे अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं। उपरोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित खनिजों, जिनमें संबंधित राज्य सरकारों से मिलने वाले लौह अयस्क और मैगनीज अयस्क शामिल हैं, के लिए खनन पट्टे के अनुमोदन हेतु प्रस्तावों पर केंद्र सरकार द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करके इनका निपटान किया जाता है। केंद्र सरकार का अनुमोदन शीघ्र प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण होते हैं, अत: इस प्रकार के मामलों के निपटान के लिए राज्य सरकारों से पूर्ण सूचना/अतिरिक्त सूचना देने के लिए कहा जाता है।

केंद्र सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान उड़ीसा राज्य से संबंधित लौह अयस्क और मैगनीज अयस्क के 20 खनन पट्टों सहित 31 खनिज रियायतों के मामलों का निपटान किया। 20.7.1998 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के पास खनन पट्टे की मंजूरी के 8 मामले लंबित पड़े थे जिसमें मैगनीज अयस्क और लौह अयस्क के खनन पट्टे के 4 मामले शामिल है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सेना में भर्ती में धोखाधड़ी

5376. **श्री दादा बाबू राव परांजपे :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर, मध्य प्रदेश में रक्षा कर्मचारियों की मिलीभगत से बेरोजगार युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए उनसे लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और ऐसी अनुचित प्रथा को रोकने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सेना में भर्ती हेतु एक सिविलियन से कथित रूप से धन स्वीकार करने वाले एक रक्षा कार्मिक के मामले की सरकार को रिपोर्ट की गई है। इस मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

गुवाहाटी और दिल्ली के बीच यात्रियों की संख्या में वृद्धि

5377. **श्री नृपेन गोस्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में गुवाहाटी और दिल्ली के बीच यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों में यात्रियों की संख्या में औसतन 3.3% की मामलूी बढ़ोत्तरी हुई है।

(ख) यात्रियों को अतिरिक्त स्थान मुहैया कराने के उद्देश्य से गाड़ियों में डिब्बों की संख्या संभव सीमा तक बढ़ायी गयी है। 26.1.1996 से राजधानी एक्सप्रेस के फेरों को भी सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर सप्ताह में तीन दिन कर दिया गया था। इसके अलावा, ग्रीष्मकालीन छुट्टियों, त्योहारों तथा अन्य छुट्टी के सीजनों के दौरान विशेष गाड़ियों की व्यवस्था भी की जाती है।

उड़ीसा में पंचायती राज को शक्तियां प्रदान करना

5378. **श्री जुआल उराम** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा सरकार ने पंचायती राज के सुचारु संचालन के लिए जिला परिषद तथा समिति के सदस्य और सरपंच को पूरी शक्तियां प्रदान नहीं की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 छ इस प्रकार पठित है :

"243 छ, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्य विधानमंडल पंचायतों को यथावश्यक स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने के लिए ऐसी शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाएं तथा ऐसे कानून में समुचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियां तथा जिम्मेदारियां सौंपने के लिए प्रावधानों को शामिल किया जाए, जो निम्नलिखित के संबंध में इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा :-

(क) आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना;

(ख) आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन जैसा कि उन्हें सौंपा गया हो और ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित हो, को शामिल किया जाए।

पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों की सुपुर्दगी राज्य सरकारों का विशेषाधिकार है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को भिन्न-भिन्न स्तरों पर शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं को सभी शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां सौंपने का अनुरोध कर रहा है, जैसा कि संविधान के 73वें संशोधन और 1996 के अधिनियम 40 में परिकल्पना की गई है। इस अनुरोध को हाल ही में इस मंत्रालय द्वारा आयोजित मुख्य मंत्रियों, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के राज्य मंत्रियों तथा ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के राज्य सचिवों के सम्मेलनों में दोहराया गया है। इस मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां सौंपने की प्रगति की निरन्तर निगरानी करने के लिए उच्च स्तरीय कार्य दल भी गठित किया है।

बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन पर भीड़

5379. **श्री ए० सिद्दराजू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन कितनी गाड़ियां आती हैं और कितनी जाती हैं; और

(ख) बंगलौर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) इस समय, दैनिक गाड़ियों की 38 जोड़ी और गैर-दैनिक गाड़ियों की 8 जोड़ी बेंगलूर में आगमन/से प्रस्थान कर रही हैं।

(ख) अत्यधिक भीड़भाड़ से बचने के लिए, बेंगलूर उपनगरीय सीमाओं के भीतर अन्य स्टेशनों यथा बेंगलूर छावनी, बेंगलूर पूर्व, यशवंतपुर, मल्लेश्वरम और कृष्णराजपुरम पर ठहरावों की व्यवस्था की गई है।

कोलार और बंगारपेट रेल लाइन का दोहरीकरण

5380. **श्री के०एच० मुनियप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार और बंगारपेट रेल लाइन का दोहरीकरण करने का कार्य अभी भी लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक शुरू होने और समाप्त होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। कोलार-बंगारपेट का दोहरीकरण एक स्वीकृत कार्य नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आगरा में कालोनियों का विकास

5381. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा की बस्तियों (कालोनियों) के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस संबंध में कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से आगरा की बस्तियों (कालोनियों) के विकास के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों पर बकाया किराया

5382. श्री पी० उपेन्द्र : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों और भूतपूर्व संसद सदस्यों पर सरकारी आवास के लिए किराये की बड़ी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बकाया राशि कब से लम्बित है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बकाया राशि की ब्याज सहित वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन लागत

5383. श्री जुआल उराम : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के पहले और बाद, इस्पात की प्रति यूनिट टन उत्पादन लागत क्या है;

(ख) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र में प्रति श्रमिक इस्पात का उत्पादन सबसे कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर एस पी) आधुनिकीकरण परियोजना के अनुमोदित संशोधित लागत अनुमानों (1992 के मूल्यों के आधार पर) में विक्रय इस्पात की उत्पादन लागत में 19.25 प्रतिशत की कमी की परिकल्पना की गई है।

(ख) सेल के चारों एकीकृत इस्पात संयंत्रों में आर एस पी की श्रम उत्पादकता इस समय सबसे कम है।

(ग) आर एस पी में कम उत्पादकता होने के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त जनशक्ति और उत्पादन क्षमता की कम उपयोगिता आदि शामिल हैं।

इस संबंध में किए गए उपचारात्मक उपायों में भर्ती पर प्रतिबंध, जनशक्ति का पुनः प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन, उत्पादक कार्य पद्धतियों का प्रारंभ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) की शुरुआत, और क्षमता उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए आधुनिक इकाइयों के शीघ्र स्थिरीकरण हेतु प्रयास करना शामिल हैं।

ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम

5384. श्री रामपाल सिंह :
श्री अशोक नामदेवराव मोहाले :
श्री पंकज चौधरी :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में उक्त कार्यक्रम को पहले आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम से कितने युवाओं के लाभान्वित होने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के ग्रामीण युवाओं को बुनियादी तकनीकी और प्रबंधकीय कार्यकुशलता प्रदान करना है जिससे वे कृषि और संबध क्षेत्रों, उद्योगों, सेवाओं और व्यावसायिक गतिविधियों के व्यापक क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजूदरी रोजगार शुरू कर सकें। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी वाले ब्लाकों में विशिष्ट ट्राइसेम प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता भी दी जाती है।

(ख) ट्राइसेम योजना सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ट्राइसेम योजना के अंतर्गत लाभान्वित युवाओं की संख्या निम्नलिखित है :-

वर्ष	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या
1995-96	2,91,450
1996-97	3,64,337
1997-98	2,46,353
कुल	9,02,140

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

5385. श्री उपेन्द्र नायक : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के क्योंझर जिले में बड़े लौह अयस्क खदानों तथा अन्य खदानों के कारण बड़ी संख्या में लोग जिसमें आदिवासी अधिक हैं अपनी मूल भूमि से विस्थापित हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास/क्षतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

लाल डोरे का विस्तार

5386. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के गांवों में लाल डोरे का विस्तार करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कैर गांव नई दिल्ली-43 में भी लाल डोरे का विस्तार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को कैर गांव के अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने "ग्राम सभा" की सामान्य भूमि में से भूमि न दिए जाने के बारे में शिकायत की है; और

(छ) यदि हां, तो अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि वितरित न करने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

5387. श्री माधवराव पाटील : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के पास कोई ग्रामीण विकास परियोजना भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार के पास अभी तक कितनी परियोजनाएं लंबित हैं;

(ग) इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों का कोटा

5388. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने इन्दिरा आवास योजना के तहत संसद सदस्यों को 30 प्रतिशत कोटा देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा;

(ग) क्या बिहार सरकार ने भागलपुर जिले की विभिन्न लम्बित योजनाओं को मंजूर करने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (घ) राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

धनराशि का दुरुपयोग

5389. श्री खारबेल स्वाईं : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य में बालासोर जिले में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों के लिए निर्धारित धन के दुरुपयोग किए जाने के संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा छापे मारे गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जीवनधारा योजना

5390. श्री रामानंद सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा जीवनधारा योजना के अंतर्गत जिलावार मध्य प्रदेश में किसानों को वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) उनमें से कितने किसानों को कुएं और विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए; और

(ग) यदि हां, तो लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश के संबंध में दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत जिलावार वास्तविक और वित्तीय निष्पादन संलग्न विवरण क्रमशः I और II में दिया गया है। दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत पम्पसेटों अथवा विद्युतीकरण के जरिए कुओं को क्रियाशील बनाना अनुमेय गति-विधि नहीं है। अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत दस लाख कुओं की योजना को क्रियाशील बनाने की निगरानी नहीं की जाती है।

विवरण-I

1996-97 के दौरान दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत निष्पादन

राज्य : मध्य प्रदेश
माह : मार्च, 98 (लाख रुपये में)

क्रम सं०	जिला	1.4.96 तक आदि शेष	आवंटन			रिलीज			खर्च	निर्मित कुओं की संख्या
			केन्द्र	राज्य अंश	कुल	केन्द्र	राज्य अंश	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मुरैना	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29	288
2.	भिंड	0.00	30.48	7.62	38.10	30.48	7.62	38.10	43.17	266
3.	ग्वालियर	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83	90
4.	दतिया	02.09	36.54	9.14	45.68	27.28	6.82	34.10	20.39	74
5.	शिवपुरी	28.54	27.93	6.98	34.91	13.96	3.49	17.45	60.04	132
6.	गुना	57.61	143.60	35.90	179.50	71.80	17.95	89.75	35.33	369
7.	टिकमगढ़	11.99	106.10	26.53	132.83	86.04	21.51	107.55	51.49	153
8.	छतरपुर	5.89	80.94	20.24	101.18	71.09	17.77	88.86	63.56	609
9.	पन्ना	28.20	19.92	4.98	24.90	9.95	2.49	12.44	22.84	134
10.	सागर	4.45	191.71	47.93	239.64	95.85	23.96	119.81	85.67	738
11.	दमोह	0.00	92.31	23.08	115.39	92.31	23.08	115.39	94.87	221
12.	सतना	16.55	169.98	42.50	212.48	137.16	34.29	171.45	84.69	336
13.	रीवा	55.81	98.58	24.64	123.20	75.51	18.88	94.39	35.70	194
14.	शहडोल	0.00	181.10	45.28	226.38	181.10	45.28	226.38	124.67	717
15.	सिद्धी	64.78	78.90	19.73	98.63	39.45	9.86	49.31	108.14	351
16.	मंदसौर	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.49	3
17.	रतलाम	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60	153
18.	उज्जैन	9.14	72.67	18.17	90.84	36.34	9.09	45.43	24.80	234
19.	शाहजहांपुर	0.00	81.47	20.37	101.84	40.74	10.19	50.93	62.59	214
20.	देवास	9.85	70.32	17.58	87.90	55.28	13.82	69.10	52.58	188
21.	झबुआ	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73	441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	धार	273.68	7.62	1.91	9.53	3.81	0.95	4.76	262.63	470
23.	इंदौर	8.67	77.41	19.35	96.76	66.01	16.50	82.51	56.42	52
24.	पश्चिमी निमाड़ (खांडवा)	66.29	156.86	39.22	196.08	87.79	21.95	109.74	80.99	917
25.	पू. निमाड़ (खांडवा)	60.30	163.78	40.95	204.73	163.78	40.95	204.73	105.82	622
26.	राजगढ़	45.04	65.76	16.44	82.20	32.88	8.22	41.10	65.50	79
27.	विदिशा	33.27	105.94	26.49	132.43	90.16	22.54	112.70	89.00	243
28.	भोपाल	36.22	41.14	10.29	51.43	20.57	5.14	25.71	45.71	224
29.	सिहोर	25.17	91.13	22.78	113.91	91.13	22.78	113.91	24.47	170
30.	रायसेन	0.00	134.30	33.58	167.88	134.30	33.58	167.88	53.95	305
31.	बेतूल	78.79	112.03	28.01	140.04	56.02	14.01	70.03	91.07	413
32.	होशंगाबाद	32.98	138.79	34.70	173.49	138.79	34.70	173.49	133.61	487
33.	जबलपुर	7.10	91.15	22.79	113.94	54.80	13.70	68.50	137.50	465
34.	नरसिंहपुर	33.63	50.48	12.62	63.10	34.38	8.60	42.98	14.73	307
35.	मांडला	29.97	146.45	36.61	183.06	146.45	36.61	183.06	186.68	1255
36.	छिंदवाड़ा	41.93	204.26	51.07	255.33	197.20	49.30	246.50	75.28	638
37.	सिवनी	80.89	77.94	19.49	97.43	45.32	11.33	56.65	430.30	299
38.	बालाघाट	36.73	87.30	21.83	109.13	43.65	10.91	54.66	445.85	381
39.	सरगुजा	25.18	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00	487.86	834
40.	बिलासपुर	41.14	355.95	88.99	444.94	314.89	78.72	393.61	194.00	4073
41.	रायगढ़	0.00	181.49	45.37	226.86	90.74	22.69	113.43	74.74	980
42.	राजनांदगांव	74.30	247.44	61.86	309.30	247.44	61.86	309.30	248.86	379
43.	दुर्ग	53.34	122.02	30.51	152.53	122.02	30.51	152.53	54.85	331
44.	रायपुर	75.32	146.35	36.59	182.94	133.65	33.42	167.08	153.95	794
45.	बस्तर	341.13	33.57	8.39	41.96	16.78	4.20	20.98	242.15	1030
	कुल	2067.41	4401.69	1100.42	5502.11	3438.91	859.23	4296.14	3864.57	18658

विवरण-II

1997-98 के दौरान दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत जिलावार निष्पादन

राज्य : मध्य प्रदेश
माह : मार्च, 98

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	जिला	1.4.96 तक आदि शेष	आवंटन			रिलीज			खर्च	निर्मित कुओं की संख्या
			केन्द्र	राज्य अंश	कुल	केन्द्र	राज्य अंश	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मुरैना	19.67	98.87	24.7175	123.5875	94.05	23.51	117.68	131.79	653
2.	भिंड	124.88	217.45	54.3625	271.8125	108.73	27.18	135.91	145.68	804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	ग्वालियर	53.79	116.87	29.2176	146.0975	156.65	29.08	185.71	190.03	432
4.	दतिया	0.00	22.28	5.585	27.825	22.28	9.38	31.64	25.57	157
5.	शिवपुरी	39.40	4.81	1.2025	6.0125	2.40	0.60	3.00	11.06	43
6.	गुना	386.93	297.03	74.2576	371.2875	278.41	37.13	315.05	425.80	852
7.	टिकमगढ़	32.90	73.65	18.4125	92.0625	65.11	16.27	81.38	75.91	676
8.	छतरपुर	124.78	168.62	39.155	186.775	106.11	19.58	125.69	224.91	402
9.	पन्ना	28.42	86.88	21.74	108.7	86.96	21.74	108.70	115.66	664
10.	सागर	21.22	32.112	8.028	40.14	16.05	3.70	19.75	36.65	230
11.	दमोह	86.65	50.648	12.662	63.31	43.03	15.79	58.82	137.50	484
12.	सतना	51.25	15.83	3.9576	19.7875	7.91	1.98	9.89	61.78	235
13.	रीवा	243.29	128.88	32.17	160.85	64.33	16.08	90.41	79.40	407
14.	शहडोल	0.00	78.44	19.61	98.05	99.66	19.60	119.26	83.97	301
15.	सिद्धी	14.89	179.44	4.486	22.49	17.84	2.89	20.83	18.15	52
16.	मंदसौर	55.07	108.78	26.69	133.45	97.41	13.35	110.76	179.93	788
17.	रतलाम	17.85	226.56	5.664	28.32	20.40	11.79	32.18	27.82	4
18.	उज्जैन	44.72	175.07	43.7875	218.8375	222.10	38.25	290.35	219.70	1149
19.	शाहजहांपुर	0.00	31.69	7.9225	39.8125	31.69	7.92	39.61	14.86	189
20.	देवास	94.81	100.97	26.2425	126.2126	66.07	16.52	82.59	133.40	838
21.	झबुआ	218.92	25.418	6.354	31.77	12.72	3.17	15.89	141.88	538
22.	धार	100.28	242.42	80.605	303.025	198.83	49.70	248.53	198.86	827
23.	इंदौर	0.00	14.792	3.688	18.49	14.79	3.78	18.57	13.90	0
24.	पश्चिमी निमाड़ (खांडवा)	34.45	13.5	3.375	18.875	12.15	3.04	15.19	34.40	279
25.	पू. निमाड़ (खांडवा)	27.55	52.45	13.1125	65.58.25	39.01	9.74	48.75	39.50	215
26.	राजगढ़	19.54	19.59	4.90	24.49	13.03	3.25	16.29	16.38	175
27.	विदिशा	22.12	253.91	63.4775	317.3875	126.95	31.74	158.69	103.88	442
28.	भोपाल	88.95	287.12	71.78	358.9	143.67	35.89	179.46	208.31	1386
29.	सिहोर	83.84	95.84	23.96	119.8	62.27	14.30	76.57	61.57	478
30.	रायसेन	19.93	62.17	15.5426	77.7125	54.45	13.61	88.08	80.09	300
31.	बेतूल	38.97	214.93	53.7325	268.6625	214.93	48.77	283.70	109.20	467
32.	होशंगाबाद	138.96	14.296	3.574	17.87	7.15	1.79	8.84	19.77	57
33.	जबलपुर	70.42	94.84	23.735	119.875	47.47	11.88	69.35	19.50	56
34.	नरसिंहपुर	0.00	31.84	7.96	38.8	31.84	7.96	39.80	22.40	207
35.	मांडला	0.00	301.23	75.3075	376.5375	301.23	75.29	376.52	118.95	1214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	छिंदवाड़ा	37.82	171.43	42.8575	214.2875	85.72	33.60	119.22	118.52	403
37.	सिवनी	68.63	85.232	21.308	106.54	53.11	10.65	83.76	112.51	409
38.	बालाघाट	33.34	31.04	7.76	38.8	15.52	3.88	19.40	35.34	141
39.	सरगुजा	185.39	233.36	58.34	291.7	116.57	20.17	145.85	187.54	470
40.	बिलासपुर	5.14	37.38	9.345	46.725	33.65	9.41	42.06	41.54	110
41.	रायगढ़	0.38	52.93	13.2325	66.1625	52.93	13.24	66.17	66.74	241
42.	राजनांदगांव	110.32	80.92	22.48	112.4	44.96	11.24	56.18	100.16	480
43.	दुर्ग	66.77	11.20	2.02	14.1	6.64	1.41	7.05	56.70	327
44.	रायपुर	29.26	81.58	16.365	76.875	47.27	11.92	68.09	80.27	272
45.	बस्तर	73.59	67.77	16.9425	84.7125	33.88	8.47	42.35	82.80	175
	कुल	2891.16	4401.688	1100.422	5502.11	3377.12	778.03	4155.16	4403.28	19029

[अनुवाद]

युवाओं को सेना में भर्ती हेतु आकर्षित करने के लिए नई नीति

5391. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों ने सैन्य बलों में भर्ती हेतु युवाओं और उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए मानव संसाधन विकास सिद्धांत नाम की एक नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सेना ने युवाओं को सेना में भर्ती के लिए आकर्षित करने हेतु एक मानव संसाधन विकास सिद्धांत तैयार किया है। नौसेना और वायुसेना ने ऐसा कोई सिद्धांत तैयार नहीं किया है। सेना सिद्धांत में भर्ती प्रक्रिया, विज्ञापन व छवि निर्माण अभियान में सुधार किए जाने तथा विभिन्न संस्थाओं में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण में सुधार किए जाने का सुझाव दिया है। सेना ने युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने हेतु पहले ही छवि निर्माण अभियान चलाया हुआ है। भर्ती प्रक्रिया में सुधार का कार्य भी हाथ में लिया गया है। सेना द्वारा अपने सिद्धांत के अनुसरण में व्यवहार्य तथा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय तथा विदेशी सहायता

5392. श्री सुभाष चन्द्र तिवारी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने कई ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय तथा विदेशी सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में वनों की कटाई के कारण हुई परती भूमि के विकास हेतु जापान अथवा किसी अन्य देश से विदेशी सहायता की मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि, हां तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (घ) बिहार सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

विश्व बैंक की सहायता से संपर्क सड़कें बनाना

5393. श्री रामदास आठवले : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में मुख्य सड़कों से दूर स्थित सभी गांवों में संपर्क सड़कें बनाई जाएंगी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है जिसमें ग्रामीण सड़कों की दशा सुधारने के लिए विश्व बैंक की सहायता मांगी गई है।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव को ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय को टिप्पणी के लिए भेजा है और इसकी जांच की जा रही है।

रुग्ण लौह अयस्क खानें

5394. श्री रामदास आठवले : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रुग्ण लौह अयस्क खानें कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी खानों का पुनरुद्वार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 में खान मालिकों द्वारा रुग्ण खानों के संबंध में सूचना का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार की उन खानों के पुनरुद्वार की कोई विशिष्ट योजना नहीं है जिन्हें बंद कर दिया गया है या जिनमें अस्थायी रूप से कार्य रोक दिया गया है। तथापि, मांग में कमी होने के कारण बंद की गयी खानों के संबंध में यह महसूस किया गया है कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए उठाए गए कदमों से खनिजों की मांग बढ़ेगी और इन खानों का परिचालन लाभकारी होगा।

भागलपुर-दिल्ली के बीच विक्रमशिला एक्सप्रेस

5395. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष भागलपुर और दिल्ली के बीच विक्रमशिला एक्सप्रेस तथा भागलपुर और पटना के बीच इंटर-सिटी एक्सप्रेस चलाए जाने के लिए एक समय सारिणी तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा समय सारिणी में परिवर्तन से जनता की कितनी मांगें कहां तक पूरी होती हैं;

(ग) क्या अपर इंडिया एक्सप्रेस को मुगलसराय सवारी गाड़ी में परिवर्तित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और क्या इस लाइन पर दिल्ली के लिए कोई गाड़ी नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(च) क्या जासिडीह रेलवे लाइन पर देवधर के लिए जाने वाली तीन गाड़ियों को बंद कर दिया गया है; जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त गाड़ियों को पुनः आरंभ करने हेतु कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। अपर इंडिया एक्सप्रेस अब मुगलसराय में समाप्त होती है जो 3133/3134 मुगलसराय-सियालदह एक्सप्रेस के रूप में मुगलसराय और सियालदह को सेवित कर रही है।

(घ) 3483/3484 और 3413/3414 फरक्का एक्सप्रेस तथा 4055/4056 ब्रहमपुत्र मेल साहिबगंज लूप के रास्ते दिल्ली के लिए चलती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मिग विमानों को हटाना

5396. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में मिग विमानों को बेड़े से हटाए जाने के निर्णय के कारण 90 के दशक से इन विमानों के उन्नयन के लिए चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वायु सेना में मिग विमानों के स्थान पर नए विमान शामिल किए जाएंगे?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि, मिग के कुछ पुराने रूपान्तरों को अगले 4-5 वर्षों में विभिन्न चरणों में हटाए जाने की योजना है। इनके स्थान पर बहु-भूमिकाओं वाले अत्याधुनिक वायुयानों को लाए जाने की योजना है।

भारतीय वायु सेना स्टेशन, बंगलौर में हवाई जहाज के हैंगर का ढहना

5397. श्री ए० सिदराजू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में येलाहांका वायु सेना स्टेशन पर निर्माणाधीन वायुयान हैंगर ढह गया है;

(ख) क्या उक्त के ढहने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) जब एयर फोर्स स्टेशन येलहंका में स्टील शीट रूफिंग सहित सुदृढ़ कंकरीट कॉलम पर स्टील की 15 पेटी वाले स्टील हैंगर का निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय 18 जून, 1998 को पहली पेटी गिर पड़ी और उसके साथ-साथ दूसरी पेटी भी नीचे आ गिरी। इस दुर्घटना की वजह से उन्हें टेक दे रहे कॉलम भी क्षतिग्रस्त हो गये। संरचनात्मक ढांचे के गिर जाने के लिए अविलम्ब उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु एक आदेश जारी कर दिया गया है।

रेल परियोजनाओं पर श्वेत पत्र

5398. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे द्वारा कार्यान्वित की जा रही विविध परियोजनाओं की स्थिति पर श्वेत-पत्र जारी करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह श्वेत-पत्र कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) संसद के चालू सत्र में दोनों सदनों में श्वेत पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है।

त्रिपुरा में अतिरिक्त बल तैनात करना

5399. श्री बाजू बन रियान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने राज्य में बढ़ती हुई उग्रवादी गतिविधियों को देखते हुए केन्द्र सरकार से वहां अतिरिक्त बल तैनात करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां,

(ख) सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए स्थापित प्रतिविद्रोही ग्रिड में सुरक्षा बलों की तैनाती खतरे तथा निर्धारित प्राथमिकताओं के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है तथा यह तैनाती उस क्षेत्र में कुल मिलाकर सुरक्षा स्थिति और सेनाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तदनुसार, सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र की समग्र स्थिति और बलों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करने के लिए त्रिपुरा राज्य को सुरक्षा बल उपलब्ध कराए गए हैं। त्रिपुरा में अतिरिक्त बलों को तैनात करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

कर्नाटक में 'सी बर्ड परियोजना' से विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा

5400. श्री एच०जी० रामुलू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में रक्षा विभाग के "सी बर्ड परियोजना" से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास तथा मुआवजे के भुगतान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इन विस्थापित लोगों के पुनर्वास कार्य को शीघ्र शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) परियोजना के कारण विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए 25.3619 करोड़ रुपए तथा मुआवजे का पूर्ण भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही राज्य सरकार को कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधिगृहीत की जा रही भूमि की कीमत के रूप में 25.01 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार को अदा किए गए हैं। पुनर्वास का काम राज्य सरकार के प्राधिकारियों को करना है जो चल रहा है। इसलिए भारत सरकार द्वारा पुनर्वास कार्य अपने हाथ में लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

सैनिक स्कूलों का स्तर

5401. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेना के युवा अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे सैनिक स्कूलों और अन्य इंडियन मिलिटरी कॉलेजों के स्तर में सुधार लाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : सैनिक स्कूल, मिलिटरी स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज, देहरादून लड़कों को सामान्य शिक्षा (बारहवीं कक्षा तक) देते हैं और उन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने के लिए तैयार करते हैं। तथापि, लड़कों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने के लिए अन्य सामान्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना अपेक्षित है। इन संस्थानों के स्तर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

1. कंप्यूटर शिक्षा का प्रारंभ;
2. अध्यापकों के लिए सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम;
3. रक्षा संस्थानों में प्रेरणाप्रद दौरे; और
4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा के लिए तैयारी करने हेतु विशेष कोचिंग।

सेना में अफसरों के रूप में कमीशन प्राप्त करने से पहले कैडेटों को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी तथा चेन्नई स्थित अफसर प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय सैन्य अकादमी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से उत्तीर्ण होने वाले कैडेटों और भारतीय सेना में शामिल होने के लिए सीधे भर्ती किए गए स्नातकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों को अफसर प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षित किया जाता है। सेना के कमीशनपूर्व प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :-

1. आधुनिक प्रशिक्षण साधनों का शुभारंभ;
2. अतिथि वक्ताओं के व्याख्यान;
3. साहसिक कार्य, प्रेरणा व नेतृत्व पर बल; और
4. कैडेटों में राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता की शिक्षा देना।

एयर इंडिया द्वारा कोची विमानपत्तन का विकास

5402. श्री अजीत जोगी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का विचार कोची विमानपत्तन के विकास पर निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो विविधीकरण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी दूसरे विमानपत्तन के निर्माण का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया की कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड की इक्विटी पूंजी में 5 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है, जो कोचीन में नये विमानपत्तन के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण संबंधी परियोजनाओं पर कार्यान्वयन कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के बिना बारी के आवंटन के बारे में दिनांक 11.6.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2398 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : ऊपर उल्लिखित लोकसभा प्रश्न के उत्तर से सन्दर्भित विवरण में, प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में:-

"दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 524 फ्लैट बिना बारी आधार पर आवंटित किए गए, जिनका क्षेत्र-वार ब्यौरा इस प्रकार है"। शब्दों को निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाए:-

"दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 524 फ्लैट बिना बारी आधार पर आवंटित किए गए, जिनका वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है।"

2. अनजाने में टाइप संबंधी गलती हुई है और इससे सदन को जो असुविधा हुई उसके लिए खेद है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में इंजीनियरों की संख्या के बारे में दिनांक 9.7.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3289 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : उपर्युक्त लोक सभा प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित विवरण में क्रम सं. 6 के कालम "3" में कार्यपालक इंजीनियरों (सिविल) की कुल संख्या "17" दिखाई गयी थी, इस 17 संख्या को "117" पढ़ा जाए।

2. अनजाने में हुई इस टाइपिंग भूल के लिए तथा इससे सदन को हुई असुविधा के लिए खेद है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

एयर इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1331/98]

रेलवे स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

रेल मंत्री (श्री नीतिश कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1332/98]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1333/98]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन — संघ सरकार (1998 का संख्यांक 5) (वाणिज्यिक) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1334/98]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1335/98]

अपराह्न 12.02 **बजे**

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए सेना को बुलाने के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय के रोक आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने इससे पहले एक सवाल उठाया गया था। सम्मानित सदस्य आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को औरेस्ट करने के लिए सी.बी.आई. ने इंडियन आर्मी की मदद लेने की कोशिश की थी। इस बारे में इंडियन आर्मी को खत भी लिखा गया था। भारत सरकार ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी शुरू की थी। कोर्ट का फैसला आने के बाद इस सदन में अनुरोध किया गया था कि लीगल ओपिनियन लेकर 12 अगस्त से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की आवश्यकता है। संसदीय कार्य मंत्री ने इस सदन में कहा था कि कानूनी राय लेकर सदन को सूचित किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय पर डा. बिश्वास के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने से संबंधित केस के बारे में कानूनी राय उपलब्ध होनी बाकी है। नियमानुसार उच्चतम न्यायालय में अपील 12 अगस्त, 1998 तक की जा सकती है। सरकार इस मामले में कानूनी राय उपलब्ध होते ही जल्दी से जल्दी निर्णय ले। जहां तक हमारी मालूमात है, इस बारे में कानूनी राय आई है और अपील करने का उन्होंने समर्थन किया है। 12 अगस्त नजदीक आने वाली है। भारत सरकार को इस विषय में जल्दी कदम उठाने चाहिए। अगर मिनिस्टर साहब सरकार की सही परिस्थिति को सदन के सामने रखेंगे तो हमें मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हमें यह बताने दीजिए कि हम इस बारे में क्यों चिंतित हैं ...*(व्यवधान)*

पिछली बार जब सभा में इसकी चर्चा हुई थी तो हमने उस मामले में शामिल सिद्धांतों के महत्व पर अधिक जोर दिया था, व्यक्तित्व पर उतना नहीं। दुर्भाग्यवश इसमें शामिल व्यक्तित्व पर अधिक बल दिए जाने से पूरी स्थिति का गलत अर्थ निकल रहा है। परंतु इसमें शामिल मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कोई सिविल प्राधिकारी—और इस मामले के जांच प्राधिकारी—किसी सांवैधानिक या कानूनी शक्ति के बिना सेना बुला सकता है और क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसा कोई न्यायिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी को सेना बुलाने का पूरा अधिकार दे सकता है।

किसी प्रजातांत्रिक देश में सेना का प्रयोग वैधानिक रूप से चुने हुए, सुनिर्दिष्ट और भली-भांति जाने-पहचाने लोगों के हाथों में होता है। कोई भी आम व्यक्ति सेना का प्रयोग नहीं कर सकता। सेना एक संस्था है। विशेषकर हम भारतीय सेना से काफी खुश हैं और हमें इस पर गर्व है। हम काफी समय से कहते आ रहे हैं कि इसका उपयोग उन कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिसके लिए यह नहीं बनी है। इसका काम हमारी रक्षा करना है। हमारे पास बहुत से और उत्कृष्ट उदाहरण हैं जब सेना के जवानों ने प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक दुर्घटनाओं में मदद की है।

पूरे देश ने उनके प्रयासों की सराहना की है। इसलिए यह बहुत ही चिंता और सिद्धांत का मामला है कि क्या ऐसा किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश अब यह प्रश्न अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से संबंधित है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है जिस पर इस पक्ष को पूरी तरह उजागर नहीं किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए मेरा यह कहना है कि बिना सोचे-समझे यह अभिमत दिया गया है मानो उन्हें सेना बुलाने का अधिकार प्राप्त हो। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश के उच्चतम न्यायालय, शीर्ष न्यायालय को इस मामले पर भली-भांति विचार कर मत देना चाहिए। जब तक सरकार इसे अपने हाथ में नहीं ले लेती तब तक इन कार्यवाहियों में और कोई भागीदार नहीं है। जब तक सरकार इसे उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करती तब तक इस प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि वे इस संबंध में मत मांग रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे महान्यायवादी का मत ले रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इस संबंध में वे महान्यायवादी या किसी और का मत पसंद करेंगे या नहीं। जो कुछ भी हमें पता चला है—मैं नहीं जानता कि यह ठीक है या गलत—उससे पता चलता है कि किसी अपील के लिए महान्यायवादी का विचार ही जाना जाता है। यदि ऐसी बात है तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उस मत को स्वीकार करे या इस स्थिति के संबंध में सरकार के विचार के बारे में इस सभा को विश्वास में ले। क्या वे संकीर्ण राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इसकी अनुमति देंगे कि इस बहुत गंभीर मुद्दे या सिद्धांत के मामले को नजर अंदाज कर दिया जाए? अगर ऐसी बात है, तो यह बहुत ही दुखद दिन होगा।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कृपया इसमें शामिल व्यक्तियों के प्रश्न को अलग रख कर इसे अधिक महत्व और सिद्धांत का मामला समझे। किसी भी हाल में सरकार को अपील के संबंध में हमारे अनुरोध का उत्तर देना चाहिए था। यह अत्यंत आवश्यक है कि इस मामले की जांच की जाए। पिछली बार हमारे पूर्व गृह मंत्री जी श्री गुप्त ने कुछ बातें कही थीं। वे आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो कुछ हो रहा है उस संबंध में सकारात्मक निर्णय ले।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को मजबूर होकर क्वश्चन ऑवर में यह सवाल उठाना पड़ा था। इसका कारण यह है कि सरकार द्वारा इस मामले में अपील करने की अंतिम तारीख 12 अगस्त है। इस संबंध में मैंने व्यक्तिगत रूप से संबंधित अधिकारी या संबंधित मिनिस्टर से मिलकर कोशिश की और अनुरोध किया। लेकिन उन्होंने अभी तक अपील नहीं की है। इसी कारण क्वश्चन ऑवर में बाधा डालने के लिये आपके सामने मजबूर होना पड़ा ताकि आप हमें न्याय दे सकें। आपसे निवेदन है कि आप इस बात को अन्यथा न लें। वैसे नेता विरोधी दल श्री शरद पवार और श्री सोमनाथ चटर्जी ने विस्तार से सारी बातें बता दी हैं। चूंकि यह श्री लालू यादव से संबंधित मामला है, हो सकता है कि इस वजह से लोगों द्वारा कोई अपील नहीं होगी। अब सत्र के 2-3 दिन रह गये हैं, इसलिये हम आपसे न्याय चाहते हैं और हमें उम्मीद भी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें श्री लालू यादव का सवाल नहीं परन्तु मेरे व्यक्तिगत अनुरोध के बावजूद अपील करने को तैयार नहीं हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कानूनी राय लेने के बारे में बताया था और वह राय ले ली गई है। हमें पक्का पता है और रिपोर्ट मिल रही है कि अटार्नी जनरल ने अपनी राय सरकार को दे दी है कि इस मामले में अपील होनी चाहिये। परन्तु सरकार अपील नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सेना का सवाल है, जब हम डिफेंस मिनिस्टर थे तभी यह सवाल हमारे सामने आया था लेकिन ऐसे मामलों में कभी किसी की गिरफ्तारी के लिये सेना नहीं जा सकती। श्री चटर्जी ने भी इस सच्चाई का उल्लेख किया है। न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि सारे विश्व में हमारी सेना ने सम्मानपूर्वक कार्य किया है और मानवाधिकारों का ध्यान रखा है। मानवता की रक्षा के लिये सेना कभी पीछे नहीं हटी है और मानवता का पूरा पालन किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी आपसे अपील है कि आप सरकार पर यह दबाव डालें कि वह 12 अगस्त से पहले अपील करने के लिये आज यहां घोषणा करे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तपन सिकदर (दमदम) : कलकत्ता उच्च न्यायलय ने इसकी पुष्टि कर दी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : महोदय आपको इस ओर के सदस्यों को भी अनुमति देनी चाहिए। केवल एक ही तरफ से बोलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ.प्र.): अध्यक्ष जी, जिस समय यह घटना हुई थी, सारे देश में इसकी चर्चा हुई थी और उस चर्चा में अधिकांश लोगों ने कहा था कि सी.बी.आई. अपनी सीमा के बाहर गई है। यह भी बात सही है कि उस समय सेना के अधिकारियों ने उनकी मांग को मानना अस्वीकार कर दिया था। यह भी सही है जो कहा गया कि पटना हाई कोर्ट ने उनको कोई ऐसा निर्देश दिया था कि सेना बुलाई जाए। वह बुला सकते हैं, इसको भी सेना के लोगों ने अस्वीकार किया था। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट था कि सी.बी.आई. के एक व्यक्ति ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया। मैं नहीं जानता कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय क्या है। उस निर्णय के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन यह प्रश्न ज्यादा मौलिक है जिसका जिक्र अभी सोमनाथ चटर्जी जी ने किया। अगर पुलिस के लोग सेना बुलाने का काम करने लगेंगे तो इस देश का सारा ढांचा ही टूट जाएगा। सेना बुलाने के लिए बहुत से तरीके हैं। वहां पर मान लीजिए अगर मुख्य मंत्री नहीं बुला रहे थे तो वहां राज्यपाल जी हैं। यहां पर डिफेन्स मिनिस्टर थे, यहां पर होम मिनिस्ट्री थी। ऐसे साधन थे जिनके जरिये उस काम को किया जा सकता था, लेकिन किसी पुलिस अधिकारी का सीधे सेना के पास पहुंचना अक्षम्य अपराध है। मैं नहीं जानता किस आधार पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि उनको इस बात के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपके जरिये इस सरकार से निवेदन करूंगा कि कुछ लोगों के प्रति हमारी जो भी भावना हो, उस भावना को देखते हुए हम संविधान पर कुठाराघात न होने दें और सभी अधिकारियों और सभी लोगों को, चाहे वे राजनीतिक नेता हों, चाहे अधिकारी हों, उनको संविधान की सीमाओं के अंदर काम करने के लिए बाध्य करें और अगर ऐसी कोई विकृति आई है तो उसके लिए उच्चतम न्यायलय का निर्णय लेना आवश्यक है और मुझे विश्वास है कि हमारे मंत्री, हमारे मित्र श्री खुराना जी इस संबंध में छोटी बातों से ऊपर उठकर मौलिक सवाल के ऊपर बात करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, इसमें दो मुद्दे शामिल हैं। पहला, जैसा कि श्री चंद्रशेखर जी ने ठीक ही कहा है, क्या सेना बुलाई जानी चाहिए थी या नहीं। यह एक विवादास्पद मुद्दा है। इस संबंध में दो अलग-अलग मत हैं।

दूसरा मुद्दा अपील दायर करने का है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में रोज ही निर्णय दिए जाते हैं जिसमें भारत सरकार भी भाग लेती है।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी अपना उत्तर देने के लिए तैयार है। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

फिर हमें एक अपील दायर करनी पड़ेगी। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, यह मामला महान्यायवादी या महान्यायाभिकर्ता को जाता

है। वे अपना मत देंगे। जहां तक मुझे पता है श्री मुलायम सिंह यादव या विपक्ष के नेता द्वारा आज तक दी गई जानकारी सही नहीं है। महान्यायवादी और महान्यायाभिकर्ता ने आज तक अपना मत नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)* मुझे बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। यह सब क्या है?

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन : उन्हें इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि अपील दायर की गई है या नहीं। निर्णय गुण दोष के आधार पर लिया जाना चाहिए। श्री चंद्रशेखर जी ने कहा है कि "सेना को नहीं बुलाया जाना चाहिए था"। परन्तु वे यह भी क्यों नहीं कहते कि "अगर किसी मुख्य मंत्री के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट जारी किये जाते हैं तो मंत्री जी चुपचाप जाकर समर्पण क्यों नहीं कर देते? वे गिरफ्तारी का इंतजार क्यों करते हैं? *(व्यवधान)* इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं जो हमारे मित्रों ने कही है कि यहां कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। यह प्योरली लीगल मैटर है जो मिलिट्री के बारे में कहा। इस समय जो हम यहां तय करने जा रहे हैं, यह पूरी तरह से एक वैधानिक मामला है। हाई कोर्ट के आदेश के बारे में अपील करें या नहीं करें, मुद्दा यह है। और जो आपने कहा है, मेरी जानकारी के अनुसार अटॉर्नी जनरल की राय अभी नहीं आई है। *(व्यवधान)*

श्री बलराम सिंह यादव (मैनपुरी): आप रिपोर्ट लीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरी जानकारी के अनुसार अटार्नी जनरल ने अभी राय नहीं दी है। उनकी राय आने के बाद सरकार फैसला करेगी। मुझे यह मालूम है कि इसकी अपील करने की आखिरी तारीख 12 अगस्त है, यह सरकार जानती है। उसके पहले-पहले ही हम निश्चित रूप से राय लेकर, लीगल ओपीनियन के अनुसार जो भी फैसला होगा, वह सरकार करेगी। प्योरली पोलिटीकल मोटिव के आधार पर नहीं करेगी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बुलाया है। मैंने प्रो. रीता वर्मा को बोलने के लिए बुलाया है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के गिरीडीह जिले में जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वहां के अटकाडीह गांव में नक्सलियों ने आज से कुछ दिन पहले दस लोगों की हत्या कर दी और 13 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस पर बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा यह है कि वहां दहशत की स्थिति बनी हुई है। वहां अभी भी नक्सली लोग डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं कि यह तो हत्या का पहला ही अध्याय था। दूसरा अध्याय भी जल्दी ही करने वाले हैं, इसका भी ऐलान कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : दूसरी तरफ ग्रामीण लोग बिल्कुल असुरिक्षत वातावरण में आतंकित हैं और दूसरे लोग बदले की भावना से उबल रहे हैं। यदि ऐसी कोई गंभीर स्थिति हो जाए, दोनों तरफ से लोग गोलीबारी पर उतर आयें तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। जिस तरह से नक्सली वहां पर एक के बाद एक खौफनाक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वहां सरकारी तंत्र बिल्कुल फेल हो गया है। पहले ऐसी चर्चा थी कि वहां के नक्सली दो साल पहले आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में खूनी ट्रेनिंग लेने के लिए गये थे और वे वहां से ट्रेनिंग लेकर आये हैं और एक के बाद एक जनसंहार को अंजाम दे रहे हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अपराह्न 12.18 बजे

(इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

प्रो. रीता वर्मा : दूसरी तरफ बिहार सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है और लोगों को राहत देने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। लोगों की सुरक्षा के लिए वहां जो पुलिस तैनात है वह भी बेहद लाचार और बौनी साबित हो रही है ...*(व्यवधान)* वह लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती, वह नक्सलियों के आगे खुद दहशत में है। लोगों को मालूम है कि नक्सली आतंक के आगे पुलिस उनकी रक्षा नहीं कर सकती। वास्तव में मध्य और दक्षिण बिहार में धनबाद जिले के टुंडी और गिरीडीह जिले के पीरटांड में उग्रवादियों की समानान्तर सरकार चल रही है। लेकिन पटना की राबड़ी सरकार, सामाजिक न्याय वाली सरकार, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, वहां बिल्कुल जंगल राज चल रहा है। हाई कोर्ट का भी यही कहना है कि वहां जंगल राज चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपील करूंगी कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और वास्तव में एक अच्छा शासन देने के लिए

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. रीता वर्मा]

राज्य में अविलम्ब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वरना वहां लोग दहशत में रहेंगे और एक और बड़े नरसंहार की आशंका बनी रहेगी।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी थोड़े ही दिन पहले सदन में एक अत्यंत अशोभनीय और अभद्र घटना हुई। जिसमें कुछ सदस्यों ने मिलकर अध्यक्ष महोदय का अपमान किया *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाकर बैठ जाइए। *(व्यवधान)* आप पहले अपने स्थानों पर वापस चले जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने स्थानों पर वापस चले जाइए। यह क्या है? आप हमेशा सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं। मैं आपसे अपने स्थान पर जाने का अनुरोध कर रहा हूं। कृपया वापस अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस चले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन में इस प्रकार बर्ताव किया जाता है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद वे धमकियां दे रहे हैं कि हम हाउस को नहीं चलने देंगे। *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, ये पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, ऐसी धमकियों से क्या पार्लियामेंट नहीं चलेगी। महोदय इनको सदन से निष्कासित कर दिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सदन की कार्यवाही रोकना चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बर्ताव करने का तरीका है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोवय : कृपया अपने स्थानों पर वापस चले जाइए।

अपराह्न 12.22 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अब यह आपको और सदन को तय करना है कि यदि ये माननीय सदस्य इसी प्रकार से बार-बार वैल में आ जाएंगे, तो सदन की कार्यवाही किस प्रकार से चलाई जाएगी। मैं माननीय सदस्यों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस प्रकार से बार-बार सदन के वैल में आकर कार्यवाही रोकने का प्रयास न करें। यदि वे इसी प्रकार से मनमानी करेंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपना स्थानं ग्रहण कीजिए। मैंने श्री शर्मा को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव मैंने श्री शर्मा को बोलने की अनुमति दी है। उनकी बात खत्म होने के पश्चात, मैं आप को बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक तरीके से बिल पारित किया जाता है। इंट्रोडक्शन के समय इनको आपत्ति करने की छूट है। उसके बाद जब बिल पारित होने की प्रक्रिया से गुजरे तब उसका ये विरोध कर सकते हैं, संशोधन दे सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन खुले आम यह धमकी देना कि यदि हमारी इच्छा के अनुकूल बिल नहीं लाया गया, तो हम सदन को नहीं चलने देंगे, यह ठीक नहीं है। हम अपनी आजादी का स्वर्ण जयन्ती वर्ष मना रहे हैं। इस वर्ष में हम सदन की गरिमा को बचाने के लिए और सदन में जो बातें हमने कही हैं और माफी मांगी है, उस पर हमें कायम रहना चाहिए और उससे मुकरना नहीं चाहिए ताकि रोज-रोज ऐसी अशोभनीय घटनाएं न घटें। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक मामूली सी बात है, जहां तक वैल में आने की बात है, हम उसे अच्छा नहीं मानते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): महोदय, मैंने अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए सूचना दी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी सूचना का क्या हुआ। श्री लालू प्रसाद और श्री मुलायम सिंह यादव जैसे वरिष्ट सदस्यों ने सदन का ज्यादातर समय लिया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, लेकिन ऐसा करने पर हमें मजबूर. कौन कर रहा है, यह भी देखें। एक बात बता दें कि एक दिन में, दो दिन में या तीन दिन में कानूनी राय लेकर आप अपना डिसीजन कल या परसों तक दे दें। खुराना जी, आप मुख्य मंत्री रहे हैं, हम लोग भी सरकार में रहे हैं, हमें मालूम है कि यदि कानूनी राय ली जानी है, तो एक घंटे में कानूनी राय ली जा सकती है। इसलिए आप हमें कल तक बता दीजिए कि राय लेनी है या नहीं। यदि आप हमें नहीं बताएंगे, तो हमारी मजबूरी होगी। *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। *(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, ये हमको अनुशासनहीन कह रहे हैं। जो खुद अनुशासन तोड़ते हैं, वे दूसरों को क्या अनुशासन सिखाएंगे। इनको सदन से निष्कासित करना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं मुख्य मंत्री रहा हूं, मैं रक्षा मंत्री रहा हूं और मैं भी लीगल एडवाइज लेता रहा हूं और यदि लीगल एडवाइज लेना चाहें तो वह एक घंटे में ली जा सकती है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मुलायम सिंह जी जैसी लीगल एडवाइज तो हम नहीं लेंगे। जो लीगल एडवाइज हम लेंगे, वह नियमों के अनुसार होगी, ताकि कल को कोई सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ न जा सके।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम 12 तारीख से पहले राय लेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि 12 तारीख लॉस्ट डेट है। हम किसी लीडर आदमी के कहने पर कि आज ही दो, अभी दो, *(व्यवधान)* यह हम नहीं करेंगे, मेरा यह कहना है। *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.26 बजे

[श्री पी०एम० सईद *पीठासीन हुए***]**

श्री मुलायम सिंह यादव : हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमारी बात *(व्यवधान)* लेकिन हम यह चाहते हैं कि 29 तारीख से पहले यह राय लेंगे या नहीं लेंगे। *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : क्या आप नहीं चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले? *(व्यवधान)* एक ही आदमी कितनी बार बोलेगा। *(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक उच्च शिक्षा निदेशक के विरुद्ध दायर जनहित याचिका की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। *(व्यवधान)* क्योंकि उनकी नियुक्ति समूह ए, सेवा नियमावली 1985 के विपरीत की गई है। निदेशक शासनादेश के विपरीत नियुक्तियों, पदोन्नति, धन का दुरुपयोग और जातिवादी भावना से ग्रस्त होकर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। सरकारी, प्राइवेट डिग्री कालेजों में शिक्षकों की गलत तरीके से पोस्टिंग की जा रही है। ...*(व्यवधान)* चैम्बर बनाने के नाम पर बिना किसी सार्वजनिक टैंडर के दो लाख रुपये खर्च किये गये हैं। ...*(व्यवधान)* एक डिग्री कालेज में एक अंग्रेजी शिक्षक की जगह चार पद उन्होंने भरे हैं। ...*(व्यवधान)* माननीय उच्च न्यायालय ने 1996-97 में वेतन के भुगतान का आदेश दिया था लेकिन उन शिक्षकों को आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह जीरो ऑवर है, स्पीच मेकिंग ऑवर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, विभिन्न डिग्री कालेजों के चार महिला प्रवक्ताओं को विभिन्न कार्यालयों में संबद्ध किये हैं। *(व्यवधान)* इसी तरह वे सीनियर उच्च वेतनमान वाले शिक्षकों को नीचे रखकर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा किये गये कार्यों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराई जाये। *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : सभापति जी, यह स्टेट का मामला है। *(व्यवधान)* यह सैंट्रल गवर्नमैंट का मामला नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, हमने इतना महत्वपूर्ण सवाल किया है। *(व्यवधान)* कार्य स्थगन प्रस्ताव को पहले सुना जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : सभापति जी, कार्य स्थगन प्रस्ताव को पहले सुना जाता है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका जो एडजर्नमैंट मोशन है, वह अध्यक्ष जी के सामने विचाराधीन है इसलिए उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष जी, हाउस शुरू होने से *(व्यवधान)* तीन एडजर्नमैंट मोशन दिये गये हैं। *(व्यवधान)* उनको पहले सुना जाता है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह अध्यक्ष जी के सामने विचाराधीन है। मैं उस मामले में कुछ नहीं बोल सकता।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : भारत सरकार सी.टी.बी.टी. पर *(व्यवधान)* दस्तखत करने जा रही है। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने जो प्रश्न उठाया है *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): सभापति जी, हमको भी बोलना है। *(व्यवधान)* हम आपके आदेश के अनुसार करेंगे। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रभुनाथ जी, उन्होंने जो मामला उठाया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सुनिये तो सही।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने एडजर्नमैंट मोशन के बारे में कहा है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। इसलिए उस पर सबसे पहले विचार किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसलिए मैंने कहा कि आपका जो एडजर्नमैंट मोशन है, वह अध्यक्ष जी के सामने विचाराधीन है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : सभापति जी, जो एडजर्नमैंट मोशन है। *(व्यवधान)* सी.टी.बी.टी. पर भारत सरकार दस्तखत करने जा रही है, इसके बारे में मेरा एडजर्नमैंट मोशन है। वही एडजर्नमैंट मोशन श्री मुलायम सिंह जी का है। इसके अलावा तीन लोगों का और है। *(व्यवधान)* हम कहना चाहते हैं कि इतने महत्वपूर्ण सवाल पर जो देश की सुरक्षा और एकता से संबंधित है, राष्ट्र की सार्वभौमिकता से संबंधित है, सभी पक्षों की राय लिये बिना भारत सरकार *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उसी के ऊपर संसदीय कार्य मंत्री कुछ बताना चाहते हैं लेकिन आप उसे सुनना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): एडजर्नमैंट मोशन कभी भी लंबित नहीं होता। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मुझे सिर्फ दो बातें कहनी हैं। *(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल): सभापति महोदय, क्या पूरा जीरो आवर यही लोग ले लेंगे? *(व्यवधान)* आपके पास जीरो आवर की इतनी लम्बी लिस्ट पड़ी है, वे मैम्बर कब बोलेंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे बताया गया कि श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने सूचना दी थी, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकार दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री बसु देव आचार्य (बांकुरा) : इसे क्यों अस्वीकृत कर दिया गया है? हम यह जानना चाहते हैं कि *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : आपने इनका एडजर्नमैंट मोशन रिजैक्ट कर दिया लेकिन मेरे एडजर्नमैंट मोशन का क्या किया *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसु देव आचार्य : हम जानना चाहते हैं कि उस बैठक में ऐसा क्या हुआ। सदन को यह जानने का पूरा अधिकार है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसु देव आचार्य, श्री मोहन सिंह, क्या आप अपने स्थान ग्रहण करेंगे? मैं सभा की कार्यवाही किस प्रकार चला सकता हूं जब आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं? सबसे पहले कृपया मेरी बात सुनिए।

सचिवालय को स्थगत प्रस्ताव के लिए केवल एक ही सूचना प्राप्त हुई है। वह सूचना श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा दी गई थी और उसे अस्वीकृत कर दिया गया है। स्थगत प्रस्ताव की कोई अन्य सूचना सचिवालय को नहीं दी गई है अथवा सचिवालय द्वारा प्राप्त की गई है। यह स्थिति है। मेरे पास यही सूचना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री को बोलने की अनुमति आपने क्यों नहीं दी?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, मुझे बोलने दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। *(व्यवधान)* हालांकि इस संबंध में कल प्रधानमंत्री जी और फौरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि किसी भी प्रैशर में आकर सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मोहन सिंह, कृपया उनकी पूरी बात सुनिए और इसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अखबार में जो छपेगा आप उसे मानेंगे या देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, उसे मानेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। उन्हें अपना जवाब तो पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आज प्रातः विरोधी दल के नेता ने यह आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी जब यहां हों, क्योंकि वे मंगलवार को जाने वाले हैं, उसके पहले विदेश मंत्रालय के बारे में चर्चा हो। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात कर ली है, वे ऐग्री हैं। यदि स्पीकर साहब कहेंगे तो सोमवार को इसकी चर्चा हो सकती है। इस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप डेट फिक्स कर लीजिए। उसमें सारा मामला आ जाएगा। लेकिन इसके बारे में प्रैशर डालना और बार-बार यह

कहना कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, वह हो रहा है, हम इसे डिनाई करना चाहते हैं। सी.टी.बी.टी. पर किसी प्रैशर में आकर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : खुराना जी ने जो कहा लेकिन उनके स्टेट मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री के सामने कहा है कि कुछ प्रावधानों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी को कोलम्बो जाना है। ...*(व्यवधान)* वे कौन-कौन से प्रावधान हैं जिन पर ये हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गए हैं, यह महत्त्वपूर्ण सवाल है। ...*(व्यवधान)* कौन से प्रावधान हैं, यह हम जानना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री जी को कोलम्बो जाना है तो उसके पहले सदन को विश्वास में लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, आप हाउस के सीनियर मैम्बर हैं। जीरो आवर में जो कुछ आप उठा रहे हैं, जीरो आवर को क्वश्चन आवर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आपके मोशन के बारे में अध्यक्ष जी ने क्या निर्णय लिया, वह मैंने आपको बताया। अब इतने मैम्बर्स हैं, जिनके नाम इधर लिस्ट में हैं, उनका चांस खत्म होने वाला है, आप मेहरबानी करके इनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप बोल रहे हैं? बोलिये, आपने वहां हल्ला होने के पहले शुरू किया था।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, बोलने के लिए ही तो हम खड़े हुए थे, आपने तीन बार हमें बैठाया और हम बैठते रहे, उठते रहे। अब तो कम से कम आप भी धैर्य से सुनिये, हम जो बोलना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

एक अति संवेदनशील मामले की तरफ हम आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इस समय इस देश में इन्सानों के शरीर से किडनी निकालकर अवैध व्यापार किया जा रहा है। हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि रांची से एक व्यक्ति को मुंबई ले जाया गया और मुंबई के अस्पताल में ले जाकर उसके शरीर से किडनी निकाल ली गई। जब उसे होश आया तो वह मुंबई पुलिस के यहां गया, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की। उसके बाद मुंबई के न्यायालय में जाकर वहां वह मुकदमा दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस रांची गई और रांची में जाकर वहां प्रसाद नर्सिंग होम में छापामारी की। रांची पुलिस भी वहां पहुंची, वहां के चिकित्सक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद समता पार्टी के लोगों ने वहां आन्दोलन किया। ...*(व्यवधान)* हम आपको बताना चाहते हैं कि इस घपले और घोटाले में एक जांच में पता चला है कि रांची में प्रसाद नर्सिंग होम के आठ व्यक्तियों का, जो निरीह हैं, गरीब हैं, उनकी किडनी धोखे से निकालकर विदेशी नागरिकों के शरीर में उस किडनी को लगाया गया है। यह धन्धा जो पूरे देश में चल रहा है और खासकर प्रसाद नर्सिंग होम में चल रहा है, इसमें बिहार के बड़े-बड़े लोगों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ, जिसमें बाकी अभियुक्तों पर कारवाई नहीं हो रही है।

हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, यह अखबारों में निकला हुआ है। आपका आदेश हो तो हम पढ़कर सुना दें। इसमें आठ विदेशी व्यक्तियों का, जिनका प्रत्यारोपण किया गया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस सिलसिले में भारत सरकार ने क्या कार्रवाई करनी है, वह बताइये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार इस प्रकार के अवैध धन्धे पर अंकुश लगाये, जिससे कम से कम इन्सानियत बची रहे, मानवता बची रहे। हम यह कहना चाहते हैं कि दोषी लोगों पर, जिनका पूरे देश में जाल फैला हुआ है, उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार कठोर कदम उठाये, यह हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, यह अति गम्भीर मामला है और सरकार बैठी हुई है। इसमें इन्सानों की देह से अवैध रूप से किडनी निकालकर व्यापार किया जाता है। आप सरकार को कहिये, खुराना जी जब मुलायम सिंह जी कहेंगे तो दस बार उठेंगे और बैठेंगे, आपके निर्देश के बिना जवाब देंगे और इस देश में किडनी का व्यापार चल रहा है और यहां भारत सरकार बैठी हुई है। ...*(व्यवधान)* इसमें सरकार संवेदनशीलता दिखाये और इसमें सरकार क्या कदम उठा रही है, यह बताये। आप आसन से निर्देश दीजिए और सरकार से इस पर कहलवाइये। अभी तो संसदीय कार्य मंत्री बातें कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं उन्हें अभी जवाब देने के लिए नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि जब एक सी.बी.आई. के पदाधिकारी के विरुद्ध मामला होगा तो आसन का निर्देश दिया जायेगा और मंत्री दस बार उठ बैठकर जवाब देते रहेंगे और यह देश का इतना गम्भीर मामला हमने उठाया है कि इन्सानों के शरीर से किडनी निकालकर बेची जाती है, सरकार यहां बैठी हुई है और सरकार बहरी बनी हुई है, जवाब नहीं दे रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार को कहिये कि सरकार इसमें जवाब दे। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, हमने सूचना दी है कि 11 जून को माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वस्त किया, उसको एक महीना 11 दिन हो गये, मतलब डेढ़ महीने में अभी चार दिन कम हैं, नहीं तो डेढ़ महीना पूरा हो रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया था कि हम कानूनी राय लेकर ...*(व्यवधान)* लगभग डेढ़ महीना हो गया है, सरकार को सूचना दे दी है और कानूनी राय भी आ गई है ...*(व्यवधान)* वह दबाकर सरकार बैठी है। सेना को बुलाने का मामला है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह मामला आ चुका है, अब समाप्त कीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। ...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट की चले या हाई कोर्ट की बात चले ...*(व्यवधान)* सरकार को कानूनी राय बतानी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सके। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : एक ही मैटर को कितने लोग उठाएंगे, इससे बाकी सदस्यों को चांस ही नहीं मिलेगा।...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं आसन के निर्देश पर बोला हूं, मैंने नोटिस दिया था।...*(व्यवधान)*

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मुझे भी इस पर कुछ कहना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा स्पष्टीकरण पहले ही दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। आप उसे केवल एक वाक्य में कह सकते हैं। मैं इसकी पुष्टि करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह किसी आदमी का या व्यक्ति का सवाल नहीं है। यह मर्यादा का सवाल है। संस्था के अधिकारों की रक्षा का सवाल है। सरकार को इस विषय पर शीघ्र से शीघ्र राय लेकर सदन को बताना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है, अब आप बैठ जाएं।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार): सभापति महोदय, मैं एक अतिमहत्त्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों बिहार की विधान सभा में बिहार के काबीना मंत्री ने सदन में एक टिप्पणी की। उन्होंने एक* खास समुदाय के खिलाफ कहा कि * महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा सदन में इस तरह की टिप्पणी करना

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ऐसे अशोभनीय शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह :

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह मामला किसानों के ऋण और बुनकरों के ऋण से सम्बन्धित है। सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार किसानों को खुशहाल बनाने के लिए उन्हें ट्रैक्टर के लिए ऋण दिया जाता है। ठीक इसी तरह का ऋण बुनकरों को भी दिया जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मिर्जापुर-भदोही में किसानों और बुनकरों को ऋण देने की व्यवस्था सरकार ने एक नीति के तहत बनाई है। लेकिन दुखद बात यह है कि किसानों को जो खुशहाल बनाने की व्यवस्था की गई है, वह व्यवस्था किसानों को कंगाल बना रही है। एक तो उनको उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता, जिससे वह किस्त नहीं दे पाता, दूसरे इस कारण उसका ट्रैक्टर नीलाम कर दिया जाता है और उसकी जो जमीन रेहन होती है, वह भी नीलाम कर दी जाती है। यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है।

सभापति महोदय : इसीलिए आपको इसे उठाने की इजाजत दी है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इससे किसान कंगाल हो जाता है। मैं रिकार्ड में दर्ज कराने के लिए और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कहता हूं कि इस नीति में परिवर्तन किया जाए। यह किसानों, मजदूरों का देश है, उनको ऋण देकर खुशहाल बनाने की योजना बनाई जाती है, लेकिन वे इस व्यवस्था के चलते कंगाल बन जाते हैं। इसी तरह एक अन्य व्यवस्था के तहत हरिजनों को ऋण दिया जाता है।

उस ऋण में आधी छूट दी जाती है। मैं आपका ध्यान उस ऋण की तरफ दिलाना चाहता हूं। प्रबन्धन के लोग, जो आधा ऋण छूट दी जाती है, उस ऋण को अपने पास रख लेते हैं। आधा ऋण रिश्वत में चला जाता है और आधा ऋण जमा होता है। किसान को आधा ऋण ही देते हैं और वह आधा ऋण भी कभी लौटाना नहीं होता है, क्योंकि वह पैसा छूट का होता है। आधा पैसा रख लेते हैं। बैंक की व्यवस्था में रिकवरी भी ठीक होती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक होता है और आधी छूट वाला पैसा जमा भी नहीं होता है। इस प्रकार आधा पैसा मारा जाता है।

सभापति महोदय, इस नीति की तरफ मैं भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार को इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए। गरीबों को जो ऋण दिया जाता है, उसका आधा लेकर आधा ही जमा किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे वित्त मंत्री जी को निदेशित करें इस प्रकार से ऋण की व्यवस्था को अविलम्ब बन्द कियां जाना चाहिए, नहीं तो सार्वजनिक कोष की लूट होती रहेगी। हिन्दुस्तान की स्थिति ऐसी है कि विदेशी कंपनियां भी लूट रही हैं और विदेशी कंपनियों के अलावा ये लोग भी लूट रहे हैं। इससे देश दिवालिया हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को तोड़ा जाना चाहिए, बन्द किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, वह किसानों हेतु ऋण नीति के बारे में बता रहे हैं...*(व्यवधान)* महोदय, आप माननीय मंत्री जी को निर्देश दें कि किसानों हेतु ऋण नीति सम्बन्धी चर्चा कराई जाए। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री संबंधित मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, नहीं वह इस विषय पर उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : मंत्री महोदय, किसानों हेतु ऋण नीति पर यहां चर्चा की जा सकती है। आप उसके लिए कुछ समय क्यों नहीं निकालते?

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : कार्य मंत्रणा समिति में कर रहे हैं।

श्री मोहन सिंह : महोदय, राजधानी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। इस राजधानी के मुख्यमंत्री और इस आदरणीय सदन के एक सदस्य स्कूटर पर दिखलाने के लिए, पाखंड करने के लिए इलाके का दौरा कर रहे थे। दिल्ली की विशेष बात है, यहां कानून लागू है कि कोई भी व्यक्ति बिना हैलमेट के नहीं चल सकता है और पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी बिना हैलमेट के नहीं चल सकता है। कल इन पर 100-100 रुपये का फाइन किया गया। जो व्यक्ति मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठकर अभियुक्त हो गया, तो क्या उसको नैतिक अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे। जिस व्यक्ति के ऊपर पूरी राजधानी में कानून व्यवस्था को दुरूस्त रखने की जिम्मेदारी है, कानून के मुताबिक काम करने की जिम्मेदारी है, वह व्यक्ति स्वयं पाखण्ड करके जनता को दिखलाने के लिए कानून को तोड़े और उसको सजा हो जाए, ऐसी स्थिति में वह स्वयं कुर्सी पर बैठा रहे, इससे अधिक शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैं खुराना जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बारे में वास्तविक स्थिति बतलायें। आपके ऊपर केवल इल्जाम लगा, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और एक ऐसा व्यक्ति जो दोष सिद्ध हो गया, जुर्माना हो गया...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप भारत सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री मोहन सिंह : हर विषय पर...*(व्यवधान)* इनकी ओर से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री यदि कुछ कहना चाहें, तो कहें। इस पर उनको वक्तव्य देना चाहिए और अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस कानून को तोड़ने के सवाल पर कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं या उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाने का कार्य सरकार की ओर से होगा, यह मैं उनसे जानना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी क्या आप, जो यह कह रहे, उस पर कुछ कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी उस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मैं क्या कर सकता हूं। मैं उन्हें यहां से निर्देश नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप कुमार यादव (कन्नौज) : महोदय, हिन्दुस्तान गांव प्रधान देश है और गांव में रहने वाले किसान ज्यादातर खेती करते हैं। ग्रामीण स्तर पर पशुओं का मेला हर राज्य में लगता है, जहां पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, देश के सभी उत्तरी हिस्सों में स्वस्थ किस्म के जानवर भेजे जाते हैं। पशुओं की नस्ल सुधार व अच्छे बैल-बछड़े तथा गायों जैसे पशुओं का व्यापार किसान का एक कारगर माध्यम बन गया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने पाबन्दी लगा दी है कि बछड़ों को और अच्छे किस्म के जानवरों को जिले के बाहर नहीं ले आया जा सकता है। इसकी वजह से गांवों के गरीब किसान, जो इस तरह भैंस या बछड़ों जैसे छोटे व्यापार करके अपना जीवनयापन करते थे, रोजी-रोटी चलाते थे, वह उनका व्यापार बंद हो गया है।

महोदय, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन उन्नतशील किस्म के पशुओं पर, उनके आगमन पर लगाई गई पाबन्दी को तत्काल हटाने की कृपा की जाए।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे लोक महत्त्व का मामला उठाने की अनुमति दी। केन्द्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप देश भर के शैक्षिक समुदाय के लोगों तथा शैक्षणिक संस्थानों में अभूतपूर्व तनाव तथा अशान्ति व्याप्त है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक ऐसा निकाय है जिसको संसद के एक अधिनियम द्वारा शक्तियां प्राप्त हैं और विगत में यह प्रथा रही है कि अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन के प्रश्न पर सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें हमेशा स्वीकार की जाती रही हैं। पहली बार संसद के कानून और विगत की स्वस्थ परम्परा की अवमानना करते हुए सरकार ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि देश के शैक्षणिक समुदाय को सड़कों पर आना पड़ा। परसों उन्होंने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए संसद तक मार्च किया था कि सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिए।

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि पोखरन के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने 'जय विज्ञान' का एक नारा लगाया था। यह केवल तभी संभव हुआ है जबकि हमने शैक्षणिक संस्थाओं में प्रतिभा को बनाए रखा है। आज के वेतनमान के स्तर को देखते हुए प्रतिभा बाहर जाने को बाध्य है न केवल शैक्षणिक संस्थाओं से अन्य क्षेत्रों में बल्कि इस देश से अन्य देशों में भी प्रतिभा का पलायन हो रहा है। इसलिए, एक ओर तो 'जय विज्ञान' का नारा लगाया जा रहा है और दूसरी ओर शैक्षणिक समुदाय को निम्न स्तर स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि वह अपनी हठधर्मी छोड़े और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करे ताकि शैक्षणिक समुदाय में जो अशान्ति है वह समाप्त हो सके।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं, श्री आरिफ मोहम्मद खां द्वारा जो कुछ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा सिफारिश किए गए वेतनमान के संशोधन के संबंध में कहा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, आज पूरे देश में प्रतिदिन अखबारों में अनुसूचित-जाति, जनजाति के ऊपर अत्याचारों के समाचार आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बिजनौर में दलित महिलाओं को नंगा करके घुमाने का भी समाचार आया है और हर जगह से समाचार आने लगे हैं। दुर्भाग्य से इस सदन में कई मंत्रालयों पर चर्चा नहीं हो पाती है और खास कर वेलफेयर मिनिस्ट्री के ऊपर तो कभी चर्चा होती ही नहीं है।

महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, अभी सारी पार्टियों के एससी, एसटी फोरम के सदस्यों की बैठक हुई थी और उसमें हम लोगों ने बिजनेस एडवायजरी कमेटी में भी आग्रह किया है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि अनुसूचित-जाति, जनजाति आयोग, जो कांस्टीट्यूशनल

[श्री राम विलास पासवान]

बाडी है, जिसके चेयरमैन को केबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है, वह कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास काफी दिनों से पड़ी हुई है। सरकार को इस पर कुछ नहीं करना है, केवल सदन में उस रिपोर्ट को पेश करना है। दुर्भाग्य से पिछले सात-आठ साल से वह रिपोर्ट पेश नहीं हो पा रही है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सदन में जल्दी से जल्दी अनुसूचित-जाति, जनजाति आयोग की रिपोर्ट को संसदीय कार्य मंत्री पेश करवाएं और उसके ऊपर डिबेट हो, जिससे कि लोगों में जो गुस्सा है वह शांत हो सके। मैं समझता हूं कि यह कोई पार्टी वगैरह का मामला नहीं है, जब हर चीज पर आप जवाब दे रहे हैं तो यह सरकार एश्योर करे कि इस सत्र की समाप्ति के पहले आप इस सदन में अनुसूचित-जाति, जनजाति आयोग ने जो रिपोर्ट सरकार के पास दे दी है और जिसको सिर्फ आपको पेश करना है उसको आप सदन में पेश करवाएंगे।

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, दो बातें इन्होंने कही हैं। पहली तो रिपोर्ट के बारे में और दूसरी बहस कराने के बारे में। अनुसूचित जाति और जनजाति पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर बहस कराने के बारे में इनका पहला मुद्दा है और दूसरा है कि उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। यह प्रश्न अभी आया है, इसकी पूरी जानकारी अभी मुझे नहीं है। अगर रिपोर्ट तैयार है तो मैं निश्चित रूप से पता करूंगा, बल्कि उस पर एक्शन प्लान भी होना जरूरी होता है। यह अगर तैयार है तो मैं संबंधित मंत्री से बात करके जवाब दूंगा, आज अभी तो जवाब दे नहीं सकता हूं। जहां तक चर्चा की बात है आप बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में आते हैं और कल उसकी बैठक भी है। अगर आप उसके बारे में बहस करना चाहें तो सरकार को कोई एतराज नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : रिपोर्ट पर बहस करा दें तो अलग से चर्चा की जरूरत ही नहीं है।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : सभापति जी, जैसा अभी पासवान जी ने कहा रिपोर्ट पर बहस सदन में होनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। पिछली सरकारें जो गलती करती रही हैं या किन्हीं कारणों से बहस नहीं करा सकी हैं *(व्यवधान)* अब तो हमारी सरकार है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, सदन जानना चाहता है कि रिपोर्ट कब पेश होगी?

सभापति महोदय : अभी-अभी मंत्री जी ने कहा है कि अगर रिपोर्ट है तो पेश करेंगे।

श्री अशोक प्रधान : जब आपकी सरकार थी तब तो रिपोर्ट पेश नहीं हुई लेकिन अब हमारी सरकार है और अगर कहा है तो रिपोर्ट जरूर पेश होगी।

सभापति महोदय : इस प्रकार बात करेंगे तो आपका नम्बर नहीं आयेगा।

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट): सभापति जी, इनकी सरकार में रिपोर्ट क्यों नहीं आई ?

सभापति महोदय : आपका टाइम होगा तब आप बात करना, अभी आप अपनी सीट पर बैठ जाइये।

[अनुवाद]

डॉ. सरोजा वी. (रासीपुरम्) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा इस सम्मानीय सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं जिसके संबंध में पिछले एक सप्ताह से समाचार-पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित हो रही हैं। "टी.वी. सैट्स कैच दिल्ली कॉप्स सीक्रेट मैसेज" शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 13.7.98 के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार प्रकाशित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के आवागमन तथा अन्य नाजुक संदेशों के संबंध में वायरलैस पर पुलिस की गुप्त बातचीत को जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों द्वारा सुन लिए जाने का खतरा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि कुछ टी.वी. सैट पुलिस द्वारा वायरलैस से की गई बातचीत को पकड़ लेते हैं क्योंकि पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला फ्रीकवैन्सी बैंड सिविल बैंड से थोड़ा सा ही ऊपर है। टी.वी. और रेडियो सैट एक ही तकनीक पर काम करते हैं, और दिल्ली पुलिस के वायरलैस सैट भी उसी तकनीक पर कार्य करते हैं वह तकनीक फ्रीकवैन्सी मोडुलेशन है। दिल्ली पुलिस की वायरलैस प्रणाली में एनक्रिप्शन सुविधा नहीं है। इसके परिणामस्वरूप पुलिस की बातचीत को आसानी से पकड़ा जा सकता है।

भारत सरकार को दिल्ली पुलिस की वायरलैस प्रणाली में एनक्रिप्शन सुविधा प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभापति जी, मैं बहुत गंभीर विषय उठा रहा हूं लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप एक दम से ब्रेक मत लगा दीजिएगा। सभापति जी, इस विषय को मैं पहले भी उठा चुका हूं। इस प्रश्न का संबंध 5200 लोगों के जीवन-मरण से है। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन की कानपुर में तीन सूती मिलें हैं एल्गिन मिल-1, एल्गिन मिल-2 और कानपुर टैक्सटाइल। इनको बंद करने का नोटिस संयुक्त मोर्चा सरकार के जमाने में लगाया जा चुका है लेकिन अब समय बढ़ता जा रहा है। अब उसकी समय-सीमा 31 जुलाई है। इसके बाद वहां के लोगों को वेतन नहीं मिलेगा और 5200 लोग सड़क पर आ जाएंगे। इस विषय में मैं प्रधान मंत्री जी से, वस्त्र मंत्री से, श्रम मंत्री से और थोड़ा सा सहायता के लिए गृहमंत्री से भी निवेदन कर चुका हूं। मेरा यह कहना था कि ये सूती मिलें ही क्यों बंद की जा रही हैं, जब पूरे देश की 124 एन.टी.सी. के अन्तर्गत आने वाली सूती मिलें बिना किसी काम के 400 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष वेतन दे रही हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

इन तीन मिलों को चलाने के लिए 16-17 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होते हैं। मेरा प्रधान मंत्री और वस्त्र मंत्री को यह सुझाव था कि वे सूती मिलों के साथ दोहरा व्यवहार न करें। एन.टी.सी. की मिलों के विषय में सरकार जब कभी निर्णय ले, उनके साथ इन तीन मिलों को भी जोड़ दिया जाए। उनको बंद न किया जाए। सरकार वित्त मंत्रालय से बात करके उनके वेतन का समय पर भुगतान करने का प्रबन्ध करे। मैंने संसदीय कार्य मंत्री की उपस्थिति में पहले भी इस विषय को उठाया था। उन्होंने इस पर कुछ कहा भी था। आज इस पर सरकार का क्या पक्ष होगा? वह इस बारे में कुछ कह कर हमें अनुगृहीत करें।

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, मुझे इसके बारे में ध्यान है। यह मामला कैबिनेट में आया था। सरकार इस बारे में पूरी तरह से सचेत है। वह मजदूरों को न्याय दिलाएगी।

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं एक महत्त्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1969 में गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारपोरेशन का खाद कारखाना स्थापित हुआ था। विभिन्न सरकारों की उदासीनता और अधिकारियों की लापरवाही के कारण 10 जून, 1990 को एक साधारण दुर्घटना के चलते इस कारखाने को बंद कर दिया गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पहले ही पिछड़ा क्षेत्र है। इस कारखाने के बंद होने से कार्यरत कर्मचारियों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों में निराशा व्याप्त है। पूर्व की पांच सरकारों की उपेक्षा के कारण वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां कृभकों द्वारा एक नया कारखाना लगाना प्रस्तावित किया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि फर्टिलाइजर कारखाने में जो कर्मचारी और अधिकारी है, उनका कृभको में समायोजन किया जाए।

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : सभापति महोदय, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भूमि को सींचने के लिए चम्बल बांध से जो नहरें निकली हैं, उसके आसपास जो कृषि जन्य पैदा होते हैं, उसके आधार पर उनको गत वर्ष अधिकतम उत्पादकता पुरस्कार भारत सरकार ने दिया था लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां जब खेतों में किसान ट्यूबवैल या कुएं से सिंचाई करते हैं तो उनको दूसरी जगहों से जोड़ दिया जाता है। वहां किसान को बहुत बुरी हालत में जीना पड़ रहा है। वहां नहरों की कतई सफाई नहीं होती। इसके लिए कोई फंड नहीं मिलते। दीगोद तहसील के गांवों में ड्रेनों की सफाई न होने से बरसात के पानी से लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। वहां आवागमन खत्म हो गया है। बहुत से गांवों की यह हालत है। नहरों की सफाई न होने से किसानों को इस वर्ष पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। किसान को बहुत मुश्किल में जीना पड़ रहा है। चम्बल की वृहद सिंचाई योजना होते हुए भी बाराबंदी सिंचाई योजना से कतई पानी नहीं दिया जाता। उनकी इसको लेकर आपस में लड़ाई भी हो जाती है। इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है। ड्रेनों और नहरों की सफाई के लिए भारत सरकार सिंचित क्षेत्र विकास फंड में से धन उपलब्ध कराए। आज झाड़गांव की झोंपड़ियां बहुत बुरी हालत में हैं। ग्राम झाड़गांव की झोंपड़ियों, ग्राम झाड़गांव की ड्रेनों की सफाई नहीं होने से गांव पानी से घिर गए हैं, उनको सुविधाएं देने के लिए अविलम्ब कार्यवाही की जाए और अविलम्ब राज्य सरकार से रिपोर्ट ली जाए।

[अनुवाद]

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विकास कार्यक्रम आरम्भ करना चाहूंगा जहां मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, अर्थात् वह केरल का मालाबार क्षेत्र है।

भारतीय तेल निगम का नौवीं पंचवर्षीय योजना में केरल के पहले के मालाबार क्षेत्र कन्नूर में एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है और केरल सरकार ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन भी कर दिया है।

कन्नूर जिला तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है और इस प्रस्तावित बॉटलिंग प्लांट से पूरे मालाबार क्षेत्र की खाना पकाने की गैस की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना पर 20 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और प्रति वर्ष 22,000 मीट्रिक टन खाना पकाने की गैस का उत्पादन होगा।

स्थानीय समाचार पत्रों ने इस परियोजना का काफी प्रचार किया है और लोग इस परियोजना के पूरा होने का बहुत उत्सुकता से इन्तजार कर रहे हैं। राज्य सरकार इस परियोजना के प्रबंध से काफी उत्सुक हैं और इस परियोजना के लिए आवश्यक 40 एकड़ भूमि देने के लिए पहले ही पेशकश की है। राजस्व विभाग भारतीय तेल निगम को वह भूमि लेने के लिए जोर डाल रहा है।

अब, विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला है कि इस परियोजना को आरम्भ न करने का ऐसा प्रस्ताव चल रहा है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव केरल के लोगों के हित के लिए हानिकारक होगा। अतः मैं भारत सरकार विशेष रूप से माननीय पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और अविलम्ब इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय तेल निगम के सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : सभापति महोदय, मैं आपका और इस सदन का ध्यान एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र की 10 लाख की आबादी है और इससे भी अधिक आबादी इन दिनों सिकल सेल नामक बीमारी से ग्रसित है जिसका किसी प्रकार का इलाज संभव नहीं है। इस बीमारी से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पश्चिमी उड़ीसा और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों के लोग भी शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी की जांच की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। इस बीमारी की जांच के लिए कोई अनुसंधान केन्द्र नहीं है। सिर्फ बुरला मैडिकल कालेज में जांच केन्द्र है। यह बीमारी विशेष रूप से खेती करने वाले, पिछड़ी जाति के लोगों यथा कुर्मी व साहू, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में पाई जा रही है। इससे नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में इंडियन कौंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च सेंटर की स्थापना करें और इस बीमारी के इलाज की व्यवस्था करें।

श्री सोहनवीर सिंह (मुजफ्फरनगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। आज देश की आबादी द्रुतगति से बढ़ रही है। मैं आपको अपने संसदीय क्षेत्र के दो कस्बों—मीरापुर और जानसठ—के बारे में बताना चाहता हूं। इन जगहों पर सरफराज- 12 बच्चे, सब्बन- 13 बच्चे, इरफान-14 बच्चे, बत्तन- 12 बच्चे, मगरूर- 15 बच्चे, केसरमियां- 12 बच्चे, मोहम्मद- 12 बच्चे, जमील- 13 बच्चे, इरशाद- 11 बच्चे, इकबाल- 11 बच्चे, शाहिद- 12 बच्चे, लियाकत- 13 बच्चे, यामीन- 12 बच्चे और शससी- 12 बच्चे है। यह देश किधर जा रहा है? आपने देखा है कि इस तुष्टिकरण ने देश की कमर तोड़ दी है। इस देश में 100 करोड़ की आबादी को सहने की क्षमता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर से दिल्ली 120 किलोमीटर है लेकिन ट्रैफिक जाम रहता है। एक साल पहले यह रास्ता तीन घंटे में तय होता था और आज चार घंटे से ऊपर लगते हैं।

सभापति महोदय : आप भारत सरकार से क्या करने के लिए कहते हैं?

श्री सोहनवीर सिंह : सभापति महोदय, यह देश 100 करोड़ की आबादी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा निवेदन है कि * आबादी पर कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। हमारे सामने चीन का उदाहरण है जहां आबादी पर कंट्रोल करने का कानून बना हुआ है। आप स्वर्ण जयंती समिति के सदस्य थे जिसमें आबादी पर अंकुश लगाये जाने की बात की गई थी लेकिन कोई अंकुश नहीं लगाया गया। मेरा निवेदन है कि जब आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, सरकार यह तुष्टिकरण की नीति छोड़ दे।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थॉमस (मुवतुपुजा) : महोदय, वह किसी समुदाय विशेष पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते हैं।

सभापति महोदय : इन सभी आपत्तिजनक भागों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डॉ. सी.पी. ठाकुर (पटना): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज में कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। वे चाहते हैं कि सरकार में उनकी सेवायें ले ली जायें। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में यह फैसला दिया था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो अनुभवी आदमी हैं, उनको सेवा में ले लिया जाए।

सभापति महोदय, मैंने एक प्रीवलेज नोटिस दिया था...*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : विशेषाधिकार का मामला कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि समूचे भारतवर्ष में भूमि का जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है। सरकार के वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि कई मीटर नीचे पानी चला जा रहा है और यह बड़ा गंभीर मसला है। सरकार ने नेशनल ऐजेण्डा में कहा है कि हमारी प्राथमिकता होगी कि देश के किसानों को पानी की व्यवस्था कराएंगे। महोदय, इस बात की चर्चा प्रश्नकाल में भी हो चुकी है और कई बार मैं सदन में इस मामले को उठा चुका हूं। मैं विशेषकर अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आगरा के पास खेरागढ़ और फतुहाबाद में करोड़ों एकड़ जमीन असिंचित पड़ी हुई है। इस वक्त इतनी वर्षा हो रही है और वह वर्षा का पानी बहकर नदियों में चला जाता है। सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि उस क्षेत्र के अंदर और समूचे भारतवर्ष में जो पानी बहकर नदियों में जा रहा है, उसको रोकने के लिए बांध बनाए जाएं, ट्यूबवैल की व्यवस्था कराई जाए, नहरों की मरम्मत कराई जाए जिससे किसानों की जमीन सिंचित हो सके। किसानों के लिए सरकार प्राथमिकता दे। इस बात को मैं तीसरी बार उठा रहा हूं, लेकिन इस बात को सरकार ठीक से नहीं ले रही है। मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यह बात तीन बार सदन में उठ

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

चुकी है। मैं अनुरोध करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री इस बारे में कोई न कोई जवाब दें क्योंकि यह करोड़ों गरीब किसानों का मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करना चाहते हैं। मैं उन्हें मजबूर कैसे कर सकता हूं? मैं उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए मजबूर कैसे कर सकता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब, मैं श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन को अपना मामला उठाने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी): माननीय सभापति महोदय, केरल में नारियल की कीमतों में कमी आना एक बहुत बड़ी समस्या है। सैकड़ों और हजारों नारियल उत्पादक इस समस्या का सामना कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन को अपना मामला उठाने के लिए कहा है। कृपया उन्हें परेशान न कीजिए। आखिरकार वह भी आपके राज्य के हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : खुराना जी को इस संबंध में कुछ न कुछ कहना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कठेरिया जी, आप सीनियर मेम्बर हैं। सरकार अगर रियेक्ट करना चाहेगी तो रियेक्ट करेगी। मैं कंपैल नहीं कर सकता हूं। कृपया उन्हें नहीं टोकें।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : मैं तो अनुरोध कर रहा हूं। यह किसानों की बात है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : माननीय सभापति महोदय, हाल ही में केरल राज्य में बाढ़ों, भूस्खलन और समुद्री कटाव के कारण काफी क्षति हुई है। समुद्री तटों का काफी दूर-दूर तक कटाव हुआ है और मेरा निर्वाचन क्षेत्र कन्नानौर भी इससे बचा नहीं है। हजारों अभागे लोग, अधिकतर मत्सय समुदाय से संबंध रखने वाले लोग हाल ही के समुद्री कटाव के कारण काफी प्रभावित हुए हैं।

महोदय, तटीय राज्यों में समुद्र के साथ साथ दीवारों के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित करना केन्द्र सरकार की परम्परा रही है। दुर्भाग्यवश सरकार द्वारा यह परम्परा समाप्त कर दी गई है। मैं माननीय

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जल-संसाधन मंत्री महोदय में सच्चे दिल से अपील करता हूं कि वह इस मामले की मध्यस्थता करें और तटीय राज्यों को पर्याप्त धनराशि आवंटित करें ताकि समुद्र के साथ-साथ दीवारों का निर्माण किया जा सके। ...*(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा भी समुद्री कटाव के कारण प्रभावित हुआ है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका इतना कहना ही काफी है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। समुद्री कटाव के बारे में आप क्या कहते हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने भारतवर्ष में तीन नये राज्य बनाने का निर्णय लिया है और नेशनल ऐजेण्डा के तहत छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग राज्य का दर्जा मिलने वाला है। इसके संदर्भ में कैबिनेट कमेटी का भी गठन हुआ है। माननीय सभापति महोदय, इस प्रस्तावित छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और सरगुजा सम्मिलित हैं, लेकिन उन्हीं से लगा हुआ बालाघाट सम्मिलित नहीं है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि संस्कृति, सभ्यता, खेती, उद्योग आदि में समानता रखने वाले बालाघाट जिले में वन-संपदा और खनिज संपदा प्रचुरता में है और ये सारी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ के समान हैं। वहां की बोलचाल की भाषा भी एक सी है। इसलिए बालाघाट जिले को छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित किया जाए, यह हमारी भारत सरकार से मांग है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी।

(व्यवधान)

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, आपका नाम पुकारा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित कोटेश्वर लाइम स्टोन में जो कांट्रेक्ट लेबर है, उनकी समस्याओं की तरफ मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज से बीस साल पहले 'सेल' और यूनियन के बीच एक समझौता हुआ था, उसमें तय हुआ था कि वहां कोई कांट्रेक्ट लेबर नहीं होगी। जो भी लेबर होगी वह रेगूलर होगी। इसके बाद मैंनेजमैंट अदालत गई थी। अदालत में मजदूरों के पक्ष में फैसला हुआ। लेकिन आज भी वहां कांट्रेक्ट लेबर मवेशियों जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो समझौता कांट्रेक्ट लेबर और 'सेल' के बीच हुआ था, उसका लाभ वहां के मजदूरों को मिलना चाहिए। वहां के मैनेजमैंट और कांट्रेक्टर ने मिलकर मजदूरों को निकाल दिया है। आज वे दाने-दाने के लिए मोहताज हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वहां की कांट्रेक्ट लेबर को न्याय मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

कुमारी किम गंगटे (बाह्य मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का एक विषय उठाना चाहती हूं परन्तु मुझे दुख है कि यहां बहुत अधिक वक्ता हैं। काफी समय व्यतीत हो चुका हैं। मुझे विश्वास है कि सभी उस महामारी के बारे में जानते हैं जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि आगामी पांच वर्षों में देश भर में फैल जाएगी। विशेषज्ञों और डाक्टरो की राय में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 2.5 मिलियन लोग एच.आई.वी. वायरस से प्रभावित हैं। हमारे देश के सभी राज्यों में से मणिपुर की स्थिति सबसे खराब है। कई युवाओं ने उस समय आत्महत्या कर ली थी जब उन्हें यह पता चला कि उनमें एच.आई.वी. पॉजीटिव है। उन्होंने चिकित्सा बोर्ड को अपनी स्थिति बताए बिना ही आत्महत्या कर ली। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 10-19 वर्ष की आयु वर्ग में 1.83 मिलियन लोग एच.आई.वी. से प्रभावित लोग थे। एन ए सी ओ अर्थात नेशनल एडस कंट्रोल आर्गनाइजेशन के अनुसार भारत में 14-45 वर्ष के आयु वर्ग में एच.आई.वी. संक्रमण लगभग 77 प्रतिशत है। इससे यह संकेत मिलता है कि इस देश को एडस जैसी भयंकर बीमारी के विस्फोट के कगार पर है। इससे समाज, अर्थ व्यवस्था और पूरे देश को खतरा है। यह पाया गया है कि वर्ष 1997 में 174 लाख रुपये एडस के नियंत्रण और रोकथाम के लिए अलग रखे गये थे। यह राशि खर्च नहीं की गई। मैं इसका कारण जानना चाहती हूं। सरकार को इसकी तुरंत जांच करवानी चाहिए।

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे ?

कुमारी किम गंगटे : महोदय जिन क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया जाना आवश्यक है वे हैं युवाओं और महिलाओं के लिए समुचित अनुसंधान सहायता और समुचित प्रबंधित परामर्श और प्रशिक्षण केन्द्र होने चाहिए।

श्री के०एस० राव (मछलीपतनम): महोदय, भारत सरकार के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आई.डी.पी.एल. जीवन रक्षक दवाइयां बनाने वाला सबसे बड़ा उपक्रम है। आई.डी.पी.एल, जो कि इस देश में भेषज उद्योग का मुख्य केन्द्र है, अब बंद होने के कगार पर है। इसके 7276 कर्मचारी और उनके परिवार पिछले तीन महीनों से वेतन न मिलने के कारण भुखमरी के कगार पर है। अगर इस उद्योग को किसी की भी गलती के कारण अचानक बंद करना पड़े तो बहुत संभव है कि दवाइयों और औषधों के मूल्य काफी बढ़ जाएंगे और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसका बहुत अधिक लाभ उठाएंगी।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस स्थिति का गंभीरता से शोषण करेंगी। इसलिए सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इस इकाई को अर्थाय बनाने के लिए एक पैकेज मंजूर करे और देश को औषधों के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण होने वाले पूर्ण शोषण से बचाएं। कर्मचारियों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति राशि देकर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवानिवृति पैकेज दिया जाए।

श्री. सुरेश कुरूप (कोट्टयम) : मैं आपके ध्यान में ऐसा मामला लाना चाहता हूं जो सारे देश का, विशेषकर उन राज्यों में जहां भाजपा सरकार है ध्यानाकर्षण करता है। यह मामला ईसाइयों की संस्थाओं पर चोट किए जाने के संबंध में है। हाल ही में मेरे दो साथियों ने गुजरात में आइ.पी. मिशन के स्कूलों पर चोट किए जाने के संबध में यह मुद्दा उठाया था। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चंद्र खण्डूरी, ए०वी०एस०एम० (गढ़वाल) : आपको इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि यह कल उठाया गया था।

श्री सुरेश कुरूप : सभापति महोदय ने मुझे इसकी अनुमति दी है।

तीन महीने पहले ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात और महाराष्ट्र में उनके पुलिस दलों को अल्पसंख्यक समुदाय की संस्थाओं, विशेषकर ईसाई संस्थाओं पर चोट करने के बारे में जांच करने को कहा था। राजकोट के इस आइ.पी. मिशन स्कूल में बाइबल की 300 प्रतियां जलाई गई थीं। यह एक परंपरा बन गई है और यह संघ परिवार, बजरंग दल और विद्यार्थी परिषद जैसे मोर्चा संगठनों द्वारा किया जाता है।

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है।

श्री सुरेश कुरूप : इस बात से संबंधित राज्यों को अवगत कराया गया था। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आपको इस देश में अल्पसंख्यक समुदायों की असुरक्षा की भावना को समझना चाहिए। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस सभा में इस विषय पर तुरंत वक्तव्य दे।

श्री पी०सी० थामस : कल मंत्री जी ने कहा था कि वे सूचना एकत्र करके सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे परंतु उन्होंने नहीं किया है। हम जानना चाहेंगे कि कब तक वक्तव्य दिया जाएगा।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष महोदय, हम सूचना इकट्ठी कर के हाउस के समक्ष लाएंगे, लेकिन यह मामला आपने कल भी उठाया था, आज भी उठा रहे हैं और आने वाले कल फिर उठाएंगे, तो ऐसे कैसे होगा।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : यह कोई आसान बात नहीं है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए०वी०एस०एम० : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र में जो एयर सर्विसेस अवेलेबल हैं उनके बारे में माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गढ़वाल मंडल जहां से मैं आता हूं, देहरादून में केवल एक टाली ग्रांट नामक स्थान है जहां के लिए दिल्ली से देहरादून के लिए एक एयर सर्विस प्रति दिन चलती थी, लेकिन जब से वायुदूत सेवा बन्द हुई है, तब से दिल्ली से देहरादून के लिए चलने वाली वह वायु सेवा भी बन्द हो गई है।

सभापति महोदय, देहरादून और उसके आसपास का तमाम क्षेत्र, पूरा गढ़वाल मंडल पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र है। देहरादून मे ओ.एन.जी.सी. का दफ्तर है, आई.ए.एस. अकादमी है, फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वाडिया इंस्टीट्यूट है और अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण संस्थान अवस्थित हैं। इनके अतिरिक्त उस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन भी बहुत होता है क्योंकि वहां केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड धाम हैं, वहां फ्लावर वैली है। वहां पर माउंटेनियरिंग होती है जिसके लिए देश विदेश से माउंटेनीयर्स आते हैं, यहां पर स्नो के बहुत अच्छे-अच्छे ट्रैक्स हैं जिन पर आईस्टेकिंग के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक खिलाड़ी आते हैं। देश विदेश से पर्वतरोहियों के साथ-साथ अन्य पर्यटक आते हैं, लेकिन दिल्ली से देहरादून, वायु सेवा से जुड़ा न होने के कारण देश विदेश के तमाम पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय : मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस ओर तुरंत ध्यान दें और देहरादून के जौली ग्रांट के लिए दिल्ली से वायु सेवा अविलंब प्रारंभ करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। तथापि मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मुझे यह मामला उठाने की अनुमति नहीं दी गई है। एक वर्तमान संसद सदस्य के बेटे का अगरतला में अपहरण कर लिया गया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रूपचंद पाल, आप यह क्यों समझते हैं कि मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : महोदय सबसे पहले मैं शून्य काल को इस तरह संचालित किए जाने का विरोध करता हूं। शून्य काल नियम पुस्तिका में कोई भी समय नहीं होता है। परंतु इन सबके बावजूद चुनाव के मामलों पर चर्चा करने के लिए ही घंटों खर्च किए जा रहे हैं।

मेरा सुझाव यह है कि नियम 377 के अधीन मामलों को और अधिक बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक संसद सदस्यों को नियम 377 के अंतर्गत मामले उठाए जाने की अनुमति दी जाए जिससे इसमें वे सभी मामले शामिल हो जाएंगे जो अब 'शून्यकाल' में उठाए जा रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं आपके विचार माननीय अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगा।

श्री तरित बरन तोपदार : दूसरा, भारतीय स्टेट बैंक ने बिना किसी कारण के विदेशी मुद्रा विभाग और विदेशी मुद्रा विभाग के लेनदेन कार्यालय को कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित करने का निर्णय ले लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा की थी । उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं किया जाएगा।

इसके बावजूद अनुदेश दिए जा रहे हैं और हमारे पास फैक्स से संदेश आए हैं कि विदेशी मुद्रा विभाग के लेनदेन कार्यालय को मुंबई में स्थापित किए जाने के संबंध में मुंबई स्थित कार्यालय से अनुदेश दिए जा रहे हैं।

मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को माननीय प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्री के साथ उठाया जाए जिससे यह तुरंत रोका जा सके।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के सामने आज रासायनिक खाद यूरिया के न मिलने का संकट खड़ा हो गया है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय कानूनों की अवेहलना करते हुए एक ऐसा आदेश प्रसारित किया है जिससे मध्य प्रदेश के किसानों को यूरिया खाद बाजार में मिलनी दुर्लभ हो गयी है। केवल कुछ सीमित स्थानों पर जो मार्केटिंग सोसायटीज या कोआपरेटिव के जरिये होता है, वहीं से मिल रही है। मेरा केन्द्रीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस मामले को देखें ताकि इस समय किसानों के सामने जो संकट खड़ा हुआ है और ऐसे अवसर पर जबकि किसान यूरिया चाहते हैं, उन्हें यूरिया उपलब्ध हो और मध्य प्रदेश के उस गैरकानूनी आदेश को वापिस लेने के लिए आप उन्हें बाध्य करें ताकि किसान अपने को संकट से मुक्त पा सकें।

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : केन्द्र सरकार द्वारा सेना और असम राइफल्स के दो बटालियन त्रिपुरा से हटाए जाने से वहां आतंकवाद ने एक नया रूप ले लिया है। यह आतंकवाद एक नए रूप में बढ़ रहा है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री इन उग्रवादी दलों द्वारा मारे गए थे। हमारे विधायक मारे जा रहे हैं। हमारे सांसदों को धमकियां दी जा रही हैं। श्री बाजूबन रियान, जो इस समय संसद सदस्य हैं और यहां उपस्थित हैं, को भी धमकी दी गई है और उनके बेटे का 24 जून को अपहरण कर लिया गया है। वह अब तक आतंकवादियों के भूमिगत शिविरों में कैद है। राज्य सभा के संसद सदस्य सहित त्रिपुरा के हम तीन संसद सदस्यों ने इस मामले की जांच करने के लिए और पहले तैनात की गई असम राइफल्स और सेना की पुन: तैनाती के लिए लगातार माननीय गृहमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और अन्य माननीय मंत्रियों से अनुरोध कर रहे हैं।

हमने अनुरोध किया था कि उन्हें सेना और असम राइफल्स के सभी कार्मिकों को नहीं हटाना चाहिए और हमने और अधिक बल तैनात करने के लिए कहा। परन्तु आज तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। डाक्टर और वैज्ञानिक इन आतंकवादियों का निशाना बन रहे हैं। किसी उग्रवादी दल ने एक जनजातीय डाक्टर का अपहरण कर लिया है। हम नहीं जानते कि क्या जनजातीय और गैर जनजातीय दोनों आतंकवादी समूह सिर उठा रहे हैं। राज्य सरकार पूरी निष्ठा से लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे प्रयास कर रही है परन्तु यह क्या यह केवल राज्य पुलिस की मदद से ही किया जाना संभव है? जिनके विरुद्ध अपराधी दंड संहिता और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के मामले दर्ज हैं उन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए परन्तु ऐसा कौन करेगा ? क्या यह सेना की मदद के बिना संभव है? आतंकवादियों के लिए कुल 839 किलोमीटर सीमा खुली पड़ी है। वे लोग हमेशा दूसरी तरफ से पहाड़ी चिटगाँग और सिल्हाट जिले के शिविरों से, आई.एस.आई और अन्य विदेशी एजेन्सियों से प्रशिक्षण लेने के पश्चात वे हमारे क्षेत्रों में ए. के-47, ए.के.-56 और अन्य परिष्कृत हथियारों को लेकर घुस जाते हैं। हर रोज हथियारों की संख्या बढ़ रही है। स्थिति यह है। हमें यह स्पष्ट किया जाए कि केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय इस मामले पर गौर क्यों नहीं कर रहे हैं ? अब कश्मीर में ताजा स्थिति क्या है? आज पंजाब में क्या स्थिति है? हम यह जानना चाहते हैं कि पूरे पूर्वोत्तर में यह सब क्यों हो रहा है।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। मंत्री जी को इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है जबकि तीन सांसद उसमें इन्वॉल्व हों, उनको धमकी दी गई हो। ...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्य से यह जरूर कहना चाहता हूं कि इनसर्जैंसी की समस्या से राज्य सरकार या केन्द्र सरकार अलग-अलग फाइट नहीं कर सकते, इसमें दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कभी सुनने की भी आदत डालिए।

श्री मदन लाल खुराना : मुझे यह इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आपने कहा कि स्टेट गवर्नमैंट बढ़िया कर रही है लेकिन सैंट्रल गवर्नमैंट नहीं कर रही। ऐसा नहीं है। ....*(व्यवधान)* अगर जिम्मेदार हैं तो दोनों हैं और अगर काम ठीक कर रहे हैं तो दोनों कर रहे हैं। इसलिए यह कहना कि इनसर्जैंसी को मीट करने के लिए राज्य सरकार ठीक कर रही है लेकिन केन्द्र सरकार नहीं कर रही, यह केन्द्र के साथ ज्यादती है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके मुख्य मंत्री ने कौन-कौन सी मांगें रखी हैं और केन्द्र सरकार ने किसी पर न की हो? इस देश में इनसर्जैंसी को खत्म करने के लिए भारत सरकार की स्पष्ट नीति है। हम इसे लॉ एंड आर्डर की प्रौबल्म नहीं मानते... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री समर चौधरी : यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, यह विद्रोह का मामला है। आपने वहां से सारी सेना और असम राइफल्स के जवानों को हटा लिया है। इसलिए वहां ये सब चीजें घटित हो रही हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यही तो मैं कह रहा हूं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यही तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री समर चौधरी : यह कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं यही कह रहा हूं, आपकी बात नहीं कह रहा। इनसर्जैंसी को चाहे वह कश्मीर में हो, चाहे त्रिपुरा में हो, हम लॉ एंड आर्डर की समस्या नहीं मानते ··*(व्यवधान)* सभापति महोदय, इनसे कहिए कि मुझे बोलने दें। ··*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री चौधरी, यदि आप नहीं चाहते कि वह जवाब दें तो मैं उन्हें उत्तर देने के लिए नहीं कहूंगा, मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं और आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : चाहे त्रिपुरा की समस्या हो, चाहे जम्मू-कश्मीर की समस्या हो, इसे केवल कानूनी समस्या कहकर प्रदेश पर नहीं छोड़ सकते। हम यह मानते हैं कि यहां पर भी इनसर्जैसी को मीट करने के लिए दोनों का तालमेल जरूरी है। एक-दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं के बारे में निश्चित रूप से मंत्री जी को जानकारी दूंगा।

जो कुछ आप कह रहे हैं, अच्छा होता यदि आप यह कहते कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने ये-ये चीजें मांगी हैं...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : चीफ मिनिस्टर मिले हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : तो निश्चित रूप से मैं आपकी भावनाएं होम मिनिस्टर के पास पहुंचा दूंगा। वहां के चीफ मिनिस्टर से बात करके वे मैक्सीमम सहायता कैसे हो, इसको जरूर देखेंगे।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ...

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपका नाम आयेगा, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैं इस्पात और खान मंत्री तथा इस सम्माननीय सभा के सदस्यों का ध्यान अत्यन्त गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं कि एच.एस.सी.एल. की दुर्गापुर इकाई के लगभग 800 कर्मचारियों को मार्च से वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने 15.7.98 और 18.7.98 को इस्पात और खान मन्त्री को फैक्स भेज दिया है। उन्हें अत्यन्त मानसिक वेदना और संताप के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक कुछ भी नहीं किया जा सका है। 7.7.98 को सी आई टी यू, ए आई टी यू सी, आई एन टी यू सी, बी एम एस आदि के ट्रेड यूनियन के नेताओं ने इस्पात तथा खान मन्त्री से भेंट की थी ताकि एच एस सी एल की दुर्गापुर इकाई के साथ-साथ बोकारो, भिलाई, राउरकेला आदि इकाईयों के कर्मचारियों को वेतन का नियमित भुगतान हो।

यह अत्यन्त खेद का मामला है कि कई चर्चाओं के पश्चात् चैयर-मैन एवं प्रबन्ध निदेशक ने प्रबन्ध निदेशन, इस्पात, की सहमति से 30 जून को कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि देय तिथि 15 जुलाई होगी। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उन्हें 19 जुलाई से धरना; क्रमिक भूखं हड़ताल पर बैठना पड़ा। अतः मैं इस्पात और खान मंत्री के साथ-साथ ससंदीय कार्य मन्त्री, जो यहां उपस्थित हैं, से अनुरोध करता हूं कि वे प्रबन्ध निदेशक इस्पात को आदेश दें कि वे एच.एस.सी.एल. की धनराशि, जितनी भी हो, जारी करें ताकि उसके कर्मचारियों को वेतन मिल सके। धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपका नाम आने वाला था, आपने बेकार यहां हंगामा कर दिया।... *(व्यवधान)*

श्री हीरा लाल राय (छपरा) : माननीय सभापति जी, 1964 में भारत सरकार ने एच.एस.सी.एल. उपक्रम बनाया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश में जब इस्पात के कारखाने बन रहे थे, तब उसका योगदान बड़ा पोजीटिव रहा। आज उस पर संकट आया हुआ है, इतना बड़ा निर्माण का यह संयंत्र आज खतरे में पड़ गया है। भारत सरकार उसके नाम को चेंज करना चाहती है या उसको वाइंड-अप करना चाहती है। 15 हजार से ऊपर मजदूर आज वहां भुखमरी के कगार पर खड़े हो गये हैं। एक समझौता हुआ था, सेल और एच.एस.सी.एल. के माध्यम से 1971 से 1978 तक जो-जो निर्माण की छोटी या बड़ी वहां पर एजेंसियां हैं, यदि वे काम नहीं कर सकेंगी तो एच.एस.सी.एल. को वह काम दिया जायेगा। इस तरह से जो-जो कम्पनी निर्माण में फेल हुई, उन सभी कामों को एच.एस.सी.एल को दिया गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस एच.एस.सी.एल. को यह आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारे जो मुलाजिम होंगे, उनको भी काम दिया जायेगा। हिन्दुस्तान में यही एक उपक्रम है, जो बड़े-बड़े उद्योग हों या बड़े-बड़े कारखाने हों या बड़ा पुल हो, कुछ भी 24 घंटे के अन्दर टेक-अप कर सकता है। आज उसको सही दिशा देने के लिए उसका जो 261 करोड़ रुपया सेल पर बकाया है, भुखमरी के कगार पर मजदूर खड़े हुए हैं, इसलिए कि उसको ठेका नहीं दिया जा रहा है। आज प्राइवेट मोनोपोली को और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ठेका दिया जा रहा है और इतने बड़े निर्माण कारखाने को बन्द करने की साजिश की जा रही है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि एच.एस.सी.एल. की बकाया राशि सेल से दिलवाई जाये और एच.एस.सी.एल. को काम दिलवाया जाये, क्योंकि यह एक कारगर संस्था है।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस : महोदय, कुछ दिनों से भारत सरकार के विभिन्न अस्पतालों के वर्ग 'ग' और 'घ' के लगभग 16,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दिल्ली में कई सरकारी अस्पतालों का कार्यकरण लगभग ठप है। वर्ग 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की कुछ शिकायतें हैं जिसे वे सरकार के ध्यान में लाए थे। उन्हें एक अथवा दो बार बातचीत के लिए भी बुलाया गया था। लेकिन इस समय चूंकि वे अभी हड़ताल पर चले गये हैं उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है अथवा न ही परामर्श के लिए बुलाया गया है कि इस हड़ताल को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है।

मैं समझता हूं कि उनकी कुछ मांगें काफी जायज हैं। जहां तक निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों का सवाल है उनकी मांगों पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं सुझाव दूंगा कि सरकार को इस पर अत्यन्त गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के माननीय राज्य मन्त्री जी और माननीय प्रधान मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि जहां तक हस्पतालों का सम्बन्ध है स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन समुचित ढंग से हो।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, जो कुछ श्री पी.सी. थामस ने कहा है उसका मैं भी समर्थन करता

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं। सरकार को इस पर कार्यवाही करनी चहिए। श्री खुराना जी, आप कृपया इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के माननीय राज्य मन्त्री जी का रवैया हड़ताली कर्मचारियों की ओर अत्यन्त उदासीन है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सेंटर या स्टेट?

[अनुवाद]

डॉ० असीम बाला (नवद्वीप) : यह एक जैसा है चाहे वह दिल्ली हो अथवा हरियाणा। वर्ग 'ग' और 'घ' के कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल खामोश है। यह देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : ऐसा नहीं है कि सरकार इस मामले में खामोश हो। दिल्लीवासियों की हालत पर सरकार चिंतित है। रोगियों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है उससे चिंता होना स्वाभाविक है। मैं निश्चित रूप से अपने सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री को कहूंगा कि वे इस मामले को देखें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह सम्बन्धित मंत्री नहीं हैं। यह सम्बन्धित मन्त्री को सदस्यों की भावनाओं को पहुंचा देंगे।

डॉ० सुगुण कुमारी चलामेला (पेद्दापल्ली) : महोदय, मैं इस माननीय सदन का ध्यान संयुक्त राज्य अमरीका के विनाशकारी जनन तत्व से सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहती हूं जो भारतीय परम्परागत मामलों के लिए खतरा है। संयुक्त राज्य अमरीका के कृषि विभाग ने नई वनस्पति जनन तत्व, समायक (टर्मिनेटर) III को विकसित किया है। समायक (टर्मिनेटर) के कारण बीज से केवल एक फसल पैदा होने के पश्चात बीज स्वयं नष्ट हो जाता है। समायक (टर्मिनेटर) के कारण बीज से स्व-विनाशक विशेषता परागणों के माध्यम से फैल सकती है और भारत की परम्परागत फसलों की विभिन्न किस्मों को धीरे-धीरे समाप्त कर सकती है। यह जैव-प्रौद्योगिक आक्रमण के अलावा कुछ नहीं है।

भारत ने इस जनन तत्व वाले बीजों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हालांकि यह सुनिश्चित करने का कोई रास्ता नहीं है कि यह जनन तत्व भारतीय सीमा पार नहीं कर सकता चूंकि यह अचानक अथवा सुनियोजित तरीके से हो सकता है।

संयुक्त राज्य अमरीका की योजना इस प्रौद्योगिकी को परागण के माध्यम से देश के बाहर भेजने की है। इसका भारतीय किसानों पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा जो 200 मिलियन टन गेहूं, चावल और बाजरा जैसी परम्परागत फसलों को पैदा करते हैं।

मैं कृषि मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि वह इस जनन तत्व को हमारी परम्परागत फसल में आने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और इसके लिए सख्त निवारक उपाय करें।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अपने इलाके में आई भयंकर बाढ़ के कारण फसल की हुई तबाही की ओर दिलाना चाहती हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन जिले, कुरुक्षेत्र हैं, यमुनानगर और कैथल, पड़ते हैं। इन तीनों जिलों में लगभग ढाई हजार एकड़ भूमि में जीरी और गन्ने की फसल पूरी तरह से तहस-नहस हो चुकी है। बेचारे किसान जो अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए फसल पर निर्भर करते हैं, आज भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से पुरजोर शब्दों में अपील करना चाहती हूं कि वह किसानों को प्रति एकड़ पांच हजार रुपये का मुआवजा दे। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि प्राकृतिक आपदा के कारण फसली नुकसान के लिए जो मुआवजा दिया जाता है, उससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं, इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया जाना चाहिए। उस समिति में सम्बन्धित सांसद को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे वह देख सके कि किसानों को वास्तव में मुआवजा मिल रहा है या नहीं।

[अनुवाद]

डॉ० असीम बाला : पूर्वी रेलवे के स्यालदा मण्डल के अन्तर्गत शन्तिपुर से नवादवीप के बीच छोटी लाइन है। यह दूरी केवल 28 कि०मी० की है लेकिन यह छोटी लाइन ब्रिटिश काल से अभी तक अविकसित पड़ी है। 1993 में इसका सर्वेक्षण कराया गया था और इसके विकास के लिए 35 करोड़ रुपये की लागत आंकी गई थी।

सभापति महोदय : कृपया मुद्दे पर आइए। कई वक्ता हैं और हमें सभी को मौका देना है। डॉ. असीम बाला भाषण मत दीजिए क्योंकि हमें अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका देना है।

डॉ० असीम बाला : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है। प्रतिदिन आने वाले हजारों पर्यटकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह ऐतिहासिक स्थल है क्योंकि यह गौरंगा महाप्रभु की जन्म-स्थली है। इसलिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण रेलवे लाइन है। मैं रेल प्राधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे इस परियोजना को शीघ्र आरम्भ करें।

[हिन्दी]

श्री के०डी० सुल्तानपुरी (शिमला): सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश के किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश में सेब, आलू और बेमौसमी सब्जियों की फसल होती है। इसकी लूट पहले तो वहां खरीददार करते हैं और फिर यहां दिल्ली में होती है। मेरे क्षेत्र में शिमला, सिरमौर-सोलन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार इन दूरदराज इलाकों में पैदा होने वाले सेब का समर्थन मूल्य 10 रु. अन्य पैदा होने वाली सब्जियों के लिए कम से कम समर्थन मूल्य दे और साथ ही अन्य फलों के लिए भी समर्थन मूल्य देने की कृपा करें। यदि केन्द्र की सरकार हिमाचल प्रदेश को सरकार को मदद दे सके, तो कृपा होगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्रेमचन्दन, कृपया संक्षेप में बोलिएगा। तीन चार सदस्य और बोलना चाहते हैं और हमें उन्हें भी बोलने का अवसर देना है।

श्री एन०के० प्रेमचन्दन : महोदय, मैं अपने देश में नारियल तेल उद्योग द्वारा संकट का सामना किए जाने के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय भारत सरकार की 1.5 लाख टन पॉम ऑयल का आयात करने की नीति के कारण और पॉम ऑयल पर उत्पाद शुल्क दस प्रतिशत तक कम हो जाने के कारण भारतीय नारियल तेल उद्योग काफी प्रभावित हुआ है।

सभापति महोदय : आप भारत सरकार से क्या करवाना चाहते हैं? कृपया मुद्दे पर आएं।

श्री एन०के० प्रेमचन्दन : महोदय, मैं आपके द्वारा 1.5 लाख टन पॉम आयाल और प्राइवेट पार्टियों द्वारा ओ.जी.एल. के अन्तर्गत पॉम ऑयल के 15 लाख टन के आयात के संबंध में वित्त मंत्रालय की मध्यस्थता चाहूंगा। इससे भारतीय नारियल तेल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं इस संबंध में सरकार द्वारा तत्काल मध्यस्थता किए जाने का अनुरोध करता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं यह मामला बहुत दुखी मन से उठा रहा हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को इस देश में रहने का कोई अधिकार है अथवा नहीं। उनमें से अनेक लोग जो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के तलवे चाट रहे थे, आज देश पर शासन कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को मृत्युदंड दे दिया गया था, उनके बेटे-बेटियों को विदेशी समझा जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लेखन द्वारा हमारे देश के लिए नोबल पुरस्कार प्राप्त किया। आज, यदि कोई बंगाली में बोलता है उसे बंगलादेशी का नाम दिया जाता है। यह क्या हो रहा है? पिछले दस दिनों से मुम्बई में बर्बरतापूर्ण घटनाएं घट रही हैं।

श्री तपन सिकदर (दमदम) : यह कहना सही नहीं है। कार्यवाही केवल घुसपैठियों के खिलाफ की जा रही है, बंगाली बोलने वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।

श्री हन्नान मोल्लाह : मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को बंगलादेश से कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन उन्हें मुम्बई से बंगलादेश भेजा गया है। ऐसा कब तक चलेगा? यदि कोई बंगाली भाषा में बोलता है तो महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है।

सभापति महोदय : श्री मोल्लाह, आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री हन्नान मोल्लाह : यह निर्वासन रोका जाना चाहिए। प्रति वर्ष, यह सब हो रहा है। हम जानते हैं कि कुछ घुसपैठिए हैं। उन्हें रोका जाना चाहिए। लेकिन घुसपैठ के नाम पर आप सही लोगों को देश निकाला नहीं दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)* भारतीय नागरिकों को कब तक इस तरह से विदेशी माना जाता रहेगा? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे गैरकानूनी देश निकाले को रोका जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री जी को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूं। श्री जी. एम. बनातवाला, कृपया बैठ जाइए। अध्यक्षपीठ के पास माननीय मंत्री महोदय को 'शून्य काल' के दौरान उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप में से प्रत्येक ने यह मामला उठाया है और माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी यही हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

प्रो० जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : महोदय, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भी यही हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : एक गंभीर आरोप लगाया गया है। पश्चिम बंगाल के लोग बहुत चिन्तित हैं और कभी-कभी समाचार-पत्रों में यह समाचार भी देखने को मिल रहा है कि बंगालियों को सताया जा रहा है और उनका अपमान किया जा रहा है। जो बंगाली बंगलादेश से आ रहे हैं, उनसे एक अलग तरह का तथा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। यदि यह सत्य है तो केन्द्र सरकार को बंगालियों के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार को तत्काल उपर्युक्त निर्देश दिए जाने चाहिए कि इस तरह के अपमानजनक व्यवहार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह की कोई कोशिश नहीं करने दी जाएगी। बंगाली बोलने वाले लोगों को पूरा संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बंगलाभाषी है या किसी और जाति का है, उसको तंग किया जाता है या उसको विदेशी माना जाता है, मैं भारत सरकार की नीति के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारत सरकार इस देश के अंदर रहने वाले किसी भी धर्म, जाति, लिंग, चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख या किसी भी भाषा का हो। पंजाब, बंगाल या सिंध का हो, अगर वह भारतीय है तो उसके जान-माल की सुरक्षा करना, इस देश में उसको इज्जत के साथ रखना सरकार का कर्तव्य है। ...*(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[شری جی ایم بنات والا (پونّانی): لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے-]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया माननीय मंत्री जी की बात सुनें। मैं आपको यही कह रहा था। जिस समय माननीय मंत्री जी बोलते हैं, आप बीच में टोक देते हैं। माननीय मंत्री जी किस तरह जवाब दे सकते हैं? कृपया माननीय मंत्री जी की पूरी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैंने जो बात कही है, इस बारे में अगर किसी के पास कोई ऐसी शिकायत है।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : हमारे पास है।

श्री मदन लाल खुराना : अगर कोई ऐसी शिकायत है तो निश्चित रूप से हम उसकी जांच करवाएंगे, देखेंगे और उसे न्याय दिलवाएंगे, यह मैं सदन में विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान या बंगलादेश का है।...*(व्यवधान)* आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई व्यक्ति बंगलादेश का है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का है, पारसी है या किसी अन्य मुल्क का है।...*(व्यवधान)*

प्रो० जोगेन्द्र कवाडे : महोदय, जो बी.जे.पी. के हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जो बी.जे.पी. को मानने वाले नहीं हैं उन पर कार्रवाही हो रही है।

श्री मदन लाल खुराना : मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी किसी भी भाषा या जाति का हो। अगर वह गैर-कानूनी तरीके से भारत की धरती पर रहता है तो भारत कोई धर्मशाला नहीं जो उनको रखे। मैंने अखबार में पढ़ा कि पाकिस्तान में सिंध के अंदर से बंगलादेशियों को हटाया गया है। इसी सदन के अंदर जब मैं अपोजीशन में था तो गृह मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि भारत में एक लाख से ज्यादा गैर-कानूनी तरीके से बंगलादेशी रहते हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : जो सवाल उठाया गया था वह तो यह था कि जिन लोगों के राशन कार्ड हैं, सर्टिफिकेट हैं, उनसे राशन कार्ड और सर्टिफिकेट छीनकर भगा देते हैं जबकि वे पश्चिमी बंगाल के सिटीजन हैं। आप जो बोल रहे हैं वह तो अलग बात है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके निर्वाचन क्षेत्र में जहां ऐसी घटनाएं होती हैं, आप उनके बारे में लिखित में दीजिए। श्री हन्नान मोल्लाह ने इस बारे में कहा है। आप कृपया इस बारे में गृह मंत्री जी को लिखिए। आप संसदीय कार्य मंत्री को भी लिख सकते हैं। वह कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैंने जैसा पहले कहा कि अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो आप लिखकर बताइये, उसकी पूरी जांच की जाएगी।

श्री रूपचंद पाल : जो बंगलादेशी नहीं है, जो पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : जो विदेशी करोड़ों की संख्या में भारत में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए।

श्री रूपचंद पाल : यह बात तो सही है लेकिन उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाया गया है। सवाल यह है कि जो पश्चिमी बंगाल का सिटीजन है ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आप हमें लिखकर दीजिए, हम होम-मिनिस्टरी को जांच के लिए भेज देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप लिखित में दीजिए। वह कहते हैं कि यदि ऐसी कोई शिकायत हुई तो उस पर न्यायिक कार्यवाही तथा जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

प्रो० जोगेन्द्र कवाडे : सभापति जी, आप सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहें।

[अनुवाद]

श्री तपन सिकदर : उन्होंने एक ही प्रश्न अनेक बार उठाया है। लेकिन वह कभी भी कोई सबूत लाने में असफल रहे हैं। यह उनकी स्थिति है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रामदाय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल के लोग रहते हैं उनको बंगलादेशी कहकर तंग किया जाता है। उनके पास राशन-कार्ड भी है। इसके बावजूद भी मुम्बई पुलिस उनको पकड़कर तंग कर रही है। भारत सरकार को मुम्बई पुलिस को बताना चाहिए कि उनके ऊपर किसी प्रकार की गैर-कानूनी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय : आप लिखित रूप में मंत्री जी को दे दीजिएगा।

[अनुवाद]

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, बैंगलोर से अरासीकेरे तथा इससे आगे तक एक रेलवे लाइन है। लोगों की यह मांग है कि बैंगलोर से अरासीकेरे तथा इससे आगे जाने वाली रेलगाड़ी की रामपुर में रुकने की व्यवस्था की जाए। तुमकुर जिले में एक डी. रामपुर है जहां नित्तूर रेलवे स्टेशन और साम्पीजा रेलवे स्टेशन के बीच एक नया स्टेशन बनाया जाना है। इस पर कई बार जोर दिया गया है और यह काफी समय से लम्बित है। क्षेत्र के अंतिम भाग के लोग एक नया रेलवे स्टेशन आरम्भ करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अत: उस क्षेत्र के यात्रा करने वाले लोगों की सहायता करने के लिए जिन कुछ रेलगाड़ियों को सुविधाजनक तरीके से वहां रोका जा सकता है उन्हें वहां रोका जाए।

दूसरा, मैं अनुरोध करता हूं कि नित्तूर गुब्बी, मालासंद्रा; बानासंद्रा कराडी का क्यातसुंद्रा और हिरेनहाली जैसे अन्य स्टेशनों की तरह नवीकरण किया जाए। इन स्टेशनों में जल सुविधाएं, शौच-सुविधाएं तथा बैठने का स्थान आदि उपलब्ध कराएं जाने हैं। यह काफी समय से लम्बित हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि यह कार्य पूरा किया जाए।

मैं आपका धन्यावाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

सभापति महोदय : मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने कम समय में अपना भाषण पूरा किया।

[हिन्दी]

डॉ० शकील अहमद (मधुबनी) : मैं बिहार राज्य के मधुबनी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि नेपाल की सीमा के पास है। हर सीमावर्ती क्षेत्र की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं। हमारी समस्या यह है कि नेपाल के जो क्रिमनल्स हैं, अपराधकर्मी हैं, वे भारत के बार्डर एरिया में आकर अपराध करते हैं। सबसे दुखद बात तो यह है कि नेपाल के अपराधियों को वहां की सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उनसे कहा जाता है कि नेपाल में क्राइम न करके तुम भारत में जाकर क्राइम करो। इसलिए चोरी, डकैती, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रही हैं। मैं जानता हूं कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है।

अपराह्न 2.00 बजे

लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां जो लोग सीमा पार से आकर आपराधिक गतिविधियां करते हैं, उसकी जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार पर न डाली जाए। मधुबनी जिले में और उत्तरी बिहार के जो जिले नेपाल के बॉर्डर से लगे हैं, वहां सीमा सुरक्षा बल की व्यवस्था अपराध को रोकने के लिए की जाए। यही मेरी मांग है।

श्री बैजनाथ रावत (बाराबंकी) : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के ब्लाक बनीकोडर में एक राली नाला है। वहां वर्ष भर पानी भरा रहता है। वहां के लोगों के लिए आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। गम्भीर रूप से बीमार और गर्भवती महिलाएं अस्पताल पहुंचते दम तोड़ देती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1991 मे भरमेउघाट पर पुल के निर्माण के लिए काम शुरू हुआ था। वह धन के अभाव के कारण 1991 से आज तक अधूरा पड़ा है। उसके दोनों तरफ लगभग आधा काम हो चुका है। पक्की सड़क बन चुकी है आपसे अनुरोध है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि वह इस पुल का निर्माण शीघ्र करवाए, 20 हजार लोग लाभान्वित होंगे।

[अनुवाद]

श्री एस० अजय कुमार (ओट्टापलम) : महोदय, मैं रोजगार क्षेत्र में विशेषकर कि आंगनवाड़ी अध्यापिकाएं और सहायिकाओं के क्षेत्र में महिलाओं से सम्बन्धित एक बहुत महत्त्वपूर्ण मामला सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। आंगनवाड़ी अध्यापिकाएं हमारे इस महान देश में बच्चों को ज्ञान का प्रकाश देकर एक अर्थपूर्ण पीढ़ी का सृजन करने के उद्देश्य से कार्य कर रही हैं। उन्होंने निस्वार्थ भावना से किए अपने सामाजिक कार्य से पूरे समाज को बहुत प्रभावित किया है। लेकिन इस सरकार ने उनकी मूल आवश्यकताओं को भी पूरा न कर उनकी पूर्ण उपेक्षा की है। उन्हें उपयुक्त वेतन तथा भत्ते न देकर सरकार उनका शोषण कर रही है। उन्हें 600 रु. प्रति माह का भत्ता दिया जाता है। इतने शर्मनाक भत्ते को पाने के बावजूद भी वह कार्य कर रही हैं। हालांकि वह सरकार के लिए कार्य कर रही हैं फिर भी उनके साथ सरकारी कर्मचारियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है।

अत: मैं चाहता हूं कि यह सरकार इस शर्मनाक दृष्टिकोण को बदले और आंगनवाड़ी अध्यापिकाओं को सरकारी कर्मचारियों के रूप में स्वीकार करे। सरकार को उनके भत्ते भी बढ़ाने चाहिए ताकि वह वर्तमान आर्थिक स्थिति में जीवन निर्वाह कर सकें।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : महोदय, जहां तक केरल का संबंध है मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। काफी लम्बे समय से, हमारे यहां बहुत ही प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली विद्यमान है। अब केन्द्रीय सरकार का चीनी उद्योग का निजीकरण करने के निर्णय से केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी जारी रखने की अनुमति दी जाए क्योंकि हम केरल में चीनी का उत्पादन नहीं करते। यह उन राज्यों में से है जहां चीनी का उत्पादन नहीं होता।

इसलिए ऐसी परिस्थितियों में, यह उचित और सही है कि केरल को उचित दर की दुकानों के माध्यम से चीनी के वितरण की अनुमति दी जाए। मैं यह मामला केन्द्र सरकार के ध्यान में ला रहा हूं। खाद्य मंत्री इस संबंध में कोई निर्णय ले सकते हैं। केरल के खाद्य मंत्री ने भी खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में यही मुद्दा उठाया था
(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं कि केन्द्र सरकार क्या करे?

श्री वारकला राधाकृष्णन : केन्द्र सरकार को इस संबंध में यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : सभापति महोदय, कांट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन एक्ट होने के बावजूद भी हमारे देश के कई उद्योगों में ठेकेदारी प्रथा चल रही है। इससे मजदूरों का शोषण हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि जो सरकारी उपक्रम और उद्योग हैं, उनमें भी ठेकेदारी प्रथा के होने से मजदूरों का बहुत शोषण हो रहा है। मैं यह अपील करता हूं कि कांट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन एक्ट को बहुत कठोर तरीके से लागू किया जाए और इस प्रथा को समाप्त किया जाए।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : मान्यवर, मैं मध्य प्रदेश राज्य के छत्तीसगढ़ इलाके के मजदूरों का किस तरह दिल्ली में शोषण हो रहा है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली पूर्वांचल कम्पनी, पालम सोसायटी, प्लाट नम्बर सात, पप्पनकलां, नई दिल्ली के मालिक श्री जमील आबताब छत्तीसगढ़ के मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने भवन बनवा लिया लेकिन 70 मजदूरों को छः महीने की 80 हजार रुपये मजदूरी अभी तक नहीं दी। उन्हें आधी मजदूरी दी गई। मजदूरी देने के नाम पर उन्हें इधर-उधर घुमाया जा रहा है।

मेरे पास मेरे क्षेत्र के लोग आये हैं। इनमें मुगली और नवागढ़ के मजदूर आये हैं। उन मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है। मैंने उनसे फोन पर बात की है...

सभापति महोदय : आप वह बतायें जो भारत सरकार से कहना चाहते हैं।

श्री पुन्नू लाल मोहले : सभापति महोदय, मैं एक गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिला रहा हूं कि किस तरह एक एम.पी. की अवहेलना की जा रही है। जब मैंने फोन से बात की तो मुझे कहा गया कि आप मालिक नहीं हैं, आप एम.पी. हैं, आपको इस काम से क्या लेना-देना है। मैंने यह बात माननीय श्रम मंत्री जी से कही है...

सभापति महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं, वह कहिये न।

श्री पुन्नू लाल मोहले : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ से जो मजदूर दिल्ली में आये हुए हैं, उन्हें शोषण से बचाया जाये और उन मजदूरों को मजदूरी दिलाते हुए पालम स्थित प्लाट पर मालिक के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब यह सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थागित होती है।

अपराह्न 2.06 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.05 बजे

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न तीन बज कर पांच मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[श्री बसु देव आचार्य *पीठासीन हुए***]**

सभापति महोदय : यह सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) दूरदर्शन केन्द्र, उरई (उत्तर प्रदेश) की रिले क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद जालौर में जिला मुख्यालय उरई में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित है, उसकी जितनी क्षमता है वह उतनी दूरी पर काम नहीं कर रहा है। मेरे जिले की भौगोलिक स्थिति उरई से चारों ओर 60 कि.मी. है, वर्तमान में जो केन्द्र बना हुआ है उससे मेरे क्षेत्र के लोगों को टेलीविजन की सुविधा मात्र उरई नगर को ही प्राप्त होती है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस दूरदर्शन की रिले क्षमता 50-60 कि.मी. बढ़ाने का कष्ट करें, जिससे क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सके।

(दो) महाराष्ट्र के इरन्दोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक किलोमीटर की परिधि के अन्दर डाकघर खोले जाने की आवश्यकता

श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील (इरन्दोल): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के लोने-बोने तहसील पारोला, जिला-जलगांव के अंतर्गत 1 किलोमीटर के भीतर 3 बड़े-बड़े गांव हैं, जिनकी आबादी लगभग 5-6 हजार के आसपास है। इन गांवों के आसपास कोई पोस्ट आफिस न होने से इन गांवों के लोगों को डाक सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार द्वारा 3000 की आबादी पर पोस्ट आफिस खोलने का प्रावधान है। ये गांव 1 किलोमीटर के अंदर हैं। इसी प्रकार मेरे संसदीय क्षेत्र में ऐसे गांवों की संख्या लगभग 25-26 है, जिन्हें अभी पोस्ट आफिस की सुविधा उपलब्ध होनी है।

अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी गांव 1 किलोमीटर के अंदर हों, उनमें पोस्ट आफिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश के खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नई चीनी मिल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र खुर्जा के अंतर्गत जहांगीरपुर चीनी मिल का निर्माण कार्य पिछले काफी दिनों से रुका हुआ है, जिस कारण स्थानीय गन्ना कृषकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनके द्वारा आये दिन इस चीनी मिल के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने एवं इसको अविलम्ब चालू किए जाने के बारे में आंदोलन एवं धरने इत्यादि दिये जा रहे हैं। मैंने उनकी इस मांग को विगत लोक सभा के दौरान कई बार सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, किन्तु अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है, जिस कारण स्थानीय कृषकों में काफी आक्रोश व्याप्त है।

इस विषय में मैं यह बात भी सरकार के समक्ष लाना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र खुर्जा के अंतर्गत एक भी चीनी मिल कार्यरत नहीं है और यहां पर गन्ने का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है।

ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से पुन: अनुरोध है कि जहांगीरपुर चीनी मिल का निर्माण कार्य अविलम्ब पूरा करवाकर इसको तुरंत चालू करवाया जाये तथा इस क्षेत्र में गन्ने की उत्पादकता को दृष्टिकोण में रखते हुए यहां पर एक और चीनी मिल की स्थापना किये जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

(चार) मुल्लापेरियार बांध की ऊंचाई बढ़ाने की समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाले जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : महोदय, मुलापेरियार बांध का निर्माण एक शताब्दी पहले किया गया था और यह केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में कई हेक्टेयर भूमि को जल की आपूर्ति करता है। तमिलनाडु सरकार ने यह तथ्य रखते हुए इस बांध की ऊंचाई को 152 फुट तक बढ़ाने की मांग पेश की है कि अगर यह मांग पूरी की जाती है तो शताब्दी पुराना यह बांध उतना दबाव नहीं सह सकेगा और निश्चित रूप से ढह जाएगा। इसके ढहने का परिणाम यह होगा कि भूमि का अधिकांश क्षेत्र जिसमें नए जंगलों वाली भूमि और सघन जनसंख्या वाले नगर और गांव निश्चित रूप से डूब जाएंगे। इस तथ्य की पुष्टि बांध निर्माण के क्षेत्रों में संलग्न विशेषज्ञों की खोजबीन से हुई है।

केरल के एक अध्ययन दल ने यह पता लगाया है कि तमिलनाडु की सरकार ने इस बांध की ऊंचाई बढ़ाने की मांग करने के साथ-साथ केरल में इडुकी की ओर जल का प्रवाह रोकने के प्रयास के रूप में जल-निकास का रास्ता छोटे पत्थरों और बालू से भर दिया है। यह भी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि तमिलनाडु सरकार जल-निकासी

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

के दरवाजों के संचालन के लिए नए जेनरेटरों का प्रयोग कर रही है जिससे अभिशेष जल तमिलनाडु की ओर मोड़ा जा सके। इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित करें कि इस मामले का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान निकाला जाए। मेरा यह भी अनुरोध है कि केंद्रीय जल आयोग के विशेषज्ञ तुरंत इस क्षेत्र का दौरा करें और बांध की वर्तमान ऊंचाई में किसी भी प्रकार की वृद्धि किए जाने से होने वाले खतरे से तमिलनाडु सरकार को सावधान करें।
(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री टी.आर. बालू जी कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब नियम 377 के अंतर्गत मामले उठाए जाते हैं तो अन्य माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। यह कोई शून्य काल नहीं है।

(व्यवधान)

(पांच) महाराष्ट्र में नागपुर के चारों तरफ 30 किलोमीटर की हरित पट्टी के प्रतिबंध को हटाने तथा नागपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महाराष्ट्र सरकार की हाल ही की अधिसूचना के अनुसार दीर्घ प्रतिक्षित 'मेघदूत'-नागपुर और बुत्तीबोरी के बीच नागपुर सेटेलाइट टाउनशिप परियोजना के लिए सी.आई.डी. सी.ओ. को नियोजन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार को लगभग सात से आठ लाख लोगों को आवास प्रदान करने के लिए नागपुर और हिंगाना तहसीलों के लगभग 22 गांवों में 9310 हेक्टेयर पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण करना होगा जिस पर लगभग 750 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है।

इसी प्रकार हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागपुर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय कार्गो और यात्रियों के लिए मुख्य केन्द्र के रूप में विकसित करने की उद्देश्यपूर्ण योजना का प्रस्ताव किया है तथा सोने गांव विमानपत्तन से लगने वाली 2000 हेक्टेयर भूमि की भी पहचान की है।

दोनों प्रस्ताव व्यावसायिक किस्म के हैं और नागपुरवासियों से इन्हें काफी समर्थन मिला है।

तथापि जिन किसानों की भूमि को इस परियोजना के लिए पहचान की गई है और पहचान की गई भूमि की खरीद/बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें काफी असंतोष है। यद्यपि प्रतिबंध 2 वर्ष बाद प्रभावी हुए फिर भी क्षतिपूर्ति राशि की अवास्तविक दर और भुगतान में विलंब के कारण किसान बहुत अधिक दुखी हैं। परियोजना के लिए पहचान की गई भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य सरकार की क्षतिपूर्ति राशि की दर से कई गुणा अधिक है।

सरकार को किसानों को पर्याप्त, उचित और तर्कपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि देना सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि उनके जीवनयापन का यही एक मात्र सहारा होगा।

इसलिए मैं इस मामले में केन्द्र सरकार के प्राधिकारियों की मध्यस्तता चाहता हूं। नागपुर के संतुलित और नियोजित विकास के लिए मैं नागपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना और नागपुर के इर्दगिर्द 30 किलोमीटर के क्षेत्र में हरित पट्टी पर से प्रतिबंध हटाने की अपील करता हूं जिससे निर्माण कार्य सुगमता से हो सके।

मेरी मांग है कि विरोध दूर करने के लिए और किसानों की उचित शिकायतों को दूर करने के लिए परियोजना क्षेत्र में किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार दृढ़ रूप से वचनबद्ध होनी चाहिए।

(छह) महाराष्ट्र के सांगली जिले की वाल्वा तहसील में इस्लामपुर में कम शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज दा. चौहान (कराड़) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस्लामपुर तहसील का मुख्यालय है। यह चीनी पट्टी के मध्य में तेजी से औद्योगीकरण हो रहे शहरों में से है। इसमें इस समय कोई भी दूरदर्शन ट्रांसमीटर नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र में सांगली जिले के वाल्वा तहसील में इस्लामपुर में एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित किया जाए।

(सात) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, कृषि विपणन को ''विपणन तथा निरीक्षण'' निदेशालय (DMI) और राष्ट्रीय विपणन संस्थान (NIAM) सहित ग्रामीण विकास एवं नियोजन मंत्रालय से हटाकर कृषि मंत्रालय के तहत स्थानान्तरित करना निम्नलिखित कारणों से व्यावहारिक एवं सुविधाजनक है:-

1. ग्रामीण विकास एवं नियोजन मंत्रालय का कार्य (DMI) एवं (NIAM) के कार्यों से भिन्न तो है ही, उनमें कोई संबंध भी नहीं है।

2. प्राय: सभी राज्यों तथा यूनियन टैरीटरीज में कृषि विपणन, कृषि विभाग के अंतर्गत है।

3. कृषि विपणन कृषि विभाग द्वारा प्रायोजित सभी कार्यों में महत्व रखता है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि कृषि विपणन को कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत किया जाए।

(आठ) बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार) : सभापति महोदय, मैं बिहार के औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह क्षेत्र सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र है। सुखाड़ के कारण यहां गरीबी औसत से ज्यादा है और भुखमरी की स्थिति है। यहां की कृषि वर्षा पर आधारित है।

यहां एक सिंचाई परियोजना नार्थ कोयल परियोजना 1975 से निर्माणाधीन है। इस परियोजना के पूरा हो जाने से जिले का लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित हो जाएगा। सरकार का अरबों रुपया खर्च होकर

भी अब मात्र कुछ करोड़ रुपयों के अभाव में यह सिंचाई परियोजना अधूरी पड़ी है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र की भुखमरी, गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए, आवश्यक राशि का प्रबन्ध कर नार्थ कोयल सिंचाई परियोजना का काम शीघ्र पूरा कराया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अनुमोदित पाठ ही कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जायेगा।

(नौ) ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के संबंध में और अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि मेहताब (कटक) : स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण औचित्य और विकास का संकेत है। अक्सर महिलाओं को पानी लाने के लिए पर्याप्त समय खर्च करना पड़ता है और गंदे पानी को पीने से मानव स्वास्थ्य और उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

विगत में सरकार ने आगामी 5 वर्षों में ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का वचन दिया था परंतु अभी तक यह लक्ष्य केवल छलावा ही रहा है।

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए वर्ष 1977-78 में (संशोधित अनुमान) दी जा रही 1302 करोड़ रुपये की आवंटन राशि को 1998-99 में बढ़ाकर 1672 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस बढ़े हुए परिव्यय से लगभग एक लाख बाशिंदों को लाभ होगा। यह बात उल्लेखनीय है कि जब सरकार के आंकड़े यह दावा करते हैं कि गांव के एक बहुत बड़े भाग में स्वच्छ पेयजल प्रदान किया गया है तो इससे केवल यही पता लगता है कि इन गांवों में केवल हैंडपंप या स्टैंडपोस्ट स्थापित किए गए हैं। यह आवश्यक नहीं कि इसका अर्थ यह हो कि इन सुविधाओं से पानी पहुंचाया जा रहा है या ग्रामीण समुदाय इस पानी का उपयोग कर रहा है। हैंडपंपों की मरम्मत और रखरखाव पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यूनीसेफ द्वारा किया गया अध्ययन यह बताता है कि भारत में आधे से ज्यादा हैंडपंप प्रयोग नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये हैंडपंप घरों से काफी दूर स्थित हैं जिससे उनका प्रयोग असुविधाजनक हो जाता है और हैंडपंप का न प्रयोग करने वाले हरेक तीन में से एक आदमी यह महसूस करता है कि हैंडपंप का पानी नमकीन, मटमैला और दवाई गंधयुक्त होता है। यद्यपि हम नई सहस्राब्दि की ओर बढ़ रहे हैं फिर भी हम प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक बहुत ही मूलभूत मानवीय आवश्यकता अर्थात पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल की गारंटी तक नहीं दे सके हैं।

मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यद्यपि राष्ट्रीय एजेंडा में इस बात के लिए वचन दिया गया था फिर भी चालू बजट में इस मुद्दे पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है।

(दस) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू हो जाने के कारण संपन्न वर्ग की पात्रता के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष किए जाने की आवश्यकता

श्री चेंगारा सुरेन्द्रन (अडूर) : महोदय, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। परन्तु मैं इस वेतन-वृद्धि के एक अन्य पहलू की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था तो 'क्रीमी लेयर' की संकल्पना को भी लागू किया गया था। तदनुसार, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने हेतु किसी व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि वह भारत सरकार, कार्मिक विभाग का.ज्ञा.सं. 36012/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8.09.93 की अनुसूची के खंड 3 में उल्लिखित व्यक्ति/अनुभाग (क्रीमी लेयर) के दायरे में नहीं आता। इस तरह का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु वार्षिक आय की सीमा एक लाख रुपये है पांचवें वेतन आयोग के लागू होने से और इसके परिणामस्वरूप वेतन में वृद्धि होने से आय सीमा निरर्थक हो गई है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि उक्त आय सीमा को अविलम्ब एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया जाए।

(ग्यारह) सुन्दरवन क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में सबसे निर्धन लोग रहते हैं। कई दशकों से कृषि, मछली पालन, जंगल में वृक्ष काटना, शहद इकट्ठा करना सुन्दरवन के लोगों की जीविकोपार्जन के रूप में चला आ रहा है।

अपराह्न 3.22 बजे

[डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए***]**

राज्य सरकार ने संसाधनों, नैसर्गिक गुणों और मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधाओं की गुणवत्ता और कवरेज के मूल्यांकन के आधार पर पिछड़े सुन्दरवन क्षेत्र के विकास हेतु समेकित कार्यक्रम बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए 1973 में सुन्दरवन विकास बोर्ड की स्थापना की थी। पिछले दो दशकों में सुन्दरवन विकास बोर्ड ने इस दिशा में कुछ योजना और कार्यक्रम तैयार किये चूंकि राज्य की निधियां सुन्दरवन क्षेत्र की मूल समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, अत: बाह्य सहायता लेने की संभावना का पता लगाया गया और विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि के सहयोग से लोगों विशेषकर छोटे और बहुत छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार करने के उद्देश्य से एक विकास योजना शुरू की गई। इस परियोजना के परिणामस्वरूप सिंचाई सुविधाओं के उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ।

विकास की गति बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले वर्ष भारत सरकार को 5 वर्ष की अवधि के लिए 67.5 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय की सुन्दरवन विकास योजना चरण-एक प्रस्तुत की थी ताकि बाह्य सहायता पाने की संभावना का पता लगाया जा सके क्योंकि राज्य सरकार के संसाधन योजना व्यय के किसी भी भाग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

महोदय, इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस उद्देश्य हेतु विशेष निधि आवंटित करके इस सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र के विकास के संबंध में विचार किया जाए।

(बारह) भालू नचाने पर पाबंदी लगाने संबंधी कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू किए जाने की आवश्यकता

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामुला) : महोदय, जानवरों की सुरक्षा संबंधी विश्व सोसायटी ने 'एनीमल्स,' 1998 के शरद विशेषांक में भारत में नाचने वाले भालुओं की मुश्किलों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस आलेख में चित्रों के साथ यह बताया गया है

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

कि किस प्रकार भारत में भालुओं को दर्द देकर और भूखा रखकर प्रशिक्षित किया जाता है। ये अभागे जानवर पर्यटकों तथा अन्य लोगों के मनोरंजन के लिए गर्मी, धूल और शोर को लम्बे समय तक सहन करते हैं। उनमें से अधिकांश भालू बीमारी के कारण छोटा और दर्दभरा जीवन जी पाते हैं। इस पत्रिका में यह दावा किया गया है कि इन नाचने वाले भालुओं की आयु 5 से 8 वर्ष की होती है जबकि जंगलों में रहने वाले भालुओं की आयु 30 से 35 वर्ष तक होती है।

विश्व भर में काफी संख्या में पशु-प्रेमियों ने हाल ही के महीनों में मुझे पत्र लिखकर यह याद कराया है कि भारत जैसा देश, जहां जानवरों के प्रति इतना स्नेह रहा है, नाचने वाले भालुओं के प्रति इतना निर्मम रवैया कैसे अपना सकता है और उन्होंने बहुत भावुकता से यह भी अपील की कि इस निर्मम व्यवहार को बंद किया जाए।

मैं इस सम्मानीय सभा और भारत सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि न सिर्फ मनोरंजन की इस बर्बर प्रथा पर पाबंदी लगाई जाए बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन भालुओं को वापस जंगलों में छोड़ दिया जाए और इस क्रूर प्रथा में लगे लोगों को वैकल्पिक आजीविका के साधन प्रदान किए जाएं।

(तेरह) गुजरात में "कपड़वंज-नडियाद" रेलगाड़ी की आवृति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयसिंहजी चौहान (कपड़वंज) : सभापति जी, सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कपड़वंज (गुजरात) में चल रहे "कपड़वंज-नडियाद ट्रेन" से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। "कपड़वंज-नडियाद ट्रेन" कपड़वंज से प्रात: 8.25 में नडियाद के लिए प्रस्थान करती है और पुन: 18.45 में नडियाद से कपड़वंज आती है। इस प्रकार 24 घंटे में उक्त ट्रेन को उक्त स्थानों के लिए एक ही बार आने-जाने के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को रेल-सेवा से वंचित रहना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि उक्त ट्रेन में मात्र एक ही डिब्बे की व्यवस्था है और उक्त ट्रेन का रास्ते के अन्य स्टेशनों पर कहीं भी ठहराव (स्टापेज) नहीं है, जबकि लोक हित की दृष्टि से उक्त ट्रेन का ठहराव कठवाला, महुधा, आंतरोली, तोरण, वीणा आदि स्टेशनों में किया जाना न्यायसंगत ही नहीं परमावश्यक है। कपड़वंज मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ ही तालुका प्लेस है और एक ही अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र भी है। यहां द्विवेला का तेल प्रचुर मात्रा में उत्पादित है जहां द्विवेला के तेल को बाहर भेजने के लिए रेल सेवा में मालगाड़ी के साथ ही टैंकर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि उक्त ट्रेन को 24 घंटे में कम से कम चार-पांच बार चलवाने, ट्रेन में डिब्बों की संख्या बढ़ाने, उक्त स्टेशनों पर ठहराव की अनुमति प्रदान करवाने तथा उक्त स्टेशन से, मालगाड़ी के साथ ही तेल टैंकर सेवा की भी व्यवस्था उपलब्ध करवाने की महती कृपा करें।

(चौदह) उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और हरिद्वार जनपद के गन्ना किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोहम्मदपुर क्षेत्र में रजवाहा की मरम्मत कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सोहनवीर सिंह (मुजफ्फरनगर) : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर एवम् हरिद्वार जनपद के अंतर्गत जो रजवाहा (सब कैनाल) सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा चालू की गई है वह मोहम्मदपुर में टूट जाने के कारण बंद पड़ी हुई है, और कैनाल के मरम्मत न होने के कारण इस क्षेत्र के किसानों की गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ है और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह जनपद मुजफ्फरनगर एवम् हरिद्वार के गन्ना किसानों की इस सिंचाई सुविधा को ठीक करवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें तथा आवश्यक धनराशि निर्गत करें, ताकि किसानों की गन्ने की फसल का नुकसान न हो, शीघ्र ही रजबाहे (सब कैनाल) की मरम्मत करवाकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

अपराह्न 3.28 बजे

[अनुवाद]

विद्युत विधि (संशोधन विधेयक)

सभापति महोदय : अब हम विद्युत नियम (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे। प्रो० अजित कुमार मेहता।

[हिन्दी]

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, पिछले दिनों इस बिल पर हम चर्चा कर रहे थे तब मैंने कहा था कि सरकार को व्यापक विकास के लिए व्यापक ढंग से सोचना चाहिए, टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं सोचना चाहिए। योजना आयोग से राय लेकर एक व्यापक योजना बनानी चाहिए। इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल, जेनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिफिकेशन सब शामिल हो, यह मेरा सरकार को सुझाव था। जब ट्रांसमिशन की बात आई तो मैंने ध्यान दिलाया था कि ट्रांसमिशन लॉस केवल लाइन में नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा चोरी की भागीदारी इसमें होती है। जैसे दिल्ली विद्युत बोर्ड का उदाहरण दिया गया था। राज्य सभा में सरकार ने स्वयं कहा था कि बिना कुछ परिवर्तन किए चोरी में ट्रांसमिशन लॉस 24.35 प्रतिशत से बढ़कर 48.57 प्रतिशत हो गया है। इसको रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। दिल्ली में बी.जे.पी. की सरकार के राज में यह हुआ है। इसलिए केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों के सहयोग से इसे दूर किया जा सकता है।

मैं आपको अपनी एक व्यथा बताना चाहता हूं। अभी एक ट्रांसमीशन लाइन मऊ से लेकर. ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। अन्य कई सदस्य भी इस विषय पर बोलना चाहेंगे; उसके बादे माननीय मंत्री जी भी इस बहस का उत्तर देंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता : महोदय, मैं केवल तीन मिनट लूंगा।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना (मारमागाओ): महोदय, हम इस विषय पर बोलना चाहते हैं। हम अपनी बारी का काफी समय से इन्तजार कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*। कल इसी कारण मैं अपनी बैठक में नहीं गया था। मैं भी इसी विषय पर बोलना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*

प्रो० अजित कुमार मेहता : आप एक ट्रांसमीशन लाइन बिहार में मऊ तक ले जाने वाले हैं। मेरा सुझाव है कि इस लाइन को मुजफ्फरपुर से डाइवर्ट करें, इससे आप 400 किलोवाट बिजली बिहार को उपलब्ध करा सकते हैं। फिलहाल इससे हमारा दुख दूर हो जाएगा।

महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे यहां इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि बिजली बोर्ड के पास पैसा नहीं है। आर.ई.सी. ने 1989 में 79 करोड़ रुपया लोन लिया था, जो आज बढ़कर 305 करोड़ रुपये हो गया है। इस वजह से आर.ई.सी. से आगे लोन नहीं मिल रहा है और बिहार का इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं हो रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह सूद-दर-सूद को माफ कर दे और फिलहाल इस राशि को एबेयेंस में रखकर बिहार इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को कर्ज देना आरम्भ कर दे। ...*(व्यवधान)* आप इसे स्वीकार करें या न करें, लेकिन मेरा यह सुझाव है। अन्यथा गांवों का इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा और आप कहेंगे कि बिहार को बिजली की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको मेरे इस सुझाव पर विचार करना चाहिए।

बाधारहित बिजली की आपूर्ति के बारे में कहना चाहता हूं। ताप बिजलीघर से संभव नहीं है कि आप पीक-आवर्स में बिजली की आपूर्ति कर सकें। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पीक-आवर्स मे 64,882 मेगावाट ऊर्जा की हमें आवश्यकता है, जबकि उपलब्धता 56,252 मेगावाट है। यह अंतर करीब 13.2 प्रतिशत है। इस कमी को आप तभी पूरा कर सकते हैं, जब आप ताप बिजली के साथ-साथ पन-बिजली का भी इस्तेमाल करें। इसके लिए मैंने सुझाव दिया था कि बिहार में कोयल कारो, कदवन, कन्हड़ और शंख परियोजना को लें, जिससे दो हजार मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त मेरा सुझाव है कि नेपाल के साथ अन्तरराष्ट्रीय समझौता कर पनबिजली की क्षमता का विस्तार करें। इससे उत्तर बिहार बाढ़ से भी मुक्त हो सकेगा और आप पीक-आवर्स में पर्याप्त बिजली भी दे सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन०के० प्रेमचंद्रन : महोदय, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 1998 पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, हमारा देश अवसंरचना के विकास को अधिक महत्व और वरीयता दे रहा है। अवसंरचना के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विद्युत क्षेत्र के विभिन्न घटकों में से बिजली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

महोदय, मैं उन तीन बातों को उजागर करना चाहूंगा जिनके आधार पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। जिन बातों का मैं विरोध करना चाहूंगा वह बताने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्पादन, पारेषण और वितरण विद्युत आपूर्ति के तीन प्रमुख चरण हैं। परन्तु इस देश के लिए यह बहुत ही दुखद बात है कि जो विद्युत हम उत्पादित कर रहे हैं हम उस विद्युत या बिजली का वितरण करने में समर्थ नहीं हैं। हम इस समय 20वीं सदी के कगार पर खड़े हैं। हमारे पास उन्नत प्रौद्योगिकी है। वितरण और पारेषण के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि हमें वितरण या पारेषण में 16-22 प्रतिशत की क्षति हो रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले इसमें स्थिति में सुधार लाया जाए। हम बिजली की प्रत्येक इकाई के उत्पादन पर बहुत बड़ी राशि खर्च करते हैं। परन्तु उत्पादन पर भारी खर्च करने के बावजूद हम इस उत्पादित बिजली को समुचित रूप से उपयोग में नहीं ला पाते। यह हमारे देश की नियति है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसमें हमारे पास उपलब्ध विकसित प्रौद्योगिकी की सहायता से सुधार लाया जा सकता है।

इस विधेयक में पारेषण को एक विशिष्ट कार्य बनाने की मांग की गई है। मेरे अनुसार, उत्पादन, पारेषण और वितरण ये सभी तीनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं। इस विधेयक का उद्देश्य पारेषण को अन्य दो क्रियाओं से अलग करना है और इसे एक विशिष्ट और स्वतंत्र क्रिया के रूप में लेना है। हमारे पास एक संरचनात्मक फार्मूला है जिसमें केन्द्र में और क्षेत्रीय स्तरों में हमारे पास पावर ग्रिड कार्पोरेशन है और राज्यों में राज्य विद्युत बोर्ड हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में अन्य सरकारी एजेन्सियां भी हैं।

सरकार का यह तर्क हो सकता है कि पावर ग्रिड कार्पोरेशन अथवा भारत सरकार के स्वामित्व में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा राज्य विद्युत बोर्ड पारेषण अथवा विद्युत क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास में निवेश करने की स्थिति में नहीं हैं। अत: पारेषण क्षेत्र का निजीकरण कर निजी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। इसलिए भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 को संशोधित करने की आवश्यकता है।

इस समय जिस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या पारेषण क्षेत्र को निजीकरण द्वारा विद्युत क्षेत्र की विकलांगता अर्थात् विद्युत की क्षति के पूरा किया जा सकेगा। हमें यह सोचना है कि क्या निजीकरण द्वारा उस खामी को दूर किया जा सकता है। मेरे विचार में उत्तर 'नहीं' है। इससे अधिक उलझनें और कठिनाईयां होंगी। विद्युत की आपूर्ति के लिए हमारा एक समान नेटवर्क है। मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर पावर ग्रिड कार्पोरेशन और राज्य विद्युत बोर्ड जैसा कि शंकर गुरुस्वामी की रिपोर्ट बताती है कि विद्युत आपूर्ति के वर्तमान नेटवर्क के अनेक लाभ हैं। सबसे प्रथम लाभ यह है कि संविदाओं की बहुलता से बचा जा सकता है। जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है, इससे व्यावसायिक दरें और अधिक आसान हो जाएंगी। विद्युत बोर्ड पावर ग्रिड कार्पोरेशन से और राज्य विद्युत बोर्ड यूनिटों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। इन सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की ऐसी एक समान प्रणाली हमारे देश में विद्यमान है। स्थायी समिति में भी बेहतर समन्वय के प्रश्न पर चर्चा की गई थी। पहले प्रश्न का उत्तर देना है।

यदि पारेषण क्षेत्र का पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से निजीकरण कर दिया जाता है तो इसके क्या परिणाम होंगे? मेरे विचार में पूरी प्रणाली में एक अड़चन पैदा हो जाएगी, यह पहला कारण है जिस पर मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं। ऐसा करके समन्वय की कमी हो जाएगी और इससे उलझनें तथा कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

दूसरा, विद्युत की आपूर्ति को केवल वाणिज्यिक लाभों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। सामाजिक आधार पर भी विद्युत क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अथवा अन्य निजी कम्पनियां पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होगा। जहां तक कि विद्युत के वितरण का संबंध है, हम समाज के कृषि क्षेत्र और कमजोर वर्ग को रियायत दे रहे हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी

[श्री ए०के० प्रेमचंद्रन]

उसका लाभ दिया जा रहा है। सरकार के एक सचिव ने समिति के समक्ष बयान दिया है कि निजी क्षेत्र के लिए वितरण के कार्य को संभालना बहुत कठिन है। वितरण के क्षेत्र का निजीकरण करना बहुत कठिन है। पारेषण स्तर पर धन का निवेश करना और फिर इस संशोधन में प्रतिपादित प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रण करना बहुत आसान है। अत: मैं इस मुद्दे का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसे और अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका पूर्णत: निजीकरण नहीं किया जा सकता है। इसे केवल वाणिज्यिक लाभ तथा महत्व के लिए ही नहीं बनाया जा सकता है।

तीसरा मुद्दा, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव के संबंध में है। यदि यह एक अधिनियम बन जाता है और उपभोक्ताओं पर लागू किया जाता है तो इस विधेयक का क्या प्रभाव पड़ेगा। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के समक्ष मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा जो सबूत रखे गए हैं उनसे स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि विद्युत की केवल सीमान्त वृद्धि होगी। अत: मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की उन्नीसवीं रिपोर्ट के पैरा 54 को उद्धृत करना चाहूंगा। यह इस प्रकार है:

> "पारेषण को अलग करने के कारण उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछने पर विद्युत मंत्रालय ने अपने एक टिप्पण में बताया जबकि राज्य विद्युत बोर्ड कम लाभ के साथ चल सकते हैं, लेकिन एक पारेषण लाइसेंसधारी अन्तर्ग्रस्त निवेश तथा जोखिम के अनुरूप उपयुक्त लाभ की उम्मीद करेगा। अत: यह अनिवार्य है कि 'निर्माण, स्वामित्व तथा रख-रखाव' आधार पर निजी क्षेत्र द्वारा बनाई गई पारेषण प्रणाली के घटकों के लिए पारेषण प्रभार सीमान्त रूप से अधिक होगा।"

इससे यह भी प्रतीत होता है कि यूनिट की दरों में भी वृद्धि होगी। इसका बोझ निर्धन उपभोक्ताओं तथा मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा।

महोदय, पूर्वोल्लिखित तीन कारण – (1) निजीकरण के कारण व्यावसायिक लाभ का तत्व, (2) समन्वय अभाव के कारण प्रणाली में अड़चन और (3) आम लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव – मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति महोदय, जो विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने रखा है मैं उसे सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री जी को ऊर्जा संकट के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए बधाई देता हूं। यह सच्चाई है कि देश के विकास के लिए ऊर्जा का फैक्टर बहुत ही महत्व रखता है और इस महत्व को समझते हुए इन्होंने जो देश के लिए ऊर्जा शक्ति चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए जो उपाय सोचा है, मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी था। जहां तक ट्रांसमिशन बाइफरकेट करने की बात चली है लेकिन मैं समझता हूं कि सिस्टम चेंज नहीं हुआ। आपने सैक्शन 41(ए) के अंदर 3000 रुपये लम्पसम जुर्माना तो रख दिया, अच्छा यह होता अगर इसे रेश्यो के हिसाब से फिक्स किया जाता कि जितना बिल आता है उसके हिसाब से देना होगा। पहले भी देखा जाता है कि बिजली चोरी के लिए किसानों पर जुर्माना हो जाता है लेकिन जहां करोड़ों रुपये की चोरी होती है वहां कुछ नहीं होता है। जब सब के लिए 3000 रुपये होगा तो इससे बड़े लोग बच सकते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा और सोच लिया जाए तो अच्छा होगा।

अपराह्न 3.43 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

महोदय, अगर सिस्टम यही रहेगा तो उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। अगर अलग-अलग क्षेत्र बांट लिए जाएं–प्राइवेटाइजेशन का क्षेत्र अलग हो, सार्वजनिक का क्षेत्र अलग हो–तो अच्छा होगा। जब हमारे यहां ट्रांसपोर्टेशन निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के चलते हैं तो निजी क्षेत्र वाले, सार्वजनिक क्षेत्र वालों की बसें चलने ही नहीं देते, वैसा ही यहां भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर हो सके तो उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट हो जाए तो अच्छी बात होगी। जहां ट्रांसमिशन फैक्टर को आपने गंभीरता से लिया है वैसे ही ऊर्जा के सैक्टर में कुछ ऐसे फैक्टर है जिनको गंभीरता से लेने की जरूरत है। जैसे प्लांट लोड फैक्टर है उसे भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमारे देश में 84,000 मेगावाट बिजली जेनरेट होने की केपेसिटी है, मगर 40,000 मेगावाट के करीब बिजली हम पैदा करते हैं और 40,000 मेगावाट में से भी 30,000 मेगावाट के करीब चोरी हो जाती है। इसलिए अगर पूरी केपेसिटी बरती जाए तो मैं समझता हूं कि ऊर्जा का संकट काफी हद तक सोल्व हो सकता है। 13-13, 14-14 साल से लोगों ने ट्यूबवैल कनेक्शन लेने के लिए एप्लीकेशन दी हुई हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती, इसके लिए जरूरी है कि फुल केपेसिटी से प्लांट चले तो अच्छी बात होगी। ट्रांसमिशन के लिए यह भी जरूरी है कि कुछ स्टेट्स में सरप्लस बिजली होती है जिसमें पीक सीजन में उनको डैफिसिट होती है, जैसे पंजाब में आठ महीने सरप्लस होती है।

चार महीने जब पैडी का सीजन होता है तो पंजाब में डैफिसिट होती है। अगर ट्रांसमीशन सिस्टम अच्छा होगा तो मैं समझता हूं कि डैफिसिट स्टेट को सरप्लस स्टेट से लाकर बिजली दी जाएगी और देश से ऊर्जा संकट दूर होगा। हमारे यहां विश्व में सबसे अधिक 21 प्रतिशत ट्रांसमीशन का नुकसान है, इसको भी सुधारने की जरूरत है। जो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं उनमें भी एफीशिएंसी लाने की आवश्यकता है क्योंकि 63 प्रतिशत बिजली राज्य ही पैदा करते हैं, केन्द्र तो केवल 25 प्रतिशत ही बिजली पैदा करता है। इसलिए इनमें भी सुधार लाना जरूरी है।

जो ऑन-गोइंग प्रोजेक्टस हैं उनको भी पूरा करने की बात है। मैंने 10 जून को एक सवाल पूछा था जिसके उत्तर में कहा गया कि उसकी फिगर्स हम मंगवा रहे हैं। मैंने प्रश्न नम्बर 1619 पूछा था कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू हुए हैं लेकिन पूरे नहीं हुए हैं। मुझे पता चला है कि 100 से अधिक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले कई सालों से शुरू हुए हैं लेकिन कम्पलीट नहीं हुए हैं। पंजाब में थीन डैम बहुत साल पहले शुरू हुआ था जिसकी शुरू में लागत 85 करोड़ बताई गयी थी। जब प्लानिंग कमीशन में प्रोजेक्ट गया तो उसकी लागत 300 करोड़ हो गयी और जब प्लानिंग कमीशन ने पास किया तो उसकी कीमत 680 करोड़ हो गयी। आज उस पर 3000 करोड़ रुपया लग गया है लेकिन उससे बिजली भी नहीं मिली है और पाकिस्तान को पानी जा रहा है। अभी भी 167 करोड़ रुपया उसके लिए केन्द्र देगा तो वह शुरू हो पाएगा। उसको शुरू हुए 25 साल हो गये हैं

और हम उसकी सिल्वर-जुबली मनाने की सोच रहे हैं। इसलिए ऐसे जो ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए तो अच्छी बात है। थीन-डैम तो जल्दी पूरा होना ही चाहिए।

हाईडल प्रोजेक्टस से सस्ती बिजली बन सकती है और उसकी क्षमता भी बहुत अधिक है। हमारे यहां हिमाचल से कितना पानी आता है जिससे बाढ़ आ जाती है। अभी बाढ़ आई है और हमारी फसलों, घरों और पशुओं को नुकसान हुआ है। इसलिए डैम पहाड़ी क्षेत्रों में बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है। वहां के मुख्यमंत्री ने एक बयान भी दिया है और प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में कहा है।-जो हाईडल प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनके लिए ऊर्जा मंत्री को मेरा एक सुझाव है कि जो राज्य प्रोजेक्ट्स के पास पड़ते हैं उन राज्यों को भी हिस्सेदार बनाया जाए। अब वहां पार्वती डैम बना है और उसकी क्षमता 3000 मेगावाट है लेकिन उसमें से पंजाब को एक मेगावाट बिजली भी नहीं दी जा रही है। राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को हिस्सेदार बना लिया जबकि हमारी सड़कों पर होकर ढुलाइ होती है जिससे आने-जाने में रुकावट होती है लेकिन हमें ही हिस्सेदार नहीं बनाया गया है। ऐसे ही हिमाचल में कोल-डैम है। इसलिए मेरा कहना है कि जो नजदीक के राज्य हैं उन्हें प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदार बनाया जाए तो उनको भी लाभ मिल सकता है। ऐसे ही नाफ्ता-जाखड़ी डैम है जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्र का और 25 प्रतिशत हिमाचल का हिस्सा है। पंजाब को उसमें भी हिस्सा नहीं दिया गया है। अब अखबारों में आ रहा है कि जो बिजली जैनरेट हो रही है और पानी यूज हो रहा है उस पर टैक्स होगा। मैं ऊर्जा मंत्री से कहूंगा कि हिमाचल में पहले ही 12 प्रतिशत जेनरेशन का फ्री दिया जाता है। मैं हिमाचल के विरोध में नहीं हूं लेकिन यह जरूर चाहूंगा कि अगर 12 प्रतिशत फ्री दिया जाता है तो रायल्टी लेने की जरूरत नहीं है। अगर रायल्टी लेनी है तो 12 प्रतिशत जेनरेशन का फ्री नहीं दिया जाए। कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे बिजली का जो संकट है वह दूर हो सके।

सरकार ने ट्रांसमीशन को गंभीरता से लिया है, इसी प्रकार से जो बिजली चोरी होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन को भी गंभीरता से लें और जेनरेशन को भी गंभीरता से लें। अगर ऐसा होता है तो बिजली का संकट देश से दूर हो सकता है और देश का विकास तेजी से हो सकता है। देर आयद, दुरूस्त आयद, इन्होंने जितना भी किया है, कुछ तो किया है उसके लिए बधाई भी देता हूं और सपोर्ट भी करता हूं।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, विद्युत विधि संशोधन विधेयक स्वागत योग्य बिल है। मैं मंत्री जी का ध्यान पृष्ठ चार के धारा 27(ग) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें प्रावध ाान किया गया है कि

> "जब तक केन्द्रीय आयोग की स्थापना नहीं की जाती, केन्द्रीय सरकार और उसके पश्चात केन्द्रीय आयोग, उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति को पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान कर सकेगा।"

मैं मंत्री जी को ज्यादा बधाई देता यदि यह प्रावधान होता कि बिल पास होने के 30 दिन के अन्दर आयोग का गठन कर दिया जाएगा। इससे सारे प्रोवीजन ज्यादा उपयोगी होते। इससे पहले अंग्रेजों के समय 1910 में यह बिल बना था। इसके बाद राज्यों के हित के लिए 1948 में विद्युत बोर्ड का निर्माण किया गया। यह लाइसेंस देने का काम अपने जिम्मे रखना चाहते हैं। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। आप लाइसेंस देकर लोगों को बिजली दें। आज भी हिन्दुस्तान के 72 परसेंट लोग अंधेरे में रहते हैं। उनका बिजली से कोई वास्ता नहीं है।

महोदय, मंत्री जी जिस राज्य से आते हैं, वहां रामेश्वरम जाने का मुझे भी मौका मिला है। उसके रास्ते में रामनाथपुरम जिला है। वहां की औरतें अपने सिर पर घड़ा लिए काफी दूर पानी लेने जाती हैं। इस बिल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आखिर मंत्री महोदय चेन्नई से दिल्ली तो नहीं लौट आए। चेन्नई के अलावा दूसरे इलाकों में जहां आदिवासी, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, उनके लिए पानी, बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए। इन्होंने अपने नेशनल एजेंडा में भी हर वर्ग के लोगों के लिए बिजली के माध्यम से जल आपूर्ति स्कीम लाने की बात कही है। उसमें कहा गया है कि हर वर्ग के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। वह शायद यह बात भूल गए कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी वह लोगों को कुएं और नल से पानी नहीं दे पाए। उनके लिए जल आपूर्ति स्कीम बनाई जाए। आप जब तक उनके लिए बिजली की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक लोगों को पानी मुहैया नहीं कर पाएंगे। जो सरकार उत्तरांचल बनाने की बात करती है, वह लोगों के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई है। पहाड़ी में काफी दूरी पर लोग बसे हैं। उनके यहां पानी की व्यवस्था बिजली के माध्यम से ही हो सकती है। इस बात की जानकारी मैं सरकार को देना चाहता हूं। उनके लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, जब 1910 में यह एक्ट बना था तो बिजली तांबे के तार लगा कर दी जाती थी। जब उसकी चोरी होने लगी तो लोहे के तार देने शुरू कर दिए। अब अल्मुनियम के तार की व्यवस्था की जा रही है। इनका जो सफेद हाथी है, जो गांवों में बिजली देने के लिए निगम बना है, उसकी कागज पर सारी फीगर्स दिखा दी जाती है कि हमने गांवों में इतनी बिजली दी, तार दी लेकिन कनैक्शन दिया या नहीं, यह इनको देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि देश के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सफेद हाथी हो गया है। इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यदि संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की जाती तो बहुत बड़ा प्रगति का रास्ता हो सकता था।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक उत्पादन बढ़ाने की बात है, उसे प्राइवेट पार्टी करे, प्राइवेट सैक्टर में जाये लेकिन बिजली बढ़ने से किसानों को मिल जायेगी, मैं ऐसा नहीं समझता। यदि आप उत्तर प्रदेश और बिहार के ट्यूबवेल्ज को देखेंगे तो मालूम होगा कि वे सारे बंद पड़े हुए हैं। वहां या तो बिजली द्वारा या सरकारी मोटरों के द्वारा बिजली के पम्प लगाये जाते हैं। ये लोग अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं जिससे सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकती है। आपने इसके लिए क्या व्यवस्था की है?

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह व्यवस्था नहीं की गई कि राजस्व की वसूली कैसे होगी? यदि छोटे किसानों पर पांच हजार रुपया बकाया रह जाता है तो इंस्पेक्टर या अफसर उसकी बिजली काट देता है लेकिन किसी बड़े व्यापारी या उद्योगपति पर लाखों रुपया बकाया है, वह नहीं देता तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। संभवत: वह प्राइवेट लाइन या अंडरग्राउंड वायरिंग से बिजली लेता है। उससे न मोटर का खर्चा आता है और न वह बिल देता है। क्या आपने इसको देखने का काम किया है? इससे सरकार को काफी क्षति उठानी पड़ रही है।

[श्री राजो सिंह]

अध्यक्ष महोदय, श्री कुमारमंगलम जी पहले हमारे दल में थे और तिरूपति में कांग्रेस वर्किंग मैम्बर थे। उस समय हम बिहार से ए.आई.सी.सी. के मैम्बर्स वहां बैठे हुए थे। ये हमारे सामने वोट मांगने आये। हम जानते थे कि पार्लियामेंट में यह तेज-तर्रार एम.पी. हैं तथा हाउस में पब्लिक ग्रीवांसेज रखा करते थे, हमें इनके पिता स्व. मोहन कुमारमंगलम को देखने का मौका मिला था, वे इस देश के जाने-माने, विद्वान नेता थे और यह उनके सुपुत्र हैं। आज न जाने यह उधर क्यों चले गये? इतने बड़े आदमी के सुपुत्र रास्ता भटक गये हैं। यह जब इधर थे तो सरकार में रहने का मौका मिला था। आपने कभी सोचा है कि सरकारी दफ्तर में क्या क्या होता है? आज आप एक गरीब और किसान को, जो झोंपड़ी में रह रहा है, उसको पकड़ने जा रहे हैं लेकिन आपका दरोगा, कलेक्टर, एस.डी.ओ. बिना कनेक्शन लिये हुए बिजली जलाते हैं और उसका मीटर भी नहीं चलता है। उस पर कोई बकाया पैसा नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? मेरा सुझाव है कि आप एक नियमावली बनाइये जिसे इस टेबल पर रखिये और एक महीना बाद उसको लागू करिये। आप यह व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक और सुझाव देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। आप एक टास्क फोर्स बना दीजिए जो सारे प्रकरण की जांच करे। वह उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में पता लगाये कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नाम पर कितना पैसा खर्च किया गया। जो पैसा खर्च किया गया, उससे कितना तार खरीदा गया? उस पैसे से कितने पोल खरीदे गए? उसके द्वारा यह पता लगाया जाए कि ट्रांसफार्मर्स खरीदे गए या नहीं, किसानों के खेतों की पानी द्वारा सिंचाई हो रही है या नहीं और बिजली के माध्यम से पाइपलाइन से पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है या नहीं?

अपराह्न 4.00 बजे

मैं समझता हूं कि आपने कदम उठाये हैं। मैंने कहा कि वह स्वागत योग्य कदम हैं, लेकिन मुझे डर है कि यह आयोग बनाने की बात तो आपने जरूर कर ली है, लेकिन आप टास्क फोर्स भी बना दें और आज बिल के अवसर पर कहें कि हम टास्क फोर्स बनाएंगे और उससे जांच कराकर जो भी कार्रवाई होगी, जो सफेद हाथी बैठा हुआ है, चाहे यहां बैठा रहे चाहे बाहर सचिवालय में या फील्ड में बैठा रहे, उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे और बिजली उत्पादन करके ज्यादा से ज्यादा ग्रिड हर स्टेट में बनाकर बिजली मुहैया करायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, 4 बजे हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे। मैं सभा की राय जानना चाहता हूं। आज, हम विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक को पूरा करेंगे। फिर, हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

महोदय : तो यही सभा की राय है।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): दिल्ली में जो हड़ताल चल रही है हास्पिटल्स वगैरह में, उसके बारे में मैंने सुबह कहा था कि मैं बात करूंगा। आज स्टेटमेंट के लिए लिखकर आपको दिया है। मंत्री जी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आप कहें तो वह स्टेटमेंट दे दें। ...*(व्यवधान)*

डॉ० शकील अहमद (मधुबनी) : दिल्ली के मुख्यमंत्री को 200 रुपया फाइन किया गया है, उसके बारे में मंत्री जी कुछ कहें। हमें मालूम है कि आप खुश हैं, मगर उसके बारे में तो कुछ कहें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्यमंत्री एक वक्तव्य देना चाहते है।

अपराह्न 4.01 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों की हड़ताल

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद्, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि के अस्पतालों के समूह "ग" और "घ" कर्मचारी जे.ए.सी.के.एच.यू, सी.एच.ई.एफ, ई.एस.आई. और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की संयुक्त परिषद् के तत्वावधान में 20.7.1998 से हड़ताल पर चले गए हैं और यदि उनकी मांगें सरकार द्वारा नहीं मानी जाती हैं तो 25.7.1998 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया है। उनकी मुख्य मांगों में ये शामिल हैं:-

(1) सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को तीन समयबद्ध पदोन्नतियां;

(2) सभी समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान देना;

(3) उन्हें रात्रि वेटेज भत्ते, जोखिम और खतरा भत्ते, धुलाई भत्ते का भुगतान करना;

(4) सभी वंचित स्वास्थ्य कर्मचारियों को विभिन्न अस्पतालों/संस्थाओं में दिया जा रहा समान रोगी परिचर्या भत्ता देना और रोगी परिचर्या भत्ता मूल वेतन का 25 प्रतिशत होना चाहिए; और

(5) चौथे और पांचवें वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करने से हुई सभी विसंगतियों/असमानताओं को दूर किया जाए और भर्ती नियमों में एकरूपता लाई जाए।

(6) दिनांक 23.9.1997 को जे.ए.सी.के.एच.यू और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के बीच हस्ताक्षर किए गए करार को कार्यान्वित करना।

उपर्युक्त मांगों के अनुसरण में यूनियन ने निम्नलिखित आंदोलनकारी कार्यक्रम अपनाए:-

22 मई, 1998	संबंधित अस्पतालों में 10-12 कर्मचारियों के समूहों ने दिन भर प्रात: 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक धरना दिया।
25 मई, 1998	निर्माण भवन में अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल।
4 जून, 1998	निर्माण भवन के आगे व्यापक प्रदर्शन।
5-9 जून, 1998	काले बिल्ले लगाना।
10 जून, 1998	सभी संबद्ध यूनिटों द्वारा निर्माण भवन पर व्यापक प्रदर्शन और बाहर के स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा भी व्यापक धरना।
16-20 जून, 1998	प्रत्येक यूनिट में दो घंटे का प्रदर्शन।
25-26 जून, 1998	एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल (25 जून, 1998 को 6.00 बजे प्रात: से 26 जून, 1998 को सायं 6.00 बजे तक)।
9-10 जुलाई, 1998	48 घंटे की सांकेतिक हड़ताल।
20-23 जुलाई, 1998	यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो अनिश्चितकालीन हड़ताल।

मंत्रियों का समूह

सरकार ने इन मांगों की जांच करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया। मंत्रियों के समूह में शामिल हैं:-

(1) श्री यशवंत सिन्हा, वित्त मंत्री

(2) श्री दलित एजिलमलाई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री

(3) श्री के.आर. जर्नादन, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री और वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्यमंत्री।

बातचीत की स्थिति

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा संयुक्त परिषद् के प्रतिनिधियों के साथ 30 जून, 7 जुलाई, 14 जुलाई और 22 जुलाई, 1998 को बैठकें की गईं। मैंने भी 19 जुलाई, 1998 को उनके साथ बैठक की।

मंत्रियों के समूह की बैठकें 13 जुलाई और 19 जुलाई, 1998 को आयोजित हुईं।

22 जुलाई, 1998 को स्वास्थ्य महानिदेशक द्वारा ली गई अंतिम बैठक में हड़ताली कर्मचारियों को एच.पी.सी.ए./पी.सी.ए. में काफी वृद्धि की पेशकश की गई। इसके साथ-साथ एक यह आश्वासन दिया गया कि रोगी परिचर्या के साथ जुड़े कर्मचारियों की छुटी हुई श्रेणियों को भी यह लाभ और धुलाई भत्ता मिलेगा। यह पेशकश कर्मचारियों द्वारा स्वीकार नहीं की गई जिन्होंने यह मांग की कि एच.पी.सी.ए./पी.सी.ए. में वृद्धि दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों को नर्सिंग भत्ते में दी गई वृद्धि के अनुपात में होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि अस्पतालों के प्रत्येक समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों के लिए कम से कम तीन समयबद्ध प्रोन्नतियां होनी चाहिए।

सरकार द्वारा इन मांगों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने भी यूनियनों से अपील की है कि वे देश में रोगी परिचर्या के हित में अपना आंदोलन वापिस ले लें और बातचीत में भाग लें।

अस्पतालों में दी जाने वाली सुविधाओं के रख-रखाव के लिए किए गए एहतियाती उपाय

इस पृष्ठभूमि के प्रतिकूल, यह महसूस करते हुए कि जो उपाय किए गए थे उनसे स्थिति सुधर नहीं पा रही है और आगे यह महसूस करते हुए कि हड़ताल केवल केन्द्र सरकार के अस्पतालों तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा नगर-निगम इत्यादि के अन्तर्गत आने वाले अस्पतालों सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी सम्मिलित हो जाएंगे, केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 8 जुलाई, 1998 को एक बैठक बुलाई जिसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव, मुख्य स्वास्थ्य सचिव और पुलिस आयुक्त के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने भाग लिया। इसके साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि:-

(1) पुलिस इस बात का ध्यान रखेगी कि बड़े अस्पतालों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि डॉक्टरों तथा अन्य व्यक्तियों के कार्य में बाधा न पड़े। इसके अतिरिक्त यह नोट किया गया कि यदि स्टाफ में हाथापाई की कोई प्रत्यक्ष घटना हो, किसी महत्वपूर्ण कार्य में गड़बड़ी अथवा उपकरणों की तोड़-फोड़ की स्थिति उत्पन्न हो तो पुलिस मैडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी कर सकती है।

(2) दूरदर्शन द्वारा एक अपील जारी की जाएगी ताकि सभी कर्मचारियों को यह सूचित किया जा सके कि मंत्रियों का एक दल गठित किया गया है और उन्हें जल्दबाजी में कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।

(3) दिल्ली सरकार सभी प्राइवेट नर्सिंग होम्स को आकस्मिक और आपात स्थिति में उपचार सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देगी तथा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी।

(4) प्रत्येक अस्पताल द्वारा आकस्मिक संभाव्य उपाय किए जाएंगे ताकि जनता को यथासंभव कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े; और

(5) चिकित्सा तथा कानूनी कार्य और शव परिक्षण के लिए अभिहित अस्पतालों तथा पुलिस के बीच विशिष्ट संबंध स्थापित किया जा सकता है।

रेलवे के अस्पतालों में आपात चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु रेलवे से भी सहायता मांगी जा रही है।

हमारे अस्पतालों में विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने में सहायता देने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है।

तथापि, मैं अपनी यूनियनों से अपील करता हूं कि वे रोगियों के हित में आन्दोलन वापस लें तथा इसके बजाय बातचीत द्वारा मतभेद दूर करें।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री ओमप्रकाश विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक पर बोलेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : माफ कीजिए, महोदय, दो दिन पहले इसी विधेयक पर चर्चा की जा रही थी लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया था और उस समय मारुति उद्योग पर चर्चा की गई थी जो कि कार्यसूची में विनिर्दिष्ट था। क्या मैं जान सकती हूं कि यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है जबकि महिलाओं पर अत्याचारों के संबंध में चर्चा की जानी थी। अब कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, अब इस पर चर्चा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पिछले चार दिनों से इस विधेयक पर चर्चा हो रही है। इसको पूरा करने के बाद, हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे। कोई भेदभाव नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम इस पर आज ही चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री ओमप्रकाश।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह भेदभाव है।

अध्यक्ष महोदय : कोई भेदभाव नहीं है। हम आज ही इस पर चर्चा करेंगे। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री ओमप्रकाश को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया विघ्न नहीं डालिए।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री मोतीलाल वोरा : सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को नियंत्रित करने के लिए राज्य को अनुमति दी है ...*(व्यवधान)* लोग मर रहे हैं और मुर्दाघरों में पड़े शवों को चीटियां खा रही हैं। हम मंत्री महोदय से यह नहीं सुनना चाहते कि कौन सी बैठक हुई। वास्तव में क्या कार्यवाही की गई? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाइए।

श्री ओमप्रकाश।

अपराह्न 4.12 बजे

[हिन्दी]

विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक—*जारी*

श्री ओमप्रकाश (गाजीपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 इस सदन में पेश किया है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मंत्री महोदय ने इस विधेयक का यहां प्रस्तुत करने से पहले इस पर न केवल उन्होंने बल्कि उनके पूरे मंत्रालय के अधिकारियों ने खूब चिन्तन और मन्थन किया होगा और मंत्री महोदय ने तथा मंत्रालय के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया होगा। मैं कहना चाहता हूं कि बिजली आज मानव के जीवन का आवश्यक अंग बन गई है। बिना बिजली के ऐसा लगता है कि मानव जीवन अधूरा है। इसलिए इसकी आपूर्ति बढ़े इसके लिए सोचना जरूरी है क्योंकि यह जनजीवन से जुड़ी हुई है। इस समस्या का समाधान हम कैसे करें, इसके ऊपर गहनता से सोचने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, 50 वर्ष की आजादी के बाद आज भी हमारे देश के गांव और देहात बिजली न होने के कारण अंधेरे में डूबे हुए हैं। आज गांव का हर व्यक्ति सोचता है कि हम ऐसे स्थान पर रहें जहां बिजली उपलब्ध हो, लेकिन स्थिति यह है कि खेत और खलिहान में बिजली का अभाव दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देश की आजादी के समय यह विचारधारा पनपी कि बिजली को सरकारी क्षेत्र में रखा जाए, क्योंकि निजी क्षेत्र में लोगों के पास इतना धन नहीं होगा कि वे इसको निजी क्षेत्र में संचालित कर सकें। अत: बिजली को सरकारी क्षेत्र में लाने के लिए खूब धूम मचाई गई और प्राइवेट सैक्टर की बात को इसलिए टाल दिया गया कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह इस व्यवस्था को कारगर बना सके।

अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में जितनी भागीदारी निजी क्षेत्र के लोगों की होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई। हमारे बिजली विभाग के पूर्व मंत्री ने इस बात को उजागर कर दिया कि जितनी तादाद में इस क्षेत्र में प्राइवेट लोग आने चाहिए थे, उतनी तादाद में नहीं आ सके। अब सरकारी क्षेत्र से बिजली को निजी क्षेत्र में लाया जा रहा है और 20 साल बाद फिर कहीं यह न हो कि इसे पुन: निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में लाना पड़े, इसलिए अच्छी तरह से सोच-समझ कर इस विधेयक को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं कि देश में 47 प्रतिशत बिजली की चोरी हो रही है और जब आधे से थोड़ी सी कम मात्रा में बिजली चोरी हो रही है, तो हमें पूरी की पूरी व्यवस्था पर कारगर तरीके से सोचना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। उत्तरी ग्रिड में जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा आते हैं जिसमें 20 बिजलीघर हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। एक महीने में तीन बार विद्युत सप्लाई फेल हुई और पूरा का पूरा बिजली विभाग इस बात पर चिन्तन और मन्थन करता रहा कि कब विद्युत की गड़बड़ी ठीक होगी लेकिन उसके लिए हम आज तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं और इस बात पर नहीं पहुंच पाए हैं कि हम उसका समाधान कैसे करें। बार-बार पूछने के बावजूद राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सचिव वगैरह साफ-साफ यह बताने को तैयार नहीं हुए कि वह फेल क्यों हुआ और इसके क्या उपाय हैं? इसके लिए एक समिति गठित की गई थी लेकिन वह समिति अभी तक यह तय नहीं कर

पायी कि उसमें कौन सा फाल्ट था, कौन सी कमी थी, कौन सी मजबूरी थी, कौन सा टेक्नीकल फाल्ट था जिससे उत्तरी ग्रिड फेल हुआ।

आज देश का बहुत बड़ा भाग बिजली न होने के कारण अंधकार में है। आज भी सिनमन गांव में ऐसा कहा जाता है कि यदि बिजली विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह न दी जाये और कहा जाये कि तुम तनख्वाह के आधार पर नौकरी न करो, तो वे वेतन नहीं लेंगे बल्कि इसमें अटूट लूट के कारण वे नौकरी करते रहेंगे। गांव के हर खेत खलिहान में इस बात को कहा जाता है। अगर इसके समाधान के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने कायदे से कार्यवाही की होती, जैसे अभी राजो सिंह जी ने कहा कि बहुत से संस्थानों पर बकाया है जैसे सिंचाई विभाग, कलेक्टरी, थाने और अन्य बड़े-बड़े संस्थान । इसके साथ-साथ जो स्टेट के विद्युत बोर्ड हैं, उन पर भी बकाया है। इस बात को सरकार में रहने वाले लोग महसूस करते हैं या नहीं कि यह मेरा घर है और इसे जिम्मेदारी से निभाने का काम अगर हम करते तो यह नहीं कह सकते थे कि समस्या इतनी गम्भीर बनी रहती। लेकिन इस बात को दावे के साथ कह सकते थे कि यदि इस विभाग के मंत्री और अधिकारी जिम्मेदारी से काम करते तो जो इतनी बड़ी समस्या है, उसे बहुत कम कर दिया गया होता और फिर इस संशोधन बिल को लाने की जरूरत न होती।

जब यह संशोधन बिल सदन में लाया गया है, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह देश की बहुत बड़ी समस्या है। इसको बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि बिजली ने एक आदमी की जिंदगी का रूप ले लिया है। यदि उसके समाधान के लिए हम चिन्तन मन्थन करने का काम नहीं करेंगे तो समस्या आती दिखाई दे रही है, वह प्राइवेट क्षेत्र में चले जाने से भी हल नहीं होगी। प्राइवेट सैक्टर में जाने के बाद, ऐसा नहीं कि कोई अलादीन के चिराग की तरह जहां-जहां घुमाए वहां-वहां बिजली चली जाये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज इसमें संकल्प और इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे अधिकारी जिन पर हम लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, यदि उनमें आत्मबल, संकल्प और इच्छाशक्ति जाग्रत हो जाये तो आज भी इसे कारगर रूप दिया जा सकता है। लेकिन बड़ी-बड़ी फैक्टरी वाले, होटल वाले कागज में पांच हार्स पावर का इंजन लगाएंगे जबकि होटल वगैरह में 25-25 हार्स पावर का इंजन चलाते हैं। एक ए.सी. की जगह तीन ए.सी. चलायेंगे। खेत खलिहान वाला एक बल्ब भी जला ले तो वह भी बड़ी बात है। कुछ ट्यूबवैल भी चोरी से चलाते हैं। गांव के दो-चार दबंग किस्म के लोग ही ऐसे चला सकते हैं लेकिन जो गरीब है, मर्माहित है, दुखी है, पीड़ित है, बेहाल है, वह इंसपेक्टर राज में कभी भी बिजली जलाने या बिजली चुराने का काम नहीं करेगा। इसलिए मैं यह जरूर कहूंगा कि संशोधन के साथ-साथ मन और मिजाज साफ होना चाहिए। हमें दृष्टि बहुत दूर तक ले जाने की जरूरत है। यदि हम संशोधन कर रहे हैं तो गांव में रहने वाले लोग, जो इस देश की आत्मा कहे जाते हैं, किसान जिनके बारे में यह परिभाषा है कि भारत गांवों का देश है तो वह किसान ही है। शहर के लोग कहीं न कहीं से अपना तामझाम दिखाकर, कुछ ऊपर नीचे देखकर जैसे तैसे अपनी व्यवस्था कर लेते हैं लेकिन गांव घर, खेत खलिहान में रहने वाला व्यक्ति इंसपेक्टर राज में आफिस में आने से डरता है और अपनी बात इच्छाशक्ति से कह भी नहीं पाता।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस गंभीर विषय पर सोचने का काम करें क्योंकि माननीय मंत्री जी एक महान पिता के पुत्र हैं। मैं कम से कम 18-19 साल से उन्हें जानता हूं। जब हम बी.एस.सी. में पढ़ते थे, वह शायद यूनीवर्सिटी के प्रभारी थे, हम बी.एस.सी. के छात्र नेता थे, उस समय उनसे मिले थे। तब से मैं कम से कम 18-19 साल से जानता हूं।...*(व्यवधान)* संगत का असर पड़ता है। "संगत से गुण होत है, संगत से गुण जायें"। संगत से उधर इन चार-छः महीनों में पता नहीं कितना असर पड़ा है।

अंत में मैं मंत्री जी से यह जरूर कहूंगा कि यह गंभीर विषय है और इस पर ठीक से सोचने समझने की जरूरत है। जयहिन्द।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामुला) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को एक प्रगतिशील उपाय मानता हूं । यह दो बातों के कारण प्रगतिशील है। एक तो है कि ऐसा पहली बार हो रहा कि पारेषण को उत्पादन और वितरण से अलग एक स्वतंत्र कार्य के रूप में माना जा रहा है। इसे प्रगतिशील उपाय कहने का एक दूसरा कारण यह भी है कि पहली बार मेरे वामपंथी मित्रों ने सर्वसम्मति दर्शायी कि कोई काम निजी क्षेत्र के हाथों में भी सौंपा जा सकता है। दूर से देखने पर वे भी महसूस करते हैं कि पारेषण के कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपना अच्छी बात होगी । इसलिए उनकी सोच के अनुसार यह प्रगतिशील उपाय है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : तो आप मान रहे हैं कि हम जिस बात का समर्थन करते हैं उसे प्रगतिशील होना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप भी कभी-कभी खामोशी के साथ समर्थन करते हैं । मैं आपके साथ काफी लम्बे अरसे से हूं और इन बातों को समझता हूं। फिर भी मैं बहुत खुश हूं। मैं इस विधेयक को एक प्रगतिशील उपाय मानता हूं। यदि श्री कुमारमंगलम को अधिक समय मिलता, मैं उनकी योग्यता को जानता हूं, तो वे विधेयक को और अधिक बेहतर ढंग से प्रारूपित कर पाते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जल्दी क्या थी?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : ऐसा इसीलिए क्योंकि कई जगहों पर बिजली की चोरी हो रही है और पारेषण प्रणाली में कई खामियां व्याप्त हैं। इसीलिए उन्होंने महसूस किया कि पारेषण की क्रिया को आधुनिक बनाया जाना चाहिए और हम इस कार्य के लिए उन्हें पूरा समर्थन देते हैं।

हमने जम्मू और कश्मीर में बहुत ज्यादा दिक्कतें उठायी हैं क्योंकि सलाल में बिजली उपलब्ध होने के बावजूद हम इसे कश्मीर घाटी नहीं ले जा पाए। केन्द्र ने हमारी जरा भी मदद नहीं की। परन्तु इस समय, राज्य में जब से यह सरकार आई है तब से पर्याप्त बिजली उपलब्ध है और इस समय हमें कोई समस्या नहीं है। परन्तु भविष्य के लिए पारेषण कार्य केवल राज्य सरकार के भरोसे ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। केन्द्र की ओर से वर्तमान मंत्री महोदय को पारेषण व्यवस्था पर निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि हमारे कार्मिकों में और इंजीनियरों में अत्यधिक प्रतिभा उपलब्ध है। इसीलिए हमारे पास अच्छी गुणवत्ता वाली पारेषण सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य में पारेषण एक बहुत बड़ी समस्या है

जहां तक बिजली की चोरी का सम्बन्ध है आपने पहले ही बताया कि स्थिति भयावह है। चोरियां दो प्रकार से की जाती हैं। एक तो

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

वह है जो व्यक्तिगत स्तर पर होती है। वे ऐसा कई राज्यों में करते हैं। दूसरा तरीका बिजली की चोरी योजनाबद्ध तरीके से की जाती है। चोरी इसीलिए होती है क्योंकि हमारी पारेषण प्रणाली आधुनिक या संगठित नहीं है। हमारा एक गरीब देश है और इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। परन्तु क्या आगे से यह सम्भव नहीं है कि हम अन्य देशों के समान भूमिगत पारेषण प्रणाली को स्थापित करें। मैं अमेरिका या यूरोप से तुलना नहीं कर रहा हूं। परन्तु मध्य पूर्व के कुछ देशों में जिनका प्रादुर्भाव हाल ही में हुआ है भी भूमिगत पारेषण प्रणाली विद्यमान हैं। इसलिए जब माननीय मंत्री हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें तब क्या वे अपनी भविष्य की योजना के बारे में जानकारी देना पसंद करेंगे? वे क्या करने जा रहे हैं? क्या वे इन लाइनों को भूमिगत व्यवस्था के अन्तर्गत लाने के लिए कुछ उपाय करेंगे ? यदि एक बार पारेषण लाइनों की भूमिगत व्यवस्था हो जाती है तो बिजली की चोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है।

लाइसेंसों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वे निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे। परन्तु यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए कि लाइसेंस ऐसे लोगों के पास हों जिनके पास न केवल रुपया-पैसा हो अपितु साधन भी हों। निजी क्षेत्र की पहली चिन्ता लाभ अर्जित करना होती है और लाभ कमाना ऐसे लोग चाहते हैं जिनके पास पैसा है और जो इसे निवेश कर सकते हैं। यह सही है कि यह सारी बातें नियमों में आएंगी परन्तु उन्हें विधेयक में कुछ व्यापक अहर्ताओं का उपबन्ध किया जाना चाहिए था। किसी व्यक्ति को पारेषण लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए हमें उसकी अहर्ताओं को विधेयक में स्पष्ट करना होगा। नियम बाद में बनाए जाएंगे क्या इन्हें मांगे जाने पर व्यक्तियों और कम्पनियों को दिया जाएगा? उन कम्पनियों को कुछ परीक्षणों पर खरे उतरना होगा और वे परीक्षण कड़े होने चाहिए।

तब हमें कोई आपत्ति नहीं हैं परन्तु ऐसी स्थिति विधेयक में दर्शायी नहीं गई है ।

अब दण्ड पर आता हूं । मैं समझता हूं श्री पी.आर. कुमारमंगलम को दण्ड के बारे में उपबन्धों को पढ़ने का समय नहीं मिला होगा। मैं माननीय मंत्री का ध्यान पृष्ठ 5, खण्ड 6 की पंक्ति 6 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उल्लिखित है :-

"41 क. जो कोई इस अधिनियम या विनियमों या अनुज्ञप्ति की शर्तों के उपबन्धों के उल्लंघन में ऊर्जा के पारेषण का कारोबार करेगा वह जुर्माने से जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"

दण्ड क्या है? 3,000 रुपये का जुर्माना कोई दण्ड नहीं है। अब भी वे इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाएंगे। पिछले कई मौकों पर माननीय मंत्री ने जो भी अच्छे सुझाव दिए गए उन्हें स्वीकार किया था। यदि आप किसी व्यक्ति या कम्पनी या किसी उद्यमी को दण्ड दे रहे हैं तो क्या इतनी कम रकम का जुर्माना करेंगे? यदि वह चोरी करना बन्द नहीं करता है या प्रतिदिन विधि के विरुद्ध कार्य करता है, तो उस पर प्रतिदिन 300 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।

मैं माननीय मंत्री से इस उपाय और दण्ड के अन्तर्गत जुर्माने की राशि पर विचार करने का अनुरोध करना चाहूंगा। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि यदि वह कम्पनी हो तो दण्ड 1 लाख रुपये और यदि कोई व्यक्ति हो तो 10,000 रुपये होना चाहिए और यदि वह कम्पनी या व्यक्ति लगातार विधि का उल्लंघन करता है तो उन्हें अयोग्य ठहराया जाना चाहिए जिससे कि दूसरों को मौका मिले। आप कहते हैं कि दैनिक जुर्माना होगा जिसकी सीमा 300/- रुपये तक होगी। यह पूरी तरह गलत है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस बात को समझेंगे। वे काफी समझदार हैं। उन्हें अब भी इस उपाय को समर्थन नहीं देना चाहिए। परन्तु कभी-कभी मंत्री भी चूक जाते हैं क्योंकि इन सब बातों का प्रारूपण कोई अन्य करते हैं।

इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से दण्ड की राशि को बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। इसे कुछ और कठोर बनाया जाना चाहिए। नियमों को बनने से रोका नहीं जा रहा है। मैं जानता हूं कि कतिपय उपाय पेश किए गए हैं। मैं इस उपाय को अत्यधिक प्रगतिशील मानता हूं।

मैं इस विधेयक का, अपने कुछ संशोधनों के साथ समर्थन करता हूं।

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर (अकोला): अध्यक्ष महोदय, विद्युत विधेयक का सवाल है, मैं विद्युत के शुल्क में वृद्धि के कारण स्थानान्तरित होने वाले उद्योगों के मुद्दे को उठाना चाहता हूं। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जिसने विद्युत क्षेत्र में निजीकरण को आरम्भ किया था। इसे अभी सुव्यवस्थित होना है। परन्तु इसका एक प्रभाव अवश्य हुआ। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे असंतुलन की स्थिति बनेगी और यह असंतुलन यह है कि महाराष्ट्र से उद्योग सिलवासा, दमन और गुजरात में स्थानान्तरित किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले पश्चिमी अंचल के उद्योगों की एक बैठक हुई थी जहां राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तय किए जाने वाले विद्युत शुल्क पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये शुल्क इतने अधिक होने जा रहे हैं कि इसका परिणाम यह होगा कि या तो उद्योगों को स्थानान्तरित करना होगा या बन्द करना होगा। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका औद्योगीकरण ज्यादा हुआ है। महाराष्ट्र उनमें से एक है। यदि नई बनाई नीति का प्रतिकूल प्रभाव उद्योगों पर होगा तो दूसरी ओर इसका प्रभाव कृषि क्षेत्र पर भी होगा।

कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त, गृह उद्योग के उपभोक्ता भी इससे प्रभावित होंगे। वे भी इससे प्रभावित होंगे। उत्तर में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि वे सभी के लिए विद्युत-शुल्क में वृद्धि क्यों कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में इस अत्यधिक शुल्क की गणना की है और इसके परिणाम क्या होंगे। यदि परिस्थितियां ऐसे परिणामों की ओर ले जाएंगी जहां कोई भी इस वृद्धि भार वहन करने की स्थिति में न हो तो मंत्री द्वारा और सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रति-गारन्टी का प्रश्न उठता है। विद्युत बोर्डों का क्या होगा? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि इसका भुगतान संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, मैं समझता हूं कि इन दो महत्वपूर्ण कारणों पर माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यद्यपि वे उत्पादन और आपूर्ति और अन्य बातों के बीच भेद कर रहे हैं फिर भी उन्हें सुरक्षा के पहलू पर भी विचार करना चाहिए। उन्हें सुरक्षा पहलू की व्यवहार्यता पर भी विचार करना चाहिए। मुझे आशा है कि वे इस पर विचार करेंगे और फिर उत्तर देंगे।

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि बिजली की बचत, बिजली का उत्पादन है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। संशोधित विधेयक में मुख्यत: पारेषण

प्रणाली में पारेषण, लाइसेंस और कुछ अन्य परिवर्तनों पर ध्यान दिया गया है। जब तक हमारे पास पर्याप्त विद्युत उपलब्ध नहीं होती तब तक पारेषण का प्रश्न नहीं उठ सकता।

उत्पादन, पारेषण और वितरण तीन अलग अलग क्षेत्र हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस देश के लगभग सभी राज्यों में पारेषण में होने वाली हानि सबसे अधिक है। इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है।

सच यह है कि, पारेषण में होने वाली हानि को कम करने के लिए अबतक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वास्तव में संबंधित विद्युत बोर्डों ने कुछ प्रयास किए हैं परन्तु उनसे कोई ठोस सफलता नहीं मिली है।

मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछ रहा हूं। इस सरकार ने दिल्ली या अन्य राज्यों में विद्युत उत्पादन के लिए क्या कदम उठाए हैं? मंत्री जी क्या आप उन परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे हो जो इस देश में शुरू होने वाली हैं? क्या इसकी सही तरीके से समीक्षा हुई है ?

मैं आन्ध्र प्रदेश का रहने वाला हूं। वहां प्राइवेट पार्टियों को कई विद्युत परियोजनाएं सौंपी गई हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कई परियोजनाओं के संबंध में संबंधित लोगों ने विद्युत उत्पादन के लिए आधारशिला भी नहीं रखी है। उदाहरण के लिए, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं विशाखापतनम एक तेजी से विकसित होता शहर है। सभी दृष्टि से यह बहुत तेजी से विकसित होता शहर है। वहां काफी समय पहले हिंदुजा को एक विद्युत परियोजना दी गई थी। परंतु यह केवल कागजों में ही है। विद्युत खरीद करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। विद्युत खरीद करारों में संशोधन भी किया गया है। उसी प्रकार आंध्रप्रदेश के रामगुंडम में 1994 में बी.पी.एल. को एक अन्य विद्युत परियोजना दी गई थी। 31 अक्तूबर, 1994 को उन्होंने विद्युत खरीद करार पर भी हस्ताक्षर किए थे। उस समय, 500 मेगावाट की विद्युत परियोजना पर केवल 1611 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश किया गया था। बाद में, जो सरकार सत्ता मे आई उसने यह कहना शुरू कर दिया कि यह अनुमान बहुत अधिक था। 1611 करोड़ रुपये के लिए दिए गए अनुमोदन की आलोचना करते हुए उन्होंने विद्युत खरीद करार पी.पी.ए. का संशोधन किया और बाद में वे 2384 करोड़ रुपये का निवेश करने पर सहमत हो गए। उसी प्रकार शुरू में जब हिंदुजा ने वैजाग में 1000 मेगावाट की विद्युत परियोजना की स्थापना करने के लिए बिजली बोर्ड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो अनुमानित निवेश लगभग 2200 करोड़ रुपये का था। अब, मैं नहीं जानता कि क्या यह 6000 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंच गया है या इससे भी अधिक हो गया है।

मुझे पूरा विश्वास है कि यदि किसी विद्युत परियोजना प्रस्ताव की सही ढंग से जांच की जाए, मंत्री जी भी इस बात पर सहमत होंगे कि यह सही ढंग से नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि दरों का भी कुछ पता नहीं। विद्युत दरें काफी कम थीं। मैं नहीं जानता कि ये विद्युत परियोजनाएं कब विद्युत का उत्पादन शुरू करेंगी? जब वे उत्पादन शुरू कर देंगी तो विद्युत की दरें काफी बढ़ जाएंगी जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होंगी। माननीय मंत्री जी से मेरी अपील है कि सबसे पहले उन्हें विद्युत के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद वे पारेषण की सोच सकते हैं और अंत में वे वितरण का भी सोच सकते हैं।

अधिकांश राज्यों में कृषक समुदाय को बिजली के नए कनेक्शन नहीं दिए जाते। उसी प्रकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों कि बस्तियों में विगत में लोगों को विद्युत की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाती थी। अब ऐसा नहीं है। उन बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की कई ऐसी बस्तियां हैं जहां अभी भी बिजली नहीं है। कुछ बस्तियों में बिजली के खंभे लगाए गए हैं। ये खंभे पांच, छह वर्ष पहले लगाए गए थे परंतु अभी तक उनमें बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री और सरकार से मेरी यह अपील है कि विद्युत उत्पादन पर ध्यान दें फिर उसके बाद पारेषण का सोचें।

केवल पारेषण को ही अलग करके देखने से स्थिति में सुधार नहीं होने वाला है। मुझे इसमें आशंका है। जैसा कि प्रोफेसर सोज ने कहा है कि जब तक आप कोई आमूल परिवर्तन नहीं करते तब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला है। 3000 रुपये का जुर्माना कोई जुर्माना नहीं है। जिस व्यक्ति को विद्युत पारेषण का कार्य सौंपा गया है वह कह सकता है, "मेरे पास जुर्माना देने के लिए खुले पैसे नहीं हैं। मैं एक और गलती के बाद 6000 रुपये दे दूंगा।" अगर माननीय मंत्री इस देश में विद्युत से संबंधित स्थितियों में सचमुच सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें इन बातों की जांच करनी चाहिए।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना (मारमागाओ): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना प्रगतिशील विधेयक प्रस्तुत किया है। वास्तव में यह विधेयक यहां बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। देर आयद दुरुस्त आयद।

आज विद्युत देश के विकास की आधारशिला है। हमने देखा है कि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय जो परियोजनाएं अनुमोदित की थीं वे अब तक पूरी नहीं की गई हैं। मैं जानता हूं कि हाल ही में माननीय मंत्री ने विभिन्न राज्यों के विद्युत मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। मैं नहीं जानता कि उस बैठक का क्या परिणाम निकला था। मैं यह अनुरोध करूंगा कि प्रधान मंत्री को इस मामले में स्वयं मध्यस्तता करके विद्युत मंत्रियों के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की एक संयुक्त बैठक बुलानी चाहिए जिससे यदि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित की गई विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के द्वारा बिजली का उत्पादन करने में कोई रुकावट आए तो वे तुरंत कार्रवाई कर सकें।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न कठिनाइयों के कारण निर्धारित की गई कुछ परियोजनाएं शुरू नहीं की गई हैं। अगर आप पारेषण और वितरण पक्ष को देखते हैं तो इसमें भी काफी कमी आई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ राज्यों और दिल्ली विद्युत बोर्ड जैसे कुछ विद्युत बोर्डों में 48 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक हानि होती है?

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पारेषण में ऐसी हानियां क्यों होती हैं इसका तुरंत पता लगाने के लिए एक कार्यदल नियुक्त करें। यह एक अवैध चोरी, हेराफेरी है। वहां के अधिकारियों के साथ सांठगांठ के बिना यह हेराफेरी नहीं हो सकती।

महोदय, मैं इस अधिनियम में दंड के पहलू की जांच कर रहा था। 3000 रुपये क्या हैं? दो तरफ की सजा होनी चाहिए—एक घरेलू हेराफेरी के लिए और एक औद्योगिक हेराफेरी के लिए। आर्थिक

[श्री फ्रांसिस्को सारदीना]

दंड के साथ-साथ, जेल भी होनी चाहिए जिससे वे लोग चोरी करने से डरें।

महोदय, सेंट्रल ग्रिड से विभिन्न राज्यों को विद्युत का आवंटन किया जाता है। परंतु हमने देखा है कि यह आवंटन उन राज्य विशेष को नहीं पहुंचता है। इसका शिकार गोवा भी है जहां का मैं रहने वाला हूं। रामगुंडम और कोरबा से गोवा को 350 मेगावाट विद्युत का आवंटन किया जाना चाहिए। परंतु अब तक हम केवल 200 मेगावाट विद्युत ही ले सके हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि कोल्हापुर और कोंडा के बीच पारेषण लाइन नहीं है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा और इस बात के लिए उनसे आश्वासन लेना चाहूंगा कि पारेषण को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने से पहले वे इस पारेषण के लिए अपेक्षित धन का आवंटन करेंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके बाद कोई इस तरफ ध्यान नहीं देगा। इसमें 150 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर माननीय मंत्री से 150 करोड़ रुपये की इस राशि को स्वीकृति देने का अनुरोध करूंगा जिससे कोल्हापुर और गोवा के बीच संपर्क की कमी को तुरंत दूर किया जा सके और हम गोवा के लिए आवंटित शेष 150 मेगावाट विद्युत का उपयोग कर सकें।

आज, गोवा में भुखमरी है। हमारे उद्योग बिजली की कटौती के कारण अन्य राज्यों के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। बिजली की कटौती के कारण यहां उद्योगों में केवल 6 से 8 घंटे ही काम होता है और इसके साथ ही गोवा में मजदूरी भी महंगी है।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहूंगा और उनसे यह आश्वासन लेना चाहूंगा कि 150 मेगावाट की यह कमी पूरी की जाए। गोवा में उपभोक्ताओं को इस बात की खुशी होगी कि माननीय मंत्री जी ने विद्युत के पारेषण के माध्यम से उनकी मदद की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री के०डी० सुल्तानपुरी (शिमला): स्पीकर सर, आजादी के बाद 1950 में हमारी और चाइना की बिजली पैदा करने की क्षमता एक समान थी। लेकिन उसके बाद हमारे देश की बिजली पैदा करने की क्षमता 90 हजार मेगावाट हुई और चीन की 2 लाख 30 हजार के करीब हो गयी। जहां तक इस बिल का सवाल है, यह ठीक है लेकिन इसमें जो हाईडल और कोयले से बिजली पैदा करने की बात है तो मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि जहां कोयले का भंडार है वहां पर बड़े थर्मल प्रोजेक्ट्स लगाए और जहां पर पानी है वहां पर हाईडल प्रोजेक्ट्स लगाए। अभी पंजाब के साथी कह रहे थे कि पानी के कारण उनकी जमीनें बह गयी हैं तो क्या भारत सरकार ने कभी यह सोचा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं चाहे हिमाचल के हों, गढ़वाल के हों या कश्मीर के हों, उन इलाकों के लोगों को कभी कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। भाखड़ा डैम जो बना है उसमें विलासपुर के लोगों को सफर करना पड़ा, व्यास डैम से भी हमारे लोगों को सफर करना पड़ रहा है। जितने भी हिमाचल के प्रोजेक्ट्स बने। उन्हें उत्तर प्रदेश और राजस्थान को देने के लिए कहा गया है लेकिन राजस्थान सरकार मार-पीट के सिवाय कुछ नहीं करती। हिमाचल प्रदेश में गरीब जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं। वहां आज भी लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। उनको परेशान किया जाता है।

महोदय, हिमाचल प्रदेश में 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। हमने इस पर जो टैक्स लगाया है, उसकी पंजाब की तरफ भी देनदारी है। हमने उनसे 1200 करोड़ रुपये लेने हैं। मंत्री महोदय कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश गए थे। उनके नोटिस में यह बात लाई गई होगी। वहां बी.जे.पी. की सरकार है। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बी.जे.पी. की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में वोट भी इस आधार पर लिए गए कि यहां बी.जे.पी. की सरकार बनने से हिमाचल प्रदेश में खुशहाली आएगी। हिमाचल प्रदेश का जो बकाया है, वह उसे दिया जाए। पिछली बकाया राशि को खत्म करने की साजिश की जा रही है। आज हिमाचल प्रदेश में भी पौल्यूशन हो रहा है। वहां के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का करोड़ों रुपया बकाया है। वह बड़े-बड़े आदमियों और उद्योगपतियों की तरफ बकाया है लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती। हिमाचल प्रदेश के किसान लगातार यह मांग कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाए।

बिल में लाइसेंस देने की जो बात कही है, वह किन को दिया जाएगा, यह नहीं बताया गया। लाइसेंस लेने के बाद कोई गड़बड़ करेगा तो उसको क्या सजा मिलेगी? क्या इसके लिए बाद में अधिनियम बनाया जाएगा? अधिनियम बनाने में बहुत समय लग जाएगा। पता नहीं तब तक यह सरकार रहती है या नहीं? जयललिता जी आपको बराबर धमकी दे रही हैं। आप दोनों तरफ मंत्री रहे हैं। आप एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं और फ्रीडम फाइटर के सुपुत्र हैं। आप हिमाचल प्रदेश पर कुछ कृपा करें क्योंकि यह सरकार थोड़े दिनों की है। इस बीच में आप कुछ कीजिए ताकि हमारा काम ठीक हो सके। कहा जाता है कि हमें 15 परसैंट 25 परसैंट बिजली मिलेगी। पंजाब वाले कहते हैं कि हमें हिस्सा दो। उन्हें किस बात का हिस्सा दें? जोगिन्द्रनगर का जो बिजली प्रोजेक्ट है, उसमें से सारी बिजली पंजाब लेगा, यह कहा गया है। यह ठीक नहीं है। हमारा हरियाणा की तरफ बकाया पैसा है। वह हमें देने के लिए तैयार नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गए। इस संबंध में सरकार सारे केस वापस ले। वहां धूमल जी की सरकार है। आप उन्हें पैसा दें ताकि हिमाचल प्रदेश तरक्की कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव (मछलीपतनम्) : कृपया सबको केवल दो मिनट बोलने की अनुमति दीजिए। कुछ और सदस्य भी हैं, कृपया उन्हें भी बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। हमें नियम 193 के अंतर्गत भी चर्चा करनी है।

श्री के०एस० राव : ठीक है। आप प्रत्येक के लिए दो मिनट का समय नियत कर रहे हैं। आप अधिक समय नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर भी नियम 193 के अधीन चर्चा होनी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगर 193 पर डिसकशन नहीं होगा तो उनके साथ डिसक्रिमिनेशन हो जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके दल से एक माननीय सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। कृपया सहयोग दीजिए। अगली बार मैं आपको अनुमति दूंगा। श्री राव, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुशील कुमार सिंह कृपया इस बार मुझे सहयोग दीजिए।

(व्यवधान)

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : मैं उम्मीद करता हूं कि विद्युत मंत्री पर कोई जुल्म नहीं होगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पी०सी० थॉमस (मुवतुपुजा) : महोदय, कम से कम एक और दल को मौका दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय के जवाब के बाद, आप प्रश्न पूछ सकते हैं या स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका तथा माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, मुझे कहना चाहिए कि विद्युत के क्षेत्र में चिन्ता व्यक्त की है।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। चाहे यह संयोगवश था अथवा अकस्मात् ही ऐसा हो रहा है लेकिन बहुत ही रुचिकर मुद्दे सामने आए हैं।

इससे पहले कि मैं उठाए गए मुद्दों का जवाब दूं, मैं इस विधेयक की पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा, जिसका मैं उल्लेख करूंगा और फिर इन मुद्दों का जवाब दूंगा।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 1910 के भारतीय विद्युत अधिनियम ने विद्युत लाइसेंसधारियों को नगरों में विद्युत की आपूर्ति का अधिकार प्रदान किया था। वर्ष 1947 में यह निर्णय लिया गया था कि नगरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत की आपूर्ति की जानी चाहिए। इसलिए अधिनियम, 1948 बनाया गया। इससे स्टेट ग्रिड को समन्वित ग्रिड में मिला दिया गया और राज्य विद्युत बोर्ड स्थापित किए। इस प्रकार पहली बार विद्युत बोर्डों को अपना अस्तित्व प्राप्त हुआ। इस अधिनियम द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना भी की गई।

हालांकि, 1910 के अधिनियम में लाइसेंस देने की अनुमति दी गई थी, लेकिन शुल्क का निर्धारण बाद में केवल 1948 के अधिनियम की छठी अनुसूची में किया गया था। वर्ष 1960 के दशक में सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्षेत्र गठित करने के लिए राज्यों को एक साथ मिला देना चाहिए और ग्रिड को क्षेत्रीय स्तर पर मिला देना चाहिए। इसलिए आर.एल.डी.सी. और आर.ई.बी., जिसका उल्लेख किया गया है, स्थापित किए गए थे। यह आश्चर्यजनक है कि उन्हें वर्ष 1991 में वैध करार किया गया था। हालांकि वास्तव में उन्होंने 1960 के दशक में कार्य करना आरम्भ कर दिया था, उस समय इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी।

1980 के दशक में, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जबकि हमें एक राष्ट्रीय ग्रिड की आवश्यकता हुई। उस समय पावर ग्रिड कार्पोरेशन को कानूनी दर्जा प्रदान करना और पारेषण को एक स्वतंत्र कार्य के रूप में पृथक करना लगता है। यह आश्चर्यजनक है कि लाइसेंस के अनुसार पावर ग्रिड एक उत्पादन करने वाली कम्पनी है। इस संशोधन के बिना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां एक कम्पनी, जो कि मूल रूप से पारेषण कम्पनी है, उसे विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनी माना जा रहा है क्योंकि विधान पारेषण को पृथक रूप में नहीं देखता है।

मेरे अनेक माननीय मित्रों ने यह उल्लेख किया है कि पारेषण उत्पादन और वितरण का अभिन्न अंग है। मैं इससे इंकार नहीं करता क्योंकि जब हम विद्युत की बात करते हैं तो हम इसके उत्पादन से अपनी बात आरम्भ करते हैं और विद्युत के वितरण और इसके निष्प्रभाव के साथ इसे समाप्त करते हैं। लेकिन यह दोनों इस तरह से हैं जैसे हम कानूनी भाषा में 'एक और पृथक' कहते हैं। पारेषण को पृथक किया जा सकता है क्योंकि आज इस ओर इस प्रकार ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अनेक माननीय सदस्यों ने यह उल्लेख किया है कि जब हम उत्पादन पर एक रुपया खर्च करते हैं तो हमें एक अन्य रुपया पारेषण पर भी खर्च करना चाहिए और ऐसा करने में असफल रहने पर ही अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। वास्तव में, आज ऐसी स्थिति है जहां मांग और पूर्ति की दृष्टि से विद्युत की वास्तविक कमी केवल नौ प्रतिशत है। लेकिन जब एक उपभोक्ता के रूप में हम बिजली की कटौती और बिजली की किस्म को देखते हैं तब हमें यह विद्युत की कमी लगभग 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक प्रतीत होती है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्ततः उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत का उपयोग नहीं होता है। या तो इसकी चोरी हो जाती है अथवा पारेषण और वितरण में कमी होती है। अन्य कई तरीकों से भी विद्युत में कमी हो रही है। लेकिन अन्ततः यह उपभोक्ताओं के पास नहीं पहुंच रही है। विद्युत के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने की बहुत आवश्यकता है जैसा कि माननीय सदस्य श्री प्रकाश अम्बेडकर द्वारा उल्लेख किया गया है। उन्होंने यह कहा कि विद्युत के क्षेत्र में उत्पादन लागत चिन्ता का कारण बन रही है कि अन्ततः शुल्क क्या निर्धारित किया जाएगा। महोदय, मैं आपके द्वारा उन्हें बताना चाहता हूं कि एक संयंत्र से इतनी अधिक चिन्ता की आवश्यकता नहीं है। विगत में देखा गया है कि जब भी निजीकरण किया जाता है, सामान्य रूप से जिसे कोर कमांड इकॉनमी मोनोपली सैक्टर एरिया कहा जाता है, प्रारम्भ में इसमें प्रतिस्पर्द्धा की कमी होगी और कीमतें अधिक होंगी। निजी क्षेत्र के प्रारम्भिक दो एक संयंत्रों की स्थापना के बाद कीमतें अधिक होंगी। अभी हाल ही में समाचार पत्रों में मेरी आलोचना की गई है जब मैं यही बात कह रहा था कि समय की मांग यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको भारत के लोगों के लिए उपयुक्त कीमतों पर विद्युत उपलब्ध होती है, प्रतिस्पर्द्धात्मक तरीके से विद्युत का उत्पादन किया जाए। मुझे यह कहकर सब जगह से काफी आघात पहुंचाया गया था कि मैं दिन में सपने ले रहा हूं। लेकिन मैं आपके द्वारा इस सभा

[श्री पी०आर० कुमारमंगलम]

को आश्वासन दिलाता हूं कि जो तरीके हम अपना रहे हैं वह हमें पिछले छह अथवा सात वर्षों के अनुभव से प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यह हमें जादू से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने हमें यह समझाया है कि निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित विद्युत की कीमतें भी सही और प्रतिस्पर्द्धात्मक हो सकती हैं। वास्तव में, कुछ मामलों में मुझे आशा है कि निजी क्षेत्र में उत्पादित विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादित विद्युत से अधिक उपयुक्त मूल्यों में उपलब्ध हो। लेकिन इसका यह अर्थ बिलकुल नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र असमर्थ है।

जहां तक कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है, मैं पूरे अधिकार से कह सकता हूं कि उन्होंने विद्युत क्षेत्र के लिए काफी अच्छा काम किया है। एन.टी.पी.सी. ने निवेश के केवल 12 प्रतिशत प्रतिफल से 2,000 करोड़ रुपये से ऊपर का लाभ कमाया है। कार्य-कौशल के इस स्तर को प्राप्त करना मजाक नहीं है। इस स्तर को प्राप्त करना निजी क्षेत्र के लिए कठिन होगा। निश्चय ही, कुछ संरक्षण ऐसे हैं जो कि आप निजी क्षेत्र को प्रदान नहीं करते हैं। यह चीज हमेशा रही है। लेकिन मुझे इस बात का अवश्य उल्लेख करना चाहिए कि यह विधेयक पारेषण का निजीकरण नहीं कर सकता है। पिछले छह दिनों से यह लगातार दोहराया जा रहा है कि यह विधेयक पारेषण का निजीकरण करता है। नहीं, यह पारेषण का निजीकरण नहीं करता है। इस विधेयक में यह उपबंध है कि पारेषण केन्द्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और राज्य विद्युत बोर्ड के पास रहेगा। यह सरकारी बोर्ड अथवा सरकारी कम्पनी होनी चाहिए। यह विधेयक जिस बात की अनुमति देता है वह यह है कि पारेषण सेवा उपलब्ध कराने के साथ-साथ यह इस बात की अनुमति देता है कि यदि कोई निवेश करना चाहता है अथवा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगे आता है तो पारेषण सेवा मूल्य देकर उन सेवाओं का लाभ उठा सकती है जिनका नियामक प्राधिकरण अथवा आयोग द्वारा पुनरावलोकन किया जाता है। मेरे विचार में इस बात का उल्लेख करना मेरे लिए महत्वपूर्ण है।

श्री के०एस० राव : भूमि कौन देगा?

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : अधिनियम में भूमि अधिग्रहण का प्रावधान है। जैसाकि तार अधिनियम में प्रावधान है, इसमें भी अधिग्रहण करने के लिए आपात शक्तियों का प्रावधान किया गया है। मैं प्रत्येक उपबंध को पढ़ सकता हूं, परन्तु यही स्थिति है। मैं यह बात बताना चाहता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : एक तरफ आप कह रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा साथ ही आप कह रहे हैं कि कोई प्रतिबद्धता के साथ आगे आयेगा। इसका क्या अर्थ है?

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : निजीकरण अर्थात् विद्युत के पारेषण के लिए उत्तरदायी रहना, विद्युत के पारेषण का प्रबन्ध करना, विद्युत को एक स्थान 'क' से 'ख' तक ले जाने की व्यवस्था करना और विद्युत के परिमाण और विद्युत की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी रहना और यही इसकी उपयोगिता है।

यहां पर यह पट्टे पर लिए जाने के समान है--यदि कोई इसे सामान्य ढंग से कहे तो--एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या सरकारी निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गई सुविधा। यह एक ऐसी स्थिति नहीं है जहां हम कह सकते हैं कि यह भवन आपका है और इसीलिए यदि कम्पनी इसे पट्टे पर लेती है तो आपने इसे सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी से खरीद लिया था। यह केवल सुविधा को उपलब्ध कराना है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बुनियादी ढांचे की सुविधा है।

ऐसा अपना नियंत्रण रखते हुए निवेश करने के लिए किया जाता है। ऐसा नियंत्रण को खोये बिना ही निवेश करने के लिए है क्योंकि ग्रिड का नियंत्रण, ग्रिड का प्रबन्ध और ग्रिड का संचालन केन्द्रीय सेवा के पास ही रहेगा जोकि एक सरकारी कम्पनी है। मेरा तात्पर्य है कि हम बात को घुमा फिरा कर कह रहे हैं। हम केवल यह कर रहे हैं कि हम विद्युत क्षेत्र में एक ऐसी अवधारणा को लाने जा रहे हैं कि कोई भी धन-सम्पन्न व्यक्ति जो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है वह इन्हें उपलब्ध कराएगा और आपको उसको प्रयोग में लाने का प्रस्ताव देगा। यह बात भी है कि वह इन्हें स्थापित करने से पहले वे आपसे पहले प्रस्ताव करने के लिए कहेगा। यदि प्रस्ताव केन्द्रीय सेवा को स्वीकार्य होगा तो वह सेवा इसकी सिफारिश करेगी तत्पश्चात् उसे निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति दी जाएगी। वो जो भी दर शुल्क के रूप में सामान्यत: तय करेगा, उसे पट्टा कह सकते हैं और इसकी समीक्षा विनियामक आयोग खुली सुनवाई में करेगा और बन्द कमरों में कुछ भी कारवाई नहीं की जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या नियंत्रण को खोये बिना इससे अधिक पारदर्शी व्यवस्था कोई हो सकती है।

आवश्यकता के समय सहायता करने के लिए मैं स्थायी समिति की प्रशंसा करता हूं। यह मेरा कार्य नहीं है। स्थायी समिति ने इसका गहन अध्ययन किया था और सिफारिशें की थीं। समिति ने विशेष रूप से यह सिफारिशें कीं कि हमें पारेषण पर नियंत्रण को अपने पास बनाए रखना चाहिए, साथ ही निजी निवेश की भागीदारिता की सम्भावना को भी सुनिश्चित करना चाहिए और इसी के साथ विकास को भी सुनिश्चित करना चाहिए।

मेरे विचार से यह एक बहुत ही उत्कृष्ट विधेयक है। यह मेरा विधेयक नहीं है, मेरा तात्पर्य है कि मेरे मंत्री पद संभालने के बाद मैंने इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। यह एक ऐसा विधेयक है जो संसद के समक्ष पहले भी प्रस्तुत हो चुका है। इस पर स्थायी समिति द्वारा विचार-विमर्श भी किया जा चुका है। इस पर चर्चा भी हो चुकी है और इसे निरनुमोदित भी किया जा चुका है। परन्तु जब मैंने इस विधेयक का गहन अध्ययन किया तो मैंने महसूस किया कि यह बहुत ही अच्छा विधान है जोकि विद्युत क्षेत्र के लिए मेरे ध्यान में आया है, इसीलिए मैं इसे संसद में लाया हूं।

मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि पहले वक्ता श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण ने कतिपय बातों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया है। इनमें से एक पारेषण लाइनों को उपयोग में लाने के लिए भुगतान योग्य टैरिफ के बारे में थी। उन्होंने पूछा था : इसका निर्धारण क्यों किया जाना चाहिए, हमने निर्धारण के लिए यह छूट क्यों दी है, हमें सरकार या केन्द्रीय विद्युत विनियात्मक आयोग को छूट देने की अनुमति क्यों देनी चाहिए इत्यादि।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस प्रतिष्ठित सभा को यह भी बताना चाहूंगा कि वस्तुत: आज हमने केन्द्रीय विद्युत विनियात्मक आयोग का गठन किया है और इसके गठन की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। मुझे सुखद आश्चर्य होता है और मैं सहर्ष सभा को यह

सूचित करता हूं कि मेरे गृह राज्य, तमिलनाडु, एक ऐसे राज्यों, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और उड़ीसा के बाद, में से एक है जिन्होंने अधिसूचना जारी की है और माननीय अध्यक्ष इसका गलत अर्थ न लें। आंध्र प्रदेश ने अपने विधेयक को विनियमित किया है और अपना अधिनियम बनाया है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश, हरियाणा और उड़ीसा में उन्होंने अपने विधान बनाए हैं।

इसके बारे में अफवाहें फैलायी गईं और इसे अन्यथा लिया गया था। वास्तव में मेरे मित्र श्री सुलतानपुरी ने भाषण में हमारी सहयोगी पार्टी, ए.आई.ए.डी.एम.के. के बारे में कुछ अवमानना के साथ उल्लेख किया था। और कहा था कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं था। मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग/राज्य विद्युत विनियामक आयोग के लागू होने के बारे में अधिसूचना जारी की है। उन्होंने एक चयन समिति को अधिसूचित किया है और वे तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग का गठन करने जा रहे हैं। इसी प्रकार ऐसे 12 राज्य हैं जिन्होंने विद्युत विनियामक आयोगों के लिए आवेदन दिया है। उस समय इस प्रकार की बहुत आलोचना हुई थी कि हमने राज्यों को विकल्प दिया है, हमने अधिनियम को निष्प्रभावी बना दिया है और अधिनियम का पूरा उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। महोदय, अन्ततः हमें समय ने सिद्ध करके दिखा दिया है कि कौन गलत है और कौन सही। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई गलत है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में मेरा विश्वास और समय की बाध्यताओं के प्रति मेरी आस्था, विनियामक आयोगों और अब इस विधेयक के सम्बन्ध में उठाए जा रहे कदमों के सम्बन्ध में, सही सिद्ध हुई है। मैं संशोधनों के सम्बन्ध में, काफी समय से मानता रहा हूं कि हम सुधार प्रक्रिया को दृढ़ता प्रदान कर सकेंगे और सुधार प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाकर, मुझे पूरा विश्वास है कि हम वर्ष 2007 तक शायद इस उद्देश्य को सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारा राष्ट्र भी उन विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा हो जिनके पास विद्युत की कोई कमी नहीं है।

मेरे अच्छे दोस्त प्रो० सैफुद्दीन सोज़ द्वारा एक प्रश्न उठाया गया था कि सलाल विद्युत परियोजना घाटी को विद्युत की आपूर्ति करता है और भारत सरकार या पावर ग्रिड ने उनकी कोई सहायता नहीं की। यह उनका आरोप था। मैं उनको आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि सलाल विद्युत परियोजना घाटी को जम्मू और कश्मीर विद्युत विभाग के कृष्णपुर-पम्पोर 220 कि.वॉ. डबल सर्किट के द्वारा विद्युत की आपूर्ति करती है। इस जल विद्युत परियोजना के शुरू होने के पश्चात्, जैनकोट उप-स्टेशन के प्रतिष्ठान वागन पारेषण के कारण घाटी में विद्युत आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है। मैं केवल उन्हें अद्यतन सूचना प्रदान कर रहा हूं। कुछ नामों को उच्चारित करने के लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है।

दण्ड के सम्बन्ध में, मैं मेरे माननीय मित्र प्रो. सोज को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह एक बहुत अच्छा परामर्श है परन्तु दुर्भाग्यवश यह एक संशोधन है जोकि 1910 के वर्तमान अधिनियम के भाग के रूप में लाया जा रहा है। 1910 के अधिनियम में धारा 41 के साथ धारा 41(क) जोड़ा जा रहा है जिसमें यही कहा गया है। हमने महसूस किया कि जब हम व्यापक विधेयक को लाएंगे तब हम विशेष रूप से संशोधनकारी और जुर्माने की राशि को बढ़ाने वाले संशोधन लाएंगे। हम इसे एक साथ करेंगे क्योंकि हमने सोचा था कि बिना अनुज्ञप्ति के आपूर्ति प्रदान करने वालों को दिए जाने वाला दण्ड ही पारेषण के लिए भी उपयुक्त होगा। अन्यथा अधिनियम में असंतुलन उत्पन्न होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब हम इसे लाएंगे, हम दण्ड को और अधिक कड़ा बनाएंगे जिससे कि यह प्रासंगिक बना रहे।...*(व्यवधान)*

परन्तु मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि विद्युत की चोरी के लिए दण्ड दूसरा है। चोरी के लिए दण्ड का उपबन्ध धारा 39 और 40 के अन्तर्गत किया गया है। मैं चोरी नहीं होने की स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। यह तो ऐसी बात हो गई कि मेरे पास एक निजी जेनेरेटर है और मैं आपको विद्युत की आपूर्ति करता हूं और इस बात के लिए दण्ड दिया जाए। अब आपके पास कई निजी क्षेत्रों से होकर जाने वाली एक निजी पारेषण लाइन भी है जहां उप-स्टेशन से सीधे एक केबल लेकर कुछ घरों के लिए विद्युत का पारेषण किया जाता है। यह सारी प्रक्रिया एक निजी नेटवर्क है जहां किसी प्रकार के बिलों का भुगतान नहीं होता है अपितु मात्र व्यय का ही भुगतान किया जाता है। ऐसा कुछ इलाकों में हो रहा है। कुछ कालानियों में ऐसी व्यवस्था है। ऐसा अति आधुनिक शहरों जैसे दिल्ली में भी हो रहा है। एक बात नोट करने के लिए महत्वपूर्ण है कि इसमें चोरी के लिए जुर्माने का प्रावधान है। परन्तु ऐसी अवैध आपूर्तियों में भी, मैं मानता हूं और सदस्यों से सहमत हूं कि हमें इसे न केवल इसे पारेषण आपूर्ति में अपराध के लिए बढ़ाना होगा अपितु उत्पादन और वितरण के लिए भी बढ़ाना होगा। परन्तु इसे एक साथ करना होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम ऐसा विधान संसद में लाएंगे। मैंने काफी समय ले लिया है।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना (मारमागाओ) : कोल्हापुर से पोन्डा के बीच की लाइन को मजबूत बनाया जाना चाहिए।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : उस सम्बन्ध में, मैं आपको सूचित करूंगा।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : इस बात का उत्तर नहीं दिया गया कि इसका उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि इससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम पारेषण लाइनों को स्थापित करने में विलम्ब करते हैं तो फिर हमारे पास क्या विकल्प बचते हैं? एक विकल्प है : मैं कहता हूं कोई निजी निवेश नहीं होगा। मेरे पास निवेश के लिए धन नहीं है। इसीलिए यह बात उठेगी ही नहीं।

देश में उतना धन निवेश करने के लिए उपलब्ध नहीं है जितना कि आवश्यक है। यदि उनके पास पारेषण लाइनें नहीं होंगी तो पूर्वी क्षेत्र में अनुपयोगी उत्पादन के रूप में होने वाली हानियां, क्षमता का 2000 मेगावाट होंगी। हमें मदद करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा क्योंकि इस विद्युत को बाहर भेजने की और कोई सुविधा नहीं है। इस समय उस विद्युत को उड़ीसा से तमिलनाडु भेजने के लिए आपको विद्युत 1.60 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। यह पूरा उत्तरी अंचल से घूमकर फिर दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचेगी। इसकी लागत लगभग 80 पैसे आती है क्योंकि इसका रास्ता काफी लम्बा है। यह पूर्व से उत्तर जाती है और फिर उत्तर से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण पहुंचती है। अर्थात वे इससे ज्यादा घुमावदार रास्ते के बारे में सोच नहीं सकते! यह लगभग वैसी ही बात है जैसे पीछे से हाथ ले जाकर नाक पकड़ने की कोशिश करना। ऐसा इसीलिए क्योंकि लाइनें उपलब्ध नहीं हैं।

[श्री पी०आर० कुमारमंगलम]

यदि आज हमारे पास निवेश करने के लिए धन उपलब्ध नहीं है फिर भी हमें कल उस लाइन का निर्माण उस विशेष अवस्था में सुविधा पहुंचाने के लिए करना पड़ेगा। आपको (क) आज, आपको पारेषित किए जाने वाली विद्युत के लिए अधिक मूल्य देना पड़ सकता है; और (ख) वास्तव में आपको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां आप आपूर्ति करने में सक्षम ही नहीं रह जाएंगे। इसीलिए एक लाइन अपेक्षित है। इसका निर्माण उस समय हो जाना चाहिए जब इसकी आवश्यकता हो। यदि आप अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो यह और अधिक सस्ती हो जाएगी। इसीलिए योजना में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि इस बात का निर्णय पारेषण सेवा करेगी कि निवेश के लिए कहां और क्षेत्र को खोला जाए। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी कहीं पर भी लाइन बिछा ले और मांग करें क्योंकि इसे परिपथ में से होकर आना चाहिए। इसका मूल्य किफायती होना चाहिए। इससे मूल्य उस स्तर से ऊंचा नहीं जाना चाहिए जहां पर उपभोग सम्भव है। इसीलिए पारेषण सेवा को सिफारिश करने का प्राधिकार दिया गया है। विनियामक आयोग जो जन सुनवाई करता है, मूल्य को स्वीकृति देगा। इसमें पर्याप्त संरक्षण है और यह पर्याप्त पारदर्शी है। मैं उसके बारे में बिलकुल चिंतित नहीं हूं। मैं कहूंगा कि उसका कोई प्रभाव नहीं है। आपको विद्युत उपलब्ध कराने की लागत की तुलना में वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन करना होगा, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको यह सस्ती पड़ेगी, किंतु यदि आप उसे अनिवार्यत: करते हैं और हम मानते हैं कि आप मुझे सरकारी अनुदान दें या आप मुझे बजटीय आबंटन उपलब्ध कराएं तो निश्चित रूप से यह सस्ती होगी क्योंकि बजटी धन का कोई मूल्य नहीं होता है।

यदि मैं निजी व्यक्ति से धन लेता हूं तो मुझे ब्याज अदा करना पड़ेगा। मुझे निवेश पर लाभ देना पड़ेगा। इसलिए स्वाभाविक है कि अन्तर होगा, किंतु धन कहां है? आप कितने समय तक निवेश की प्रतीक्षा करेंगे। ये वास्तविक और गंभीर मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि हम 2000 रुपये, 5000 रुपये या 10,000 रुपये की बात नहीं कर रहे हैं अपितु हम 100,000 और 150,000 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं। इसलिए हमें नई और प्रखर विधियां विकसित करनी होंगी जिनके द्वारा हम नियंत्रण न खो दें, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो और ये जनता तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए मैंने कहा है कि यह अब ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे ऐसे क्षेत्र के रूप में देखा जाए जिसका निजीकरण या राष्ट्रीयकरण का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई उत्तर नहीं है। आज ये जादुई शब्द काम नहीं करेंगे। जनता लक्ष्य की पूर्ति चाहती है वे ऐसे मूल्य पर बिजली की आपूर्ति चाहते हैं जिसे वे वहन कर सकें। वे हमें इस पैमाने से नापने जा रहे हैं।

मुझे खेद है कि मैंने अधिक समय लिया है, किंतु गोवा लाइन के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि कोल्हापुर से गोवा तक भी एक 400 के.वी.ए लाइन है। मैं आपको बता दूं कि 160 कि.मी. लम्बी इस लाइन का निर्माण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है और यह निर्माणाधीन है। इसलिए शीघ्र यह लाइन पूरी हो जाएगी।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : आज गोवा के लोग राज्य में बिजली की कमी के लिए हमारे माननीय मंत्री को दोष दे रहे हैं। किंतु उनके हाथ बंधे हैं। आज राज्य में केवल 200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है जबकि खपत लगभग 300 मेगावाट है।

महोदय, इस लाइन का निर्माण युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं पुन: अपने मित्र को स्थिति स्पष्ट करूंगा।

आज पश्चिमी क्षेत्र में कोल्हापुर से 220 किलोवाट की डी.सी. लाइन और दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक में सुपा से 220 किलोवाट और 132 किलोवाट की लाइनें हैं। इसलिए आपके माध्यम से भविष्य के लिए मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि इस 160 कि.मी. लम्बी लाइन के लिए 400 किलोवाट एडवांस ए.सी. लाइन लाई जाएगी। इसे स्वीकृति मिल गई है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि शीघ्र ही गोवा बिजली की कमी को अतीत और इतिहास की बात के रूप में भूल जाएगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सभा के माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं। वास्तव में यह एक सर्वसम्मत विधेयक है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार) : अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में यदि सबसे खराब स्थिति कहीं है तो वह बिहार है। ...*(व्यवधान)* यदि आप हवाई यात्रा करते हैं तो जहां सबसे बड़ा ब्लैक स्पाट नजर आए समझ लीजिए कि वह बिहार है।...*(व्यवधान)* वहां के लिए कमीशन में कुछ नहीं कहा गया। ...*(व्यवधान)* नबी करीम सुपर थर्मल पावर प्रपोज्ड है। मैं जब भी मंत्री जी से बिहार के बारे में कहता हूं तो माथा पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम बिहार के बारे में कह रहे हो। ...*(व्यवधान)* लगभग 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। बिहार में मात्र 300 से 400 मेगावाट प्रतिदिन का जनरेशन है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुशील कुमार माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह : वहां पांच प्रतिशत गांवों में भी बिजली नहीं है। ...*(व्यवधान)* बिहार के लिए स्पेशल पैकेज के बारे में कुछ कहें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार राज्य के सदस्यों ने बिजली की स्थिति पर जोरदार शब्दों में अपने विचार रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में भी बोलिए।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं बिहार में बिजली की कमी को जानता हूं और इसके कई कारण हैं।

महोदय पारेषण के संबंध में मैं जिस क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार में बिजली की

कमी उप-पारेषण समस्या के कारण है अर्थात मुख्य ग्रिड के बाद आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है।

महोदय बिहार में हमारे समक्ष बड़ी समस्याएं हैं। बिहार में मुख्य समस्याए सफेद हाथियों की है जैसा कि श्री राजो सिंह ने भी उल्लेख किण है मैं कह सकता हूँ कि जब आ.ई.सी. श्रृण देता है तो श्रृण अवधि के अतं में या भृणावधि के दौरान सामान्यत: उससे पर्यवेक्षण की अपेक्षा की जाती है कि कीसी विशेण उप पारेषण सेक्टर का निर्माण किया गया है। किंतु बिहार में यह होता है कि जब हम वहां सर्वेक्षण, परियोजना को अंतिम स्वीकृति के लिए जांच हेतु जाते है तो हमें बताया जाता है कि पारेषण टावरों से तार्बे की सभी लाइनें टूट गई है और नेपाल चली गई है। या हमें बताया जाता है कि चोरों ने तारों को काट दिया है व उनकी सिल्ली बना दी है। हमाने समक्ष एक बड़ी कठिनाई है। आर.ई.सी. को धन स्वीकृत करना बहुत आसान है किंतु धन स्वीकृत करने के बाद यह सुनिश्चित करना कि काम किया गया है यह मात्र एक दिखावा है जैसा कि भी राजो सिंह ने उल्लेख किया है।

दुर्भाग्यवश यह बिहार राज्य बिजली बोर्ड का उत्तरदायित्व है। हमने राज्य सरकार के साथ कुछ विचार-विमर्ग किया है। हम स्थिति में सुधार के लिए भरसक प्रयास कर रहे है।

महोदय, नबीनगर परियोजना के संबंध में मैं अपने मित्रों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि शीघ्र ही यह एक मेगा परियोजना बनेगी जहां पर 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह इस नई मेगा परियोजना स्कीम के अन्तर्गत किया जा रहा है जिस पर मंत्रिमंडल विचार कर रहा है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूँ। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी लोग आर.ई.सी. के बारे में जानने के इच्छुक हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती उषा मीणा (सवाईमाधोपुर) : राजस्थान में नर्सरी नाम से एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को बिजली के खम्भे के पैसे देने पड़ते हैं, क्या उस योजना को समाप्त करने का विचार है?

[अनुवाद]

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। ग्रामीण विद्युतीकरण निगत मूलत: एक ऐसी कंपनी है जो तीन प्रमुख कार्य करती है। इसकी एक कार्य राज्य बिजली बोर्ड को ग्रामीण पारेषण नेटवर्क स्थापित करने में समायता करा है, दूसरा, अर्जित करने की बात करता है अर्थात कृषि में पम्पसेटों की स्थापना के लिए जैसा इसे कहा जाता है अंतिम किलोमीटर के लिए अतिरिक्त श्रृण उपलब्ध कराना, तीसरा, इसने कुटीर ज्याति योजना चलाई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक कुटिया के लिए बिजली का कनेक्शन लेने हेतू हम 1000 रुपये देतें हैं। अन्तत: ये सभी वित्तीय संगठन और वित्तीय कार्यकलाप हैं। वास्तविक निर्माण राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जाता है। मेरे विचार से हमें इस बात को समझना चाहिए। अनेक संसद सदस्य मेरे पास आ यह कहते है कि उनके निर्वाचन क्षेत्रो में कुछ ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाए जाने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि यदि यह राज्य बिजली बोर्डों के माध यम से किया जाता है तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यदि इसके लिए संसद सदस्य ने कहा है ता तब इस पर और ध यान दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को इस बात की जानकारी है कि किसी भी नई जल विद्युत परियोजना के संबंध में राज्य को 12 प्रतिशत निशुल्क बिजली दी जाती है जो कराधान का एक अप्रत्यक तरीका है। वास्तविक समस्या बी.बी.एम.बी. के संबंध में है। जब इसका निर्माण किया गया था तो कोई कर नहीं लगउया गया था या निशुल्क बिजली दी जाती थी, आज इस विद्युत गृह से 9 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध ा है। मेरे विचार से यह सुनकर विपक्ष के नेता श्री शरद पवार भौंचक्के रह जाएंगे। यह एक कारण हो सकता है कि पंजाब कृषि के लिए बहुत ही कम टैरिफ की बात कर सकता है। हमने उत्तरी क्षेत्र के चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। हमने उसके समाध ाान की योजना बनाई हैं। सब के तुरंत बाद पहले सप्ताह या बज भी समय मिलगा हम इस बारे में बैठक करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : पिछले 50 वर्षों में जो विद्युत अव्यवस्था फैली है, उसका निराकरण मंत्री जी कैसे करेंगे? इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य के गांवो में फर्जी विद्युतीकरण हुआ है। गांव के लोग परेशान हैं, क्योंकि नए कनेक्शन इसलिए मिलने मुश्किल हैं कि रिकार्ड में और कागजों में दर्ज है कि यह गांव विद्युतीकृत हो चुका है। लगता है ऐसा भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने विश्व बैंक से पैसा लेने के लिए किया होगा, लेकिन लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा है। इस प्रकार से फर्जी विद्युतीकरण जिन गांवों में जिस राज्य सरकार के समय हुआ, उसकी जांच करा कर क्या उन अधिकारियों को आप दंडित करेंगे? इसके अलावा में एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि टिहरी पन-बिजली परियोजना रुकी पड़ी है, अगर यह ठीक समय पर पूरी हो जाती तो करोड़ो रुपया तो बचता ही, साथ ही साथ समस्त उत्तर भारत मे बिजली की समस्या का समाधान भी हो जाता। यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी क्या आप उत्तर प्रदेश से संबंधित मुद्दों पर बोलना चाहेंगे?

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : टिहरी परियोजना के संबंध में मुझे आशा हे कि कार्यकुमानुसार टिहरी परियोजना में बर्ष 2002 तक 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन गुरु हो जाएगा। सभा के ध्यान में लाई गए पुनर्वास समस्या के बारे में मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि हम न केवल इस पर ध्यान देंगें अपितु मैं व्यक्तिगत रुप से यह जानने के लिए टिहरी जा रहा हूँ कि समस्याएं क्या है। राज्य सरकार ने स्थानीय विधामकों और संसद सदस्य का एक कार्यबल गठित किया है। मैने राज्य सरकार को यहां तक कहा है कि यदि उन्हें अपनी डक्विटी कैशेयर देने में कोई कठिनाई है तो हम इसे देगें किंतु उन्हे विद्युत के संबंध में अपना हिस्सा खोना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि यह परियोजना जारी रहेगीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 13 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.27 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा नियम 193 के अधीन मद सं. 9 पर चर्चा करेगी। श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं बहुत दुख के साथ महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू कर रही हूँ। दुखी मन से इसलिए क्योंकि हमारी स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, भारी मन से इसलिए भी क्योंकि इस चर्चा को समय नहीं दिया जा सका जबकि बाढ़ की स्थिति और मारुति उद्योग के संबंध में चर्चा निर्धारित समय पर की गई थी। इससे इस देश की महिलाओं को गलत सन्देश जाएगा कि संसद महिलाओं के बारे में क्या सोचती है।

महोदय, इस चर्चा को विस्तार से करने से पहले मैं इस सदन के सभी सदस्यों से यह अपील करना चाहूँगी कि इस समस्या को राजनैतिक दृष्टि से न देखें और इसका राजनैतिक प्रयोजनों के लिए उपयोग न करें। मुझे पूरा विश्वास है कि तुच्छ राजनैतिक विचारधारा से ऊपर उठकर सभी राजनैतिक दलों के संयुक्त प्रयास सभी महिलाओं, युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, खेतीहर मजदूर तथा अन्य सामाजिक दलों के संयुक्त प्रयास तथा सभी लोगों की सद्भावना एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकती है जिसमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ प्रभावी रूप से लड़ा जा सकता है।

हमें यह मानना चाहिए कि आज जो स्थिति है वह खराब नहीं है।

हम सभी को यह स्वीकार करना चाहिए कि हम वह सब नहीं कर सके हैं जो हमें महिलाओं के लिए और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए करना चाहिए था। मैं यह सब क्यों कह रही हूँ ? इसके पीछे यही भावना है कि यदि हम इस प्रश्न का हल सही ढंग से ढूंढते हैं तो हो सकता है कि हम कुछ कर सकें और कुछ ऐसे उपाय कर सकें जिनसे हम वास्तव में कम से कम उक्त अत्याचारों में तो कमी ले ही आएंगे।

अपराह्न 5.30 बजे

[डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए***]**

अत्याचार कई किस्म के हैं जैसे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, नाबालिग लड़कियों तक से छेड़खानी। कल, मैंने अखबारों में पढ़ा था कि एक नब्बे वर्ष की वृद्धा के साथ बलात्कार किया गया। यह सब क्या हो रहा है? जरा सोचिए, नौ वर्ष, सात वर्ष और नब्बे वर्ष की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। साथ ही महिलाओं को नग्न दौड़ाए जाने जैसी नई घटना बढ़ती जा रही है ? लड़कियों को वेश्यालयों में बेचना, लड़कियों को विदेशों में बेचना, दफ्तरों में महिलाओं को परेशान करना, पति और पति के परिवार वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक यातना, दहेज के लिए यातना, असहाय हालत में पत्नी का त्याग करना इत्यादि जैसी घटनाएं हर वर्ष बढ़ रही हैं।

मैं आंकड़े भी प्रस्तुत करती परन्तु मैं सोचती हूँ कि ये पूरे नहीं हैं। फिर भी उनसे यही पता चलता है कि यह वास्तक में उसी के बारे में है जिसके बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। जरा आंकड़े देखिए। इस तथ्य के बावजूद कि सभी मामलों की सूचना नहीं दी जाती, विशेषकर पिछड़े राज्यों में, फिर भी हमें बलात्कार के आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। स्थिति क्या है?

अखिल भारत के आंकड़े इस प्रकार हैं : 1995 में 12,992, 1996 में 13,53 और 1997 में 14,215। यह संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। महोदय, ये पूरे आंकड़े नहीं हैं क्योंकि इनकी पूरी सूचना कभी नहीं दी जाती। राजस्थान में :- 1995 में 1036, 1996 में 1162, 1997 में 1255, महाराष्ट्र में :- 1995 में 1322, 1996 में 1408, 1997 में 1206, उत्तर प्रदेश :- 1995 में 1800, 1996 में 1741 और 1997 में 1390, मध्यप्रदेश :- 1995 में 3023, 1996 में 3007, 1997 में 3011, बिहार में :- 1995 में 907, 1996 में 859 और 1997 में 1189 स्पष्ट है कि सभी मामले प्रशान में नहीं आए।

श्री पी.सी. थामस (मुवतुपुजा) : ऐसा इसलिए कि सभी व्यक्ति किसी न किसी कामों मे लगे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : ठीक है यह आदमियों तक ही सीमित है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था इससे देश को अच्छा संदेश नहीं मिलता।

अब मैं दिल्ली की बात करती हूं जो एक बहुत छोटा राज्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। हर रोज जब भी आप अखबार खोलते हैं, तो राज्य में होने वाले अपराधों से संबंधित एक पृष्ठ होता है। अब हम ऐसी स्थिति में हैं। यह भी सच है कि कभी-कभी कई राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता भी ऐसे मामलों में संलिप्त होते हैं और दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें संरक्षण मिल जाता है। मैं किसी विशेष पार्टी के बारे में नहीं कह रही हूं वे किसी भी पार्टी के हो सकते हैं।

इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह पहला कदम है। सबसे पहले, सभी राजनैतिक दलों को इस तरह का संरक्षण देना बन्द करना होगा। आप ऐसे अपराधियों को संरक्षण देना बंद करें जो महिलाओं के प्रति अत्याचार करते हैं, उनसे बलात्कार करते हैं, उनसे छेड़खानी करते हैं और उनकी नग्न पेरेड कराते हैं। आप कम से कम उन्हें रोकिए।

दूसरा, जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस मुद्दे का राजनैतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। हमें तुच्छ राजनैतिक विचारधारा से ऊपर उठना होगा और इस मुद्दे पर हम सभी को एक साथ मिलकर चलना होगा।

जहां तक कानूनों का संबंध है महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों से निपटने के लिए कुछ अच्छे कानून हैं। मैं 1980 में आयी थी। 1980 से 1985 तक हमने काफी संख्या में उत्कृष्ट कानून पारित किए थे। उदाहरण के लिए, हमने दहेज के कारण होने वाली मृत्यु के संबंध में कानून बनाए हैं। इस तरह के काफी कम कानून हैं। विवाह के कुछ वर्षों के अन्दर अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो पुलिस को स्वत: कार्रवाई करनी होगी। क्या पुलिस स्वत: कार्रवाई करती हं? नहीं मैं दुख के साथ कहती हूं कि काफी कम मामलों में स्वत: कार्रवाई की जाती है। अक्सर, इन नियमों को लागू करने में न केवल ढीलढाल होती है बल्कि कई बार इन्हें लागू भी नहीं किया जाता। अच्छे नियमों के होने का क्या लाभ? जनता का धन चर्चा इत्यादि में खर्च करने का क्या लाभ? आज यह स्थिति है। उसका क्या किया जाए? इसके अलावा अगर कोई न्यायालय जाता है तो क्या होता है? अगर कोई न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है तो वह पाता है कि इसकी प्रक्रिया काफी जटिल है। इसमें इतना अधिक समय लगता है कि ''विलम्ब से किया गया न्याय एक तरह से न्याय न देने के बराबर होता है'' की उक्ति चरितार्थ होती है। अगर कोई मामला 10 वर्षो तक चलता है तो ऐसे मामले को जीतने का क्या फायदा? उसके बाद, अकसर अपराधी को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार, अधिकतर स्थिति ऐसी ही होती है। अगर आप इसकी तुलना दर्ज किए गए मामलों और दोषी व्यक्तियों से करते हों तो इनकी संख्या काफी कम है। यह एक बहुत ही दुखद स्थिति है। कभी-कभी, सरकार इन मामलों की ओर ध्यान भी नहीं देती है। गवाहों को धमकियां दी जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप, मामला दब जाता है। ऐसी असख्यों घटनाएं होती हैं जिनमें भुक्तभोगी को प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज करना भी कठिन लगता है क्योंकि पुलिस रिश्वत या अन्य उपायों के प्रभाव में आ जाती है। इसलिए, इन बातों का होना स्वाभाविक ही है।

हम महिलाओं के लिए अलग न्यायालय की मांग करते रहे हैं। परन्तु कितने राज्यों में केवल महिलाओं के लिए अलग न्यायालय हैं? बहुत कम। स्थिति इस प्रकार है। जब तक महिलाओं के लिए न्यायालयों की स्थापना नहीं होती तब तक कम से कम एक काम कीजिए। आम न्यायालयों में एक विशेष दिन नियत कर दीजिए कि उस दिन महिलाओं पर किए जा रहे सभी प्रकार के अत्याचारों के मामले ही लिए जाएं जिससे इन मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। यह सुझाव भी आम तौर पर स्वीकार नहीं किया । मैं फिर से यह सुझाव आपके विचारार्थ प्रस्तुत कर रही हूं।

जहां तक कार्यान्वयन का प्रश्न है, सभी जानते हैं कि सबसे पहला काम पुलिस और नौकरशाही को संवेदनशील बनाना है। वास्तव में, पहला काम अपने आपको संवेदनशील बनाना है उसके बाद पुलिस और नौकरशाही को। पुलिस और नौकरशाही को संवेदनशील बनाना परम आवश्यक है।

राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों को और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए क्योंकि महिला आयोग ठीक ही कह रहे हैं कि वास्तव में उनके पास कोई अधिकार नहीं हैं। उनका कहना है कि वे केवल सुन सकते हैं और फिर सरकार से केवल कह ही सकते हैं। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो वे किसी भी तरह समस्या का समाधान नहीं कर सकते। महिला आयोग की स्थापना कानूनों को लागू करने के उद्देश्य से की गई थी। अब, अगर महिला आयोग में यह स्थिति होगी तो वे नियमों को किस प्रकार लागू करेंगे।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि महिला आयोग को इस समय दी गई शक्तियां बिल्कुल पर्याप्त नहीं हैं। हमें स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए कि हम इसे और अधिक अधिकार कैसे दें जिससे यह भी कुछ कार्रवाई कर सके। हमें इस बारे में सोचना होगा। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कोई आसान सा समाधान ढूंढ़ निकालूं कि यह करो या वह करो। इस बारे में सोचना होगा।

इसके बाद महिला आयुक्तों के बारे में प्रश्न उठता है। उनकी नियुक्ति के संबंध में काफी कुछ कहा गया था। वह भी लागू नहीं किया गया। वह भी किया जाना है। इसे जल्दी ही किया जाना चाहिए और उन्हें शक्तियां दी जानी चाहिए जिससे वे भी कुछ कर सकें। ऐसा कभी नहीं किया गया। उन्हें शक्तियां क्यों नहीं दी गई हैं।

इसके बाद पुलिस स्टेशनों में महिला सेल बनाए जाने की बात आती है। कितने पुलिस स्टेशनों में महिला सेल हैं? और फिर कितने पुलिस स्टेशन केवल महिलाओं के लिए बने हैं। इन सब पर कई बार बात हुई। परंतु बोला कुछ जाता है और किया कुछ। मुझे इस बात का दुख है कि बोला बहुत कुछ जाता है और किया बहुत थोड़ा। स्थिति ऐसी है।

सरकार ने बच्चों को दलालों और अन्य देशों में बेचे जाने के बारे कदाचित ही कोई हस्तक्षेप किया है। कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया है। कुछ तो बच्चों को अरब देशों में

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

ले गए। केवल बहुत कम अपराधी ही पकड़े गए हैं। देश के भीतर तो कोई भी नहीं पकड़ा गया। वास्तव में कोई भी नहीं। वे किसी न किसी तरह छूट जाते हैं।

इसके बाद संचार माध्यम की बात आती है। न केवल नौकर-शाही में बल्कि संचार माध्यम में भी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे संचार माध्यम को इस दिशा में सहयोग करना चाहिए क्योंकि उनके पास संवेदनशीलता का एक सशक्त उपाय है और मैं इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यम और मुद्रण संचार माध्यम का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपने प्रसार से महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में हमें काफी सहयोग दिया। मुझे आशा है कि भविष्य में भी वे महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में वैसा ही सहयोग करेंगे।

कार्य स्थलों पर अश्लीलता के संबंध में सभी जानते हैं कि चाहे ईंटों का भट्टा हो या कार्यालय हमारे पास अश्लील छेड़खानी के हजारों मामले आते हैं। मुझे विश्वास है कि इस बात को अन्य बहनें भी जानती होंगी कि कार्य स्थलों में महिलाओं का किस प्रकार यौन उत्पीड़न किया जाता है। यदि वे अपने अधिकारियों की यौन तुष्टि करके उन्हें खुश नहीं करतीं तो उनकी पदावनति कर दी जाती है या उनके विरुद्ध कोई मामला शुरू कर दिया जाता है। या उन्हें किसी अन्य प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। वास्तव में, यह बहुत ही गंभीर स्थिति है क्योंकि हमारे देश में यद्यपि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं हुई हैं फिर भी गांवों में काफी संख्या में महिलाएं गैर सरकारी क्षेत्र में छोटे-छोटे उद्योगों में काम करती हैं। वहां इस तरह की छेड़छाड़ और अश्लीलता अश्लील हरकतों की घटनाएं अधिक होती हैं। ऐसा उच्च कार्य वर्ग में भी होता है चाहे वह सरकारी कार्यालय हो या निजी संगठन।

इस संबंध में मैं सभा को यह याद दिलाना चाहूंगी कि सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अगस्त, 1997 को दिए गए अपने निर्णय में केन्द्र राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों सहित सभी नियोक्ताओं को यह निर्देश दिए हैं कि कार्य स्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली बनायें और इस संबंध मे समुचित कदम उठायें।

उन्होंने 23 पृष्ठ का निर्णय दिया। मैं पूरे 23 पृष्ठ नहीं पढ़ूंगी लेकिन मैं उसका एक पैराग्राफ उद्धृत करती हूं:

"कार्यस्थलों अथवा अन्य संस्थानो पर नियोक्ता की अथवा उनके अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सामाजिक उत्पीड़न के कृत्यों को रोकें अथवा अनका अवधारण करें और यौन उत्पीड़न के कृत्यों के समाधान तथा निपटान अथवा इस संबंध में मुकदमा चलाने हेतु सभी अपेक्षित कदम उठाकर समुचित प्रक्रिया उपलब्ध कराएं"

लेकिन उसके बाद क्या किया गया? यह एक स्पष्ट निर्णय है। क्या सरकार ने कुछ किया है? इसने कुछ नहीं किया है। क्या सार्वजनिक क्षेत्र के एककों ने कुछ किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया। निजी उद्यमों के संबंध में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। उन्हें कौन पकड़ने जा रहा है? इसलिए पहले की तरह ही अत्याचार हो रहे हैं। क्या सरकार को उक्त निर्णय आने के बाद कुछ प्रणाली नहीं बनाई जानी चाहिए थी? क्या कम से कम अब बिना किसी विलम्ब के ऐसा नहीं करना चाहिए? कभी न करने से देर से करना बेहतर है। कम से कम अब निर्णय के अनुसार कदम उठाइए ताकि इस संबंध में कुछ किया जा सके।

अब, हम दहेज के कारण हुई मौतों के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मैंने कहा है कि इतने अधिक अच्छे कानून के होते हुए, बहुत कम मामलों को सफलतापूर्वक निपटाया जाता है। कानून के अनुसार शीघ्रता से मामलों को निपटाने के लिए प्रशासन को संवेदनशील बनाने के अतिरिक्त सबसे बड़ी आवश्यकता है दहेज न लेकर और दहेज न देकर एक उदाहरण स्थापित करना? क्या राजनीतिज्ञ इस बात की कोशिश कर सकते हैं? अधिकतर नहीं। क्या हम यह शपथ नहीं ले सकते कि हम दहेज न लेने और न देने की पूरी कोशिश करेंगे? हम इस संबंध में संसद में एक संकल्प पारित कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहूंगी कि दहेज में अपना काला-धन खर्च करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं यह सुझाव दूंगी कि एक कार्य-योजना बनाई जानी चाहिए जो कि उन सभी पहलुओं को समन्वित कर सके जिनमें सरकार तथा प्रचलित संगठन सहयोग दें।

आखिरी लेकिन महत्त्वपूर्ण बात यह है, कि सभा में महिला आरक्षण विधेयक को पूरा स्थापित न करके आपने जिस तरह से इसे निपटाया है इससे विभिन्न लोगों के बीच एक प्रश्न उठा है कि क्या यह महिलाओं पर अत्याचार का एक नमूना नहीं हैं। अत: मैं यह अनुरोध करुंगी कि लोगों को सही संदेश देने के लिए आप कृपया अगले सप्ताह विधेयक पुर:स्थापित करवायें।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : सभापति महोदय, इस सदन के सामने श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा नियम 193 के अधीन महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार के बारे में एक बहुत ही ज्वलंत और राष्ट्रीय समस्या पर अपने विचार रखे हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरी मान्यता यह है कि भारत जैसे देश में महिलाओं की जहां 50 प्रतिशत आबादी है, उनसे जब तक हम समान व्यवहार नहीं करेंगे, उनकी प्रतिष्ठा समाज में नहीं करेंगे, समता का व्यवहार जब तक उनसे नहीं करेंगे, तब तक इस समाज और देश का भविष्य मुझे ठीक नहीं दिखाई देता।

यहां जो कुछ बातें अत्याचार के बारे में सामने आई, अत्याचार के अलग-अलग पहलू हो सकते हैं – वे सामाजिक अत्याचार हो सकते हैं, कुछ शारीरिक अत्याचार होते हैं, मानसिक अत्याचार होते हैं, सेवा विषयक अत्याचार होते हैं, मीडिया के माध्यम से भी अत्याचार होते हैं और शिक्षा क्षेत्र में भी अत्याचार होते हैं। यहां जो आंकड़े दिये गए, उनसे सभी लोगों को सोचने को मजबूर होना पड़ा है कि

जहां दिन-प्रतिदिन एक तरफ हम आर्थिक प्रगति के रास्ते पर जा रहे हैं, शिक्षा का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ समाज में महिलाओं पर अत्याचारों की संख्या जगह-जगह पर बढ़ रही है। यह सब देखने के बाद जब मैं बैठा तो मैंने एक बात मन में तय की कि इसे मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखता कि कौन सी पार्टी किस राज्य में हुकूमत में है। ठीक है, आज एक पार्टी है, कल दूसरी पार्टी हो सकती है, मगर जो आंकड़े दिखाई देते हैं, जिसके बारे में कुछ जानकारी आपके सामने श्रीमती गीता मुखर्जी ने रखी, गहराई से देखने के बाद परिस्थिति का गांभीर्य सदन के सामने रखना मैं अपना फर्ज समझता हूं।

पूरे देश में पिछले पांच साल में बलात्कार, अपहरण, दहेज के कारण हुई मौतें, यातना, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और विशेष कानूनों के अन्तर्गत इन अपराधों में 56 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है और कई राज्यों में इस बढ़ोतरी का परिमाण बहुत ज्यादा है। कुछ राज्यों पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और दिल्ली तथा कर्नाटक हैं।

एक माननीय सदस्य : उड़ीसा भी है।

श्री शरद पवार : उड़ीसा की रिपोर्ट्स नहीं आई होगी, मगर इन क्षेत्रों की परिस्थिति सभी राज्यों के मुकाबले बहुत ही गंभीर दिखाई देती है। जो नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो भारत सरकार की संस्था है, उसने जो फिगर्स दी हैं, उन्हें देखने के बाद उन्होंने सरकार के सामने रखा कि इस देश में हर 50 मिनट में एक बलात्कार होता है, हर दो घंटे में एक डाउरी डैथ होती है, हर 40 मिनट में एक अपहरण का केस होता है, हर 27 मिनट में एक शीलभंग या मोलैस्टेशन का केस होता है, हर 50 मिनट में महिलाओं को छेड़ने का एक केस होता है।

हर तीस मिनट के बाद महिला के साथ भयंकर व्यवहार का एक केस इस देश में होता है। ये सब फीगर्स देखने के बाद यह मालूम होता है कि इस समस्या का स्वरूप दिन-ब-दिन कितना गंभीर हो रहा है। इसमें पहली बात यह है कि जब तक समाज में रहने वाले 50 प्रतिशत पुरुषों की दृष्टि महिलाओं के बारे में बदलने में हम कामयाब नहीं होते, तब तक इसमें सुधार होने की परिस्थिति मुझे दिखायी नहीं देती है। महिलाओं की तरफ देखने की हमारी दृष्टि ठीक नहीं है। कुछ लोग आज भी महिलाओं को माल-मत्ता समझते हैं, प्रोपर्टी समझते हैं। पुराना इतिहास देखने के बाद मैं किसी व्यक्ति या संत-महंत का नाम यहां नही लेना चाहता हूं, लेकिन हमारे इतिहास में लिखा गया है कि यह महान व्यक्ति था, उसके पास बहुत बड़ी हुकूमत थी और उसने गरीबों की सेवा करने के लिए अपनी पत्नी का त्याग किया। हम इतिहास में देखते और पढ़ते हैं कि किसी स्त्री के बारे में यदि समाज में कोई शक किया गया तो उसको आदेश दिया गया कि आप अग्निपरीक्षा करिये। मैंने इतिहास में यह कभी नहीं पढ़ा और न ही मेरे पास कोई सूचना है कि किसी पुरुष ने आज तक कभी अग्निपरीक्षा दी हो। लेकिन यह अग्निपरीक्षा सीता पर करने का काम इस देश में हुआ था। यह मानसिकता ही खराब है। आज हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति खराब है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व मानने के लिए आज का समाज तैयार नहीं है। महिला किसी की लड़की हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है या किसी की मां हो सकती है। लेकिन उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व मानने की आज हमारे समाज की धारणा नहीं है। आप कहीं भी देखिये कि आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा मेहनत करने का हिस्सा महिलाओं का होता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (FAO) दुनिया में एक संगठन है। उसने दुनिया में खेती के क्षेत्र में मेहनत करने वाले लोगों के हिस्से के बारे में कुछ आंकड़े इकट्ठे किये हैं। जिसमें यह दिखाई देता है कि दुनिया में जितना अनाज पैदा होता है, इस अनाज की पैदावारी को तैयार करने में 70 प्रतिशत श्रम महिलाओं का होता है और इस श्रम से पैदा होने वाले अनाज का 12 प्रतिशत हिस्सा उनके पास जाता है। यानी मेहनत की पूरी जिम्मेदरी हम लोगों ने महिलाओं के ऊपर छोड़ दी, मगर इस मेनहत का जो फल आता है, डेवलपिंग कंट्रीज में समाज खास तौर से उनका हिस्सा उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। यह भी महिलाओं के ऊपर एक अलग तरह का अत्याचार ही है। इसके बारे में कई कदम उठाने की आवश्यकता मुझे दिखायी देती है। शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाने की आवश्यकता है। आप किसी भी लैंग्वेज की किताब को देखिये, उस किताब के द्वारा जो कुछ हम नई पीढ़ी को सिखाते हैं, उसमें भले ही हम महिलाओं पर अच्छी तरह से गौरव करते हैं, लेकिन कई जगहों पर उनका उल्लेख इस तरह से करते हैं कि जिससे नई पीढ़ी के मन मे "स्त्री के समान अधिकार है", यह मानसिकता तैयार करने के लिए यह शिक्षा भी उनको मदद नहीं करती है।

अपराह्न 6.00 बजे

सभापति महोदय : चूंकि हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में कई माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं तथा माननीय शरद पवार जी का भी भाषण अभी अधूरा है। इसलिए यदि यह सदन सहमत हो, तो इसको हम कल ले लें और कल शरद पवार जी अपना भाषण जारी रखें।

कुछ माननीय सदस्य : हां ठीक है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, कल "शून्यकाल" नहीं होगा ताकि प्रश्न काल के तत्काल बाद यह चर्चा आरम्भ की जा सके।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.01 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 24 जुलाई, 1998/2 श्रावण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।